(1)

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

सोमवार

दिनांक 5 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जिला भीलवाड़ा में हत्याओं के मामले

1. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 1981-82 में व 1982-83 में भीलवाड़ा जिले के किन-किन कस्बों गांवों में किन-किन पुरुषों -स्त्रियों की हत्यायें की गयीं ? क्या जिनकी हत्यायें हुई, उनकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई ? यदि हां, तो कब कब ?

(2) उक्त हत्याओं से सम्बन्धित दर्ज मुकदमों के नतीजे क्या रहे ? यदि हत्यारों का पता नहीं लगा या एफ.आर. दी गयी, तो उनके पीछे क्या कारण रहे ? कृपया सविवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : ठहरिये।

राज्य मंत्री, गृह (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर):

(1) वर्ष 1981-82 में भीलवाड़ा जिले मे हुई हत्याओं के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। जी हां, सूची में अंकित है।

(2) भीलवाड़ा जिले में सन् 1981-82 में 26 हत्याओं के मामलों में से 23 के चालान हुए, 3 में एफ.आर. अदम पता ही गयी। सन् 1982-83 में 23 मामले दर्ज हुए जिनमें से 19 में चालान, 3 में एफ.आर अदमपता की गयी और एक में अदम वकुआ दी गयी। विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सूची तो मांगी नहीं थी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सूची इतनी लम्बी थी कि मैं पढ़ता तो…

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। Silence. ऐसा कर सकते हैं…

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया, उसके सन्दर्भ में मेरा एक ही प्रश्न है, जो सूची दी गयी है, उसमें कुछ एफ.आर. की बात कही गयी, कुछ चालान की बात कही गयी, लेकिन यह सूची पूरी नहीं है। पिछली जुलाई में भीलवाड़ा नगर में अशोक नाम के विद्यार्थी का किडनेप किया गया, उसकी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी लेकिन पुलिस में देरी से दर्ज की गयी। जो भी एफर्ट्स करने चाहिए, वह नहीं किये गये। परिणाम-स्वरूप फिरौती मांगी गयी। फिरौती के बाद प्रयत्न नहीं किये गये। फिर, उसकी निर्मम हत्या कर दी गयी। हत्यारों का आज तक पता नहीं लगाया जा सका। भीलवाड़ा जिला मुख्य मंत्री का जिला है, उनका गृह जिला है ... –

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? अशोक के हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर लेंगे? कहां तक कार्यवाही कर चुके हैं? यह उत्तर दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान जो प्रश्न पूछा, उस ओर दिलाना चाहूंगा। उन्होंने पूछा है कि 1981-82 व 1982-83, इन दो सालों में कितने मर्डर हुए? यह जिस घटना का विवरण दे रहे हैं वह 7 जुलाई, 1983 को हुई। अगर 1983-84 का विवरण मांगते तो उस घटना का विवरण देने में मैं सक्षम होता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। ऑर्डर, श्री गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में मर्डर्स की जो सूची दी है, उसमें राजनीतिक आधार पर कितनी मृत्यु हुई हैं? कृपया इस पर टिप्पणी करें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज। अलग प्रश्न।

अगला प्रश्न श्री हरीश शर्मा !

अधिशाषी अभियन्ता बारां के अधीनस्थ कार्यरत श्रमिक

2. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) कोटा जिले के बारां कस्बे में स्थित अधिशाषी अभियन्ता के अधीनस्थ क्षेत्र में कहां कहां क्या-क्या कार्य चल रहे हैं?

(2) कुल कितने श्रमिक मस्टर रोल पर कार्यरत हैं?

(3) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता ने गत एक वर्ष में कुछ मस्टर रोल पर कार्यरत व्यक्तियों, जो जूनियर थे, को वर्कचार्ज पर प्रमोशन दे दिया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों एवं किस नियम के तहत?

(4) सरकार इस अनियमितता करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री दिनेश डांगी) :

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सदन के पटल पर रखी गयी सूची के कालम संख्या 4 में दर्शायी गयी है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सारे श्रमिक एक दिन में लगाये गये और यह काम नियमानुसार नहीं हुआ? मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उस अधिकारी ने…

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दे दिया है। यह मामला मेरे सामने नहीं आया। मैं इसकी जांच कर लूंगा।

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सही नहीं है है कि मस्टर रोल पर काम करने वालों से रुपये लेकर 10 हजार रुपये ले-लेकर उनको आगे बढ़ा ले गये ? इसके लिए मैमोरेण्डम दिया, वहां उनका घेराव किया, लाठियां खायीं, अखबारों में भी आया। यह अन्याय है, यह बेईमानी है।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे व्यक्तिगत ध्यान में नहीं लाया गया। इसको लिखित में दे दें, मैं इसकी जानकारी लूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा) : जो उत्तर दिया है मंत्री महोदय ने, यह असत्य है। मस्टर रोल पर काम करने वालों को सीनियोरिटी के बिना रिश्वत लेकर वर्क चार्ज पर लगाया जा रहा है।

श्री दिनेश डांगी : उत्तर में कोई असत्यता नहीं है। अलग से…

श्री हरीश शर्मा : आप जांच करवाइये…

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सीनियारिटी वाले पीछे रह गये और जूनियर लोग आगे आ गये…

श्री दिनेश डांगी : अलग से लिख कर दीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : इसका अलग से भी लिखकर देंगे आपको।

श्री हरीश शर्मा : लिखकर क्या देना है? बता दीजिए।

श्री दिनेश डांगी : अलग से कोई पूछा नहीं, जनरल बात कह दी। अलग से लिख कर दे देंगे तो इसमें जो कार्यवाही करनी चाहिए, वह करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मस्टर रोल पर काम करने वाले लोगों को अनियमित रूप से वर्क चार्ज पर लगाया जा रहा है।

श्री दिनेश डांगी : यह सही नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यह सही है कि कर्मचारियों ने 12-4-83 को जिसकी एक प्रति मेरे पास भी है, मंत्री महोदय के पास इस प्रकार की शिकायत भेजी थी ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह असत्य बात कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, प्रश्रय दे रहे हैं, और वहां गरीबों की मौत हो रही है। यह सरकार गरीबों की हत्यारी है । उन गरीबों से 10-10 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री ।

राज्य पर ओवर ड्राफ्ट

3. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पर वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में कितना ओवर ड्राफ्ट रहा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ओवर ड्राफ्ट चुकाने में यह सरकार असमर्थ है ?

(3) उक्त ओवर ड्राफ्ट किस रूप में व कितनी अवधि में चुकाया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है । वर्ष 1983-84 में 30-6-83 को राज्य सरकार पर कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था।

(2) चूंकि इस समय राज्य पर कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री सूरमा राम ।

ग्राम कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा के आवासों का नियमितीकरण

4. **श्री सूरमा राम** (पिण्डवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा का कोई भी मकान पूरी तरह से मांउट रोड (लिंकरोड) में नहीं आ रहा है तथा सभी नागरिक यथा स्थान बकाया बची हुई जमीन पर रहना चाहते हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्राम के कुछ नागरिकों को जबरन अन्यत्र बसाने का क्या औचित्य है ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम के सभी नागरिकों को यथा स्थान रोड से बची हुई जमीन, जिस पर उनके पक्के मकान बने हुए हैं, में नियमित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) यह सही है कि ग्राम कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा का कोई भी पूरा मकान लिंक रोड में नहीं आ रहा है परन्तु इस सड़क में कुछ को-ऑपरेटिव सोसायटी के सदस्यों के प्लाट आते हैं । उन्हें अन्यत्र समीप ही आपसी समझौते द्वारा बसाया जा रहा है । जिन व्यक्तियों के मकान का केवल कुछ हिस्सा ही सड़क में आता है वे वहीं बाकी बची भूमि पर बसे रहना चाहते हैं, उनको जबरन अन्यत्र नहीं बसाया जा रहा है।

(2) नियमन विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में हरे वृक्षों की कटाई

5. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में हरे पेड़ों की कटाई में कमी नहीं होकर बल्कि बढ़ोतरी हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी-इलाकों से खेजड़ी-कुम्भर, रोहिड़ों की लकड़ियों के ट्रक भर-भर कर आम रास्तों से गुजरते हैं ? यदि हां, तो क्या यह सरकारी एजेन्सियों की लापरवाही या मिलीभगत नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बायतू-चौहटन से अनाप-शनाप पेड़ कटकर बालोतरा फैक्ट्रियों में खुले आम ट्रकों द्वारा आते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने मुकामी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या सरकार ने भविष्य में रेगिस्तानी इलाकों में हरे वृक्ष न काटने के लिये कोई क़दम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

राज्य मंत्री वन, (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) :

(1) जी नहीं।

(2) यह सही नहीं है। लकड़ी के ट्रकों द्वारा अवैध परिवहन की चैकिंग समय समय पर की जाती है।

(3) बाड़मेर जिले के बायतू, चौहटन के वन क्षेत्रों से कटकर कोई लकड़ी बालोतरा फैक्ट्री में नहीं जाती है। राजस्व व अन्य क्षेत्रों से कटकर आने वाली लकड़ी के ट्रकों द्वारा अवैध परिवहन की चैकिंग वन विभाग के स्थानीय अमले द्वारा की जाती है और अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां।

1. राजस्थान खातेदारी अधिनियम, 1955 के अधीन राज्य नियमों में संशोधन किये गये हैं।

2. अनुज्ञा पत्र जारी करने के अधिकार में समुचित परिवर्तन किये गये हैं।

3. तहसीलदार एवं उनके उच्च राजस्व अधिकारियों को भी वन अधिकारियों के अधिकार दिये गये हैं।

4. लकड़ी के अवैध परिवहन के मामलों को कम्पाउण्ड करने में शास्ति की राशि बढ़ा दी गई है। यह भी आदेश जारी किये गये हैं कि तीसरी बार अपराध करने पर अपराधी का अदालत में ही चालान किया जावे।

5. जोधपुर, बाड़मेर तथा बालोतरा में राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को लकड़ी एवं कोयले के विक्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के भाग तो (4) ही हैं. (5) और (6) कहां से हो गये ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (4) में पूछा गया है कि सरकार ने भविष्य में रेगिस्तानी इलाकों में हरे वृक्ष न काटने के लिये कोई कदम उठाये हैं। यदि हां, तो क्या। इसलिये सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं वही बता रहा हूं –

(6)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

6. जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को बाड़मेर तथा बालोतरा शहरों में अवैध रूप से आने वाली लकड़ी की रोकथाम के लिये सघन अभियान चलाकर चैकिंग करने के आदेश दिये जा रहे हैं। वन विभाग के जोधपुर स्थित उड़न दस्ते को भी इस कार्य हेतु विशेष तौर पर लगाया जा रहा है।

7. उद्योग विभाग को निवेदन किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसे उद्योगों, जिनमें लकड़ी का अधिक मात्रा में उपभोग हो, को लाइसेन्स नहीं दिया जाय।

8. पर्यावरण विभाग द्वारा भी यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे उद्योगों, जिनमें जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है, को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाय जब तक कि वे अपने निजी उपयोग के लिये काम में आने वाली लकड़ी के लिये केप्टिव प्लान्टेशन लगाने की सहमति न दें।

9. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी वन अधिनियम बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें वन अपराधों के लिये कठोर दण्ड प्रस्तावित हैं।

10. राज्य सरकार द्वारा आरा मशीनों पर अवैध तौर से आने वाली लकड़ी की रोकथाम तथा आरा मशीनों पर नियंत्रण करने के लिये नियम प्रचलित कर दिये गये हैं।

11. लकड़ी, कोयले तथा बांस के क्रय-विक्रय को नियंत्रित करने के लिये नियम प्रचलित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं, ताकि इनके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि बाड़मेर जिले की बायतू, चौहटन के वन क्षेत्रों से कटकर कोई लकड़ी बालोतरा फैक्ट्री में नहीं आती है और ट्रकों की चैकिंग वन विभाग के स्थानीय अमले द्वारा की जाती है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने खुद देखा है बायतू की सड़कों पर खेजड़ी और रोहिड़े के खाली ट्रक भर-भर कर आते हैं। आज भी फैक्ट्री के अहाते में बहुत भारी संख्या में खेजड़ी और रोहिड़े की लकड़ी का ढेर लगा हुआ है।

दूसरा, मंत्री महोदय ने बताया कि लकड़ी की चैकिंग चौकियों द्वारा की जाती है। अध्यक्ष महोदय, चौकियां आम रास्ते पर हैं और उनके सामने से यह ट्रक गुजरते हैं, इनके रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। बालोतरा, जहां कोयले की व्यवस्था नहीं है, फैक्ट्री के अन्दर ढेर लगा हुआ है, तो फिर लकड़ी कहां से आई? इस संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी चैकिंग चौकियों द्वारा कितने केसेज पकड़े गये?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं, लकड़ी और कोयले की व्यवस्था के संबंध में पूर्व में भी जैसा निवेदन किया है कि वन श्रमिक सहकारी संघ को मैंने गये साल कोयले के डिपो खोलने की अनुमति दी थी लेकिन शायद वित्तीय स्थिति के कारण वे गये साल डिपो नहीं खोल पाये, इस वर्ष वे डिपो खोल देंगे।

दूसरी बात उन्होंने ट्रक गुजरते हैं, उसके संबंध में कही। यह बात सरकार के ध्यान में है। वन विभाग द्वारा फरवरी,

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

1983 से मई, 1983 तक 22 मुकदमें बनाये गये हैं, कोर्ट में पेश किये गये हैं और 20 मामलों में केस कम्पाउण्ड करके 14, 570/- रुपये का मुआवजा वसूल किया गया है। जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि ऐसी फैक्ट्रियां, जिनमें लकड़ी की नियमित आवश्यकता होती है, स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाय जब तक कि वे अपने निजी उपयोग के लिये काम में आने वाली लकड़ी के लिये केप्टिव प्लान्टेशन लगाने की सहमति न दें ताकि उनके उपयोग के लिये लकड़ी बन सके।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने वन श्रमिक सहकारी संघ को कोयले का डिपो खोलने का ठेका दिया है और वह डेढ़ साल से नहीं खोल पा रहा है तो क्या मार्केटिंग सोसायटी, बालोतरा को ठेका कोयले का डिपो खोलने हेतु दे सकते हैं?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 1-2 माह में वन श्रमिक सहकारी संघ ने डिपो नहीं खोला तो मार्केटिंग सोसायटी, बालोतरा यदि कोयले का डिपो खोलने की अनुमति मांगेगी तो उसको अनुमति दे देंगे।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। श्री भूपालसिंह।

श्री भूपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, लकड़ी के ट्रकों द्वारा अवैध रूप से लकड़ी ले जाने की चैकिंग करने और दोषी लोगों को सजा देने की बात मंत्री महोदय ने कही लेकिन उन गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स और सर्वेन्ट्स के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने के लिये कोई नियम या कानून बनाये हैं या नहीं जिनकी मिली भगत से यह कार्यवाही होती है? यह बताने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बहुत भोले हैं। वन विभाग में भ्रष्टाचार काफी होता है। यह उनके वश का काम नहीं अतः उनकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को वन मंत्री बनाया जाय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इस संबंध में कानून में संशोधन करके लकड़ी लाने वाले और भेजने वाले···

श्री भूपाल सिंह : जो गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स हैं, जिनके जंगल से लकड़ी कटकर आती हैं उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सारी लकड़ी जंगल से ही कटकर नहीं आती, माननीय सदस्य, जो काश्तकारों के खेतों में पेड़ वगैरह होते हैं वे भी काटकर बेच देते हैं।

श्री भूपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसके लिये अलग से व्यवस्था है। तहसीलदार और पटवारी रहते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स और सर्वेन्ट्स हैं उनके खिलाफ भी आपने कोई कानून बनाये हैं या नहीं ?

(8)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय सदस्य, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो भी कैसेज हमारी निगाह में आते हैं और जिनमें यह पाया जाता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की वन अपराध में मिलीभगत है, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की सूचना मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरूलाल भारद्वाज।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि यह मुआवजा है या पेनल्टी है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : केसेज को कम्पाउण्ड करने के लिये है, कम्पाउण्ड करने की फीस है।

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद राज्य मंत्री जी।

जमवा रामगढ़ क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालय की स्थापना

6. **श्री भैरूलाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जमवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र के किन-किन पंचायत मुख्यालयों पर अभी तक आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोले गये हैं ? क्या सरकार भविष्य में इसकी क्षतिपूर्ति हेतु इस क्षेत्र को कोई विशेष कोटा आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी) : जमुवा रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की जिन पंचायत मुख्यालयों पर अभी आयुर्वेद औषधालय नहीं हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ऐसा सम्भव नहीं है और ना ही किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष के लिये कोई विशेष कोटा निर्धारित किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चार पंचायत समितियां हैं, जिसमें से एक के बारे में तो उन्होंने सूचना ही नहीं दी, तीन पंचायत समितियों की सूचना दी है जिसके आधार पर 29 पंचायतों के हैडक्वार्टर पर आयुर्वेदिक औषधालय हैं। इस तरह से रेगूलर वे में चलते रहे तो सौ साल में भी पूरे नहीं होंगे।

इसके अलावा इस क्षेत्र में केवल दो मेडिकल डिस्पेन्सरीज हैं दो लाख की आबादी में। आपको पता है कि जमुवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र में पी.एच.सी. भी नहीं है, दूसरे क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में सड़कों और यातायात की व्यवस्था भी ठीक नहीं होने से रोगियों की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने से कोई प्राइवेट प्रेक्टिशनर भी वहां नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या आप रोगियों को भगवान के भरोसे ही छोड़ना चाहते हैं ? माननीय मंत्री महोदय, यदि रेगूलर वे में चलते रहे तो कभी भी पूरे नहीं होंगे। क्या सरकार इसके लिये विशेष कोटा निर्धारित करेगी !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, विभाग की नीति के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में दस आयुर्वेद औषधालय होने चाहिये। वर्तमान में जमुवा रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 20 आयुर्वेदिक औषधालय खुले हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, दस-दस मील पर एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है। क्या मंत्री महोदय, इस वर्ष खोलने का विचार रखते हैं ? वहां पर कोई दूसरा साधन नहीं है।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट के अनुसार मैं आश्वासन दे सकता हूं ··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सरकार इस साल 200 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने जा रही है, इसके लिये कोई नीति निर्धारित की है या अपनी मन मर्जी के आधार पर खोलेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बालचन्द्र आर्यवीर एवं श्री अनंगकुमार।

करावन एवं दुधालिया (झालावाड़) में पशु चिकित्सालय की स्थापना

7. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) व **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में करावन तथा दुधालिया अच्छा कस्बा है जिसके आस-पास 20-30 ग्राम अवस्थित हैं किन्तु वहां पशु चिकित्सा सुविधा नहीं है? ऐसी स्थिति में सरकार उक्त स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : जी हां। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : वित्तीय साधन कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ? वहां पर दस-पन्द्रह मील तक कोई पशु-चिकित्सालय नहीं है। जहां पर हैं वहां पशुओं को ले जाते हैं तो रास्ते में ही मर जाते हैं। स्थिति बहुत दयनीय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे क्षेत्र में भी बहुत दूर दूर हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि दूधालिया ग्राम से दस किलोमीटर पर पशु-चिकित्सालय है। तीस हजार की आबादी पर एक पशु चिकित्सालय देते हैं।

अध्यक्ष महोदय के इलाके में भी पशु चिकित्सालय बहुत लम्बी दूरी पर है। माननीय सदस्य मेरे को जानकारी देंगे तो मैं पूरी व्यवस्था कराऊंगा।

(व्यवधान)

(१०)

प्रश्न संख्या 8

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री सूरजपालसिंह व श्री रामदेवसिंह। (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री यदुनाथ सिंह।

कृषि विपणन बोर्ड में सुपरवाइजरों के पदों पर नियुक्ति

9. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1983 में राज्य सरकार ने कृषि विपणन बोर्ड में सुपरवाइजरों के पदों के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये ? यदि हां, तो कितने पदों के लिये और कब ?

(2) उक्त पदों के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितनों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ?

(3) उक्त पदों पर साक्षात्कार कितने दिनों में पूरा किया गया और विभिन्न दिनों के साक्षात्कार में कौन-कौन अधिकारी बैठे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ऊपर के निर्देशानुसार सुपरवाइजरों का परिणाम. निरस्त कर दिया गया है।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह):

(1) जी हां, 24 पदों के लिए 25-2-83 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये।

(2) कुल 3553 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उनमें से 3452 आवेदन कर्ताओं को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया।

(3) साक्षात्कार 21 दिनों में पूरा किया गया। विभिन्न दिनों में साक्षात्कार में बैठे अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान को पता है कि सुपरवाइजर्स के मामले को लेकर किस प्रकार का राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ है। आपने जो सूची दी है वह इक्कीस दिन की दी है। एक तो यह बताने का कष्ट करें कि आपने 3452 एप्लीकेन्ट्स को कॉल-लैटर भेजे और उनको बुलाया और 21 दिन में साक्षात्कार किया तो प्रत्येक दिन कितने आदमियों का साक्षात्कार किया ? एक दिन में 500 आदमियों का साक्षात्कार करना सम्भव नहीं है, यह साक्षात्कार का मखौल उड़ाना है। इसमें राजस्थान को बुरी तरह से लूटा है, बुरी तरह से भ्रष्टाचार सुपरवाइजर्स के मामले में किया गया है। आप कह रहे हैं 'जी नहीं'। क्या आप इसके परिणाम को घोषित करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक घोषित कर देंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार की बात कही गई है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : बहुत अच्छे, दूध के धुले हुए हैं, मंत्रीजी।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह गलत है। जहां तक सूची का सवाल है वह सूची अब भी स्टेण्ड करती हैं। अभी वित्त विभाग का बान है उसके हटते ही हम परिणाम निकाल देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग का बान तो बाद में लगा है । यह तो एक अप्रेल से हो रहे थे । यह बान कौनसी तारीख को लगा है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : बान तो 26 जुलाई से लगा है ।

श्री यदुनाथ सिंह : इसलिये ही यह पूछा एक अप्रेल से पहले की बात होने की वजह से उस पर बान की बात लागू नहीं होती है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्टरव्यू ले लिये हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जो साक्षात्कार लिये हैं उसमें कितने व्यक्ति साक्षात्कार लेने के लिये बैठे थे और कितने घण्टे साक्षात्कार के लिये वह बैठे थे ? उन्होंने 20-20 और 25-25 व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिये एक साथ बुलाया था, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इसमें सही आदमी का चयन कैसे हो सकता है ? यह तो सम्भव ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों का इन्टरव्यू लिया गया वह 21 दिन में ही कैसे पूरा हो सकता है ? उन्होंने कितने घण्टे इन्टरव्यू लिया ? इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है इसलिये वहां अधिकारियों का घेराव भी हुआ ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि साक्षात्कार के लिये एक रिक्त स्थान के लिये कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, इसके क्या नियम हैं ? 24 सुपरवाइजरों की वेकेन्सी थी उसके लिये तीन हजार चार सौ बावन लोगों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया था ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा है बुला तो लिया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, नहीं बुलाया जा सकता है । इसमें राजस्थान की जनता का हजारों रुपये का खर्चा हो गया । इसमें लोगों से हजारों रुपये रिश्वत के लिये और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनका नाम तो सलेक्शन में रख दिया है और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उनको सलेक्ट नहीं किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा 24 पदों की वेकेन्सी के लिये साक्षात्कार के लिये कितने लोगों को बुला सकते हैं ? यह आप मुझे बता दें ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इसमें हजारों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । आॅर्डर आॅर्डर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं । आपने 24 पदों की

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वेकेन्सी के लिये तीन हजार और चार सौ बावन लोगों को साक्षात्कार के लिये बुलाया, क्या यह ठीक है ? क्या 21 दिन में इतने लोगों का साक्षात्कार सम्भव हो सकता है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या साक्षात्कार जिन लोगों ने लिया उन्होंने कोई उसमें अंक दिये थे ? उसमें कितने अंक प्रत्येक केण्डीडेट को दिये गये ? क्या जो अंक दिये गये थे उसकी कॉपी बोर्ड के पास मौजूद है ?

इसके अलावा मैं तीसरा प्रश्न यह भी पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि एक पद के लिये दस व्यक्तियों को बुलाया जाता है तो इस प्रकार 24 पदों के लिये 240 लोगों को ही साक्षात्कार के लिये बुला लेना उचित नहीं था ? आपने यह जो नियमित परिपाटी है वह क्यों बदल दी ?

इसके अलावा जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनकी जिला हैडक्वार्टर्स पर परीक्षा रख कर जो मेरिट के आधार पर परीक्षा में पास होते उनको आप साक्षात्कार के लिये बुलाते वह आपने क्यों नहीं किया?

इसके अलावा मेरा एक सवाल और है, वह यह है कि आपने सुपरवाइजरों की पोस्ट के हेतु जो क्वालीफिकेशन रखी वह सिर्फ बी.ए. ही रखी, उसमें आपने कोई डिविजन वगैरह की बात नहीं रखी। इससे हजारों लोगों ने इन पोस्टों के लिये अप्लाई किया। इस प्रकार हजारों रुपये बोर्ड के पास आये तो यह कहां तक उचित था ?

श्री देवेन्द्र सिंह : पैसे तो बोर्ड के पास ही आये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले जब सुपरवाइजरों की पोस्ट को एडवरटाइज किया सन् 82 में तो उसमें ट्रेन्ड लोगों को लेने की बात थी। उस समय सिर्फ 6 व्यक्ति ही ट्रेन्ड मिले। चूंकि 30 व्यक्तियों को लेना था इसलिये बाद में 24 और लेने थे तो हमने समाचार पत्रों में इन पोस्टों के लिये विज्ञापन दिया। इसमें ग्रेजूएट की क्वालीफिकेशन रखी गयी थी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : with no division.

श्री देवेन्द्र सिंह : जी हां, इसमें मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा, इन्टरव्यू के लिये जो लोग आये थे उनकी संख्या दो हजार थी। उन लोगों को इन्टरव्यू में मार्क्स भी दिये गये थे। उनका स्टेटमेन्ट भी बनाया गया है जो कि बोर्ड के कब्जे में है। इन सबको कम्पाइल करके इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी निकालेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, 21 दिन में दो हजार लोगों का अगर सौ व्यक्ति रोजाना के हिसाब से भी इन्टरव्यू लें तो क्या किसी भी व्यक्ति का सही रूप से चयन हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, इसमें सही चयन कैसे सम्भव हो सकता है ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने इसमें बहुत घोटाला किया है। लोगों ने अपने घरों में बैठ कर इन्टरव्यू लिये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें। कृपया शान्त रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, किसी भी अधिकारी ने मार्किंग नहीं किया है ? इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें एक-एक पोस्ट के अपाइन्टमेन्ट में 18 हजार रुपये तक की बोली लगी है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गांवों से हजारों लोगों ने फार्म भरे हैं। इस प्रकार हजारों रुपये गरीब लोगों से लूट लिये गये हैं। इसमें जिन लोगों ने पैसे दे दिये उनका तो सलेक्शन हो गया है और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिये उनका सलेक्शन नहीं हुआ है। इसमें जब भ्रष्टाचार की पोल खुली तो अब उनका रिजल्ट नहीं निकाल रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने अनुमति नहीं दी है, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में काफी तथ्य सामने आये। चूंकि इसमें काफी आरोप और प्रत्यारोप हुए हैं अतः मेरा निवेदन है कि इस सारे प्रकरण की न्यायिक जांच कराने को क्या राज्य सरकार तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री कैलाशमेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न तो यह है, अध्यक्ष महोदय, इसमें जो योग्यता निर्धारित की गयी थी उस योग्यता के तो कितने मार्क थे और साक्षात्कार के कितने मार्क्स थे ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि साक्षात्कार में जो गड़बड़ियां हुई हैं क्या मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री जी को इसमें हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई थीं इस कारण अभी तक भर्ती नहीं की गयी है और उस सलेक्शन को निरस्त कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न नहीं है। सुपरवाइजरों की पोस्ट के लिये जिन लोगों की नियुक्तियां की जा रही थी वह शिकायतें होने से निरस्त कर दी गयी हैं। इसमें बहुत भ्रष्टाचार और गड़बड़िया हुई हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवेन्द्र सिंह : भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री यदुनाथ सिंह: इनको पता ही नहीं है।

(व्यवधान)

(१५)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल स्पष्ट पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय मुझे स्पष्ट यह बतावें कि इसमें कितने मार्क्स तो योग्यता के रखे गये और साक्षात्कार के कितने मार्क्स रखे गये थे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आज से डेढ़ महीने पहले साक्षात्कार हो चुका है पर आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकाला गया है, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल मीणा।

जिला सतर्कता समितियों को भंग करने का औचित्य

10. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक आदेश प्रसारित कर जिलाधीशों की अध्यक्षता में गठित सतर्कता समितियों को तुरन्त प्रभाव से भंग कर दिया है? यदि हां, तो भंग करने का औचित्य क्या है?

(2) राज्य सरकार ने जिला स्तर पर सुने जाने वाले अभाव-अभियोगों की अब सुनवाई की व्यवस्था क्या तहसील स्तर पर की है? यदि नहीं, तो अब अभियोगों की सुनवाई का क्या स्वरूप होगा?

राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां, क्योंकि राज्य सरकार इन समितियों को पुनर्गठित कर अधिक प्रभावशाली बनाना चाहती है।

(2) जी नहीं, उपरोक्त पुनर्गठित समिति ही अभियोगों की सुनवाई करेंगी।

श्री नन्दलाल मीणा : दिसम्बर, 1970 में राजस्थान के सभी जिलों में अभाव अभियोगों की सुनवाई के लिए समितियां गठित की गई थीं जिनमें विधायक व संसद सदस्य भी थे और जिलाधीश उनके अध्यक्ष थे ताकि जिले से प्राप्त शिकायतों पर विचार हो, गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलवाया जा सके और उनको जयपुर आने की जरूरत न पड़े, उनकी सुनवाई वहीं हो। आपने उनको भंग कर दिया। क्या आप कोई नए सदस्य उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं या पहले वाले सदस्यों को निकालना चाहते हैं? प्रत्येक जिले में प्रति माह 75-80 एप्लीकेशन्स होती हैं। ऐसे व्यक्ति आज भी न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, वे जयपुर नहीं आ सकते, आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? अगर पुनर्गठित करना चाहते हैं तो कब तक कर देंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 13-7-83 को इन समितियों को भंग कर दिया गया है। इनको और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाय, सरकार इस पर विचार कर रही है। इन समितियों का पुनर्गठन शीघ्र किया जायेगा।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा, यह सही है कि सर्वप्रथम इस प्रकार की समितियों का गठन 12 मार्च, 1973 को हुआ था। जनता शासन के दौरान 17-12-77 को एक ही कलम से इन समितियों को भंग कर दिया गया। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर इनको और प्रभावशाली बनाया जाय जिससे लोगों को शीघ्र राहत मिल सके। इस पर विचार करके इन समितियों का शीघ्र गठन कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : जनता शासन ने 17-12-77 को इनको प्रारंभ किया था, भंग नहीं किया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले वाली समितियों को भंग किया था जो 1973 में हमने बनाई थी।

श्री नन्दलाल मीणा : आपके एम.एल.एज. हार गए थे इसलिए ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके भी बहुत हार गये थे।

श्री नन्दलाल मीणा : जिलाधीश इन समितियों के अध्यक्ष हैं। आप जिन-जिन व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहते हैं, करिये। लगातार तीन महीने तक लोगों के अभाव अभियोग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका मतलब शिवचरण माथुर सरकार अक्षम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 1977 में इन्होंने बिल्कुल नई समितियां गठित की थीं, उससे पूर्व कोई नहीं थीं....

श्री नन्दलाल मीणा: आप तो यह बतायें कि कब तक कान्स्टीट्यूट कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर तो सुनिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : : जिला परिषद के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, नए प्रतिनिधि आने हैं, किस प्रकार से इन समितियों का पुनर्गठन किया जाय, उनको ज्यादा प्रेक्टिकल बनाया जाय जिससे लोगों को जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, जिला स्तर पर लोगों की शिकायतों का निराकरण हो सके, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बहुत शीघ्र निर्णय लेकर इन समितियों का पुनर्गठन कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चतुर्वेदी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :इन समितियों को भंग क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि हम प्रभावशाली

(व्यवधान)

रूप से कार्य करने के लिए इनको पुनर्गठित करना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहता हूं कि इनको भंग करने की जरूरत क्या थी ? जो कार्य चल रहा था गरीबों को राहत मिल रही थी, वह मिलती । इसके पीछे ऐसा लगता है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार की अड़चन पहुंचाने की मंशा थी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी शंका निर्मूल है . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये । ये अपनी बात तो कह देते हैं, दूसरों को नहीं कहने देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो शंका है वह निर्मूल है । गरीब को शीघ्र न्याय मिल सके उसकी शिकायत का निराकरण हो सके, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है । इन समितियों को ब्राड-बेस्ड बनाकर इनका शीघ्र गठन किया जायेगा । जिससे लोगों को व्यावहारिक तरीके से जिला स्तर पर राहत मिल सके ।

अनेक माननीय सदस्य : भंग क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : एक ही बात का उत्तर दे दें कि भंग क्यों की गई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार ने महसूस किया कि जो समितियां कार्य कर रही थीं उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जाय ।

श्री यदुनाथ सिंह : इस बीच में जो वैक्यूम हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । कृपया बैठ जायं । मंत्री महोदय का उत्तर सुनिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने पूछा, भंग क्यों की । मैंने निवेदन किया कि मूल में भंग करने की मन्शा यह थी कि इन समितियों को ब्राड-बेस्ड करके वीकर सैक्शन्स के सदस्यों की संख्या बढ़ायें, समितियों को कुछ अधिक पावर्स दें । विचार विमर्श चल रहा है, इस पर निर्णय लिया जायगा । इनका शीघ्र ही पुनर्गठन किया जायगा ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह मन्शा नहीं है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब न्याय व्यवस्था गरीबों तक पहुंचाने के लिये इतना प्रयत्न करने जा रहे हैं तो क्या मंत्रीजी ऐसा करते समय ध्यान रखेंगे कि आम गरीबों की शिकायत पर विचार करने के लिए वैसी व्यवस्था करेंगे जैसे विक्रमादित्य का दरबार होता था । सरकार की मन्शा भी यही थी जब 1973 में इन समितियों का निर्माण किया । केवल पहुंच वाले लोगों को न्याय मिलता है और आम लोगों को नहीं मिलता है । इससे आम लोग सतर्कता समितियों के सामने पहुंचें ।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

दूसरी बात, क्या इन समितियों का सब-डिविजन स्तर पर, तहसील स्तर पर आयोजन करेंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : एक प्रश्न मुझे पूछना है अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अन्तिम तारीख बता दें कि कब तक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। एक माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आने दीजिए। उसके बाद अगर किसी माननीय सदस्य का नाम पुकारने की इच्छा होगी तो मैं उनका नाम पुकारूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भविष्य में उनके बारे में क्या मंशा रहेगी, यह मामला विचाराधीन है। लेकिन तहसील स्तर पर इन समितियों का गठन करना इसलिए संभव नहीं होता है कि जिलाधीशों के लिये संभव नहीं है। इसके अन्दर काफी व्यावहारिक कठिनाइयां रहेंगी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जयपुर में क्या कभी इनकी जिला स्तर पर मीटिंग हुई है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या आप यह बतायेंगे कि इन समितियों का आप पुनर्गठन करना चाहते हैं ? जो समितियां आपने भंग की हैं उनमें किसी प्रकार के अभाव आपके सामने आ रहे हैं जिससे सरकार ने इनको भंग करने का निर्णय लिया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य): वही जो आपके समय में आये थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कई जिलों के अन्दर शिकायतें आती थीं तो काफी समय उनके निराकरण में लगता था। कई जगहों पर मीटिंग नहीं हो पा रही थीं, कई जगह कोरम का अभाव रहता था। उसके बावजूद जयपुर के अन्दर शिकायतें लेकर जिला स्तर पर शिकायतें लेकर लोग आ रहे थे। इस कारण सरकार ने महसूस किया कि जो जिला स्तर पर कमेटियां हैं वह प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर कर रही हैं। उनके होते हुए भी लोग जयपुर आ रहे हैं, इसका मतलब है काम सही नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार ने निश्चय किया कि इनको प्रभावशाली बनाया जाए और इनका पुनर्गठन किया जाए। 1977 में जो इनके निर्वाचित सदस्य थे वह अब नहीं हैं, इसलिए यह शोर-शराबा कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया मैं उनसे एक जानकारी करना चाहता हूं। क्या यह सही है कि यह समितियां, जिला सतर्कता समितियां इसलिए प्रभावशाली नहीं हुई कि कलेक्टर्स ने मीटिंग्स अटेंड नहीं कीं, समय पर मीटिंग नहीं कीं ? जिला जयपुर के कलेक्टर के बारे में कहना चाहता हूं कि उसने एक बार भी मीटिंग नहीं की। क्या इनके काम में किसी प्रकार की कमी थी जिसके कारण आपने इनको भंग किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनके दो कारण थे, जयपुर के बारे में मैंने कहा कि सही है। तीन चार महीने के अन्दर एक भी मीटिंग नहीं हुई, यह कहना गलत है। मैंने इसी सदन के अन्दर उत्तर दिया था। जयपुर के मामले में जो विपक्ष के नेता ने कहा है, यह बात सही है। इसको और किसी रूप में न लिया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं ले रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दोनों कारण हैं। मीटिंग नहीं हो रही है। इनको प्रभावशाली बनाने के लिए, लोगों को इससे राहत मिल सके इसलिए करने जा रहे हैं। इसी महीने इसको कर देंगे। इन्होंने 1973 वाली कमेटियों को 1977 में भंग कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा और जब हमने भंग किया तो यह कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता कि आप शोर-शराबा किस बात का कर रहे हैं। प्रश्न सीधा है कि कमेटियां भंग हुई हैं। चाहे राजनीतिक आधार पर ही सही, प्रभावशाली बनाने के लिए आपने उन्हें भंग किया। उसके बाद इनमें सुधार किया जाता तो कर देते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आपने संशोधन तो कर दिया था और हमारे समय के आदमियों को हटा दिया था। यह बात आप की गलत है। आपको ज्ञान नहीं है और आप जवाब देने के लिए खड़े हुए हो।

श्री महाराम चौधरी : जो मामले निर्णीत होने की स्टेज पर थे उनके बारे में क्या किया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को पता नहीं है उसके बाद भी इनकी नियुक्ति कर दी। इनको ज्ञान नहीं है और यह वक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मंत्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : महाराम चौधरी जी ने जो प्रश्न पूछा था...

श्री अध्यक्ष : उनको मैंने इजाजत नहीं दी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह कब तक कर देंगे ? राज्य सरकार बचना चाहती है, यह पब्लिक को फेस नहीं करना चाहती है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप कमेटियां बनाते हैं, फिर भंग करते हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हैण्ड पम्पों के मामले में जांच हो रही थी उस में भी एक-एक गांव से शिकायतें आई थी। कुछ भी नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री राजबहादुर। प्रश्न संख्या 24

जमना नदी के पानी में से हिस्सा

24. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री राजबहादुर)

क्या राज्य सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में जमुना नदी के पानी में से अपने हिस्से का पानी निर्धारित कराने तथा उसे प्राप्त करने हेतु कोई पहल की गई है या किसी प्रकार के कोई प्रभावी कदम इस दिशा में उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ? यदि हां, तो क्या-क्या और उनके द्वारा क्या उपलब्धि हुई या क्या परिणाम निकला ?

राज्य मंत्री सिंचाई : श्री दिनेश डांगी जी हां। राज्य सरकार के प्रयास करने के फलस्वरूप यमुना के जल के बंटवारे को तय करने हेतु मुख्य मंत्री के स्तर पर दिनांक 28.4.81 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि बिना अनुमोदन के कोई भी परियोजना शुरू न की जाए और जब तक पानी के आवंटन के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो जाए तब तक उन गैर अनुमोदित परियोजनाओं, जिन्हें पहले से हाथ में लिया जा चुका है, के काम रोक दिये जावें तथा एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति का गठन किया गया । इस विशेषज्ञ तकनीकी समिति का गठन किया गया। इस विशेषज्ञ तकनीकी समिति का कार्य कुल पानी की उपलब्धि को आंकना और इस समय कितना पानी प्रयोग में आ रहा है, इसकी जांच करना था। परन्तु इस विषय में विशेषज्ञ तकनीकी समिति एक राय नहीं बना सकी तो फिर अध्यक्ष, तकनीकी समिति (चेयरमैन, केन्द्रीय जल आयोग) ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट पर विचार करने हेतु संबंधित राज्यों के सिंचाई सचिवों की एक बैठक भारत सरकार के सिंचाई सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 3 जून, 1983 को आयोजित की गई थी। अब संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक केन्द्रीय सिंचाई मंत्री द्वारा शीघ्र ही बुलाई जाने की आशा है जिसमें यमुना के जल के बंटवारे के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री राजबहादुर : क्या सरकार के पास सूचना या कोई आंकड़े हैं ? उनके हिसाब से यमुना में वर्षा ऋतु को छोड़कर कितना पानी है। यू.पी. और हरियाणा कितना पानी उपयोग में ला रहे हैं ?

दूसरी बात, जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में आपने क्या पत्र व्यवहार किया और क्या आपने वर्तमान जो ईरिगेशन मिनिस्टर हैं उनसे पत्र व्यवहार किया है ? क्या यू.पी. और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित किया है ? हिस्सा करने का आपने क्या प्रयास किया है, क्या प्राप्ति की है ?

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): जैसा प्रश्न के उत्तर में आपको बताया है, भारत सरकार के ईरिगेशन मिनिस्टर और चार मुख्य मंत्रियों और एक उप राज्यपाल दिल्ली की बैठक बुलाई थी। चेयरमैन टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर ईरिगेशन सैक्रेटरी की, दुबारा बैठक हुई जिसमें यमुना के सरप्लस पानी का निर्णय लिया गया।

श्री राजबहादुर : मैं पानी के बारे में कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, आपके ही बारे में कह रहा हूं। सरप्लस का मैंने स्वयं प्रयोग किया है। यह और जगह यूज हुआ है शायद आपके यहां यूज नहीं हुआ हो। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी बैठी उसने एक प्रस्ताव भेजा, उससे हम सहमत थे। हमारी

(श्री परसराम मदेरणा)

सहमति के बाद उसी टेक्निकल कमेटी की चार बैठकें हुई। चार बैठकों के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट जो हमारे पास आई थी, वह 1981 में आई थी हमारे कमेन्ट्स भेजने के बाद फिर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई । 5 राज्यों के इरिगेशन के मुख्य अभियन्ता इसके सदस्य थे और केन्द्रीय जल आयोग सी०डब्लू०सी० के चेयरमैन उस टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के चेयरमैन थे । दुबारा जब मीटिंग हुई तो उसके कमेन्ट्स आने के बाद में 3-8-82 को 18-2-82 को, 3-4-82 को और 28-5-82 को हुई चार मीटिंगों में किसी प्रकार का एक मत राज्यों के मुख्य अभियंताओं का उस कमेटी में नहीं हो सका। इसलिए एक डैडलाक आ गया । उस डैडलाक की वजह से सी०डब्लू०सी० के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी उस रिपोर्ट को उन्होंने फाइनल रिपोर्ट माना। हमने उस पर भी एतराज किया कि यह फाइनल रिपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि आपने पानी का असेसमेन्ट किया है वह असेसमेन्ट गलत है । ड्राफ्ट रिपोर्ट का असेसमेन्ट नहीं था। उस पर वाद-विवाद होता रहा । आप कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने जनवरी, 83 के अन्दर यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर को लिखा था कि जो भी आपकी फाइनल रिपोर्ट आई है वह टेक्निक्ल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, और फाइनल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं है तो मुख्य मंत्रियों के सम्मुख टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिये थी। इस संबंध में हमारा एतराज है। इसलिए आप एक्सपर्ट कमेटी की राय लीजिये, हम चैयरमैन की रिपोर्ट को सही नहीं मानते इस पर जून में एक मीटिंग बुलाई और जून में इसलिए मीटिंग बुलाई थी कि जो कुछ भी विवाद ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में था इस संबंध में कोई कान्सेसस अराइव हो जाये, वह कान्सेसस अराइव नहीं हुआ। इसलिए आगे मुख्य मंत्रियों की मीटिंग होने की सम्भावना है जैसा कि उस मीटिंग में कान्सेसस था ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है, वक्तव्य दिया गया है वह सेल्फ-कान्ट्रेडिक्टरी है। बिना किसी कमेन्ट के किये हुए मैं दो बातें जानना चाहता हूं। जिस रिपोर्ट से आप सहमत थे और जिसका हवाला दिया है, उस रिपोर्ट, जिस पर आपने सहमति का नोट भेजा है, का आप हवाला दे रहे हैं क्या उसको सदन के पटल पर रखेंगे एक बात ?

दूसरी बात यह है, हम जानना चाहते हैं कि यू०पी० और हरियाणा जान बूझकर बंटवारे के मामले में देरी कर रहे हैं और उत्तरोत्तर मात्रा पानी के उपयोग की बढ़ाते जा रहे हैं। क्या आप यह नहीं मानते है कि टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होती रहती है और राजस्थान लुटता रहता है, उसका हिस्सा खत्म होता रहता है ? कोई कार्य आपकी तरफ से नहीं हो रहा है, आप निष्क्रिय हैं, आगे कोई पत्र व्यवहार नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं इस पर आधा घन्टे की चर्चा करना चाहता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रिपोर्ट है ? जो आपकी सहमति और असहमति है उन दोनों को आप यहां रखेंगे ? आपने एक दफा कहा सहमति है और दूसरी दफा कहा कि असहमति है । दोनों ही सेल्फ कान्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेन्ट हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट या ड्राफ्ट रिपोर्ट में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे राजस्थान सरकार सहमत है और फाइनल रिपोर्ट में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे राज्य सरकार की असहमति है ।

श्री परसराम मदेरणा : जो फाइनल कमेटी में मुख्य मुद्दा है, जिससे राज्य सरकार की असहमति है, वह कमिटेड युटीलाइजेशन के पानी का है और बैलेन्स अवेलेबल है और अनएप्रूव्ड उस प्रॉजेक्ट का युटीलाइजेशन है इसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट, जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की थी, और जो चेयरमैन की फाइनल रिपोर्ट है जिसको हम टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं मानते, उन दोनों के बीच में फर्क है बेलेन्स का। बेलेन्स में फर्क थोड़ा नहीं बल्कि मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बताना चाहता हूं कि 1.385 एम.ए.एफ. का फर्क है। जब यह फर्क है तो हम यह कह रहे हैं कि पानी का बेलेन्स ज्यादा है और दो प्रोजेक्ट्स सी.डब्लू.सी. या प्लानिंग कमीशन ने हरियाणा स्टेट के एप्रूव नहीं किये हैं। उनका कमिटेड यूज़ इसमें सम्मिलित नहीं किया जाये। उस पानी का बेसिक राज्य में बंटवारा होना चाहिये, एक बात।

दूसरे, टोटल रिक्वायरमेन्ट जो है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सामने क्योंकि चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेन्स कोई 83 में ही नहीं हुई बल्कि 75 में भी हुई थी और 78 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो कि आज विपक्ष के नेता हैं, के समय भी चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी, इसलिए टोटल रिक्वायरमेन्ट की जो सभी स्टेट्स ने दी हैं वह 26.127 एम.ए.एफ. है। हरियाणा ने दो रिक्वायरमेन्ट्स दी हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिक्वायरमेन्ट का सवाल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए 29.093 एम.ए.एफ. रिक्वायरमेन्ट दी है और राजस्थान ने अपनी जो रिक्वायरमेन्ट दी है वह 2.5 एम.ए.एफ. दी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप...

श्री अध्यक्ष : उत्तर पूरा होने दीजिए ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही प्रश्न। क्या सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार कर लिया गया है ? यमुना के पानी में हमारा पानी कितना है इस बारे में डिस्प्यूट बता रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने या टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने या सी.डब्लू.सी. ने कहीं भी इस संबंध में इस बात को मंजूर कर लिया है कि यमुना के पानी में राजस्थान का सिद्धान्ततः हिस्सा है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान का हिस्सा है तभी तो मुख्य मंत्री को वहां बुलाया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो अपना क्लेम है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, क्लेम नहीं है। बार-बार हमको बुला रहे हैं। हमने रिक्वायरमेन्ट रखी है। आज इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि चम्बल कहां जाकर मिलती है, पार्वती कहां जाकर

(22)

(श्री परसराम मदेरणा)

मिलती है, खारी कहां जाकर मिलती है। इसलिये इसमें दो राय नहीं है …

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार ने सिद्धान्ततः मान लिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने राजस्थान को बेसिक स्टेट माना है इसलिए हम रिक्वायरमेन्ट दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका जो विवाद है वह यह है कि कितना पानी सरप्लस है और कितना फ्लो आॅफ वाटर है। आपका विवाद केवल इतना सा है। मैं यह जानना चाहता हूं, जब आप कह रहे हैं कि सिद्धान्ततः भारत सरकार ने हमारा हिस्सा स्वीकार कर लिया तो आप क्या बता सकते हैं कि हिस्सा कितना स्वीकार किया है ? पर्सेन्टेज के बेसिस पर मैं जानना चाहता हूं। यह नहीं है कि 20 मिलियन एकड़ फीट पानी है उसमें से हमारा आठवां हिस्सा होता है कि छठा हिस्सा होता है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मान लीजिए उसमें 20 मिलियन एकड़ फीट पानी है तो उसमें कितना पर्सेन्टेज हमारा हिस्सा है ?

श्री परसराम मदेरणा : पानी सरप्लस है या नहीं है, पानी बेलेन्स में कितना है, स्टेट गवर्नमेन्ट को कितना प्रतिशत पानी का बंटवारा मिलेगा, स्थिति यथावत वही है जो कि 1978, जब आपने मीटिंग की थी, में आपने स्टेट के केस को रखा था। वही स्थिति है आज भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इसमें आपने किसी प्रकार का इम्प्रूवमेन्ट नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : आप ही तीन साल में कुछ नहीं कर सके।

श्री राजबहादुर : 1972 में मीटिंग थी जिसमें हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसीलाल जी और उत्तर प्रदेश के श्री नारायण दत्त जी तिवाड़ी आये थे और यह फिक्स हुआ था कि जो एक्स्ट्रा फ्लो है उसमें राजस्थान को लगभग 22 पर्सेन्ट मिलेगा जहां कि हमको ज्यादा मिलना चाहिए। यह बात 1972 की है। मैं जानना चाहता हूं कि सारी रिपोर्ट आप सदन की मेज पर रखें। आपने हवाला दिया है इसलिये जैसी आपकी प्रक्रिया है ! It Should come on the Table of the House मैं चाहता हूं कि इस पर डिस्कशन हो क्योंकि यह कन्फ्यूजन वर्स कन्फाउन्डेड हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। You have been marking the confusion worse confounded by shuffling the matter to and fro for the last one decade.

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह जो ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने के लिये प्रक्रिया का हवाला दिया है इस बारे में तो पहले कभी आपत्ति नहीं की गई, एक। दूसरा मैं 1972 की तो नहीं कह सकता लेकिन चैयरमैन सैन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन ने असेसमेंट किया था, इस स्टेज पर क्या पर्सेन्टेज रहना चाहिये। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान का हिस्सा कितना हो, ठीक से नहीं कह सकता, 20 या 22 पर्सेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

8. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) व **श्री रामदेव सिंह** (घोद) : –क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उप-खण्ड सांचोर जिला जालौर के एक वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध जोड़ताराम मेगवाल निवासी काटोल तहसील सांचोर ने छूआछूत बरतने की शिकायतें पेश की थी ? अगर हां, तो कब ? उन शिकायतों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी शिकायत है कि उपरोक्त लिपिक के सहयोग से पलादर, लूणीयासर, पांचला अकाल राहत सड़क कार्य पर लगे गरीब मजदूरों की मस्टररोल्स में बिना कारण हाजरियां कटवाकर मजदूरों की करीबन 3000/- की मजदूरी काटकर उनको जानबूझ कर नुकसान पहुंचाया था? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि मजदूरों की बिना कारण काटी गई मजदूरी का बाद जांच, भुगतान कर दिया गया है। अगर हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त उप-खण्ड में कार्यरत लिपिक के विरुद्ध सांचोर उपखण्ड में कार्य करने वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार की शिकायतें की थीं ? अगर हां, तो कब एवं उस बारे में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) श्री जोइताराम से प्राप्त शिकायतों में से एक में जो कि जौलाई के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई हैं कुछ ऊंच नीच जाति के होने संबंधी आरोप लगाये गये हैं। जिनकी विभागीय जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) मजदूरी का भुगतान मजदूरों द्वारा किये गये कार्यों के नाम के अनुसार किया गया है।

(4) शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच की जाकर आवश्यक आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर नगर में हथियारों के लाइसेन्स

1. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर नगर में कितने व्यक्तियों के पास हथियार रखने के लाइसेन्स हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि इसके अलावा हजारों हथियार बिना लाइसेन्स के भी हैं जो दंगों के दिनों में प्रयोग किये जाते हैं ? क्या दंगों में हथियार ऐसे बरामद हुए जिनका रिकार्ड में कोई लाइसेन्स दर्ज नहीं था ?

(3) क्या सरकार बढ़ती हुई साम्प्रदायिक वैमनस्यता का ध्यान रखती हुई सभी हथियारों के लाइसेन्स रद्द कर हथियार बरामद करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार प्रत्येक लाइसेन्स लेने वाले को प्राण रक्षा हेतु सरलता से हथियार रखने की स्वीकृति देगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में 520 व्यक्तियों

(24)

(गृह मंत्री)

के पास हथियार रखने के लाइसेन्स हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है कि उदयपुर नगर में सैंकड़ों व्यक्तियों के पास बिना लाइसेन्स के हथियार हैं। मगर यह सही है कि कुछ हथियार बिना लाइसेन्स के दंगों के दौरान जब्त किये गये। इन हथियारों की सूची संलग्न है।

(3) उदयपुर के समस्त अनुज्ञा पत्रों को रद्द करने का वर्तमान में राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसा कदम उठाना पड़ा तो इसके लिये नियमों में प्रावधान है।

(4) सरकार इस बारे में पूर्ण जांच के पश्चात् और नियमों के अनुसार ही प्राण-रक्षा हेतु लाइसेन्स जारी करती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राजस्थान में चलने वाली रेलों में गश्ती पुलिस की ड्यूटी

2. **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग) **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में चलने वाली यात्री गाड़ियों में सुरक्षा हेतु राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा सशस्त्र गश्त चलाई जाती है? यदि हां, तो यात्री गाड़ी ठहरने पर इन गश्ती पुलिस कर्मचारियों की क्या ड्यूटी होती है?

(2) क्या उच्चाधिकारियों द्वारा इनकी ड्यूटी का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो माह जनवरी, 1983 से अगस्त, 1983 तक कब-कब निरीक्षण किया गया है?

उत्तर

(1) जी हां। सभी रात्रि को चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के साथ आर्म्ड गार्ड रहती है। यह गश्ती गार्ड चलने वाली यात्री गाड़ियों के ठहरने पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों व अवाछंनीय तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है। जिससे गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके और गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। यात्री गाड़ी की सुरक्षा व यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे सशस्त्र गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है।

(2) जी हां। माह जनवरी, 1983 से अगस्त 83 तक रेलवे पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा दिनांक 1, 4, 13, 16, 17, 18, व 29 जनवरी, 5, 6, 10, 13, 17, 18, 25 व 26 फरवरी, 4, 8, 10, 11, 14, 18 व 25 मार्च, 4, 5, 9, 11, 20, 21, 24 व 25 अप्रेल, 4, 5, 13, 18, 24, व 26 मई, 2 व 30 जून, 3 व 16 जुलाई तथा 2 अगस्त, 1983 को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सशस्त्र गश्ती गार्ड का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

अकाल राहत कार्य में लगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

3. **श्री अमीन खां** (शिव):– क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

25

(श्री अमीन खां)

(1) राज्य सरकार अकाल घोषित करते समय क्या प्रक्रिया अपनाती है ?

(2) क्या सरकार यह महसूस करती है कि राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में सात सात रुपया मजूरी पर भी श्रमिक नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में अकाल घोषित करते समय इस बात को दृष्टि में रखकर ही न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेगी ?

उत्तर

(1) जिलाधीशों से फसल के बाबत खराबे के प्रतिवेदन आने पर राज्य सरकार उन पर विचार करके उन गांवों को, जिनमें फसल में खराबा 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो, अभावग्रस्त घोषित करती हैं।

(2) सरकार ऐसा महसूस नहीं करती। राज्य के रेगिस्तानी जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी अकाल राहत कार्यों के लिये निर्धारित मजदूरी की दर पर श्रमिक काम पर आये हैं। अकाल राहत कार्यों के लिए दैनिक मजदूरी की अधिकतम दर 7) रुपये प्रतिदिन है जो निर्धारित टास्क से सम्बद्ध है। राहत कार्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी की कोई दर निर्धारित नहीं है।

रीको की अजमेर स्थित वाच असेम्बली यूनिट की कार्य प्रणाली में सुधार

4. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व):- क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रीको की अजमेर स्थित वाच असेम्बली यूनिट को घड़ियों के पुर्जे सप्लाई करने वाली एच.एम. टी. की टुंकर (बंगलौर) नं. 4 इकाई के विशेष सुपरवाइजर गत माह फरवरी-मार्च, 1983 में अजमेर में लम्बे समय तक ठहर कर कार्य क्षमता में सुधार कर उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील रहे, किन्तु अजमेर यूनिट के प्रबन्धक अपने प्रबन्ध व्यवस्था में कोई सुधार नहीं ला सके और विशेष सुपरवाइजरों ने प्रबन्धकों के विरुद्ध टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट की थी ? कृपया वर्ष 1979 में स्थापित इस इकाई के प्रतिवर्ष निश्चय किये गये टारगेट और उसकी तुलना में उपलब्धि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि एच.एम. टी. बंगलौर के सैन्ट्रल क्वालिटी कन्ट्रोल बोर्ड ने अजमेर यूनिट में असेम्बल की हुई घड़ियों में डस्ट होना बताते हुये यहां की क्वालिटी के बारे में प्रतिकूल राय दी ?

(3) राज्य सरकार यहां की कार्य-प्रणाली का सुधार करने हेतु क्या कदम उठा रही है ? कृपया यह भी बताएं कि इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियां होने के बावजूद अजमेर यूनिट के प्रोजेक्ट ऑफीसर को प्रोजेक्ट-मैनेजर के रूप में कब किस आधार पर पदोन्नत किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। एच.एम.टी. टुमकुर का एक सुपरवाइजर वाच असेम्बली यूनिटमेंही पदस्थापित (Posted) किया हुआ है जिसका काम घड़ियों का निरीक्षण एवं जांच Inspection and testing करना है। वाच असेम्बली यूनिट ने एच.एम.टी. टुमकुर से प्राप्ति में कुछ कमियां (Manufacturing defect) बताई

(उद्योग मंत्री)

थीं इस कारण एच.एम.टी. टुमकुर ने उन पुर्जों की जांच के लिये अपना एक अन्य सुपरवाइजर माह फरवरी-मार्च, 1983 में अजमेर भेजा था। कार्य क्षमता में सुधार के लिये कोई सुपरवाइजर एच.एम.टी. द्वारा नहीं भेजा गया था। इकाई ने 1979 में उत्पादन शुरू किया था। यूनिट में उत्पादन एवं टारगेट्स इस प्रकार हैं :–

वर्ष	टारगेट	उत्पादन	उत्पादन लक्ष्य (प्रतिशत में)
1979-80	25000	24906	99.61
1980-81	124384	114171	92.46
1981-82	235000	240101	102.17
1982-83	250000	216324	86.53
1983-84 (अगस्त, 83 तक)	103000	101867	98.9

(2) जी हां। धूल कणों की समस्या साधारणतया सभी घड़ी निर्माण इकाइयों को होती रही है। खासतौर पर राजस्थान की जलवायु के कारण। जहां तक घड़ियों की क्वालिटी का सवाल है, एच.एम.टी. ने इस यूनिट में बनी घड़ियों की क्वालिटी पर सन्तोष प्रकट किया है। उल्लेखनीय है कि एच.एम.टी. द्वारा स्थापित की गई देश भर की 12 इकाइयों में अजमेर स्थित वॉच असेम्बली इकाई में निर्मित घड़ियों की क्वालिटी में चौथा स्थान है।

अजमेर स्थित घड़ी निर्माण इकाई के चारों तरफ पेड़ पोधे लगाकर इस समस्या को हल की जाने की कोशिश की जा रही है। परन्तु पानी की कमी के कारण पेड़ पौधे लगाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी समस्या एच.एम.टी. के मापदण्डों के अन्तर्गत है।

(3) अजमेर स्थित रीको की वाच यूनिट का कार्य अभी तक सुचारुरूप से चल रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट ग्राफीसर (वर्तमान में प्रोजेक्ट मैनेजर) ने पिछले पांच वर्ष से बिना किसी शिकायत या विपरीत टिप्पणी के इस इकाई का सम्पूर्ण कार्यभार कुशलता से स्वंय अकेले ही ने सम्भाल रखा है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास वांछित तकनीकी योग्यता एवं अनुभव है। निगम के मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट ग्राफीसर की कार्यकुशलता एवं अनुभव को देखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इकाई में अभी 120 श्रमिक कार्यरत हैं जिनमें 90 महिलाएं हैं।

मकराना के विकास अधिकारी श्री धर्माराम के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच

5. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर):–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मकराना के विकास अधिकारी श्री धर्माराम भेदा को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) इस संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस संबंध में जानकारी पंचायत विभाग को अब तक नहीं भेजी गई ग्रौर न ही उच्च अधिकारी के निलंबन की मांग की गई ? यदि नहीं, तो कृपया बतायें कि पंचायत विभाग को इस संबंध में कब-कब लिखा गया ?

उत्तर

(1) जी हां। विकास अधिकारी, जिनका सही नाम धर्मसिह भेदा है, को

(गृह मंत्री)

दिनांक 26-3-83 को गिरफ्तार किया गया था ।

(2) प्रकरण अन्वेषणाधीन है ।

(3) जी नहीं । पंचायत विभाग को सूचित कर दिया गया है और निलम्बन का मामला वहां विचाराधीन है ।

रानी व देसूरी पंचायत समितियों में उद्योगों हेतु वित्त निगम व रीको द्वारा ऋण

6. **श्री भैरूंसिह गुर्जर** (खारची) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून, 1980 से जुलाई, 1983 तक राजस्थान वित्त निगम व रीको द्वारा कितना-कितना ऋण व कितने भू-खण्ड उद्योगों को दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों को एक अप्रेल 80 से 31 जुलाई, 83 तक राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण का विवरण इस प्रकार है :–

पंचायत समिति का नाम	इकाइयों की संख्या व स्वीकृत ऋण	इकाइयों की संख्या एवं ऋण वितरण
मारवाड़ जंक्शन	23 इकाइयां रु. 1404000/-	12 इकाइयां रु. 551200/-
रानी	12 इकाइयां रु. 1143000/-	7 इकाइयां रु. 667000/-
देसूरी	9 इकाइयां रु. 965000/-	7 इकाइयां रु. 228000/-

राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा शक्कर व सीमेंट के ट्रांसपोर्टर्स में अनियमितता

7. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में शक्कर व सीमेंट का व्यापार कब से प्रारम्भ हुआ एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के महाप्रबन्धक द्वारा शक्कर व सीमेंट लाने हेतु वर्ष 1978 से अब तक ट्रान्सपोर्टर्स को कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) संघ में शक्कर व सीमेंट का व्यवसाय क्रमशः दिसम्बर 1979 व नवम्बर, 1978 से प्रारम्भ हुआ तथा शक्कर व सीमेंट के पेटे वर्षवार ट्रांसपोर्टर्स को जो भुगतान किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(सहकारिता मंत्री)

(राशि लाखों में)

वर्ष	भुगतान की राशि	
	शक्कर	सीमेन्ट
1978–79	–	11.62
1979–80	0.12	14.16
1980–81	5.39	15.88
1981–82	36.27	25.09
1982–83	0.23	25.49

(2) जी नहीं। विधिवत निविदायें आमन्त्रित की गई हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी जिलों के लिये अकाल राहत कार्यों हेतु केन्द्र द्वारा सहायता

8. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 1983 के प्रारम्भ से ही जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अकाल -भुखमरी के कारण असंख्य लोगों बच्चों व महिलाओं की मौतें हुई हैं ? कृपया जनवरी, 1983 से जुलाई, 1983 तक तीनों जिलों में भुखमरी व भयानक रोगों से हुई मृतकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि 1980-81, 1981-82, 1982-83 में केन्द्र से राज्य को राहत कार्यों हेतु मांग के अनुरूप कम राशि प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उपरोक्त तीनों वर्षों में कितनी मांग की गई व कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। इन जिलों में भुखमरी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जहां तक भयानक रोगों से मरने वाले व्यक्तियों का संबंध है, यह सूचना सहायता विभाग से संबंधित नहीं है।

(2) यह सही है। केन्द्र से राहत कार्यों हेतु की गई मांग एवं उनके द्वारा व्यय के लिए तय की गई अधिकतम सीमा का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है। (परिशिष्ट "क")

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नोखा नगर में महाविद्यालय खोलना

9. **श्री सूरजा राम टांक** (नोखा) : क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष नये महाविद्यालय कितने खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नये महाविद्यालय खोलते समय ग्रामीण एवं पिछड़े घनी आबादी के क्षेत्रों को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करेगी ?

(3) क्या सरकार घनी आबादी क्षेत्र/किसान बाहुल्य एरिया, विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुये नोखा नगर में महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष कोई नया महाविद्यालय नहीं खोला गया है।

(महाविद्यालय शिक्षा मंत्री)

(2) नये महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित हैं । राज्य सरकार महाविद्यालय खोलते समय क्षेत्रीय स्थिति का अवश्य ध्यान रखती है ।

(3) नोखा नगर में महाविद्यालय खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । इस वर्ष बजट में नये महाविद्यालय खोलने हेतु कोई प्रावधान भी नहीं है ।

राज्य के बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु योजनाएं

10. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान में बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये वर्ष 1983-84 में तीन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले के कितने बन्धुआ मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा ? कृपया चित्तौड़गढ़ जिले में पाये गये बन्धुआ मजदूरों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1983-84 में चित्तौड़गढ़ जिले में कितने बन्धुआ मजदूरों को किस-किस से मुक्त करवाया गया और इन बन्धुआ मजदूर रखने वालों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) मुक्त कराये गये बन्धुआ मजदूरों को अब तक क्या-क्या लाभ दिये गये ?

उत्तर

(1) जी हां, तीन योजनाओं को वर्ष 83-84 में अनुमोदन मिल चुका है । जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के 16 बन्धुआ मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जावेगा । वर्ष 1983-84 में पाये गये बन्धुआ मजदूरों की सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है ।

(2) वर्ष 83-84 में चित्तौड़गढ़ जिले में 16 बन्धुआ मजदूरों को परिशिष्ट "अ" के कॉलम नं. 3 पर दिये गये बन्धक कर्ताओं से मुक्त कराया गया है । इन बन्धक कर्ताओं के विरुद्ध जिलाधीश एवं जिला दण्डनायक, चित्तौड़गढ़ द्वारा संबंधित न्यायालय में बन्धक श्रमिक उत्पादन अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत सजा दिलाने हेतु कार्यवाही चल रही है ।

(3) मुक्त कराये गये बन्धक श्रमिकों में से प्रत्येक को अब तक 500/-की सहायता अनाज, कपड़ा, एवं नकद आदि के रूप में जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई है इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत इनमें से प्रत्येक को 3500/- तक की और सहायता संबंधित आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बैल, बैलगाड़ी, बकरी यूनिट, भैंस यूनिट, नलकूप निर्माण आदि के लिए उपलब्ध कराने हेतु योजना अनुमोदित की जा चुकी है । तदनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , चित्तौड़गढ़ द्वारा इन बन्धक श्रमिकों को इनके द्वारा चाहे गए विकल्प के अनुसार लाभान्वित करने की कार्यवाही जारी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

समाचार पत्रों को विज्ञापन

11. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

मुख्य मंत्री के 2 वर्ष पूरे होने पर किन-किन विभागों द्वारा किन-किन समाचार पत्रों को कितना-कितना विज्ञापन दिया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस अवसर पर बम्बई के "ब्लिटज्" साप्ताहिक तथा दिल्ली के "हिन्दुस्तान दैनिक द्वारा राजस्थान विशेषांक प्रकाशित किये गये थे। "ब्लिटज्" "साप्ताहिक" दिनांक 16-7-83 के हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी संस्करणों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक पृष्ठ का विज्ञापन दिया गया, जब कि दैनिक "हिन्दुस्तान" दिनांक 14-7-83 में अल्प बचत एवं लाटरीज विभाग द्वारा एक चौथाई पृष्ठ का विज्ञापन जारी किया गया था। इन दोनों विज्ञापनों पर 14,732/-रु. की राशि व्यय की गई है।

पिण्डवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खोदे गये हैण्डपम्प

12. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिण्डवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने-कितने हैण्डपम्प कब-कब खोदे गये, कितने ड्राई निकले, कितने में पीने योग्य पानी निकला और उन पर हैन्डिल कब-कब लगाये गये? कृपया प्रत्येक गांवानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 9 मई, 1983 से 6 जून, 1983 तक सिरोही जिले में कहां-कहां हैन्ड-पम्प खोदे गये? कृपया खोदे गये हैन्ड पम्पों के स्थान एवं दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पिण्डवाड़ा उप चुनाव के समय 17 हैण्ड पम्प मशीन किस आदेश से कार्य पर आई? कृपया उस आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह भी सच है कि मुख्य मंत्री के चुनावी दौरे में उनके काफिले के पीछे रिग मशीन भी चलती थी? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति किसने दी? ।

उत्तर

(1) गांवानुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गांवानुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सिरोही जिले में अकाल की स्थिति से निपटने हेतु एवं गांवों में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यकता अनुसार ड्रिलिंग मशीनें जिले में कार्यरत की गयीं। ड्रिलिंग मशीने संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थिति से निपटने हेतु विचार-विमर्श कर लगाई गई थीं।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सिरोही जिले के गांवों में हैण्ड पम्प

13. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(सुश्री पुष्पा जैन)

(1) दिनांक 1-1-1983 से लेकर अब तक सिरोही जिले के किस-किस गांव में कब-कब हैण्डपम्प खुदवाए गए ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी 1983 के पूर्व में इस जिले में कितने हैण्ड पम्प खुदे हुए थे ?

(3) सन् 1983 में सिरोही जिले में किस-किस माह में कितनी-कितनी ड्रिलिंग मशीनें कितने -कितने दिन रहीं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1-1-1983 से 31-8-83 तक सिरोही जिले के गांवों में समय-समय पर खोदे गये हैंण्डपम्प्स की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जनवरी, 1983 के पूर्व सिरोही जिले में 683 हैंण्डपम्प्स खुदे हुए थे ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

तहसील बोंली व बामनवास के गांवों में नई जल प्रदाय योजनायें

14. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील बोंली व बामनवास गांवों में नई जलप्रदाय योजनायें स्वीकृत की गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों में और क्या इन योजनाओं का कार्य हाथ में ले लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और अब यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(2) क्या अमारवा कोचर पहाड़ी, आबादी वाले क्षेत्र की पेयजल योजना के कार्य को इस वित्तीय वर्ष में शुरू करने का सरकार का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981-82 व 1982-83 में स्वीकृत किये गये गांवों की सूची संलग्न है । स्वीकृत योजनाओं में से 33 गांवों में हैण्ड पम्प योजनाएं मार्च 83 तक चालू कर दी गई हैं व शेष हैण्ड पम्प योजनाओं में से तीन ग्राम उनियाला, टन्डीला पट्टी खालसा एवं रशुलपुरा की योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। ग्राम कोडियाई व सुकार में पम्प एवं टैंक व ग्राम वानौर में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जिससे आठ गांव लाभान्वित होंगे, का जिला परिषद् द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। वर्ष 1983-84 में धन उपलब्धि के अनुसार इन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(2) जी नहीं । वर्ष 1983-84 में जिला परिषद् द्वारा इस क्षेत्र की योजना पर कार्य प्रारम्भ करना अनुमोदित नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

मेजा पर बनने वाले बांध से चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई

15. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(सुश्री पुष्पा जैन)

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिसका पानी मेजा फीडर द्वारा भीलवाड़ा के मेजा बांध में ले जाया जाता है ?

(2) जिस समय मेजा बांध का निर्माण किया गया उस समय इस फीडर से मिलने वाले पानी के अलावा कितने पानी की आवक मानी गई थी और इस अनुमान के विपरीत अब तक किस-किस वर्ष में कितना-कितना पानी इस बांध में जमा हुआ ?

(3) यदि अनुमान से पानी कम जमा हुआ है, तो इसके कारण क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों की मांग है कि मेजा पर बनने वाले इस बांध से चित्तौडगढ़ जिले के कुछ क्षेत्र में पानी छोड़ा जाये ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) मेजा बांध के निर्माण के समय इसके जल गृहण क्षेत्र से अनुमानित पानी की आवक 34,000 लाख घनफीट आंकी गई थी । बांध में वर्षवार जल संग्रह का विवरण संलग्न है ।

(3) जल संग्रह के विवरण से स्पष्ट है कि गत 26 वर्षों में 9 बार मेजा बांध पूरा भरा था एवं केवल उन वर्षों में अनुमान से कम पानी जमा हुआ है जिनमें वर्षा का अभाव रहा है ।

(4) मेजा पर कोई नया बांध नहीं बन रहा है अतः क्षेत्र के किसानों की मांग अथवा चित्तौड़ जिले के लिए कोई पानी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाड़मेर जिले के गडरारोड कस्बे में नई जल प्रदाय योजना

16. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सीमावर्ती कस्बा गड़रारोड़ में सन् 1964-65 में पीने के पानी की योजना बनाई थी ?

(2) क्या सरकार यह महसूस करती है कि गड़रारोड़ कस्बा में सन् 1971 के बाद बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी है जिसके लिए पुरानी योजना पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार गड़रारोड़ कस्बे के लिए आवश्यकतानुसार नवीन योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के सीमावर्ती कस्बा गड़रारोड़ में सन् 1964-65 में जल प्रदाय योजना से पेयजल वितरण करना प्रारम्भ कर दिया गया था ।

(2) जी हां, । वर्ष 1982-83 में योजना पर एक नया नलकूप बनाकर जल उत्पादन में वृद्धि कर दी गई है तथा नये आवासीय क्षेत्रों में पाईप लाईन हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं, जिन्हें धन उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वित किया जा सकेगा ।

राज्य की नगरपालिकाओं को अनुदान

17. **श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की नगरपालिकाओं को अनुदान की राशि दी जाती है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में विभिन्न नगरपालिकाओं को कितनी कितनी राशि दी गई ? वर्ष वार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अनुदान की राशि देने का राज्य सरकार द्वारा मापदण्ड बना हुआ है ? यदि हां, तो कृपया निर्धारित मापदण्डों की सूचना सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनुदान की राशि निर्धारित मापदण्डों के आधार पर समान रूप से नहीं देने से नगरपालिकाओं का विकास समानता के आधार पर नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। पिछले पांच वर्षों में नगरपालिकाओं को दी गई अनुदान की राशि के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। सामान्य अनुदान की राशि निर्धारित मापदण्ड (जनसंख्या के आधार) के अनुसार दी जाती है जिसमें कैपीटल वर्क्स संबंधी अन्य अनुदान सम्मिलित नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जावर माइन्स की खानों को गांव से जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण

18. **श्री भैरूंलाल मीणा** (उदयपुर-ग्रामीण)- क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जावर माइन्स की खानों में कार्यरत श्रमिकों को दूर-दराज गांवों से पैदल आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस महत्व पूर्ण उद्योग को गांवों से जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण करायेगी?

(2) क्या यह सही है कि पलोदड़ा से जावर माइन्स नेशनल हाई वे, प्रसाद से जावर माइन्स एवं ओड़ा से जावर माइन्स तक अकाल राहत के तहत सड़कों का कुछ काम हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस अधूरे कार्य को पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जावर माइन्स में कार्यरत श्रमिकों को किन किन गांवों से पैदल आना पड़ता है इसकी सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है। जावर माइन्स राष्ट्रीय उच्च मार्ग से एक सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है।

(2) पलोदड़ा से जावर माइन्स व ओड़ा से जावर माइन्स सड़कों पर अकाल राहत के तहत कुछ कार्य हुआ है लेकिन प्रसाद से जावर माइन्स सड़क पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य नहीं हुआ है इन अकाल राहत के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

(34)

पाली जिले के अकाल राहत के अन्तर्गत निर्माण कार्य

19. **श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर) :

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अकाल राहत के अन्तर्गत प्रत्येक स्वीकृत कामको 30-6-1983 तक पूर्ण करने के निर्देश दिय गये थे ? यदि हां, तो पाली जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कौन कौन से काम, स्वीकृत किये गये थे और इनमें से कितने काम पूर्ण कर दिये गये ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत क्वेरी अथवा साइट पर लाखों रुपये का मेटेरियल पत्थर, ब्लास्ट, ग्रेवल, चूना, बजरी इकट्ठा किया गया और इसे संबंधित निर्माण कार्य पर खर्च नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो किन-किन कामों पर कहां कहां कितनी कितनी कीमत का कितना मेटेरियल पड़ा है तथा इस मेटेरियल का लेखा जोखा किस महीने के एम.एस. एकाउन्ट में दर्ज किया जा चुका है ? इस मेटेरियल को काम में लेने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां । पाली जिले में सम्वत् 2039 अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो काम स्वीकृत किये गये थे उनका विवरण प्रपत्र "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) पाली जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत क्वेरी तथा साइट पर काफी मेटेरियल इकट्ठा किया गया और उसमें से अधिकतर मेटेरियल निर्माण कार्यों पर काम में लिया गया । कार्य वार बचे हुये मेटेरियल का विवरण प्रपत्र "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है । बचे हुये मेटेरियल को विभिन्न मदों से स्वीकृत कार्यों पर आवश्यकतानुसार काम किये जाने का प्रस्ताव है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

अरनोद व प्रतापगढ़ तहसील के औषधालयों में दवाइयों का आवंटन

20. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक चित्तौड़गढ़ जिले की अरनोद व प्रतापगढ़ तहसील के औषधालयों में दवाइयां क्रय करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था और कितनी राशि व्यय की गयी थी ? कृपया वर्षवार और औषधालय वार आवंटन और क्रय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या दवाइयां प्रावधान से कम क्रय कर औषधालयों को दी गई ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) विभागीय औषधालयों को पृथक् से दवाईयां सीधी क्रय करने हेतु राशि आवंटित नहीं की जाती है, वरन् विभागीय रसायनशालाओं द्वारा राज्य स्तर पर कच्ची औषधियां खरीद की जाकर रसायनशालाओं में निर्मित औषधियां औषधालयों को उनके

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

औषध बजट (पिछले वर्ष के रोगी संख्या पर आधारित) के अनुसार औषध वितरण केन्द्रों द्वारा औषधियां वितरित की जाती हैं। अतः क्रय करने के लिए प्रावधित राशि एवं व्यय की गयी राशि का विवरण देना सम्भव नहीं है।

(2) निर्मित दवाइयां क्रय करके देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, अतः किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

आयुर्वेद विभाग में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

21. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आयुर्वेद विभाग से श्री गोपाल दास अतिरिक्त निदेशक के हस्ताक्षर से अब तक कितने स्थानान्तरण किये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि अतिरिक्त निदेशक ने अपने पद का दुरुपयोग कर बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के अनेक कर्मचारियों के कई बार स्थानान्तरण आदेश प्रसारित कर दिए हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके स्थानान्तरण दो वर्ष में कम से कम तीन बार हुए हैं और क्यों? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग में श्री गोपाल दास, अतिरिक्त निदेशक के हस्ताक्षर से अब तक 1126 वैद्यो, 548 कम्पाउण्डर नर्सों, मंत्रालयिक वर्ग के 67, वाहन चालकों के 4, प्रयोगशाला सहायक एक, आशुलिपिक ग्रेड II एक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 33 स्थानान्तरण हुए हैं। लेकिन प्रभावित वैद्यों की संख्या 764, कम्पाउण्डर/नर्सों की संख्या 412, मंत्रालयिक वर्ग की संख्या 12, एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 20 हैं। इस प्रकार प्रभावित कर्मचारियों को सम्मिलित करने पर 1890 वैद्यों, 960 कम्पाउण्डर/नर्सों, 79 मंत्रालयिक कर्मचारी, चार वाहन चालक, एक आशुलिपिक ग्रेड II, एक प्रयोगशाला सहायक एवं 53 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण हुए हैं।

(2) जी नहीं। जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण दो वर्ष में कम से कम तीन बार हुए हैं उनकी कुल संख्या मात्र 83 हैं तथा प्रशासनिक दृष्टि से ये स्थानान्तरण किये गये हैं सूची संलग्न हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

रसायनशालाओं द्वारा राशि का उपयोग

22. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार द्वारा रसायन शालाओं को वर्ष 1982-83 में कितनी धनराशि दी गई? रसायनशालाओं द्वारा कितनी राशि का उपयोग हुआ और कितनी धन राशि लैप्स हुई? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि योग्य अधिकारियों के अभाव में उक्त राशि लैप्स हुई? यदि हां, तो गुजरात राज्य के समान राजस्थान में भी राजकीय रसायन शालाओं

(श्री भगवानदास शास्त्री)

के स्थान पर एक ट्रस्ट बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो इस हेतु राजस्थान ट्रस्ट की घोषणा कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में विभागीय रसायनशालाओं को अन्तिम रूप से रुपये 5016000/- की धन राशि स्वीकृत की गई थी। इसमे से रुपये 4968843/- की धनराशि का उपयोग हुआ तथा रु० 47157/- की धनराशि लैप्स हुई।

जी नहीं।

रानी व देसूरी पंचायत समितियों में स्वीकृत विकास कार्य

23. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून 1980 से जुलाई 1983 तक कितने विकास कार्य स्वीकृत व प्रारंभ किये गये ? कृपया कार्य के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यों पर कितनी राशि स्वीकृत है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाली धूल

24. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री की चिमनी से जो धूल निकलती है उससे आस-पास के गांवों का वातावरण दूषित हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि धूल आस-पास के खेतों पर जम रही है जिससे फसल पर भी प्रभाव पड़ रहा है एवं खेतों की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है ?

(3) क्या इस वायु प्रदूषण से इस क्षेत्र विशेष में बीमारियां फैल रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार के रोगी इस क्षेत्र में अधिक आते हैं ? आस-पास की डिस्पेन्सरी से रोगी चार्ट एवं डाक्टरों की राय मांगी जाय।

(4) क्या राज्य सरकार फैक्ट्री मालिक को इस बात के लिये पाबन्द करेगी कि फैक्ट्री से उठने वाली धूल को किसी प्रकार पर्यावरण में जाने से रोके ?

उत्तर

(1) उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री, उदयपुर–चितौड़गढ़ मार्ग पर उदयपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उद्योग से प्राप्त सूचना के अनुसार चिमनी से निकलने वाली सीमेन्ट की धूल को रोकने हेतु एक चिमनी पर इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर (Electro Static Precipitator) लगा हुआ है तथा दूसरी चिमनी पर इस उपचार संयंत्र को लगाने का कार्य प्रगति पर है। यह सही

(37)

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

है कि एक चिमनी जिस पर कि उपचार संयत्र नहीं लगा हुआ है, वायु मण्डल के वातावरण को दूषित कर रहा है।

(2) आस-पास के खेतों के की फसल पर विशिष्ट प्रभाव पड़ने एवं खेतों की उपजाऊ शक्ति कम होने के संबंध में यद्यपि कोई विश्वस्त सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु फिर भी केन्द्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण मण्डल से अनुरोध किया गया है कि वे इस संबंध में जांच हेतु यंत्र मुहैया करायें, ताकि परिणाम प्राप्त हो सके। जांच के उपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी।

(3) वायु प्रदूषण से इस क्षेत्र में बीमारी फैलने हेतु अभी तक कोई सूचना पर्यावरण विभाग को नहीं है। चिमनी से निकली सीमेन्ट की धूल का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जांच की जा रही है।

(4) जी हां।

पाली जिले में खोले गये पशु चिकित्सालय

25. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विभाग द्वारा पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून 1980 से जुलाई 1983 के मध्य कितने पशु चिकित्सालय, औषधालय खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन रानी वं देसूरी पंचायत समितियों में जून, 1980 से जुलाई, 83 के मध्य तक एक पशु स्वास्थ्य केन्द्र दूसी पंचायत समिति रानी के अधीन स्वीकृत हुआ है। जो कार्यरत है।

बाड़मेर जैसलमेर में निर्मित खडीन

26. श्री अमीन खां (शिव) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ज़िला बाड़मेर-जैसलमेर में सन 1980 से 31 जुलाई, 1983 तक कुल कितने खडीन बनाए गए ?

(2) बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में 1980 से आज तक डी. पी. ए. पी. में कितनें खडीन तैयार कराये व अकाल राहत कार्यो में कितने खडीन तैयार कराये गये और इन पर क्या-क्या लागत आई ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में और खडीन बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कितने की ? कृपया सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

वर्तमान मन्त्रिमण्डल के सदस्यों पर यात्रा व टेलीफोन व्यय

27. श्री बालचन्द आर्य (डग)
श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य सरकार द्वारा मंत्रीमण्डल के वर्तमान सदस्यों पर 31 जनवरी, 1983 से 4 सितम्बर, 1983 तक कुल कितनी धनराशि यात्रा भत्ता व टेलीफोन पर पृथक पृथक रूप में व्यय की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची के लिये कृपया परिशिष्ठ 17 देखें)

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित "टेम्परेन्स पालिसी"

28. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में शराबबन्दी नीति समाप्त होने के बाद शराबबन्दी के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा "टेम्परेन्स पोलिसी" का पालन किया जा रहा है और इस हेतु आबकारी विभाग के कार्यालय में उपायुक्त पद का सृजन कर निगरानी रखी जाती है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस "टेम्परेन्स पोलिसी" का अजमेर नगर में भी पालन किया जा रहा है ? कृपया "टेम्परेन्स पोलिसी" की प्रति एवं उसके पालन हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अजमेर नगर में टेम्परेन्स प्रोग्राम का पालन किया जाता है। टेम्परेन्स प्रोग्राम की प्रति तथा टेम्परेन्स पालिसी की पालना किये जा रहे कार्य का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

टीडी पंचायत में पशु चिकित्सालय केन्द्र

29. **श्री भेरुलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि टीड़ी पंचायत में पशु चिकित्सा केन्द्र खोला गया है ? यदि हां, तो क्या यहां पर डाक्टर की नियुक्ति कर दी गई है ? इस चिकित्सालय में कितना स्टाफ लगाया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी शिकायत है कि इस केन्द्र पर दवाइयों के अभाव में क्षेत्र में कई मवेशियां मर गई। क्या इस केन्द्र में दवाइयों की कमी की पूर्ति की जायेगी ?

उत्तर

(1) टीड़ी पंचायत में ग्राम आधार योजना का उपकेन्द्र खोला गया है। डाक्टर की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। एक पशुधन सहायक, सांड परिचारक के पद स्वीकृत हैं।

(2) निदेशालय स्तर पर किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। यहां दवाइयां प्रजनन संबंधी बिमारियों के इलाज के लिये दी जाती है वह पर्याप्त हैं।

नोखा मंडी क्षेत्र में दुकानों व सड़कों का निर्माण

30. **श्री सुरजाराम** (नोखा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कृषि उपज मण्डी नोखा के मण्डी क्षेत्र में वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84, में दुकानों एवं सड़कों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कितनी दुकानों का निर्माण किया गया एवं कुल कितना खर्चा मण्डी यार्ड बनाने में हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये दुकाने किराये पर दे दी गई है ? यदि हां, तो कब और क्या किराया निश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो अब भी किराये पर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांगों/ भू.पू. सैनिकों

(श्री सुरजाराम)

का आरक्षित कोटा निर्धारित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कितना-कितना ?

(4) कृषि उपज मण्डी नोखा से वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में कितनी-कितनी आय किन-किन साधनों से प्राप्त हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) मण्डी योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कें प्रस्तावित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इन सड़कों का कार्य शुरु कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1981-82, 1982-83, एवं जून 83 तक मण्डी समिति नोखा के अन्तर्गत 20 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मण्डी यार्ड पर जून-83 तक 24,58,960 रुपये खर्च हो चुके हैं।

(2) जी नहीं। क्योंकि मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को छोटी दुकाने आवंटन करने का निम्न प्रकार से कोटा निर्धारित किया गया है:-

अनुसूचित जाति-7 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति-5 प्रतिशत, विकलांग-2 प्रतिशत, कृषि स्नातक-2 प्रतिशत एवं राज्य सेवा अवधि में मृत कर्मचारी के आश्रित- 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक -2 प्रतिशत, कुल 20 प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारित है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, नोखा को वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में (जुलाई-83 तक) विभिन्न साधनों से जो आय प्राप्त हुई है उसकी सूचना संलग्न है (प्रपत्र-"अ")

(5) कृषि उपज मण्डी नोखा के लिये योजना के अन्तर्गत निम्न सड़कें प्रस्तावित हैं:- (1) धावरिया से मैनसर एवं (2) सादासर से मसूरी। जी हां। इन सड़कों पर कार्य शुरु हो गया है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

ग्राम कागदीवाड़ा (जयपुर) में बने मकानों का नियमन

32. **डा. उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण)-**श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कागदी-वाड़ा-छीपीवाड़ा का कोई भी मकान पूरी तरह से माउंट रोड (लिंक रोड) में नहीं आ रहा है तथा सभी नागरिक यथा स्थान बकाया (बची हुई) जमीन पर रहना चाहते हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्राम के कुछ नागरिकों को जबरन अन्यत्र बसाने का क्या औचित्य है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्राम के सभी नागरिकों को यथा स्थान रोड से बची हुई जमीन (जिस पर उनके पक्के मकान बने हुए हैं) नियमित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) कृपया माउंट रोड का पूरा मान-चित्र सदन के पटल पर रखें तथा प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई मार्ग में कहां-कहां कितनी है अंकित करें।

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा का कोई भी पूरा मकान रोड (लिंक रोड) में नहीं आ रहा है परन्तु इस सड़क में कुछ कापरेटिव सोसायटी के सदस्यों के प्लाट आते हैं उन्हें अन्यत्र समीप ही आपसी समझौते द्वारा बसाया जा रहा है। जिन व्यक्तियों के मकान का केवल कुछ हिस्सा ही सड़क में आता है वे वहां बाकी बची भूमि पर बसे रहना चाहते हैं, उनको जबरन अन्यत्र नहीं बसाया जा रहा हैं।

(2) नियमन विचाराधीन है।

(3) माउन्ट रोड (लिंक रोड़) का पूरा **मानचित्र** जिसमें प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई मार्ग में कहां कहां कितनी है, अंकित की हुई है सदन के पटल पर रख दी गई है।

(मानचित्र सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, भीलवाडा

34. **श्री बन्शीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा के श्री चांदमल सोमानी, सुपरवाइजर को इसी पद से सेवा से पृथक किया गया था ? क्या यह भी सही है कि इस संबंध में श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालय, उदयपुर ने दिनांक 4-9-1983 को श्री चांदमल के हित में निर्णय दिया ?

(2) क्या उक्त निर्णयानुसार श्री चांदमल को पुनः सुपरवाइजर के पद पर ही सेवा में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चांदमल सोमानी, सुपरवाईजर को इसी पद से बैंक द्वारा सेवा से पृथक किया गया था। इस संबंध में श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय उदयपुर द्वारा श्री चांदमल के हित में कोई निर्णय नहीं दिया गया बल्कि एक समझौता दिनांक 4-8-83 को पेश किया था कि सात दिन में श्री चांदमल सोमानी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। एक माह में उनका फिक्सेशन बैंक कर देगा। पिछला वेतन बैंक तय करेंगा। यदि बैंक तय नहीं करेगा तो श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय उदयपुर तय करेगा।

(2) जी नहीं। बैंक द्वारा सुपरवाईजर का पद समाप्त कर दिये जाने के कारण उस पद पर लेने का प्रश्न नहीं उठता। श्री सोमानी द्वारा दिनांक 6-8-83 को बैंक में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उनको पहले शाहपुरा तथा बाद में जहाजपुर ब्रान्च मैनेजर के पद पर लगाया था। लेकिन उन्होंने अभी तक उक्त पद पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय उदयपुर में श्री चांदमल का मुकदमा फाईनल निर्णय हेतु अभी विचाराधीन है।

पंचायत समिति नागौर एवं मून्डवा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण

35. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा की किन-किन ग्राम सहकारी सेवा समितियों का विलीनीकरण किया गया है? समितियों का नाम सहकारी समिति का वर्ग

(श्री महाराम चोधरी)

किलोमीटर में फैलाव व कार्य क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में विलीनीकरण होने से हो गया है ? कृपया समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें

(2) क्या विलीनीकरण की गई समितियों का काम सुचारू रुप से चलता है ? यदि हां, तो ग्राम सेवा सहकारी समिति, कांट्या, सिगड़ के काश्तकारों को कितना-कितना ऋण किस-किस साल में विलीनीकरण के बाद दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार विलीनीकरण की गई सहकारी समितियों को अलग करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण अन्य समितियों में किया गया था उनका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	समिति जिसका विलीनीकरण किया गया	समिति जिसमें विलीनीकरण किया गया	समिति कार्यक्षेत्र हैक्टर में	वि.वि.
1	2	3	4	5
पंचायत समिति नागौर.				
1.	सिगड ग्राम सेवा स.स.	सुखवासी ग्राम सेवा सहकारी समिति	8568	समिति मुख्या. से दूरी 10 कि.मी. सेअधिक नहीं है।
2.	कुमारी ग्राम सेवा स.स.	बासनी ,,	3769	,,
पंचायत समिति मूण्डवा				
1.	डारू ग्राम सेवा स स.	भवण्डा ,,	6570	,,
2.	गवालू ,,	सखवास ,,	10943	,,
3.	सेनणी ,,	असावरी ,,	6807	,,
4.	काटीया ,,	बैराथल ,,	7457	,,

(२) जी हां। इन समितियों में दिये गये ऋण का विवरण निम्न प्रकार है।–

क्र.सं.	नाम समिति मौजूदा	विलीनीकृत समिति का नाम	विलीनीकृत समिति के सदस्यों को ऋण मिला	वि.वि.
1	2	3	4	5
1.	मुखवासी ग्राम सेवा स.स.	सिगड ग्राम सेवा स.स.	208710 एसटी अगस्त 82 81322 एमटीसी जुलाई सितम्बर 82 44523 एमटी सित/दि.82 156800 एसटी जून, 83	
2.	बरायल ग्राम सेवा स.स.	काटीया ग्राम सेवा स.स.	काटीया ग्राम के सदस्यों से बैरायल समिति के मार्फत बैंक को आवेदन पत्र ऋण बाबत प्राप्त नहीं हुये।	

3. यह नीति संबंधी विषय है। अतएव सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम कायड तहसील अजमेर का मृत्यु प्रकरण

36. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर व तहसील के ग्राम कायड़ में गत दिनांक 19-7-1983 को कब्र में दफनाई गई जाहिदा की लाश को निकाला जाकर पोस्ट मार्टम करने पर जाहिदा की हत्या गला घोट कर करने के प्रमाण सामने आने पर मामला ह.द. 302 ता. हि. में कायम किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत दिनांक 10-7-1983 को जाहिदा की हत्या कारित होने का तथ्य जानते हुए भी किसी विषैले जानवर के काटने से मृत्यु होने की अफवाह फैलाकर उसके नजदीकी रिश्तेदारों ससुर श्री नसीरूद्दीन उप सरपंच ग्राम पंचायत, दादा श्री गफूर खां, पंच ग्राम पंचायत दादा ससुर श्री कमरूद्दीन खां सब इन्सपेक्टर पुलिस एवं, रीडर पुलिस अधीक्षक, अजमेर आदि ने उसकी लाश को दफना कर इस जघन्य अपराध पर पर्दा डालते हुए सबूत नष्ट करने की कार्यवाही पूरी कर ली थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है तथा अभी तक तफतीश में क्या प्रगति हुई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । जाहिदा का पोस्ट मार्टम होने से पहले ही दिनांक 16-7-83 को थाना गेगल पर एक गुमनाम पत्र डाक से प्राप्त होने पर दिनांक 17-7-83 को थानाधिकारी गेगल कायड़ गांव में जांच के लिये गये । दौराने जांच थानाधिकारी ने श्री गफूर खां के बयान लिये जिनसे जाहिदा की हत्या होना पाया गया । इस पर थानाधिकारी ने श्री गफूर खां के बयान वास्ते कायमी मुकदमा थाने पर भेजे व स्वयं ने तफतीश जारी रखी । श्री गफूर खां के बयान पर पुलिस थाना गेगल में जाहिदा की हत्या से संबंधित मुकदमा एफ.आई.आर. 32 दिनांक 17-7-83 धारा 302 आई.पी.सी. दर्ज कर नकल एफ.आई.आर. थानाधिकारी के पास भेजी गई । दिनांक 19-7-83 को जाहिदा की लाश को कब्र से निकलवाया जाकर पोस्टमार्टम कराने से पूर्व ही मुकदमा कायम कर तफतीश प्रारम्भ कर दी गई थी ।

(2) मुकदमा जेर तफतीश पुलिस है। अब तक की तफतीश में किसी भी गवाह से जाहिदा की मृत्यु जहरीले जानवर के काटने से हुई है ऐसी अफवाह फैलाने के सबूत प्राप्त नहीं हुये है । अगर इन व्यक्तियों के खिलाफ किसी जुर्म करने का सबूत पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम पंचायत गानोड़ा के सरपंच के विरुद्ध दर्ज मामला

37. **श्री नाथूराम ( ):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कृष्ण शंकर, सरपंच, ग्राम पंचायत गानोड़ा द्वारा दिनांक 10-10-1982 को श्री विमल आदिवासी के भवन की दीवारें गिरा दी गई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विमल आदिवासी ने सरपंच श्री कृष्णशंकर के विरुद्ध उनके भवन की दीवारें गिराने का केस पुलिस में दर्ज कराया है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दीवार गिराने की रिपोर्ट 11-10-82 को श्री कृष्णशंकर सरपंच व अन्य लोगों के विरुद्ध प्राप्त हुई थी ।

(2) जी हां । श्री विमल की रिपोर्ट पर मु०नं० 75/82 धारा 452, 448, 427 भा०द०सं० में दर्ज कर अनुसंधान किया गया, अनुसंधान व राय ए०पी०पी० से मामला धारा 427 भा०द०सं० नाकाबिल दस्तंन्दाजी पुलिस का पाये जाने से फाइनल रिपोर्ट अदमबकुआ में दी जाकर न्यायालय में पेश की गई है जिस पर न्यायालय धारा 447/427 आई.पी.सी. में मुकदमा दर्ज कर सुनवाई कर रहा है ।

ग्राम डाबी जिला बूंदी से हस्तान्तरित थाना

38. **श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद)**

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले के ग्राम डाबी में थाना न बनाने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार वर्तमान में इस क्षेत्र के कोटा डेम पर स्थित थाने को इस क्षेत्र के लिये उपयुक्त समझती है ? यदि नहीं, तो उक्त थाने को डाबी में स्थानान्तरित न करने

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

का क्या कारण है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम डाबी में थाना स्थापित करने का औचित्य नहीं समझा गया है।

(2) जी नहीं। पुलिस पुनर्गठन से पूर्व डाबी में थाना स्थापित था बूंदी जिले के ग्राम डाबी से जवाहर नगर डेम्प पर रिओर्गेनाईजेशन कमेटी की सिफारिशों पर थाने को स्थानान्तरित किया गया और ग्राम डाबी में तफतीशी चौकी स्थापित की गई थी। इसके अलावा भी अपराधों की संख्या को मद्देनजर रखते हुये सन् 1982-83 में थाना जवाहर नगर डेम्प के क्षेत्र के मुकाबले डाबी क्षेत्र में कम अपराध पंजीबद्ध हुए है। इसके अतिरिक्त पुलिस चौकी का वर्तमान भवन भी थाने के स्टाफ को रखने के लिये अपर्याप्त है। इसलिये फिलहाल डाबी में थाना स्थानान्तरित करना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

माण्डलगढ़ क्षेत्र में सम्पन्न राहत कार्य

39. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माण्डलगढ़ क्षेत्र में सन् 1981-82 व 1982-83 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कच्चे व पक्के कितनी लागत के कार्य कराये गये ?

(2) उक्त कार्यों में कच्ची सड़कें, डामर की सड़कें, कोजवे, एनीकट, मकान व तालाब कितने, किस-किस पंचायत क्षेत्र के किस गांव में कराये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माण्डलगढ़ क्षेत्र में वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में राहत कार्यों के अन्तर्गत कच्चे व पक्के कार्य रुपये 183.08 लाख के कराये गये।

(2) राहत कार्यों के अन्तर्गत निम्न प्रकार के कार्य कराये गये :–

कच्ची सड़कें (फेयर वेदर एवं ग्रेवल)	19
डामर की सड़कें	8
काजवे	2
एनिकट	7
मकान	शून्य
तालाब	33

इनका पंचायत एवं ग्रामवार विवरण संलग्न तालिका में अंकित है। परिशिष्ट "क" एवं "ख"

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जयपुर नगर परिषद् सीमा में अवस्थित राजकीय भवन

40. **श्री छोतरलाल आर्य** (अटरू): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के निवास हेतु जयपुर नगर परिषद सीमा में आवासीय कालोनियों व अन्य स्थानों पर ए.बी.सी.डी, ई,एफ,जी,एच, वर्ग के क्वार्टर्स में परिवर्तन परिवर्द्धन मरम्मत एवं अन्य जोड़ तोड़, उस हेतु बने नियम, उप

(श्री छीतरलाल आर्य)

नियम, दिशा निर्देश आदेश अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत ही किये जाते हैं ? कृपया नियमों आदि की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में किस-किस क्वार्टर्स के परिवर्तन/परिवर्द्धन/मरम्मत एवं जोड़-तोड़ पर पांच हजार से अधिक का खर्चा किया गया, उसका आधार क्या था, उस क्वार्टर में इस लागत लगाने के वक्त कौन रह रहा था अथवा लागत लगाने के बाद किसने रहना प्रारम्भ किया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों के निवास हेतु किराए के आवासीय भवनों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु स्वीकृति उनमें रह रहे निवासियों की आवश्यकतानुसार दी जाती है। इस संबंध में कोई नियम नहीं है।

(2) विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

भीलवाड़ा जिले में वितरित सिलाई मशीनें

41. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भीलवाड़ा जिले में सिलाई, सीखने वाली किन-किन महिलाओं को वर्ष 1981-82 व 1982-83 में डी.आर.डी. की ओर से जो मशीनें दी गई है, वे कितनी-कितनी कीमत पर किस फर्म से किस कम्पनी की खरीद कर दी गई है ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चाही गयी सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा नीलाम किये गये प्लाट्स

42. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़): **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नगर विकास न्यास, उदयपुर ने दिनांक 20-4-1982 को हिरनमगरी सेक्टर नं. 9 में निवास हेतु प्लाटों की नीलामी की थी ? यदि हां, तो उस दिन नीलामी किन-किन प्लाटों की होने वाली थी ?

(2) क्या यह भी सच है कि मौके पर उपस्थित अधिकारी ने कुछ ऐसे प्लाटों को भी नीलाम कर दिया जो उस दिन की सूची में नहीं थे ?

(3) क्या यह भी सच है कि नीलाम किये गये प्लाट उस समय की रिजर्व प्राइस से भी कम मूल्य में बेच दिये गये ? यदि हां, तो उससे उस दिन न्यास को कितने रुपयों की हानि हुई ?

(4) क्या न्यास के नियमों के अनुसार उचित मूल्य न आने पर एवं बोली प्रतियोगात्मक एवं स्वतंत्र न होने पर अधिकारी भूखण्डों की बोली रद्द कर सकता है ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(5) क्या उक्त नीलामी से सम्बन्धित टिप्पणी पर कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट या पत्रावली सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि दिनांक 20-4-82 को हिरनमगरी योजना सेक्टर नं. 9 में निवास के प्लाटों की नीलामी रखी गई थी। नीलामी की सूचना जो प्रसारित की गई उसमें नाम योजना किस्म भूखण्ड व दिनांक ही अंकित की गई व जिन भूखण्डों को निलाम किया जाना था, उनके नम्बर अंकित नहीं थे।

(2) नीलाम की सूचना में नीलाम किये जाने वाले भूखण्ड का विवरण अंकित नहीं होने से यह सही नहीं है कि ऐसे प्लाट भी नीलाम कर दिये गये जो सूची में अंकित नहीं थे।

(3) यह सही नहीं है कि नीलाम किये गये भूखण्ड उस समय की रिजर्व प्राइस से कम मूल्य पर बेचे गये। अतः न्यास को किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां।

(5) नीलामी के संबंध में संबंधित कर्मचारी की टिप्पणी अनियमितताओं के संबंध में प्रस्तुत हुई थी, जो तत्कालीन अधिशाषी अभियंता एवं कार्यवाहक सचिव की टिप्पणी के साथ अध्यक्ष महोदय के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत की गई थी जिन्हें भूमि निस्तारण नियम 1974 के परिशिष्ठ "ए" के क्लाज "जी" के अनुसार बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने के अधिकारी हैं। कर्मचारी की टिप्पणी पर कोई जांच नहीं कराई गई।

झामर जेहर तालाब (बांसवाड़ा) का निर्माण

43. **श्री पूंजीलाल मीणा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झामर जेहर तालाब सिंचाई विभाग, बांसवाड़ा के घाटोल निर्वाचन क्षेत्र में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि झामर जेहर तालाब 10 वर्ष पूर्व ग्राम भूगड़ा के काश्तकारों की मांग पर बनाये जाने की कार्यवाही चालू की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इसके साथ सोडलपुर, काली घाटी तालाबों की भी कार्यवाही शुरु की गई थी, जिनमें से सोडलपुर पूरा किया गया और काली घाटी चालू है ?

(4) यदि हां, तो भूगड़ा ग्राम झामर जहर तालाब कब तक बन जायेगा ।?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भूगड़ा ग्राम के काश्तकारों की मांग पर वर्ष 1978 में इस योजना की सर्वे शुरू की गयी थी।

(3) जी हां। सोडलपुर तालाब का निर्माण वर्ष 1981 में शुरु किया गया है व निर्माण कार्य प्रगति पर है। कालीघाटी तालाब का सर्वे कर तखमीना बनाया जा रहा है।

(4) भूगड़ा ग्राम के झामर झेर तालाब का तखमीना तैयार कर लिया गया है एवं

(सिंचाई मंत्री)

इसकी जांच की जा रही है। योजना की उपादेयता की जांच के पश्चात् ही तथा वित्तीय साधनों की उपलब्धी के अनुसार योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा। वर्ष 1983-84 में चालू लघु सिंचाई योजनाओं के लिए शेष आवश्यक धनराशि एवं बजट प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष इस योजना की स्वीकृति संभव नहीं है।

ग्राम मित्रपुरा तहसील बोंली की पेयजल योजना

44. **श्री कुंजीलाल** (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बोंली के ग्राम मित्रपुरा की जनता ने पेयजल योजना हेतु 15 वर्ष पूर्व विभाग के पास रु. 2500 की राशि जमा कराई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र के जल-स्त्रोतों का सर्वेक्षण कराया गया था और सर्वेक्षण रिपोर्ट में जल का अभाव बताया गया जिसकी वजह से योजना का कार्य शुरू नहीं हुआ ?

(3) क्या सरकार बोरदा की नदी में जहां काफी मात्रा में जल उपलब्ध है, ट्यूबवैल लगा कर इस ग्राम की पेयजल योजना की क्रियान्विति का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम मित्रपुरा की पेयजल योजना हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मार्च, 73 में रुपये 2500/- की धन राशि जमा करायी गयी थी।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। गांव मित्रपुरा तहसील बोंली में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 में टी.एस.एस. योजना चालू कर पंचायत को हस्तानान्तरित की जा चुकी है। अतः उक्त गांव में बोरदा की नदी में ट्यूब वैल बनाकर पेयजल योजना फिलहाल प्रारम्भ करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बैंक डकैतियों की घटित घटनायें

45. **श्री कुन्जीलाल** (19): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 अप्रेल, 1981 से अब तक किस-किस माह में कहां-कहां किस-किस समय बैंक डकैती हुई है और इनमें कितना-कितना धन गया है ?

(2) अब तक किन-किन डकैतियों में कौन-कौन मुलजिम गिरफ्तार हुये हैं और उनसे कितना-कितना माल बरामद हुआ है?

उत्तर

(1) राज्य में 1 अप्रेल सन् 1981 से माह जुलाई, 83 तक हुई बैंक डकैतियों का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

चूरू एवं नागौर जिले में सड़क निर्माण

46. **श्री सुरजाराम** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चूरू नागौर जिले की सीमा से लगते हुये जिला बीकानेर

(48)

(श्री सुरजाराम)

के निम्नलिखित गांवों में आने जाने के लिये कोई सुगम मार्ग एवं साधन उपलब्ध नहीं है :-

(1) थावरिया से लालगढ़ (वाया-मैनसर)

(2) नोखा (वाया-धुपालियां) से मैनसर

(3) पांचू से नापासर (वाया-नोखा-मण्डी)

(4) साधासर (वाया-मंसूरी) डूंगरगढ़

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधार्थ इन मार्गो पर शीघ्र सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने तथा लिंक रोड का निर्माण योजना के अन्तर्गत उपरोक्त कस्बों में सड़कों का कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां तो उक्त योजना कब तक पूरी हो जावेगी ? नहीं, तो क्यों ?

(4) सन 1982-83, 1983-84 के दौरान नोखा तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन सी व कितनी -कितनी कि.मी. सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2 व 3) बीकानेर सहित सभी जिलों में सड़क निर्माण हेतु मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं जिनके तैयार होने के पश्चात् ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(4) नोखा तहसील में वर्ष 82-83 की उपलब्धि व 83-84 के लक्ष्य निम्नलिखित है :-

क्र. नाम सड़क	वर्ष 82-83 में उपलब्धि	वर्ष 83-84 में लक्ष्य
1. नोखा-कक्कू	9 कि.मी. डब्लू बी.एम.	18 कि.मी. कुल सड़क पूर्ण
2. मुकाम-पीपासर	11 कि.मी. ग्रेवल सड़क	11.2 कि.मी.

टोंक जिले के बांधों की भराई क्षमता बढ़ाना

47. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या टोंक जिले के मासी बांध-चन्दलाई बांध एवं लाम्बा बांध की भराव क्षमता बढ़ाने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इसमें कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है एवं यह कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले कई सालों से उपरोक्त बांधों की भराव क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यकता महसूस की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक इसकी क्रियान्विति में क्या बाधा है ?

उत्तर

(1) चन्दलाई बांध की भराव क्षमता 400 लाख घनफीट बढ़ाने हेतु बाढ़ से क्षति-

(सिंचाई मंत्री)

ग्रस्त कार्यों के पुनः निर्माण हेतु सहायता विभाग से आवंटित धनराशि के मद से 15.67 लाख रु. का आंकलन स्वीकार्य किया गया था। इस आंकलन में क्षतिग्रस्त बांध के पुनः निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। धन की वास्तविक उपलब्धि में कमी के कारण इस कार्य पर सिर्फ 10.20 लाख रुपया व्यय किया गया है। तथा चान्दलाई बांध का पुनः निर्माण पूर्व क्षमता तक ही कराया गया? बांध की क्षमता को बढ़ाने हेतु विस्तृत जांच कर, सिंचाई योजनाओं के मद से स्वीकृति हेतु आंकलन बनाना आवश्यक है। माशी बांध एवं लाम्वा बांध की भराव क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। केवल चन्दलाई बांध की भराव क्षमता बढ़ाने के कार्य को बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनः निर्माण के लिए विशेषधन की उपलब्धि की संभावना के परिपेक्ष में सोचा गया था परन्तु वांछित धनराशि के अभाव में उपरोक्त बांध की क्षमता में बढ़ोतरी नहीं की जा सकी।

आयुर्वेद विभाग की कोर्ट शाखा

48. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में निदेशालय स्तर पर एक कोर्ट कायम की गई है'? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) आयुर्वेद विभाग में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में कितने वाद/रिट दावे सम्बन्धित मामले विचाराधीन हैं?

(3) क्या यह सही है कि स्थानान्तरणों के मामलों में विभाग के कर्मचारियों द्वारा न्यायालय की शरण प्राप्त कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गये हैं? यदि हां, तो कृपया ऐसे कर्मचारियों की सूची मय नाम, स्थगन आदेश प्राप्त करने की तिथि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माह जून, 1982 से पूर्व न्यायालयीय सम्बन्धी कार्य, शिकायत शाखा के अन्तर्गत ही सम्पादित किया जाता था, कार्यधिक्य के कारण कोर्ट सम्बन्धी मामलों पर समय पर सुव्यवस्थित रूप से कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पा रही थी। अतः माह मई, 1983 से न्यायालयीय मामलों में व्यस्थित नियमित, द्रुतगति से निस्तारण एवं रूपता लाने हेतु न्यायालय अनुसांगिक प्रकोष्ठ प्रशासनिक दृष्टि से कायम किया गया।

कार्यालय आदेश क्रमांक प्रति 4/कार्य. वि./82/9481–89, दिनांक 31-5-83 से न्यायालय विभाग कायम करने के आदेश प्रसारित हुए हैं।

(2) आयुर्वेद विभाग में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर वाद/रिट दावे से सम्बन्धित 120 मामले विचाराधीन हैं।

(3) स्थानान्तरण पर निदेशालय में प्राप्त स्थगन संबंधित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

गंगानगर माल खाने से हथियारों की चोरी

49. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर में मालखाने से कई हथियारों की चोरी हुई है ? यदि हां तो कब ? कृपया हथियारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चोरी गये हथियार कब और कैसे बरामद हुए हैं, और कितने शेष हैं ?

(3) इस मामले के अनुसंधान का क्या परिणाम निकला।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 11,12 अप्रेल 1983 की मध्य रात्रि को चोरी हुई। चोरी गये हथियारों की सूची संलग्न है।

(2) चोरी गये 23 हथियारों में से 13 हथियार हनुमानगढ़ जंक्शन पर यार्ड में खड़े हुए रेलवे डिब्बे के अन्दर से बरामद हुए अभी 10 हथियार बरामद किये जाने हैं।

(3) अभियोग अभी अन्वेषणाधीन है

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

उदयपुर जिले में सिंचाई साधन उपलब्ध करना

50. **श्री भेरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में सभी तहसीलों के पहाड़ी क्षेत्र में आम तौर पर अकाल बना रहता है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) जी, हां। उदयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में 20 से 50 प्रतिशत वर्षों में सूखा रहता है। इस जिले में योजनावार एवं धनराशि की उपलब्धि के अनुसार सिंचाई के साधन बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1983-84 में इस जिले में विभिन्न सिंचाई के कार्यों पर 846.54 लाख का प्रावधान है। इस वर्ष 1083 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वर्ष 1984-85 में लगभग 14000 हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

आयुर्वेद निदेशक द्वारा कोटा स्थित उपनिदेशक कार्यालय का निरीक्षण

51. **श्री थान सिंह** (सलूम्बर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद निदेशक द्वारा 22-6-1982 को कोटा स्थित उप निदेशक कार्यालय का निरीक्षण किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निरीक्षण के दौरान उन्होंने मात्र 13-14 वर्ष की आयु के बालक को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति का एक मामला पाया जिसका उन्होंने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में भी स्पष्ट उल्लेख किया है।

(3) विभाग में उक्त नियुक्ति क्यों कब और किसके द्वारा की गई ? इस मामले में विभाग क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कागदीवाडा (जयपुर) के निवासियों के मुआवजे की राशि

52. **डा. उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

श्री समर्थलाल (राजगढ़)—क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कागदीवाड़ा, जयपुर से होकर निकाले जा रहे माउण्ट रोड (सीकर, दिल्ली बाई पास में आ रहे ग्राम कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा (ब्रह्मपुरी) जयपुर) सवेज फार्म से शहर चार दीवारी तक के ज्यादातर मकान मालिकों को मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि हां, तो किस-किस- को कितना-कितना ?

(2) उक्त वाई पास में इस ग्राम के कितने-कितने मकान तोड़े जा चुके हैं, कितने मकान मालिकों की जमीन ली गई है तया ग्रौर कितने तोड़े जाने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त रोड में मद्रासी वावा आश्रम एवं मन्दिर तथा कुछ अन्य मकानों की भी काफी जमीन आई है तया अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह मुआवजा अब कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम कागदीवाड़ा जयपुर से होकर निकाली जा रही माउन्ट (लिंक रोड) में आ रहे कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा, ब्रह्मपुरी स्वेज फार्म से चारदीवारी तक के अधिकतर मकान मालिकों को मुआवजा दिया जा चुका है। साथ ही भूमि व खाली सोसायटियों के प्लाट मालिकों को भी कुछ को मुआवजा दिया जा चुका है। पूरी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। (सूची संख्या-1)

उक्त सड़क में इस ग्राम के जो मकानों के कुछ हिस्से में सड़क के कारण आपसी सहमति से सड़क में लिए गये हैं व तोड़े गये है उनकी सूची उपरोक्त प्रश्न के क्रम संख्या 1 के संदर्भ में सदन के पटल पर रख दी गई है। इनके अलावा ग्रौर मकान तोड़ने प्रस्तावित नहीं है। जिन व्यक्तियों की जमीन ली गई है उनके नाम प्रश्न संख्या 1 की सूची में शामिल है।

(3) यह सही है कि उक्त रोड में एक आश्रम एवं मन्दिर जो मद्रासी वावा के आश्रम एवं मन्दिर के नाम से जाना जाता है, कि कुछ भूमि आई है। इसके मुआवजे के कागजात बनाये जा रहे है व इसका ब्यौरा सूची नम्बर 1 में क्र.सं. 14 पर दे दिया गया है अन्य जिन भूमिदारों की भूमि आई है उसकी सूचना भी सूची नं. 1 म क्र.सं. 13 पर दी गई है। यह मुग्रावजे 7.9.83 तक दे दिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल सरदार हुकमसिंह व पूर्व सदस्य, विधान सभा सर्व श्री ग्रमीनुद्दीन अहमद, लच्छूराम, वृजेन्द्रभान सिंह, मानसिंह महार, अवनिकुमार मुकर्जी, रिखबचन्द धारीवाल, राजेश्वरसिंह, जयचन्द मोहिल, बालचन्द डागा को श्रद्धांजलि।

श्री अध्यक्ष: निम्नांकित महानुभावों के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा :

1) सरदार हुकम सिंह जी
2) श्री ग्रमीनुद्दीन अहमद
3) श्री लच्छूराम
4) श्री बृजेन्द्रपालसिंह
5) श्री मानसिंह महार
6(श्री अवनि कुमार मुकर्जी
7) श्री रिखबचन्द धारीवाल
8) श्री राजेश्वरसिंह
9) श्री जयचन्द मोहिल
10) श्री बालचन्द डागा

52

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त खेद का विषय है कि सत्र के शुरू होने से पहले दिन हमको हमेशा यह दुखद प्रकरण करना पड़ता है। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे देश के कुछ महान व्यक्तियों और कुछ माननीय सदस्य, भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य स्वर्गवासी हो गये, उनके संबंध में हम लोग यहां अपनी शोकाभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है यह कहते हुए कि राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल और भारत की लोक सभा के भूतपूर्व स्पीकर सरदार हुक्मसिंह जी का देहावसान इस बीच में हुआ।

सरदार हुक्मसिंह का हिन्दुस्तान के बनने के पहले मान्टगुमरी, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, में जन्म हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके हर जगह जहां पर भी वे रहे अपनी अमिट छाप छोड़ी। वे लोक सभा के डिप्टी स्पीकर रहे, उसके बाद स्पीकर बने। जब वे स्पीकर थे 1962 से 1967 के बीच में, उस समय मुझे भी लोकसभा में रहने का अवसर मिला। मैंने पाया कि सरदार हुक्मसिंह जी एक बहुत ही उच्च कोटि के संसदविज्ञ थे। संसद में अच्छी परम्पराओं का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है उसकी सदैव वे प्रेरणा करते रहते थे। मुझे स्पष्ट याद है कि वे संसद में आने वाले नये सदस्यों को बहुत प्रोत्साहित करते थे।

उसके पश्चत 16 अप्रेल 1967 में वे राजस्थान के राज्यपाल बने और 1 जुलाई, 1972 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इस पांच साल की अवधि में सरदार हुक्मसिंह जी ने राजस्थान के राज्यपाल की तरह से, एक आदर्श कान्स्टीट्यूशनल हैड की तरह से कुछ अच्छी परम्पराओं का निर्माण किया। वे बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे और हर विषय के ज्ञाता थे। उनसे किसी भी विषय पर बातचीत करने का अवसर मिलता तो ऐसा मालूम पड़ता था कि नालेजेबल पर्सन से बात कर रहे हैं। हर विषय पर उनका अच्छा ज्ञान था। वे अपनी अभिव्यक्ति जब भी प्रकट करते थे उस समय उनका ढंग इतना अच्छा होता था कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता था। बड़ी से बड़ी गम्भीर बात को सहज ढंग से प्रकट करने की अभिव्यक्त करने की जो अनूठी कला सरदार हुकमसिंह जी में थी वह मैंने बहुत कम लोगों में पाई। राजस्थान के विकास में उन्होंने सदैव दिलचस्पी ली। जब तक राजस्थान के राज्यपाल रहे राजस्थान के विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं का सदैव जायजा लेते थे और अपने सुझाव भी देते थे। हमें उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता था। यहां से उनकी टर्म खत्म होने के बाद वे दिल्ली रहे तो निरन्तर राजस्थान के संबंध में जानकारी किया करते थे। उनके यहां से चले जाने के बाद भी कई बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। सदैव राजस्थान के विकास की योजनाओं के बारे में, राजस्थान के महत्वपूर्ण अन्य मसलों के संबंध में पूछते थे, जैसे बहुत नजदीक का व्यक्ति चर्चा करता है, इस प्रकार की चर्चा किया करते थे।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया सरदार हुकमसिंह का कैरियर एक बहुत ही उच्चकोटी का कैरियर रहा। कई पार्लियामेंट्री डैलीगेशन जो भारत के बाहर गये उनके सदस्य या नेता रहे। उन्होंने दुनिया के अनेक देशों में महत्वपूर्ण यात्रायें की और भारत के पक्ष को उन्होंने बहुत कारगर ढंग से वहां पर रखा। एक अंग्रेजी का बहुत ही अच्छा अखबार

(श्री शिवचरण माथुर)

जिसे स्पोक्समेन कहते हैं, की शुरूआत उन्होंने की। कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के वे लेखक भी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रति उनका बहुत अगाध प्रेम था, विश्वास था। मुझे याद आता है कि जब कभी भी मैं अपने विभाग से सम्बन्धित किसी भी मसले में उनसे सलाह लेने गया, उन्होंने बहुत खुशी से, प्रसन्नता से और बहुत अच्छे ढंग से मुझे कई बातें बताई। जब वे यहां रहे, इसके पहले स्पीकर रहे, निरन्तर आदर का भाव मैं उनके प्रति रखता था और उसी प्रकार से इस सदन के सभी माननीय सदस्य भी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। राजस्थान में बहुत लोकप्रिय थे।

उनके निधन से आज भारत के जनमानस को अपूरणीय क्षति हुई है जो सहज तरह से पूरी नहीं हो सकती।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय, एक और हमारे महत्वपूर्ण साथी अमीनुद्दीन खां साहब, जो भूतपूर्व नवाब थे लोहारु के, का देहावसान भी इस बीच हुआ वह हमारे एक अच्छे अनन्य साथी थे। 1967 में इस विधान सभा के सदस्य चुने गये और सदस्य चुने जाने के बाद में माननीय सुखाड़िया जी के मंत्रिमण्डल में वे मंत्री बने। ट्रांसपोर्ट, पी.डब्ल्यू.डी. और कई महत्वपूर्ण विभागों का चार्ज उनके पास रहा। वे बहुत ही मिलनसार, सहज व्यक्ति थे और एक सच्चे दोस्त की तरह से वे सब लोगों से व्यवहार किया करते थे। उनको भी हम बहुत स्मरण करते हैं। वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, पंजाब के राज्यपाल भी रहे। उसके बाद में जिस दुखद स्थिति में उनका देहावसान हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वे अचानक बीमार हुए और हृदयगति रुकजाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। उनके प्रति भी गहरा शोक मुझे और इस सारे सदन को है और राजस्थान के लोगों को है।

मैं मृत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्तमान सदन के एक माननीय सदस्य श्री लच्छूराम जी, जो पिछले सदन में हमारे साथ बैठते थे और इस सदन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, झुंझुनूं जिले के मूंडवा क्षेत्र से चुनकर आये और लोक दल का यहां पर प्रतिनिधित्व करते थे। श्री लच्छूराम जी 1954 और 1962 के बीच में भी सदस्य रहे और दुबारा 1980 में वे मूंडवा क्षेत्र से चुनकर के आये।

श्री लच्छूराम जी बहुत ही मिलनसार और सहृदय व्यक्ति थे। किसानों की समस्याओं को बहुत सफाई से और आम लोगों की समस्याओं को बहुत सफाई से वह यहां सदन में प्रस्तुत किया करते थे। मुझे उनका व्यवहार आज भी याद आता है।

उनके अचानक निधन से हम सब लोगों को शोक है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके दुखी परिवार को यह शक्ति दे कि वह इस दुख को सहने की क्षमता प्राप्त कर सकें।

(श्री शिवचरण माथुर)

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक और अन्य माननीय सदस्य, जो 1952 से 1972 तक पहले चार बार इस सदन के सदस्य रहे, श्री बृजेन्द्रपाल सिंह जी करोली के राजकुमार थे। मेरी बचपन से उनसे जानपहचान थी क्योंकि मैं भी बचपन में करोली में ही पढ़ा। मुझे याद है कि हम लोग साथ खेला करते थे। एक राजघराने में पैदा होने के बावजूद भी इतने मिलनसार थे कि वे सार्वजनिक रूप से लोगों से मिलने में कभी ऐतराज नहीं करते थे। चार बार लगातार एक क्षेत्र से चुनकर के आना उनकी लोकप्रियता का एक उदाहरण था। एक ऐसी स्थिति में उनका देहावसान हुआ जिस समय उनकी उम्र कुछ भी नहीं थी। अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण वह हमारे बीच में से चले गये। हम सब लोगों को उनके देहावसान पर गहरा शोक है।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को शक्ति दे कि वह उस दुख को सहन कर सकें।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, श्री मानसिंह जी महार हमारे इस सदन के सदस्य रहे हैं। मुझे मालुम है कि जब वह सदन की सभा में बहस करते थे, इतने व्यवहारिक और अच्छे ढंग से किसी चीज को कहते थे कि सब लोग उनकी बात को गंभीरता से लेते थे। वह इस विधान सभा के निर्माण के पहले भी जयपुर राजपूत सभा के सदस्य रहे और राजपूत सभा के अध्यक्ष और सरदारशहर राजपूत सभा के मंत्री रहे। श्री महार ने नेशनलवार में मंत्री पद पर भी कार्य किया। वह आम चुनाव में राम राज्य परिषद् के उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुये थे, बाद में वह कांग्रेस में सम्मिलित हो गये थे। श्री महार के निधन से हम सब लोगों को शोक है।

उनकी आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सदन के एक और सदस्य श्री अवनि कुमार मुकर्जी, जो कि राम राज्य परिषद् की तरफ से इस सदन के सदस्य बने थे, के देहावसान पर भी हम सब को शोक है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक महत्वपूर्ण सदस्य भूतपूर्व श्री रिखबचन्द जी धारीवाल, जो कोटा के सार्वजनिक जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, का निधन हो गया। 1947 के पहले आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय कांग्रेस और प्रजामण्डल के आन्दोलनों में उन्होंने एक बहुत सृजनात्मक ढंग से हिस्सा लिया। वे अच्छे शिक्षाविद् थे, काफी पढ़े लिखे थे। उन्होंने इस विधान सभा में प्रवेश के साथ ही अनेक विभागों का कार्यभार भी संभाला सबसे पहले वे फाईनेन्स डिपार्टमेंन्ट में डिप्टी मिनिस्टर रहे, इण्डस्ट्रीज, माइन्स, सिविल सप्लाई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। कोटा के सार्वजनिक जीवन में उनका स्थान था। वह म्यूनिसिपल बोर्ड, कोटा में लगातार 7 वर्ष तक सदस्य रहे। 1940 से 47 तक वह जिला विकास

(श्री शिवचरण माथुर)

समिति, कोटा के भी सदस्य रहे। देहान्त होने तक वे कोटा के सार्वजनिक जीवन में लगातार सक्रिय रहे और उन्होंने एक बहुत गहरी छाप कोटा के सार्वजनिक जीवन पर छोड़ी। आज हम सब लोग उनके निधन से दुखी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक ग्रस्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय, एक और अन्य सदन के सदस्य माननीय श्री राजेश्वर सिंह जो स्वतंत्र पार्टी से चुनकर के आये थे, का भी देहावसान इस बीच में हुआ। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं।

एक अन्य सदस्य श्री जयचन्द जी मोहिल का भी इस बीच देहावसान हो गया। श्री मोहिल चितौड़ ज़िले के बड़ी सादड़ी इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने इस सदन में बड़ी सादड़ी का दो बार प्रतिनिधित्व किया। वह सार्वजनिक कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते थे। प्रजा मण्डल के आन्दोलन में उन्होंने निरन्तर हिस्सा लिया। हमें अभी भी स्मरण आता है कि वह चितौड़ जिले के सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे।

मैं उनके देहावसान के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, श्री बालचन्द जी डागा के निधन पर भी मैं यहां अपनी दुख की भावना प्रकट करना चाहता हूं। 55 वर्ष की अल्प आयु में ही एक दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हुआ। वह सदैव कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर आम आदमी की आवाज को बुलन्द करते रहे। किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से वह सबसे पहले जीते। अपने देहावसान के समय तक लगातार वह जनसेवा में व्यस्त रहे। He died in harness.

मैं उनके देहावसान पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक ग्रस्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के इतिहास में यह पहला दुर्भाग्य पूर्ण अवसर होगा जब कि हमें इस सदन के 9 माननीय सदस्यों के प्रति और एक भूतपूर्व राज्यपाल के प्रति शोकाभिव्यक्ति करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, 9 माननीय सदस्यों के साथ विधान सभा में सदस्य रहने का मुझे भी अवसर मिला है और व्यक्तिशः मैं इन सबसे परिचित हूं।

सरदार हुकमसिंह जी राज्यपाल रहे, उसके पहले लोक सभा के अध्यक्ष रहे, उसके पहले विरोधी पक्ष के सम्माननीय सदस्य रहे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां भी वे रहे, उन्होंने अपने कार्य को एक आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है।

लोक सभा में जब वे अध्यक्ष थे उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा होती थी कि लोक सभा में चाहे कितना ही टेंशन क्रियेट हो जावे, यदि अध्यक्ष के आसन पर हुकुमसिंह जी हैं तो उस टेंशन को किस प्रकार से ह्यूमर में और अपने तर्क के आधार पर किस प्रकार

56

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से मिनिमाइज किया जाव, वह मिनिमाइज करते थे। मेरा विश्वास है कि अध्यक्ष के पद पर कार्य करने वाले सभी महानुभावों ने उनसे निश्चित रूप से इस बात की प्रेरणा ली होगी कि अध्यक्ष के रूप में बैठकर निश्चित रूप में सदन का किस प्रकार से संचालन किया जावे और यदि सदन में तनाव पूर्ण वातावरण बनता हो तो किस प्रकार से उसको शांत किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया। मैं आदर्श की ओर संकेत इसलिए करना चाहता हूं कि राज्यपाल और राजभवन कई बार चर्चा के विषय बने। चर्चा इस बात की हुई है कि हैं कि राजभवन में खर्चा ज्यादा होता है। लेकिन मैं ऐसा निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरदार हुकमसिंह जी राजस्थान के राज्यपाल हुये तो उन्होंने राजभवन को सादा रखा और स्वयं अपने जीवन को सादा बना कर एक इस प्रकार का आदर्श उपस्थित किया कि भारत के अन्य राज्यपाल प्रेरणा लेकर यदि इसी प्रकार का आदर्श उपस्थित करना चाहे तो कभी भी उनकी आलोचना नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस आधार पर उन्होंने जो आदर्श उपस्थित किया वह अनुकरणीय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय पंजाब में अकाली दल और सरकार के बीच में कई बार तनाव की स्थिति बनी उस समय भी सरदार जी ने एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपना कर अकालियों और सरकार के बीच में तनाव पूर्ण स्थिति न रहे, और जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनका सही हल निकल जावे, उसमें जिस प्रकार की मध्यस्थता की है। ऐसे व्यक्ति का आज के दिन अभाव पूरे देश को निश्चित रूप से अखरेगा। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उनकी एक प्रकार से प्रेरणादायक जिन्दगी थी। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में से उठता है तो निश्चित रूप से हमें दुख होगा और हमें जबरदस्त दुख है।

नवाब अमीनुद्दीन अहमद खां, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा, इस सदन के सदस्य रहे हैं। राज्यपाल भी रहे, हिमाचल के के लेफ्टिनेट गवर्नर भी रहे, हिमाचल के गवर्नर रहे और पंजाब के भी गवर्नर रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि जब उनके पास कोई व्यक्ति राजस्थान का जाता था, उन्हें इस बात की खुशी होती थी कि मेरा राजस्थान से कितना और किस प्रकार का निकट का सम्पर्क है। मैं एक बार चला गया था तो विधान सभा के पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में क्या-क्या घटनायें हुई थी उसका उन्होंने सारा ब्यौरा रख रखा था। काफी देर तक हमारी विधान सभा की उन्होंने प्रशंसा की और कहने लगे कि मैंने देश की और भी कई विधान सभायें देखी है लेकिन राजस्थान की विधान सभा ने जिस प्रकार की परम्परायें कायम की हैं और विधान सभाओं में उनका अभाव है। विधान सभा की कार्यवाही के प्रति जिम्मेदारी, विधान सभा के प्रति उनका आदर, माननीय सदस्यों के प्रति उनका आदर विधान सभा में कई बार वे व्यक्त कर चुके हैं और अन्त तक उनके दिमाग में इस प्रकार की स्थिति रही। अध्यक्ष महोदय, याद है, यह आवश्यक नहीं है कि जिस समय प्रश्न का उत्तर दिया जावे मंत्री सारे सप्लीमेंट्री से पूरा परिचित हो नवाब साहब कई बार सप्लीमेंट्रीज में जब पकड़ लिये जाते तो उनका एक ही उत्तर होता था कि जितनी मेरी तैयारी थी वह मैंने हाउस में रख दी। अब माननीय सदस्य और कोई जानकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना चाहते हैं तो बाहर आयें। अब उसमें किसी प्रकार की कटुता नहीं थी, कोई उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं था लेकिन अपनी एक सही बात कह करके वे माननीय सदस्यों को और सदन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते थे उन्होंने इस प्रकार का आकर्षण देकर और इस प्रकार का व्यवहार देकर एक प्रेरणादायक स्थिति हमारे सामने उपस्थित की है।

माननीय लच्छूराम जी के बारे में, अध्यक्ष महोदय, क्या कहा जावे डैथ के दो तीन दिन पहले वे यहां जयपुर में थे। यहां से गये। यहां से वे गये तो शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि मैं आज जयपुर से जा रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा। कभी उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि अपने गांव जाने के बाद, गांव जाने के लिए मेरी अन्तिम यात्रा होगी और घर में बैठकर मैं अन्तिम रूप से यह चाय का आखिरी प्याला पी रहा हूं। कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता था, उनकी कल्पना का तो सवाल ही नहीं था, कोई दूसरा व्यक्ति भी कल्पना नहीं कर सकता था कि लच्छूराम जी गए, वे वापस नहीं आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, जितना दर्दनाक दृश्य उनकी शव यात्रा का था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, एक आदमी को नेकी का पता हम शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करें इसमें नहीं होगा लेकिन उस आदमी की नेकी पर उस क्षेत्र में, वह जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, वास्तव में किस प्रकार से लोगों ने आंसू बहाए, किस सीमा तक आंसू किस सीमा तक अपना दुख प्रकट किया उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की नेकी को भी लोग भूलते नहीं हैं, नेकी रहती है। मैं उस व्यक्ति के बारे में कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार उस व्यक्ति का जीवन सादा था, कभी बीड़ी नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी। किसी प्रकार का उस व्यक्ति में व्यसन नहीं था। लेकिन भगवान बड़ा है। आज से दो वर्ष पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के कारण काफी परेशान हुए, किसी तरह से अपना समय निकाला। उससे ठीक हुए तो हाथ टूट गया। अब यह तो मैं कह नहीं सकता कि भगवान की किस प्रकार की उनके ऊपर नजर थी। एक व्यक्ति जो अभी तक अपने पूरे घर का काम सम्भाल नहीं सका था, पूरे घर की व्यवस्था नहीं बना सका था, सारा अधूरी हालत में छोड़कर चला गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता कि दो बार सदन में मेरे साथी रहे। उस आदमी के व्यवहार से हमेशा उसके जीवन से कोई भी आदमी प्रेरणा ले सकता है कि कटुता के अन्दर भी उस व्यक्ति के अन्दर किस प्रकार का प्रेम और सद्भाव था, कई लोगों में उसका अभाव रहता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार चर्चा होती थी कि कोई कोई ऐसे सदस्य हैं जो आनन्द से विधायक चुने जाते हैं, उन सदस्यों में श्री बृजेन्द्रपालसिंह जी का भी नाम था। उसके कारण उनके क्षेत्र में एक अन्दाजा लगाया जा सकता है, कोई आदमी चार या पांच बार चुन कर उसी क्षेत्र से आ जावे, उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का उसके मतदाताओं से किस प्रकार का निकट का सम्पर्क है। मतदाताओं का किस प्रकार के स्नेह है। उस हालत में मैं समझता हूं कि अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जितना लोगों से सम्पर्क बनाये

(58)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रखते थे वह अपने आप में एक नई स्थिति थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनका इस समय अभाव है। उनका एक्सीडेंट हुआ···

(व्यवधान)

हार्ट अटेक हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। हार्ट अटेक हुआ और हार्ट अटेक के कारण से उनका स्वर्गवास हो गया यह बहुत ही दुख की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मानसिंह जी महार के साथ इस सदन का जो माननीय सदस्य रहा वह उनसे परिचित है। जब भी बोलते तो यह यह पता नहीं रहता था कि किस के पक्ष में बोलेंगे और किसके खिलाफ में बोलेंगे। शायद उनको खुद को भी पता नहीं रहता था लेकिन जिस समय भी बोलेंगे कितना सख्त बोलेंगे इसका भी अन्दाजा लगाया जा सकता था। जितनी ह्यूमर उस व्यक्ति की वाणी में थी वह तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक प्रकार की मिसाल है। किसी भी प्रसंग में किसी भी विषय पर जिस समय वह बोलना चाहते कड़वा बोलते थे और कड़वा बोलने के साथ-साथ उनके भाषण में इतनी ह्यूमरस बातें होती थीं कि सदन काफी देर तक उनका भाषण सुनने में ही आनन्द लेता था। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य उनके साथ रहे हैं वे इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। वे बीमार थे, डायलेसिस पर जब उनको ले जाने लगे; डायलेसिस से बड़ी परेशानी होती है और डायलेसिस में सात आठ घण्टे लगते हैं, मैंने उनको खूब जोर दिया था कि आपको डायलेसिस पर दुबारा जाना चाहिए, डाक्टर साहब भी कह रहे हैं। तो वे मुझे कहने लगे कि डाक्टर साहब कह रहे हैं इसकी मुझे चिन्ता नहीं। तुम मेरे घर वालों के बीच में मत पड़ो, डाक्टर साहब को तो मैं टहला दूंगा। मैंने कहा आप कैसे टहला दोगे? उन्होंने कहा, यह सब चीज तो मेरे जन्म से आई हुई है, मैं डाक्टर साहब को विवश कर दूंगा। मेरा डायलेसिस मत कराओ। डायलेसिस हुआ तो 6 घंटे किस तरह मैं पड़ा रहता हूं, मेरे प्राण निकले हुये रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, अन्त तक वह आदमी अपने जीवन के साथ भी मजाक करता रहा। अन्त तक जो व्यक्ति उनसे मिले, उनसे हंसी से बात करता रहा। मरते वक्त भी यह अन्दाज नहीं था कि इस व्यक्ति के प्राण आज निकल जायेंगे। यह ह्यूमरस व्यक्ति हमारे सामने से इस प्रकार निकल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इससे आगे श्री अवनिकुमार मुकर्जी 1952 से 57 तक विधान सभा के सदस्य रहे। बड़े मिलनसार व्यक्ति थे। उनके बारे में एक मशहूर बात थी, जितनी नई किताबें प्रकाशित होती थीं उस समय अवनिकुमार मुकर्जी के पास वह किताब निश्चित रूप से होती। उस किताब को पढ़ा करते थे। किताबों को पढ़ने का शौक यदि किसी राजनीतिज्ञ को हो सकता है तो अवनि कुमार मुकर्जी उसकी एक एग्जाम्पल हैं। कोई किताब हिन्दुस्तान में शायद छोड़ी होगी, जो नयी प्रकाशित हो, उसको अवनि कुमार मुकर्जी ने नहीं पढ़ा हो। मैंने आजकल तो नहीं बल्कि 6-7 वर्ष पहले उनसे पूछा था आजकल कौन-कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कहने लगे, वैसे आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, किताबों के पीछे तो मैं पड़ा हुआ हूं, लेकिन उतना समय मैं किताबों को नहीं दे पाता। एक वैल रेड सदस्य हमारे सामने से चला गया, इसका भी हमें दुख है।

अध्यक्ष महोदय, रिखब चन्द जी धारीवाल इस सदन के सदस्य रहे। इस सदन के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्य रहने के साथ साथ राज्य के उद्योग मंत्री भी रहे, जिस रूप में उन्होंने राजस्थान की सेवा की। मैं समझता हूं, मिलनसार व्यक्ति थे, मृदुभाषी थे, ज्यादा अपने विषय से बाहर जाने वाले व्यक्ति नहीं थे।

विधान सभा में उद्योग के सम्बन्ध में यदि उनसे कोई जानकारी प्राप्त की जाय तो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं. जैसे बेसिकली कोई आदमी उस सब्जेक्ट को बनाने वाला हो, या उस सब्जेक्ट को निर्माण करने वाला हो, इस कान्फिडेन्स से उन बातों का उत्तर दिया करते थे। उनका ज्ञान भी इस विषय में बहुत अच्छा था। वे भी हमारे बीच से उठ कर चले गये।

श्री राजेश्वर सिंह भी विधान सभा के सदस्य रहे। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं. बहुत सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे।

जयचन्द्र मोहिल का भी अपने क्षेत्र में काफी परिचय था। अपने क्षेत्र में काफी लोग उनसे स्नेह करते थे। विधान सभा के सदस्य के रूप में उनका योगदान बहुत अच्छा था।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार श्री बालचन्द्र डागा भी विधायक के रूप में मेरे से काफी परिचित थे। विधायक के बाद भी कई बार सम्पर्क में आया। राजनीति में काफी सक्रिय थे। विधान सभा में उनका बड़ा सक्रिय योगदान रहा।

ये सभी बन्धु हमारे बीच से चले गये, इसका तो हमें खेद है ही। मैं उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह इस दुख को सहन कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना स्थान वापस ग्रहण करता हूं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और विपक्ष के नेता ने जो भावभीनी श्रद्धांजलि उन समस्त महानुभावों के प्रति अर्पित की है, मैं अपने को उसमें सम्मिलित करता हूं।

सरदार हुकुमसिंह जी से मेरा समीप का सम्पर्क रहा। मेरा सौभाग्य था कि जब वह विपक्ष के नेता थे तब भी, जब डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष बने उसके बाद अध्यक्ष बने और फिर गवर्नर बने इन चारों समय मैं उनके समीप रहा। थोड़ा बहुत मैंने उनको निकट से देखा। उस समय सचमुच ऐसा था, जो कुछ विद्वता थी किसी न किसी रूप में व्यक्त कर देते थे कुछ मर्यादाओं की, कुछ गरिमाओं की। गरिमा की मूरत थे, मर्यादा की मूरत थे। मर्यादाओं का पालन करते। एक सौजन्यता की मूरत सरदार हुकमसिंह जी में देखने को मिलती थी। उनके गुणों के बारे में, कार्यकलाप के बारे में, उनकी कार्य विधि के बारे में विशेष कहने की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, काफी कहा जा चुका है। मैं जानता हूं, ऐसे देशभक्त थे कि देशभक्ति में कहा जा सकता है वह किसी से कम नहीं थे। जहां तक सदन की परम्पराओं को निभाने का, सदन की मर्यादाओं को निभाने का, सदस्यों को प्रोत्साहित करने का सवाल था वह हमेशा तत्पर रहते थे। राजस्थान के अन्दर उन्होंने गरिमा के साथ, सादगी के साथ अपना कार्यकाल निभाया। यह सब प्रशंसा करने योग्य है।

मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ कामना करता हूं कि उनके परिवार को परमात्मा शक्ति दे।

60

(श्री राजबहादुर)

अमीनुद्दीन नवाब साहब से मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क था। व्यक्तिगत मित्र था। वे मंत्री थे उस समय मैं भी मिनिस्टर बना था इसलिये मुझे भी सम्पर्क में आने का अवसर मिला। मुझे एक गुण विशेष रूप से उनका लगता था, जो जानकारी है वह सब बात थी लेकिन जब वह समय आया जो पीरियड चेंज का था, आजादी का प्रवाह हो रहा था, गुलामी जा रही थीं तब देशी रजवाड़े, देशी रियासतें बहुत सारी थी, जहां तक मुझे जानकारी है कोई उनके इलाके में जरूर होती थी ज्यादती लेकिन उन्होंने एक्सेशन के बारे में कोई आपत्ति उठायी हो, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। यह एक व्यक्ति का तकाजा है।

लच्छूराम जी, जो कल यहां बैठते थे पास में, आज यहां पर नहीं हैं। बहुत अधूरापन लगता है। ऐसा लगता है कि वह स्थान रिक्त हो गया है। वे सादगी और सौजन्यता की मूर्ति थे।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंहजी से मेरा परिचय था। मैं अधिक तो नहीं कह सकता लेकिन इतना ही कह सकता हूं वे एक बहुत ही जेन्टलमैन, बहुत ही भले मानस थे, बहुत ही अच्छे कार्यकर्त्ता थे, लोकप्रिय थे अपनी जनता में, अपने क्षेत्र में।

श्री मानसिंह महार, श्री अवनि कुमार मुकर्जी, श्री राजेश्वर सिंह, जय चन्द्र मोहिल श्री बालचन्द्र डागा से मेरा निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ किन्तु श्री रिखबचन्द धारीवाल से सम्पर्क में आने का सौभाग्य मिला। अब तो मैं इतना ही कह सकता हूं उन्होंने बड़ा योगदान दिया हमारी नयी आजादी की बुनियाद रखने में, इस राजस्थान को बनाने में।

मैं उन सब महानुभावों, जो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गवासी हो गये हैं, की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सबै को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को साहस दे।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदार हुकुमसिंह जी, जिनके बारे में सबको जानकारी है, इस सदन में विपक्ष के नेता काफी समय तक रहे। इसके बाद लोक सभा के स्पीकर भी बने और राजस्थान के गवर्नर भी बने। उनका कैरियर माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जब वैल्यूज बन रही थीं, जब नई लोक सभा में नयी परम्पराओं का निर्माण हो रहा था उन परम्पराओं के निर्माण में उनकी तरफ से उन्होंने जो योगदान दिया है वह सब को विदित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अमीनुद्दीन साहब से मेरा व्यक्तिगत परिचय तो नहीं था किन्तु उनका कैरियर भी काफी अच्छा था। वे राजस्थान के पी.डब्ल्यू.डी. के मंत्री रहे हैं, पांच साल तक मंत्री रहे हैं। जहां कहीं सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट और राज्य के बीच में कोई सम्पर्क करने की आवश्यकता पड़ती थी, मैं समझता हूं, अमीनुद्दीन अहमद साहब को एम्बेसेडर के रूप में सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता था, जो उनकी ऐबिलिटी का एक परिचायक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के गवर्नर रहे। 1977 के बाद कई गवर्नर के नाम ऐसे आये हैं जो विवादास्पद हुए हैं। किन्तु जितने रेजिम्स चेंज हुए 76-77 में, 80 में, वे भी हिमाचल प्रदेश पंजाब में गवर्नर रहे लेकिन गवर्नर के हिसाब से, गवर्नर के नाम से उनके नाम पर कोई तरह का विवाद कभी खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने जो अपनी ड्यूटी थी वह पूरी की।

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, लच्छूराम जी के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। एक तो हमारा निकट का परिचय था। पिछले दो तीन साल से इस हाउस के मैम्बर रहे हैं, हमारे पास बैठते थे। सर्व प्रथम शेखावाटी में किसान आन्दोलन हुआ था उस समय से लगाकर आखिर तक किसानों के बारे उनका जो परिचय था, उनकी जो जानकारी थी, उनकी समस्याओं के बारे में जो जानकारी थी उसकी वह अभिव्यक्ति करते थे, किन्तु जो भी कुछ अभिव्यक्ति करते थे उसमें कोई राजनैतिक रंग नहीं लाते थे। बहुत सरलता से, निर्मलता से वे अपनी अभिव्यक्ति करते थे। कभी भी उन्होंने ऐसे शब्द नहीं कहे जो केवल प्रेस को प्रभावित करने के लिये कहे गये हों। जो कुछ भी उन्होंने कहा अपने दिल से कहते थे। ऐसे निष्कपट व्यक्तित्व, मैं समझता हूं, राजनीति में में बहुत कम मिलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजेन्द्रपालसिंह, मानसिंह महार, अवनि कुमार मुकर्जी, रिखबचन्द धारीवाल, राजेश्वरसिंह, जयचन्द्र मोहिल और बालचन्द डागा से मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था परन्तु सदन के माननीय नेता महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है उस में मैं अपनी पार्टी की श्रद्धांजलि सम्मिलित करना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं उनके परिवार के लिये प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको शक्ति दें और जो क्षति हुई उसको सहन करने की हिम्मत दें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन के भूतपूर्व सदस्यों राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल, एक इसी विधान सभा के बारे में और मेरे दल के एक सदस्य को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरदार हुकुमसिंह के और नवाब साहब के जीवन-चरित्र बारे में और इन व्यक्तियों के जीवन चरित्र के बारे में सदन के नेता, माननीय विपक्ष के नेता, बाबू जी और राव साहब ने अपने विचार व्यक्त किये। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यक्तिगत परिचय लच्छूराम जी और महाराज करौली से था।

लच्छूराम जी के बारे में बोलते समय मैं तो यही महसूस करता हूं कि मेरा तो कोई बुजुर्ग उठ गया। मैंने इस विधान सभा में रहते हुए महसूस किया कि ऐसे भले आदमी बहुत ही कम जन्म लेते हैं। बहुत ही भले और सज्जन आदमी थे। कहीं कोई कटुता की बात करते नहीं थे। क्रोध उनको आता नहीं था। आज उन की मृत्यु से व्यक्तिशः मेरी, मेरे दल की, इस सदन की, राज्य की और विशेषतया इस राज्य के किसानों और गांव के वर्ग की क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, महाराज करौली से पिछले कई सालों से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा। पिछले साल उनके छोटे भाई और कई व्यक्ति एक एक्सीडेंट में मारे गये जिस कारण दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह भी मेरे लिए व्यक्तिगत हानि का विषय है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, श्री मानसिंह महार, श्री अवनि कुमार मुकर्जी, श्री रिखबचन्द धारीवाल, श्री राजेश्वर सिंह, श्री जयचन्द मोहिल, और श्री बालचन्द डागा इन सभी व्यक्तियों को मेरी ओर से व मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और साथ ही इन लोगों को और अन्य लोगों को उनके जाने से, हमारे बीच से

(श्री यदुनाथ सिंह)

उठ जाने से जो हानि हुई है, उस हानि को, दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही कामना करता हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आज सत्र के प्रारम्भ में हम यहां के भूतपूर्व राज्यपाल, आठ भूतपूर्व सदस्य, जिनमें से एक डिप्टी मिनिस्टर रहे और एक ऐसे माननीय सदस्य, जो इस विधान सभा के सदस्य थे, को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इतनी लम्बी लिस्ट कभी पहले श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये नहीं आई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता, विपक्ष के माननीय नेता और अन्य नेताओं ने जिन माननीय महानुभावों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की उसमें भी अपने आपको शरीक करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सरदार हुकुम सिंह के बारे में यहां चर्चा की गई। उनके जीवन के बारे में भारत की जनता जानती है। भारत की लोक सभा के अध्यक्ष रहे। मैं जिस समय पढ़ता था तो एक बार आपका उदयपुर में पधारना हुआ। मैं किसी कारणवश उनसे मिलने चला गया तो जिस प्रकार से उन्होंने हमारा मैमोरण्डम लिया, विश्वास दिलाया उससे ऐसा लगा कि यह व्यक्ति कोई देवता मालूम पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि हम ऐसी महान हस्तियों को श्रद्धांजलि देते हैं लेकिन मैं तो यही मानता हूं कि ऐसे महान और आदर्श उपस्थित करने वाले महानुभावों को श्रद्धांजलि देना तभी उचित होगा जब कि हम उनके महान आदर्शों पर चलें और अपने देश और समाज को आगे लायें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे अमीनुद्दीन अहमद, जो इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं, से मेरी जानकारी नहीं रही लेकिन चूंकि वे इस सदन के माननीय सदस्य थे और जैसा कि उनके जीवन के बारे में माननीय विपक्ष के नेता, सदन के नेतागण और अन्य नेतागण ने बयान दिया, मैं उनको भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वर्तमान सदस्य माननीय लच्छूराम जी का अचानक निधन हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जब वे दूसरी विधान सभा में आये थे तब कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनका सादा जीवन था, किसानों और गरीबों के प्रति उनकी प्रगाढ़ भावना थी और उनमें काम करने की अद्भुत क्षमता थी। वह बड़े मेहनती थे। जब कभी किसानों की बात आती तो किसानों का पक्ष इस तरह से रखते थे कि उसमें कोई कटुता, पक्षपात और कपट नहीं होता था। वह सीधी तरह से किसानों की सहज भावनायें और सही तकलीफ सदन के सामने पेश करते थे। ऐसा किसानों का नेता हमारे बीच से उठ गया। इससे केवल हमें ही नहीं बल्कि सारे किसान जगत को भारी हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से माननीय बृजेन्द्रपाल सिंह, मानसिंह महार, अवनि कुमार मुकर्जी, रिखबचन्द धारीवाल, राजेश्वर सिंह, जयचन्द्र मोहिल, और बालचन्द डागा, इन सभी माननीय महानुभावों के निधन पर मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इतने थोड़े समय में हमारे सदन के

(श्री त्रिलोक सिंह)

9-10 सदस्य चले गये । इसका मुझे बहुत खेद है। उनकी मृत्यु पर मैं मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से सम्वेदना जाहिर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के सभी नेताओं ने सरदार हुकुम सिंह, अमीनुद्दीन अहमद, लच्छूराम, बृजेन्द्रपाल सिंह, मानसिंह महार, अवनि कुमार मुकर्जी, रिखबचन्द धारीवाल, राजेश्वर सिंह जयचन्द्र मोहिल और बालचन्द डागा को जो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है उसमें मैं अपने आप को भी सम्मिलित करता हूं।

यह अत्यंत दुख की बात है कि पिछले पांच महीनों में इस सभा के, राज्य के भूतपूर्व सदस्य और एक वर्तमान सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे। साथ ही साथ स्वर्गीय सरदार हुकुम सिंह, जो हमारे राज्यपाल थे, भी हमारे बीच में नहीं रहे।

सरदार हुकुम सिंह की जीवनी को मैंने पढ़ा है। जो हिस्सा अभी पाकिस्तान में है वहां पर साधारण परिवार में वह जन्मे थे। उसके बाद सहकारिता विभाग में असिस्टेंट इंस्पेक्टर हुए। ग्रामीणों से उनका किस तरह का निकट का संबंध था वह उन्होंने अपने जीवनी में बताया है। मेहनत से और लगने से कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, यह उनका जीवन बताता है

साधारण पद पर नौकरी की। उसके पश्चात् इस देश के उच्चतम पदों पर वे आसीन रहे। लोक सभा के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद बाद लोक सभा के अध्यक्ष रहे। फिर राज्यपाल बने। अपने जीवनमें कई तरह के पदों पर वे रहे। लेकिन उन्होंने जो अपनी बुनियाद थी उसको कभी नहीं तोड़ा। जो इस देश का जन साधारण है उसके निकट वह हमेशा रहे। उनके जीवन के जो कुछ भी अनुभव थे, उन अनुभवों का लाभ उन्होंने जिस पद पर भी वे रहे, उस पद के द्वारा जनता को दिया। उनके स्वर्गवास के आठ-दस दिन पहले ही मेरा उन से दिल्ली में मिलना हुआ था। उन्होंने बड़े प्रेम से राजस्थान के बारे में पूछा था और काफी समय तक साथ बैठे। इस तरह के व्यक्ति का इस समय में चला जाना हमारे देश के लिए और हम सब के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है।

नवाब साहब लुहारु मेरे पड़ोसी मित्र थे। वे इस सभा के सदस्य रहे और राजस्थान के मंत्री रहे। तत्पश्चात् हिमाचल प्रदेश के और पंजाब के राज्यपाल रहे। यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि नवाब साहब मिली-जुली जो हमारे देश की संस्कृति है, उसके प्रतीक थे। क्योंकि वे मेरे पड़ोसी थे। इसलिये यदा-कदा मैं उनसे मिल लिया करता था। पिछली दफा जब उनसे मेरी मुलाकात हुई उस वक्त वे अपने दोस्तों, जो जो उनके करीब के लोग थे, से जानकारी ले रहे थे, हिमाचल प्रदेश में जो देवी का मन्दिर निर्मित हो रहा है उसमें क्या-क्या प्रगति हुई है, वे वहां जाने का भी प्रोग्राम बना रहे थे। वे अत्यन्त ही सरल स्वभाव के थे। जो कोई भी उनके पास जाता था वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। जिस किसी पद पर उन्होंने काम किया उसको खूबी से करने की उन्होंने कोशिश की। जिन संस्थाओं में जिस पद पर वे रहे वहां पर उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी।

वर्तमान विधान सभा के सदस्य लच्छूराम जी से आप और हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। बहुत ही युवा अवस्था, जब वे 25 वर्ष के थे, में 1957 में इस विधान सभा में चुनकर आये थे। आप और हम उनके स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हैं। बड़े ही सरल स्वभाव के थे।

(64)

अध्यक्ष

एक ग्रामीण के जो गुण होते हैं, वह उनमें थे । इस सभा के माध्यम से जो गरीब ग्रौर पिछड़ा तबका हमारे देश का है उसकी पैरवी करने की कोशिश उन्होंने की । सब से बड़ी विशेषता यह थी कि वे बहुत ही उच्च-कोटि के इन्सान थे ग्रौर बड़ी मिठास से बात किया करते थे । पिछले दो साल से वे एक रोग से पीड़ित थे परन्तु उस रोग से उन्होंने मुक्ति पा ली थी । दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जो रोग उनको कभी नहीं था उस रोग ने उसकी जिन्दगी ले ली, वह भी अकस्मात -जब वह बात कर रहे थे, बात करते करते ही वे लुढ़क गये । ऐसे सज्जन व्यक्ति का, गरीबों के हितैषी का हमारे बीच से उठ जाना हम सब के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

इसी तरह से इस सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मानसिंह जी महार का भी निधन इन पिछले पांच महीनों में हुआ ।जितने भी बुजुर्ग राजनीतिज्ञ हैं, अपने नौजवानों से एक पीढ़ी पहले के जो राजनीतिज्ञ हैं, वे श्री मानसिंह जी महार से अच्छी तरह से परिचित हैं । उनकी खूबी थी, गहन से गहन ग्रौर कटु से कटु विषय जो इस सभा के सामने आते हैं उस पर सहृदयता ग्रौर मजाक के साथ अपनी बात कह देना ग्रौर कहने में नहीं चूकना ग्रौर फिर भी आपस में कटुता पैदा न होना । यह उनकी खूबी थी । मेरे लिये दुर्भाग्य की बात यह रही कि जब मैं चुन कर आया महार साहब चुन कर नहीं आये । जब जब वे चुनकर आये मैं चुन कर नहीं आया । इसलिये उनके भाषण मैंने गैलेरी में बैठ कर सुने । लेकिन जब कभी भी वे बोलते थे तब इस सदन में छाये रहते थे । उनके भाषण से सभी प्रभावित होते थे । जैसा कि मैंने निवेदन किया , गहन से गहन विषय हो, कैसा भी मुश्किल विषय हो, उसको आसान करके सदन के समक्ष रख देते थे ग्रौर सदन के वातावरण को भी अच्छा बनाये रखते थे । यह उनमें खूबी थी । उनकी कोई उम्र भी ज्यादा नहीं थी, ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच में से उठ जाना , बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है ।

इसी तरह से श्री बृजेन्द्रपाल सिंह जी करौली से चुन कर आते थे । चार दफा चुन कर इस सभा में आये । वे बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल स्वभाव ग्रौर मितभाषी व्यक्ति थे । अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती थीं उनमें वे रात-दिन लगे रहते थे । जनता की कठिनाई दूर हो, उनके क्षेत्र की तरक्की हो, इसी में वे सदा व्यस्त रहते थे । यह समस्या है , इसको कैसे दूर किया जाये, इसमें व लगे रहते थे ज्यादा उनकी उम्र भी नहीं थी । ऐसे सज्जन व्यक्ति का हमारे बीच से उठ जाना हम सब के लिये बड़े दुख की बात है ।

इसी तरह से श्री अवनि कुमार मुकर्जी 1952 की प्रथम विधान सभा में चुनकर आये थे । 1952 से 1957 तक जो प्रथम विधान सभा थी उसमें बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे । प्रगतिशील कानून बने थे । उन्होंने जब कभी अवसर मिला उसमें यथाशक्ति योग-दान दिया अपने ग्रनुभवों का, अपने गहन अध्ययन का लाभ भी इस सभा को दिया ।

श्री धारीवाल साहब पीपल्दा क्षेत्र से 1957 में चुन करके आये थे । वर्तमान विधान सभा के कई माननीय सदस्यों को उनके साथ इस सभा में कार्य करने का मौका मिला था । वे उप मंत्री हुए पहले ग्रौर उसके बाद में राजस्थान के उद्योग मंत्री बने । राजस्थान के ग्रौद्योगीकरण की शुरूआत 1957 में हुई थी । उस वक्त में उद्योग मंत्री रह करके जिस

(श्री अध्यक्ष)

तरह के उद्योग की आधारशिला रखी उस पर वर्तमान हमारे उद्योगों की इमारत बनी है। इस तरह के अनुभवी व्यक्ति का हमारे बीच में से चले जाना हमारे लिये दुख की बात है। हाड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस के जो शुरू के कार्यकर्ता थे उनमें से श्री धारीवाल जी भी एक थे। वे आखिर तक अत्यन्त सक्रिय रहे। वे अच्छे वकील थे। अच्छे राजनीतिज्ञ थे और अच्छे प्रशासक थे। यह उनकी खूबी थी।

इसी तरह श्री जयचन्द मोहिल चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से चुनकर आये थे। उन्होंने भी अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए जीवन-पर्यन्त कार्य किया। प्रथम विधान सभा में जो कुछ भी बड़े-बड़े कार्य हुए हैं, उनमें उनका सक्रिय योगदान रहा है।

इसी प्रकार श्री राजेश्वर सिंह जी चौमू क्षेत्र से चुनकर आये थे। वे बहुत ही अल्पकाल इस विधान सभा के सदस्य रहे थे। लेकिन वे एक बहुत ही भले इन्सान थे। वे हमारे बीच से थोड़ी उम्र में ही उठ गये, यह हम सबके लिए दुःख की बात है।

श्री बालचन्द जी डागा किशनगढ़ क्षेत्र से चुन कर आये थे। वह एक राजनैतिक कार्यकर्ता थे और अन्त तक बड़े सक्रिय रहे थे। उनके निधन से कुछ दिन पूर्व मैं उनसे अजमेर में मिला था। उस समय वह एक नयी पार्टी गठित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन ईश्वर को ऐसा मन्जूर नहीं था। उनका भी आकस्मिक निधन हम सब के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है।

मैं उनके प्रति सभी महानुभावों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके परिवारजन को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, बारह गुवाड़, बीकानेर के जीर्ण-शीर्ण भवन के गिरने से दिनांक 1-9-1983 को एक छात्रा की मृत्यु व 24 अन्य के घायल होने के विषय में,

(2) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के चारों ओर की नहर में जल कुम्भी भर जाने के कारण पानी का निकास बन्द होने से शहर के कई हिस्सों में पानी भर जाने के विषय में,

(3) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बगड़िया बाल निकेतन लक्ष्मणगढ़, सीकर, जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था है, से कर्मचारियों व अध्यापकों को सेवा से हटा देने से उत्पन्न आन्दोलन के विषय में,

(4) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में कई सड़कों पर वर्षा के बाद मिट्टी के ढेर लगने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(5) सर्व श्री भंवरलाल शर्मा, रामकिशोर मीणा व नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के 3 पुलिस अधिकारियों द्वारा तफतीश के लिए जाने पर नेपाल सरकार द्वारा उन अधिकारियों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करने के विषय में,

(6) श्री चन्द्रवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 1 अक्टूबर 1982 से सभी जिलों में निजी बसों के लिए विशेष सड़क कर लगाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(7) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में घाट की गुणी के पास से कुछ गांवों के पुलिस के आतंक और भय के कारण खाली हो जाने के विषय में,

(8) सर्व श्री हंसराज शर्मा, छीतरमल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 सितम्बर, 1983 को महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में भर्ती एक महिला रोगी के साथ दो डाक्टरों व एक तकनीशियन द्वारा कथित बलात्कार करने की घटना के विषय में,

(9) सर्वश्री दाऊदयाल जोशी, रघुवीर सिंह कौशल व हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 3-9-1983 को बूंदी नगर में बैंक में राशि जमा कराने जा रहे एक कैशियर व चपरासी पर हमला कर चपरासी की हत्या होने के विषय में,

(10) सर्वश्री मेघराज तावड़ व त्रिलोक सिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से जे.के. सिंथेटिक्स, कोटा व अन्य मिलों के बन्द होने व कृष्णा मिल, ब्यावर के गत 2 सितम्बर, 1983 से बन्द होने के विषय में,

(11) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 अगस्त से श्री मोहनलाल सुखाड़िया, विश्व-विद्यालय, उदयपुर का नाम सुखाड़िया कृषि विश्व विद्यालय कर देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(12) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के मुख्य मंत्री तथा कुछ अधिकारियों की साजिश से दिल्ली के राजस्थान हाउस के सम्पर्क अधिकारी, श्री बालूजा व जोधपुर हाउस के मैनेजर, श्री माथुर की पिटाई की घटना के विषय में,

(13) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 अगस्त की रात्रि को भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिटाई करने से एक श्रमिक की मृत्यु व वहां उत्पन्न तनाव के विषय में,

(14) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ के कुछ छात्रों के विरुद्ध मुख्य मंत्री पर आघात करने के झूठे आरोप लगाकर उन्हें बन्द कर देने के विषय में,

(15) श्री कमलेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सोमकामला अम्बा परियोजना पर एक ठेकेदार पटेल का भुगतान रोक देने के कारण उसके द्वारा भूख हड़ताल करने के विषय में,

(16) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका, हिण्डौन

(श्री अध्यक्ष)

के कार्य में राज्य सरकार तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अनुचित हस्तक्षेप करने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है। भयंकर स्थिति है और राज्य सरकार ...

श्री अध्यक्ष : आपका तो जल कुम्भी का है तो एक दिन में तो होगा नहीं महीना भर में...

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : जल कुम्भी का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, मैं जानकारी ले लूंगा। अगर किसी माननीय सदस्य को ...तो अलग से ... आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : कुछ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है...

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव आदि पर शीघ्र निर्णय

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर। अभी पिछले दिनों मंत्री मण्डल के भूतपूर्व कई माननीय सदस्यों ने अपने इस्तीफे प्रस्तुत किये थे और एक माननीय सदस्य ने...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, उनका क्या हुआ? सदन कितने दिन चलेगा यह तो आपको मालूम है। आपने सरकार से जानकारी की है। जानकारी आनी चाहिये। क्योंकि अभी तक सब की धारणा यह है कि विधान सभा ज्यादा चलने वाली नहीं है इसलिए एडजोर्नमेन्ट मोशन दें या नहीं दें। सरकार के पास जानकारी के लिए भेजे जायेंगे, जो आनी नहीं है। उन पर किसी पर चर्चा नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स के अनुसार एडजोर्नमेंट मोशन की माननीय सदस्य आठ घंटे पहले सूचना देते हैं तो यह अपेक्षा की जाती है कि उस स्थगन प्रस्ताव पर सरकार जानकारी कर ले और इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, आपको प्रस्तुत कर देगी। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, आप यह निर्णय करें कि यह प्रस्ताव लिये जाने योग्य है या नहीं। आप रिजेक्ट करें, इससे इन्कार नहीं है। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि एडजोर्नमेंट मोशन की व्यवस्था अब तक जो रही है, काफी लम्बा समय होता था, विधान सभा काफी समय तक चलने के कारण वह उपयुक्त हो सकती थी लेकिन थोड़े समय के लिये चलने वाले सत्र के अन्दर भी अगर जानकारी के लिये भेजे जाने की बात चालू रही तो एडजोर्नमेंट मोशन नहीं आयेंगे। एडजोर्नमेंट मोशन के संबंध में तत्काल निर्णय लिये जायें उनको रिजेक्ट चाहे कर दें अगर उपयुक्त नहीं लगें, उस पर चर्चा भी नहीं हो लेकिन एक दो प्रश्न, जो कि जन महत्व के विषय हैं, पर एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में चर्चा की जाय।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसे आपको निश्चित तौर पर लेना होगा उसी के आधार पर माननीय सदस्य को अवसर मिलना चाहिए कि वह सदन के सामने अपने विचार रखें।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज होगी। अगर सत्र छोटा होगा तो जैसी परिस्थिति होगी उसको देखते हुए पहले जिस स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी आने में 5-6 दिन तक लग जाते थे, उन विषयों, जो कि महत्वपूर्ण होंगे, को तत्काल लेने की कोशिश करेंगे। आज आया है तो कल तक लेने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज ही।

श्री अध्यक्ष : आपने आज ही सुझाव दिया है कल से व्यवस्था होगी। जो प्रस्ताव सरकार को भेजा जायेगा ऐसे कोई कारण नहीं है कि उसका उत्तर नहीं आ सकता है। डिले होगी तो तत्काल मंगवायेंगे। अभी नहीं कहा जा सकता कि सत्र छोटा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप भी जानते हैं कि सत्र छोटा है।

श्री राजबहादुर : अखबारों में आ गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 11 से पहले-पहले एडजोर्न करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर सत्र छोटा होता है तो उसके मायने यह नहीं है कि जो विषय आया है उसका सरकार यह सोच कर उत्तर नहीं देगी कि दो दिन बाद तो उत्तर देने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा, इसको लिया जायेगा आज नहीं तो कल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज वालों के लिये भी व्यवस्था फर्मा दें।

श्री अध्यक्ष : अभी आज तो शुरूआत हुयी है, आशंका व्यक्त की है। लेकिन कल से इस संबंध में बैठकर विचार कर लेंगे कि कौनसा महत्वपूर्ण है? उसको आज ही ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो एडजोर्नमेंट मोशन मांगे जाते हैं वह सुबह 9.00 बजे तक मांगे जाते हैं, माननीय सदस्य उस समय तक दे सकते हैं इसलिये उसकी प्रतिलिपि अगर हमको जल्दी से जल्दी भी मिलेगी तो 10-11 बजे से पहले नहीं मिल पायेगी। तो उसी दिन तथ्यों का इन्वेस्टीगेशन कर, उनको एकत्र कर स्टेटमेंट देना सम्भव नहीं होगा।

श्री राजबहादुर : सारी विधान सभाओं में और संसद में यही होता है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री परसराम मदेरणा : पार्लियामेंट में नहीं हुआ। पिछले 35 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने आज ही इसकी व्यवस्था करने की बात की तो यह बात मैंने अस्वीकार नहीं की। आज अगर आ गया है तो कल तक उत्तर दे सकते हैं। यही व्यवस्था करनी है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि निलम्बित मंत्री का वक्तव्य

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

(श्री नाथूसिंह)

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री मण्डल के तीन सदस्यों ने त्याग पत्र दिया था। एक माननीय सदस्य को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बर्खास्त करने की राज्यपाल महोदय को सिफारीश की थी जो उन्होंने स्वीकार की और उस मंत्री महोदय को बर्खास्त किया गया। तो, अध्यक्ष महोदय, जहां तक नियमों की बात है माननीय मंत्री मण्डल के उन सदस्यों को त्याग पत्र देने के कारण सदन की जानकारी में लाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसे नियम कौनसे हैं कि कारण बताने चाहिये।

श्री नाथूसिंह : नियम 133 है।

श्री अध्यक्ष : 'अगर वह चाहे तो' यह है।

श्री नाथूसिंह : मैं बता रहा हूं। आप सुन लें।

एक माननीय सदस्य को बर्खास्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री मण्डल के किसी माननीय सदस्य को बर्खास्त किया जाता है तो परिस्थिति सामान्य नहीं होती। विशेष परिस्थिति में ही बर्खास्त करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि ऐसे कौनसे विशेष कारण या परिस्थितियां रहीं जिनके कारण से मंत्री मण्डल के एक सदस्य जो कि प्रारम्भ से ही मंत्री रहे हैं इस सरकार में और जो कि मुख्य मंत्री पद के दावेदार थे, वे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको मुख्य मंत्री जी ने बर्खास्त किया...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आपकी बात सुन ली है। ऑर्डर, ऑर्डर : जब कोई सदन के समक्ष कार्यवाही चल रही हो और उसमें प्रक्रिया के नियमों का अथवा संविधान का उल्लघंन हो रहा हो तो उस अवस्था में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, मंत्री महोदय ने क्या कारण दिये और मुख्य मंत्री ने क्या कारण दिये, उनको सदन में इस तरह से नहीं उठाया जा सकता है। नियमों के अन्तर्गत यह नहीं आता है।

श्री नाथूसिंह : आप मेरी पूरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : भाषण देना चाहते हैं, यह सम्भव नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप आर्टिकल 102 संविधान का देखें। मैं उस पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में तो कोई विचारणीय विषय ही नहीं है, मैं अगला विषय लेना चाहता था।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है वह तो त्याग पत्र देने वाले के ऊपर है, अगर वह स्वयं चाहेगा तो देने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें, पूरी बात।

श्री परसराम मदेरणा : Why do you want to insist ?

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ नगर) : जो पाइन्ट ऑफ आर्डर माननीय नाथूसिंह जी

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

ने उठाया है 133 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जो स्वयं निकल जाते हैं या जिन्होंने त्याग पत्र दिया है वे ही बयान दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : हां। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब से चार मंत्रियों को निकाल दिया गया है अखबारों में तरह तरह की खबरें फैली हुयी है, तरह तरह की शंकायें उत्पन्न हुई हैं। उन शंकाओं का निराकरण करने के लिये आवश्यक है कि कोई भी चाहे एक ही मंत्री आगे आकर बयान दे तो जन मानस में जो शंकायें हैं उनका निराकरण होगा। यह प्रकरण साधारण नहीं है। साधारण इसलिये नहीं है अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को निकाले जाने के बाद जो इस प्रकार का व्यवहार सरकार ने उनके साथ किया है....

श्री अध्यक्ष : अलग अलग प्रस्ताव आ चुके हैं। इसको अन्य तरीके से उठायें। यह पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है

श्री कमलेन्द्र सिंह : मंत्री महोदय के कमरे का ताला तोड़कर ...

श्री अध्यक्ष : मंत्री बनने में कई जोखिम हैं जिसको आप नहीं समझ सकते हैं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इस विषय पर कोई वक्तव्य आ जाये।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सुन लिया है। अब यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह उनकी डिसक्वालिफिकेशन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : भाटी जी स्टेटमेंट देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

श्री विष्णुप्रकाश बाजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 195 के तहत...

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, हम प्रजातंत्र में चुनकर आते हैं। अगर किसी माननीय सदस्य से कोई मंत्री नाराज हो जाये तो वह क्या हमारा सामान उठाकर फेंक सकता है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। समय नहीं लें, माननीय सदस्य।

आर्डर, आर्डर। विपक्ष के नेता कुछ चाहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): वक्तव्य दें कि उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों किया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, जो पहले मंत्री थे, यह सही है कि हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वह यहां वक्तव्य दें...

श्री अध्यक्ष : आपके समय में ऐसा हुआ कि नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे समय में देख लें, ऐसी बात नहीं है। आप भी निकले हैं एक बार। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको रिवर्स किया जाकर करें और वह वक्तव्य दें, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एक माननीय सदस्य, जो पहले मंत्री थे, को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डिसमिस किया गया और डिसमिसल या त्याग पत्र देने के बाद में मुख्य मंत्री जी की ओर से जिन माननीय सदस्यों ने त्याग पत्र दिये उन पर आरोप हैं और मुख्य मंत्री जी पर प्रत्यारोप लगाये गये। यहां वक्तव्य दें, यह उनकी मर्जी की बात है। मुख्य मंत्री जी से और जिन माननीय सदस्यों ने त्याग पत्र दिये उनसे एक जानकारी करना चाहूंगा कि क्या जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, वह सही हैं? अगर सही हैं तो सदन के अन्दर कॉग्नीजेंस लें, कॉग्नीजेंस इस रूप में लें, आरोप ऐसे नहीं हैं जो साइड ट्रैक किया जाय, आरोप ऐसे भी नहीं हैं, जिनके उपर चर्चा नहीं की जाय। आरोप यह भी लगे हैं, इस प्रकार के आरोप लगे हैं कि जिन आरोपों पर इस सदन में कई बार पहले चर्चा हुई है, सदन के कई माननीय सदस्यों ने सत्तापक्ष पर इस प्रकार के आरोप लगाये हैं। मुख्य मंत्री जी ने उन आरोप की ताईद की है। मैं तो केवल एक जानकारी करना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य, जिनको मुख्य मंत्री जी ने आरोपित किया ने उन आरोपों के कारण से त्यागपत्र दिये और उन्होंने जो मुख्य मंत्री जी पर आरोप लगाये, क्या वे आरोप सही हैं? सही होने की स्थिति में क्या सरकार की ओर से उन आरोपों का खण्डन-मण्डन किसी प्रकार से किये जाने की स्थिति में सरकार नहीं है?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अन्दरूनी मामलात हैं।

श्री अध्यक्ष : जहां तक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, उसको तो मैंने निरस्त कर दिया। आपने कुछ सुझाव दिये हैं कि ऐसा होना चाहिए था। विचारणीय विषय है और विषय किसी माध्यम से हमारे यहां आते हैं, उस हिसाब से सदन चल रहा है। आप कोशिश करें कि किसी हिसाब से प्रश्न आये।

श्री राजबहादुर : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : कोई विचारणीय विषय नहीं है, माननीय सदस्य, सदन के सामने। जिस विषय को मैं हाथ में लूं, उसमें अगर कोई एतराज हो या उसमें प्रक्रिया के नियम का या संविधान का हनन हो रहा हो, तब पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया जाय।

श्री राजबहादुर : आर्टिकल 164 संविधान का है, उसमें क्लीयर प्रोविजन है। आप देखें तो सही।

श्री अध्यक्ष : वह कानून की व्याख्या है, हमारे समक्ष कोई विचारणीय विषय नहीं है।

श्री राजबहादुर : यह कानून की व्याख्या नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न है, आज राजस्थान…

श्री अध्यक्ष : उपचार करेंगे। कृपया समय न लें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। विधेयकों का विवरण।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

(72)

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(क) राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक:–

1. राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982

2. सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

3. मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

(ख) राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक:–

1. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन, (संशोधन) विधेयक, 1983

2. राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983

3. राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983

4. राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक 1983

5. राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी अधिनियम का परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखेंगे।

अधिनियम का परिशोधित पाठ

श्री अहमदबक्श सिंधी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, 1970 की धारा 3(2) के अन्तर्गत राजस्थान आवश्यक सेवा बनाये रखने अधिनियम, 1970 का परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परिशोधित पाठ क्या होता है ?

श्री अहमदबक्श सिंधी : अमेण्डेड। यह इम्तिहान लेने की जगह नहीं है।

इस अधिनियम का परिशोधित पाठ गत सत्र में सदन की मेज पर रखा गया था परन्तु राजस्थान राज भाषा अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत व्यक्त कालावधि पूरी न हो सकने के कारण इस प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश। मुख्य मंत्री जी।

अध्यादेश

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश-संख्या 6 सन् 1983) सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री तथा उप मंत्री द्वारा सदन पटल पर पत्रादि की प्रस्तुति

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर.

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वे इतनी बड़ी हस्ती नहीं हैं कि जिनके नाम के ऊपर सदन में बिजनेस अंकित है और वह सदन में मूव नहीं करें और डिप्टी मिनिस्टर सारी स्टेट मिनिस्टर को कहें। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि उनको रखने का अधिकार नहीं है, किन्तु सदन की व्यवस्थायें भी कुछ हैं। मुख्य मंत्री जी के नाम पर बिजनेस है और और मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं...

श्री अध्यक्ष : ऐसा पूर्व में भी हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कहीं नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी उपस्थित हों और...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अनुमति ले ली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात की ले ली? किस से ले ली? मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि पार्लियामेंट के मेम्बर रहे हैं. पार्लियामेंट में अभी भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस व्यवस्था में मंत्री की उपस्थिति में दूसरे मंत्री कोई सदन की कार्यवाही में इस प्रकार बिल, विधेयक, आर्डिनेन्स प्रस्तुत करें एबसेंस में भी परमिशन लेने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट में भी प्रोसीजर है, इव सदन में भी व्यवस्था रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कौनसी स्थिति रही है. मुख्य मंत्री जी खड़े होकर इसको पेश कर देते सदन की गरिमा बढ़ जाती।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय कोई सदन का अपमान करना नहीं है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि माननीय कल्ला जी विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। आप जैसा कहते हैं कि ऐसी कोई परम्परा नहीं रही तो कई बार यहां पर मेरी मौजूदगी में भी.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यहां बहुत कम बैठे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : बिल पारित किये हैं, सवालों का जवाब दिया है, यह तो परम्परा रही है.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परम्परा गलत है तो उसको सही करिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसी परम्परा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं, ऐसी परम्परा रही है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। मंत्री के नाम पर बिजनेस अंकित है और उसकी उपस्थिति में दूसरा रखे, मुझे तो एक उदारहरण बता दीजिये। मान लीजिये परम्परा रही है, तो परम्परा गलत है.

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो इसको कोई गलत परम्परा नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो गलत परम्पराओं के आदि हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि कल्ला जी के नाम पर रख देते तो उनको भी अधिकार है। जब आपने मुख्य मंत्री जी के नाम पर रखा, उसके बाद में कल्ला जी क्यों आ गये? मुख्य मंत्री जी अनुपस्थित हो तो बात समझ में आती है। जिस मंत्री के नाम से अंकित है, वह हाउस में प्रस्तुत करें। किसी कारण से अनुपस्थित हो तो वह अनुमति लें। यदि मुख्य मंत्री जी यहां हों और ऐसा करते हैं तो यह गलत है।

(74)

श्री प्रद्युम्न सिंह: कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अन्दर स्टेट इवन डिप्टी मिनिस्टर भी रखते हैं। आप सुनिये तो सही बात को।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आडर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप गलत परम्परा डाल रहे हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठ जाय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जायं।

ऐसा है कि पूर्व में भी जब वरिष्ठ मंत्री उपस्थित हैं अथवा मुख्य मंत्री उपस्थित हों और कोई बिजनेस उनके नाम के है, तो प्रश्नों के उत्तर देने हों या परिचय पत्र आदि प्रस्तुत करने हो, तो वह भी कार्य करते जैसी विपक्ष के नेता महोदय ने बात कही है, जब नाम मुख्य मंत्री जी का पुकारा जाय और सारा सदन मुख्य मंत्री जी को सुनने के लिये उत्सुक हो उस वक्त उनसे कनिष्ठ मंत्री खड़े हो जायं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। इसलिये यथा संभव कोशिश यह होनी चाहिये कि मुख्य मंत्री जी या वरिष्ठ मंत्री जी के नाम बिजनेस हो उस समय वे उपस्थित नहीं है तब तो उनके कनिष्ठ मंत्री उस बिजनेस को प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन आमतौर से यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि जब वरिष्ठ मंत्री या मुख्य मंत्री जी के नाम कोई बिजनेस है उस समय वे सदन में उपस्थित हैं तो उनको बिजनेस प्रस्तुत करने की ज्यादा कठिनाई होने का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बारे में भी फिर यही प्रश्न उपस्थित होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): अध्यक्ष महोदय, दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कल्ला जी को मुख्य मंत्री जी समझ लेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : श्री राजस्व मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश एवं प्रक्रिया के नियम 63 (2) के अन्तर्गत उनको जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:–

(1). राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1983) एवं

(2) राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1983).

श्री अध्यक्ष : श्री राजस्व मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1983) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उपनिवेशन मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश एवं उसके जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं :–

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1983)

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद राज्य मंत्री जी।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश एवं प्रक्रिया के नियम 63 (2) के अन्तर्गत उसको जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:–

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 2 सन 1983)

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाओं का सदन की मेज पर रखा जाना।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश को जारी करने के कारण का विवरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं पाइन्ट ऑफ आर्डर। श्री देवपुरा जी ने एक अध्यादेश के सम्बन्ध में अध्यादेश प्रस्तुत करने के कारण प्रस्तुत नहीं किये। अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश संख्या 4 को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : कौन से अध्यादेश का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री हीरालाल देवपुरा, राजस्व मंत्री राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1983) सदन की मेज पर रखें।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह भी कारण दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यादेश को जारी करने के कारण आपने सदन में प्रस्तुत नहीं किये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : उस स्थिति में जब बिल सदन के समक्ष विचाराधीन हो और आर्डिनेन्स निकला हो उस स्थिति में जब पारित होने आयेगा विधेयक उस वक्त कारण प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी भी स्थिति में अध्यादेश प्रस्तुत किया जाय उसके कारणों का विवरण सदन में देना पड़ेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : नियम 63 (1) भी देख लीजिये, "जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूपभेद सहित या उसके बिना सदन में पुरःस्थापित किया जाये तो सदन के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जायेगा, जिसके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही कारण तो प्रस्तुत होने चाहिये थे। आप ही तो नियम बताते हो और आप ही फंस जाते हो। यह तो आपने ही पढ़कर सुना दिया और समस्या का समाधान कर दिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : बिना कारण भी अध्यादेश लेकर आते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 1 और 2- "(1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance."

"(2) Whenever an Ordinance which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House is promulgated, a statement explaining the circumstances which had necessitated inmdeiate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance."

इसमें नम्बर वन में तो यह करना होता है कि बिल के साथ रखे जाते हैं और नम्बर 2 यह है कि statement shall be laid on the Table on the commencement of the session.

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो बिल हाउस में पेन्डिंग है उसके सम्बन्ध में तो कमेन्समेन्ट ऑफ दी हाउस के वक्त हाउस में रखा जायेगा। 4 नम्बर का जो आर्डिनेन्स है वह टिनेन्सी एक्ट से सम्बन्धित है और टिनेन्सी एक्ट से सम्बन्धित कोई भी बिल सदन में पेन्डिंग नहीं है। कोई आर्डिनेन्स सदन की मेज पर रखा जाता है तो उसके कारण सदन की पटल पर रखे जायं यह भी आवश्यक नहीं है। रूल 64 के अन्तर्गत रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं...

श्री भैरोंसिह शेखावत : पेश नहीं करेंगे यह कह दो।

श्री परसराम मदेरणा : पेश तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। इस संबंध में मेरी व्यवस्था कुछ समय बाद बता दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, कोई भी अध्यादेश जारी होता है तो उसका मतलब यह होता है कि इस बात की आवश्यकता अविलम्ब हो गई है। उस समय कारण भी बताये जाते हैं लेकिन इस समय कारण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अध्यादेश की उतनी आवश्यकता उस समय नहीं थी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था मैं बाद में दूंगा। मैंने यह निवेदन कर दिया। अधिसूचना को सदन की मेज पर रखी जायेगी।

अधिसूचना सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ आर्डर। सर। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जो अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी जा रही हैं उसमें अधिसूचना संख्या पहली 13 अप्रेल, 1982 की है और दूसरी अधिसूचना 1983 की है। 13 अप्रेल, 1982 के बाद

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

विधान सभा का एक वार सत्र हो चुका है। आपके माध्यम से राज्य सरकार को कई वार निवेदन कर चुके हैं इस बात के लिये...

श्री अध्यक्ष : उसके बाद तो आदत में सुधार हुआ है। जो 5-5, 6-6 साल का समय लगता था उसमें अब यदि 5-6 महीने का कभी विलम्ब हो जाता है तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यथासंभव इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कोई सूचना निकले तो तत्समय ही सत्र में प्रस्तुत की जाय।

सदन के पटल पर रखे गये पत्र
अधिसूचनाएं

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह ग्रुप (5) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :-

(क) राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिसूचना, 1970 की धारा (2) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन ;

(1) अधिसूचना संख्या पं. 1/6 (3) गृह 5/1/82; दिनांक 13 अप्रेल, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अन्तर्गत परीक्षाओं से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 1 6 (3) गृह-5/82, दिनांक 13 अप्रेल, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर तथा निदेशक, कालेज शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने पर प्रतिषेध किया गया है।

(ख) राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन;

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 1/7 (2) गृह-5/82, दिनांक 26 मार्च, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान सिनेमा (विनियमन) नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं,

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (7) (2) गृह-5/82 दिनांक 26 मार्च, 1983 जिसके द्वारा एक लाख एवं उससे अधिक जन संख्या वाले नगरों कस्बों में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी होने के नाते एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्दनमल वैद, उपनिवेशन मंत्रीजी,

श्री चन्दनमल वैद (उपनिवेशन मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (25) रेव/कोल/82, दिनांक 21 मार्च, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा तथा राजस्थान नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र की मण्डियों में भूमि का विक्रय तथा आवंटन (शर्तें, 1973 में संशोधन किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 3 (2) राज/उप/83, दिनांक 9 मई, 1983 जिसके

(78)

(श्री चन्दनमल बैद)

द्वारा श्री बी.एल. मेघवाल, सहायक जिलाधीश (द्वितीय) टौंक को अपने प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिलाधीश के सभी कृत्यों की पालना एवं सभी शक्तियों के प्रयोग हेतु नियुक्त किया गया है,

(3) अधिसूचना संख्या प. 4(2)राज/उप/82, दिनांक 9 मई, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के अधीन भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को एक महीने से कम कर 15 दिन किया गया है/

(4) अधिसूचना संख्या प. 4(7) राज/उप/83, दिनांक 24 मई, 1983 जिसके द्वारा श्री आनन्द कुमार शर्मा, उप जिला विकास अधिकारी, टौंक को अपने प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्रों के संबंध में जिलाधीश के सभी कृत्यों की पालना एवं सभी शक्तियों के प्रयोग हेतु नियुक्त किया गया है,

(5) अधिसूचना संख्या प. 4(1) राज/उप/83, पार्ट दिनांक 9 जून, 1983 जिसके द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश (सी.ए.डी.) चम्बल, कोटा को अपने प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर चम्बल परियोजना वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिलाधीश के सभी कृत्यों की पालना एवं सभी शक्तियों के प्रयोग हेतु नियुक्त किया गया है,

(6) अधिसूचना संख्या प. 3 (183) राज/उप/81, दिनांक 25 मई, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान नहर उपनिवेशन के द्वितीय चरण में सामान्य आवंटन योग्य उपलब्ध राजकीय भूमि में से 12500 बीघा भूमि (500 मुरब्बे) सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व सेवा निवृत्त उन सदस्यों के लिये जो राजस्थान के निवासी हैं, आवंटन हेतु आरक्षित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा, परिवहन राज्य मंत्रीजी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाडी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प. 5 (19) गृह-7/83, दिनांक 1 अप्रेल, 1983 जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुबंधित बस कर मुक्त की गयी है,

(2) अधिसूचना संख्या प.5 (11) गृह-7/83, दिनांक 7 अप्रेल, 1983 जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुबंधित बस कर मुक्त की गयी है,

(3) अधिसूचना संख्या प.5 (12) गृह-7/83, दिनांक 11 अप्रेल, 1983 जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिये अनुबंधित बस कर मुक्त की गयी है,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(4) अधिसूचना संख्या प.5 (14). गृह-7/83, दिनांक 12 अप्रेल, 1983 जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिये अनुबंधित बस कर मुक्त की गयी है,

(5) अधिसूचना संख्या प.5 (21) गृह-7/77, दिनांक निल जिसके द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के हवाई अड्डों की सीमा में हवाई जहाजों में पैट्रोल दिये जाने के काम में लिये जाने वाले दो वाहन कर मुक्त किये गये हैं,

(6) अधिसूचना संख्या प. 5 (16) गृह-7/78, दिनांक 12 अगस्त, 1983 जिसके द्वारा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को लाने ले जाने वाली बस कर मुक्त की गयी है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे आदि सदन की मेज पर रखे जायेंगे। मुख्य मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्यमंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन एवं लेखे आदि सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण; 1981-82,

(2) कम्पनीज, अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 18 वां वार्षिक-प्रतिवेदन 1981-82 एवं 1-10-1981 से 30-9-82 तक की अवधि के लेखों के परीक्षित विवरण,

(3) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 39 (7) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1981-82 के अंकेक्षण प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 (3) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1982-83 का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे मय सम्पति एवं दायित्व के विवरण।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्रीजी।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत दी गंगानगर शूगर मिल्स लिमिटेड के वर्ष 1979-80 एवं 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज मर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री परिवहन): अध्यक्ष महादय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 1978-79 के लेखाओं की संपरीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्यटन राज्य मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (राज्य मंत्री पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) की उपधारा 3 (बी) के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास

(80)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

निगम लिमिटेड के वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 के वार्षिक लेखे एवं प्रगति प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

वापस लिया गया विधेयक राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। वापस लिये जाने वाले विधेयक। श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेता हूं।

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां, फर्मायें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी विधेयक वापस लिया जाता है तब सदन को उसके कारण भी बताये जाते हैं। बिना कारण जाने हम कह रहे हैं कि वापस लिया जाय या नहीं लिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने आर्डिनेन्स की प्रति सदन की मेज पर रखी है। यह विधेयक पहले सदन में पेश किया गया उसके बाद में आर्डिनेन्स जारी किया गया। उसको रिप्लेस करने के लिए बिल मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, यह तो प्रक्रिया के अनुसार रखे जाते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिनेश डांगी ।

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेता हूं।

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक 1983 को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किय जाने वाले विधेयक । श्री चन्दनमल बैद ।

पुरः स्थापित विधेयक

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने के लिए की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा.

82

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई !

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1983) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं!

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह वही अध्यादेश है जिसके कारणों को सदन की मेज पर रखने के लिए कह रहे थे।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की अनुमति, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1983 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा। प्रभारी मंत्री।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (विना टिकिट यात्रा निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकिट यात्रा निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1983 पुर : स्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकिट यात्रा निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा संशोधन विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : दिनेश डांगी।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला : (राज्य मंत्री पंचायत): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक की प्रतियां वितरित होने में विलम्ब

श्री भंवरलाल शर्मा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में दो विधेयक पारित होने के लिये, जा रहे हैं। इन बिलों की प्रतियां माननीय सदस्यों को आज सुबह नौ बजे ही मिली है। हम उन बिलों पर कुछ भी विचार नहीं कर सके हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपको रात को ही मिली होगी।

84

श्री यदुनाथ सिंह : रात को नहीं मिली, आज सुबह मिली है नौ बजे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मिली है इस कारण हम इन बिलों का अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सके हैं। माननीय सदस्य अगर कुछ अपने संशोधन देना चाहें तो उन्हें पूरा समय नहीं मिला है। चूंकि यह बहुत ही गहन विषय है, हम बहुत बड़ा कानून पास करने जा रहे हैं जिस पर माननीय सदस्यों को अपने पूरे विचार रखने का समय नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में इस बिल को पारित करना उचित नहीं रहेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन बिल को आज नहीं लिया जाकर किसी अन्य दिन ले लिया जाये तो उचित रहेगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ...

एक माननीय सदस्य : बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है कि इन बिलों को आज विचारार्थ नहीं लिया जायं क्योंकि इसकी सूचना माननीय सदस्यों को कल रात को या आज सुबह मिली है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल रात को नहीं, साहब, आज सुबह मिली है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह मामला कोई बहुत बड़ा नहीं है। यह तो मियाद बढ़ाने के लिये है छोटा सा है, इसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। ऐसा तो हमेशा से ही होता आया है।

(व्यवधान)

इसमें सिर्फ 31 दिसम्बर तक मियाद बढ़ाने का है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय विधि मंत्री जी को ज्ञात होना चाहिये कि इसके लिये क्या नियम है। आप बताइये कि नियमों के अनुसार आपको कितने घंटे पहले इसको माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट करना चाहिये। आप पहले विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में जो प्रावधान है उसका अध्ययन करिये, उसके बाद में बताइये कि कितने घंटे पहले माननीय सदस्यों के पास बिल की कापी आ जानी चाहिये और कितने घंटे पहले संशोधन दिये जा सकते हैं। आप पहले इसका जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय सदस्या ने जो बात कही उसके लिये तो मेरा यही निवेदन है कि इसमें तो वक्फ के लिये मियाद बढ़ाने की बात है। उन कैसेज में जिसमें कि मियाद खत्म होने जाने रही थी उसको बढ़ाने की बात है। यह तो एक सुविधा के लिये थी। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य, आप काफी अक्लमन्द और समझदार हैं इसलिये इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं है। जब तक हम इस बिल को पढ़े नहीं तब तक क्या अमेन्डमेंन्ट दे सकते हैं।

श्री ग्रहमद बक्श सिंधी : यह तो ऑलरेडी पैन्डिंग बिल था। अध्यक्ष महोदय, यहां पर पिछले सत्र में इन्ट्रोड्यूस हो चुका था। पिछले सत्र से ही चला आ रहा है पैन्डिग।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी विधि मंत्री जी ने जो एक माननीय सदस्य ने पॉइन्ट ग्रॉफ आर्डर उठाया था उसके लिये राय दी है उससे यह तो अच्छी तरह पता चल सकता है कि विधि मंत्री जी नियमों से कितने परिचित हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप यह कहना चाहेंगे कि यह बिल रात को ही सर्क्यूलेट कर दिये गये थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विधि मंत्री जी सब नियम जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मंत्री इतने ही विद्वान होते तो फिर विधि मंत्री ही थोड़े ही बनते फिर तो यह शायद मुख्य मंत्री जी होते ।

(व्यवधान)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों को इस बिल की कापी रात को 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे मिली होगी या किन्हीं माननीय सदस्यों को आज सुबह सर्क्यूलेट हुई होगी। तो अगर कोई माननीय सदस्य अपना कोई संशोधन देना चाहे या सलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजा जाये या इस बिल को पब्लिक ग्रोपिनियन के लिये सर्क्यूलेट किया जाय, इसके लिये अगर अपना संशोधन देना चाहें तो हम यह तो मान कर नहीं चल सकते हैं कि चूंकि इस बिल की कापी माननीय सदस्यों को कल रात ही सर्क्यूलेट की गयी है इसलिये आप उन माननीय सदस्यों के संशोधनों को लेट भी स्वीकार कर लेंगे। ऐसा मैं समझता हूं कि नियमों में प्रावधान नहीं है। वह बात अलग है। अध्यक्ष महोदय, आप अगर कृपा करें तो उन संशोधनों को विचारार्थ लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह तो हमने प्रारम्भिक सूचना में ही आपको सूचित कर दिया था कि निम्नांकित विधेयक इस सत्र में विचारार्थ लिये जा सकते हैं। क्योंकि यह तो पहले ही उल्लिखत कर दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो लिस्ट दी है वह तो बहुत ही लम्बी लिस्ट है विधेयकों की।

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले सत्र में इन्ट्रोड्यूस कर दिये गये थे

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह तो बहुत ही लम्बी लिस्ट है। उसके अनुसार तो 15 दिन से भी ज्यादा समय लग सकता है। तो इस लिस्ट से माननीय सदस्यों को धोखा हो सकता है जितने पैन्डिग बिल्स की लिस्ट आपने दी है उसमें से आप किन-किन बिल को पास करेंगे। सभी पारित करेंगे यह तो हम मान कर नहीं चल सकते हैं। तो जितने बिलों की लिस्ट सर्क्यूलेट की गयी

(श्री भरोंसिंह शेखावत)

है उन सभी विधेयकों को पारित करने की न तो मैं समझता हूं कि आपकी राय होगी न ही मैं समझता हूं कि सरकार की मर्जी भी उन्हें पास करने की होगी। जिन बिलों की जानकारी माननीय सदस्यों को कल रात या आज सुबह मिली हैं उस पर वह विचार भी नहीं कर सके होंगे, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन बिलों को विचारार्थ नहीं लिया जाय। हो सकता है कि आपने शायद यह सोचा हो कि अगर मौके पर कोई माननीय सदस्य संशोधन देना चाहेगें तो उस वक्त स्वीकार कर लिये जायेंगे तो यह आपकी कृपा पर ही निर्भर है। इसलिय मेरा निवेदन है कि आज इन बिलों को विचारार्थ न लिया जाकर इनके स्थान पर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट है उस पर विचार कर लिया जाय और आज हम जब बी.ए.सी. की मीटिंग में जायेंगे तब तय कर लेंगें कि इन बिलों को किस तारीख को लिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार...

श्री अध्यक्ष : इसमें खाली तो है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 64 में यह है कि जिन बिल्स को पहले सत्र में इन्ट्रोड्यूज कर दिया है उन्हें ले सकते हैं क्योंकि जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वह गजट में पब्लिश हो जाता है और उसकी एक कापी माननीय सदस्य को भी इंट्रोड्यूस करने के वक्त दी जाती है। चूंकि यह पिछले सत्र में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं तो माननीय सदस्यों ने इसकी स्टडी कर ली होगी। चूंकि इनके लिये यह कहा जा चुका है कि इनको अगले सत्र में लिया जा सकता है, तो माननीय सदस्यों को इसके लिये एतराज नहीं होना चाहिये। यह बिल आलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। पिछले चार-पांच महीनों में माननीय सदस्य, जो कि काफी समझदार हैं ने अपने दिमाग में यह तय कर लिया होगा कि कौन से बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये संशोधन देना है और कौन से विधेयक को पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्यूलेट करने के लिये संशोधन देना है। इस संबंध में तो हमारे माननीय सदस्यों को जानकारी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, निर्णय देने से पूर्व मेरा निवेदन है कि विधानसभा सचिवालय से हमको एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि इन विधेयकों पर विचार होगा और इस क्रम में होगा। मेरे पास अगर वह होता तो क्रम एक दो में जो दिये गये हैं वह यह नहीं है. वह दूसरे ही क्रम मे है तो अगर विचारार्थ लिये जायेंगे तो उस क्रम में लिये जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह भी मंगा लें तो आपको ध्यान में आ जायेगा। इसलिए जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, वह रिपोर्ट ले ली जाय. इसको कल तक स्थगित कर दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का संविधान यह प्रिज्यूम करके चलता है कि हम विधिवेत्ता हैं, लेजिस्लेट करने के लिए हम लेजिस्लेटर्स हैं। जो कानून है उसका हम अध्ययन करते हैं या लेजिस्लेशन का अमेंडमेंट पास करते हैं। ये पुराने बिल्स थे इसलिए माननीय सदस्यों ने इनकी स्टडी कर ली होगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, सिंचाई मंत्री जी ने जो आपत्ति की है कि क्योंकि यह बिल पूर्व में सर्क्यूलेटेड था और लिस्ट में यह हवाला दे दिया था कि इस पर विचार किया जायेगा तो फिर आप कानून बतायें, कल लेना है या आज लेना है जिस दिन लिया जाय उससे पूर्व में इतने घन्टे पहले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।... नहीं तो आप पढ़ कर बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिये कि हम जिस समय भी अमेंडमेंट देना चाहें आप मन्जूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं छूट दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन में कोई भी मोशन मूव किया जाएगा उस मोशन के लिए टाइम निर्धारित है, 24 घंटे पहले, दो दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : 48 आवर्स।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 48 घंटे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि अमेंडमेंट यदि सर्क्यूलेट नहीं होता है तो कोई भी माननीय सदस्य आपत्ति उठा सकता है कि यह अमेंडमेंट सर्क्यूलेट नहीं हुआ। इसलिए व्यवस्था की है कि 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाए। अमेंडमेंट दिया जाए वह अमेंडमेंट सर्क्यूलेट होगा और उसके बाद में कन्सीडरेशन स्टेज आ जायेगी। नहीं तो अमेंडमेंट का हमको मौका नहीं मिला इसलिये रूल्स में रिलेक्सेशन कर देंगे। इस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि यदि इस बिल को इस समय विचारार्थ लिया गया तो बिल पर डिस्कशन करने के नियमों के अन्तर्गत जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों पर कुठाराघात होगा और डिबेट में सही प्रकार से भाग लेने से वंचित हो जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : दो दिन के नोटिस का नियमों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं सदन का ध्यान रूल 66 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:–

"66. **Motions after introduction of Bills:–** When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:–

मोशन मूव कर सकता है "(ए)" that it be taken into consideration; or

(b) that it be referred to a Select Committee of the House; or

(c). that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon.

Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion

(श्री परसराम मदेरणा)

being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

अभी दो दिन का प्रश्न नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, 6 महीने पहले..

श्री अध्यक्ष : इस बारे में रूल 71 पढ़िए। इस बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल 71 की माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं कि आप रूल 266 पढ़िए उसमें लिखा है:

"Notice of an amendment to a motion shall be given one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker allows the amendment to be moved, without such notice."

श्री अध्यक्ष : 71 डाइरेक्टली क्लाजेज पर अमेंडमेंट का है, यह स्पष्ट है 71।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लेजिस्लेशन किस प्रकार होगा इसके साथ व्यवस्था की गई थी कि इतना पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये नए रूल्स बने हैं तो नए रूल्स में सब प्रकार के मोशन्स का संकलन करके उसके लिये व्यवस्था की गई है कि अमेंडमेंट का नोटिस इतना समय पहले देना पड़ेगा। इसके लिए रूल 266 है, उसमें है :

"266. **Notice of amendments**.–Notice of an amendment to a motion shall be given one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker allows the amendment to be moved without such notice."

अब आप देखेंगे कि 71 डायरेक्ट मोशन्स के लिए नहीं है। "If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill......"

यह तो क्वेश्चन है यदि क्लाज में अमेंडमेंट का है, इस पर्टीक्यूलर बिल में किसी पर्टीक्यूलर क्लाज के संबध में यदि आपको अमेंडमेंट देना हो तो रूल 71 लागू होगा। यह क्लाज का नहीं है। इस बिल को विचारार्थ करने की स्टेज पर यदि कोई अमेंडमेंट देना होगा तो उसका 24 घंटे पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसको आप वेव कर सकते हैं।

श्री राजबहादुर : And such objection shall prevail.

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): मैं निवेदन करना चाहता था कि वर्षाकालीन सत्र में आम तौर पर सिर्फ बिल्स दे देते हैं। पहले भी इस तरह से बिल्स आए हैं, उसी दिन रिलेक्सेशन देकर, अमेंडमेंट दिये गये हैं और पहले भी पास हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें कठिनाई यह है कि हमारी तरफ से जो सूचना दी गई है माननीय सदस्यों को वह जल्दी से जल्दी रात को 9 बजे दी गई कई माननीय सदस्य, कह रहे हैं कि आज प्रातः काल ही उनको पहुंची। हमारे नियमों के अनुसार किसी खण्ड के बारे में अथवा विधेयक के बारे में किसी तरह का कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो तो 24 घंट पहले आना चाहिए ताकि वह सदन के सभी माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट कर दिया जाए। तो इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए क्या करें ? अगर सब की सहमति हो · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहमति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उस स्थिति में तो कोई भी संशोधन किसी समय भी दिया जा सकता है लेकिन अब इसमें कठिनाई यह आ रही है कि क्योंकि माननीय सदस्य, जिसने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, को मंत्री महोदय मानने को तैयार हो तो भी अन्य माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यह कानून तो पूरी जनता के लिए बना रहे हैं, इसलिये हम भी इसके हकदार हैं, हम भी इसमें अपना पक्ष रखेंगे कि स्वीकार करने योग्य है या नहीं। इस दृष्टि से आज की कार्यसूची देखें तो 24 घंटे के प्रावधान को पूरा नहीं कर सकते ।

ऐसा कोई विषय हो जिसमें दोनों पक्षों की सहमति होती तो उस संशोधन के बारे में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि उसको अपन किसी समय भी स्वीकार कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 71 के अन्तर्गत है :

"unless the speaker allows the amendment to be moved."

शिड्यूल में या क्लाज में अमेंडमेंट मूव करना चाहे तो वह अमेंडमेंट उन्होंने 24 घंटे पहले आपके सचिवालय को नहीं दिया यह आब्जेक्शन कर सकते हैं और आप उस आब्जेक्शन को ओवर रूल भी कर सकते हैं और क्योंकि रूल 71(2) है

"The Secretary shall if time permits, make available to members from time to time lists of amendments of which notices have been received."

मैम्बर्स एक्सपैक्ट करते हैं किसी माननीय सदस्य ने कोई भी अमेंडमेंट बिल पर प्रस्तुत किया है तो उसकी प्रतिलिपि उन्हें मिलनी चाहिए ताकि वह डिबेट में हिस्सा ले सकें। लेकिन आपको यह अख्तयारात हैं, आपको डिस्क्रिशन है.. · ·

श्री अध्यक्ष : हम अपने अधिकारों का प्रयोग माननीय सदस्यों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर करते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले आपने फर्माया, कोई प्रस्ताव आया उसका तत्काल जवाब दें तो आपने कहा तत्काल नहीं। तो मैंने कहा, संशोधन में कम से कम 24 घंटे का समय तो लगेगा। मेरी व्यावहारिक कठिनाइयों को आप समझें। अधिकार है किसी संशोधन को किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है लेकिन यदि प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो..

श्री खेतसिंह राठौड़ : सहमति किस पाइंट पर चाहते ?

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : मैं इस सम्बन्ध में दो रूल्स बताना चाहता हूं। एक तो 66 है जिसमें आप मोशन मूव करने के लिए अनुमति ले सकते हैं। इन्होंने कहा है कि कापी सर्क्यूलेट नहीं हुई...

श्री अध्यक्ष : If certain members may take objection to it.

श्री शिवचरण माथुर : मेरा मतलब यह है कि दोनों विधेयकों की कापी बहुत पहले सर्क्यूलेट हो चुकी है। आपको अधिकार इस सूरत में है, जब कापी सर्क्यूलेट न हो तब भी आप दे सकते हैं। दूसरी बात नियम 71 में आपको अधिकार है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि दोनों विधेयक इनोकुअस हैं। कोई बहुत बड़ी बात इनके अन्दर नहीं है। एक में तो लागू करने की बात है और दूसरे में नये जिले के बारे में हैं जिला बनाने के बारे में कुछ प्रावधान करना है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है और इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने उन बातों का जवाब दिया है जो उठाई ही नहीं गई। यह प्रश्न किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं उठाया कि हमको विधेयक की प्रतियां नहीं मिली। यह प्रश्न यदि उठाया है तो माननीय परसराम जी ने उठाया है, जो हर मामले को कन्फ्यूज करने में माहिर है। प्रश्न यह था कि विधेयक आज विचारार्थ लिया जाए या नहीं इसकी सूचना हमको रात को मिली या सुबह मिली, नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि हमको 24 घण्टे पहले मिलनी चाहिए। जो नहीं मिली। 24 घण्टे निश्चित मिलने चाहिए ताकि सदस्य उसमें किसी प्रकार का संशोधन दे सकें। अमेंडमेंट सब प्रकार से हो सकता है, क्लाज में भी हो सकता है। संशोधन देने के सम्बन्ध में यदि आपने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी तो मानकर चलिये कि रात को आकर सरकार आपको कहेगी कि वह इस बिल को विचारार्थ लेना चाहते हैं। सरकार पर मैं आरोप लगाता हूं कि सरकार को पता ही नहीं है कि कौनसे विधेयक के बारे में मुख्य मंत्री जी सूचना देना चाहते हैं। पांच दिन से सूचना देते हैं कि 5 तारीख को विधान सभा की बैठक हो रही है उसमें अमुक विधेयक प्राथमिकता के आधार पर लिये जायेंगे, तो आपको कौनसी आपत्ति है। आप अपनी गलती को विधान सभा पर थोपना चाहते हैं, आपने विधान सभा के कार्यालय को सूचना नहीं दी, इस गलती के लिए आप उल्टा क्षमा मांगे वह तो उचित है लेकिन अपनी गलती को, अध्यक्ष महोदय, अनुमोदन कराना चाहते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको नहीं मानें और हमारे अधिकारों की रक्षा करें। हम संशोधन सही समय पर दे सकें, इस प्रकार की व्यवस्था दें।

श्री परसराम मदेरणा: दे दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्डिनेंस के ऊपर तो आपकी केबिनेट ने कल शाम को दस्तखत किये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है नियमों में छूट देने का लेकिन उसके पीछे भावना यही रहती है कि आप जब रिलेक्सेशन दें तो माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा हो, पर यह तो कुठाराघात हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी बात कह दी, अपनी कठिनाई बता दी। दूसरे बिल पर भी क्या यही बात है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जी हां ।

(व्यवस्था)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एस.सी. वाले पर क्या हमने 24 घण्टे का नोटिस दिया है ?

श्री शिवचरण माथुर : आप मालूम करें कि आपको सचिवालय में सूचना कब आई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विधान सभा में 29 अगस्त को भेज दी थी। आप कहते हैं कि क्षमा मांगों तो हम मांग लेते हैं। हमारे विभाग की तरफ से सूचना 29 अगस्त को भेज दी गई थी। यहां पर सर्क्यूलेट होने में देरी हो गई, इसके लिए भी क्षमा मांग लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले दिन की परिस्थिति यह रहती है कि कार्य सलाहकार समिति की मध्याह्न पश्चात् मीटिंग होती है आमतौर से उसके पहले हमको तय करना पड़ता है। 24 घण्टे से पहले अगले दिन की जो कार्य सूची है उसको भेज नहीं सके। इसलिए यह परिस्थिति पैदा हुई है। मैं समझता हूं कि एस.सी. कमिश्नर की रिपोर्ट है, खासतौर से इसको लें, उसके बाद में, इसको देख लेंगे। यह सम्भव नहीं होगा क्योंकि हमने कोई नोटिस ही नहीं दिया है। सब माननीय सदस्यों की यह राय होती है कि यह कर दिया जाए तो हम कर सकते थे, एक आध माननीय सदस्य को भी एतराज होता तो भी हम कर देते, लेकिन फंडामेंटली एतराज है, इसलिए हम नहीं कर सकते ।

श्री मेघराज तावड़ : पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। प्रश्न यह है कि ब्यावर मिल बन्द पड़ी है उसमें हजारों लोग बाहर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उनको बुलायें ।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है। कृपया बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : उनको तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मिल बन्द पड़ी हुई है। माथुर साहब की सरकार मिल पर ताला लगा रही है और मजदूरों के गले काट रही है। मुख्य मंत्री जी इस बात का जवाब दें उनसे बात करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, सचिवालय पर आरोप लगाया है उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा। मुझे यह पूछना है कि सरकार ने 29 तारीख को यह सूचना भेजी है कि अमुक को बिल 5 तारीख को विचारार्थ लिये जायगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है या नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यही कहा है। इन्होंने आरोप लगाया है विधान सभा सचिवालय पर, यह गलत है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े व्यंग्य में बोले हैं और लगता है कि गलती आपकी है और क्षमा यह मांग रहे हैं। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपने कोई सूचना नहीं भेजी। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। भेजी है तो आप बताइये कौनसी तारीख को सूचना भेजी कि अमुक विधेयक 5 तारीख को विचारार्थ लिये जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह रहे हैं ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कह देंगे, वह यहीं बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह विवाद का विषय नहीं है। 5 तारीख को हमने तय किया है, हमको पहले दिन की कार्य सूची बनानी होती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह व्यवस्था नहीं है। आपको नहीं बनानी पड़ती। सरकार कहती है कि अमुक प्रकार के बिल लिये आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह इन्होंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप, अध्यक्ष महोदय, यह समझते हैं कि सरकार अगर कहे कि यह बिल नहीं प्रस्तुत करना है तो आप कर देंगे ? यह आप के अधिकार की बात नहीं है। सरकार आपको सुझाव देगी कि अमुक बिल हम लाना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो बता दें कि 29 विधेयकों में से आप किसे लेंगे। सरकार सूचना देती है कि अमुक प्रकार का विधेयक हम लाना चाहते हैं। क्या सरकार ने सूचना दी है कि हम 29 विधेयक लाना चाहते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है ?

श्री अध्यक्ष : वह प्रकरण तो समाप्त हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकारी काम के बारे में जो आप पर आरोप लगाया है मैं उसके बारे में कहना चाहता था।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 295 के अन्तर्गत प्रश्न प्रस्तुत कर्त्ता सदस्य की सदन में अनुपस्थिति

श्री त्रिलोकसिंह : एक सूचना दी गई है...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाय।

श्री त्रिलोक सिंह : सम्बन्धित मंत्रियों को आदेश दें कि ब्यावर और कृष्णा मिल जो बन्द पड़ी हैं, मजदूरों को बुलाकर .....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विधान सभा सदस्य श्री विष्णु प्रकाश बाजारी ने 295 के अन्तर्गत सूचना दी है कि उनको अल्पकाल के लिए ब्यावर और कृष्णा मिल के मजदूरों के बारे में चर्चा के लिए समय दिया जाये।

श्री विष्णु बाजारी।

अनेक माननीय सदस्य : मजदूरों से मिलने गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार। जो माननीय सदस्य बोलना चाहें...

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में हमारा एडजोर्नमेंट मोशन है। कृष्णा मिल के मजदूरों के बारे में हमारा काम रोको प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : इनका है नियम 295 के अन्तर्गत और आपका है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पर मैंने सरकार को सूचना देने को कहा है। कल उस पर हम व्यवस्था देंगे इसलिए कृपया आप धैर्य रखें थोड़ा। कल आपको अवसर दे दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ प्रिविलेज सर। अध्यक्ष महोदय, आपने एक माननीय सदस्य को नियम 295 में परमिशन दी। मैं नियम 295 आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix."

अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दे दी और उनका नाम पुकारा। माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं है, किस का अपमान है यह ?

श्री अध्यक्ष : उनको हम कोई निश्चित समय दे देते और उस समय उपस्थित नहीं होते तो कोई बात होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने नाम पुकार लिया...

श्री अध्यक्ष : मैंने तत्काल ही पुकार लिया। वे शायद इधर उधर कहीं होंगे..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर एक माननीय सदस्य को आपने अनुमति दी कि अमुक प्रश्न के ऊपर वह चर्चा उठा सकते हैं। उस चर्चा के कारण से कई माननीय सदस्य, जो ब्यावर से आते हैं या जो मजदूरों के हितों में अपनी बात कहना चाहते थे, उनका इन्तजार कर रहे हैं और सरकार उनको उठाकर ले गयी। उठाकर ले गयी। इतना ही नहीं उनको उठाकर ले जाने जाने से सरकार ने इस सदन का अपमान किया है। एक मैम्बर नोटिस दे, अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा मत डालिये....

श्री त्रिलोक सिंह: अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से मजदूर आये हैं बाहर मजदूर जुलूस लेकर आये हैं। तीन महीने से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। ताला बंदी कर दी और कांग्रेस (आई) के एम.एल.ए. उनको उठाकर बाहर ले गए..

श्री खेतसिंह राठौड़ : उठाकर कौन ले गया ?

श्री त्रिलोक सिंह : आप उठाकर ले गए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि सदन के माननीय सदस्य को अभी जिस तरह से उठाकर ले गये वह आप सबने देखा ऐसी आप इजाजत मत दीजिए। सदन में मंत्री लोग विधायकों को धमकाते हैं। जो सदन में उनके नाम के ऊपर अंकित बिजनेस है उसको वह पूरा नहीं करने दें, यह सदन की कार्यवाही में एक तरह की बाधा है। अध्यक्ष महोदय, आपने उनको पर्मिशन दी। इसके साथ साथ कोई और माननीय सदस्य भी नियम 295 में पर्मिशन ले सकते थे लेकिन इन्होंने पर्मिशन इसलिए नहीं मांगी कि आपने अमुक विषय के ऊपर एक अमुक सदस्य को पर्मिशन दे दी। इससे उनका अधिकार भी गया और सदन का अपमान भी कर दिया ....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि नियम 295 के अन्दर सदन के अन्दर कोई चर्चा का अधि

(श्री अध्यक्ष)

कार नहीं बनता है कि इसमें सभी माननीय सदस्य हिस्सा ले लें। एक माननीय सदस्य ने चाहा था इस अधिकार का उपयोग करना लेकिन शायद वह कहीं बाहर पधार गये हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उठा ले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : और यदि जैसा आप कहते हैं कि उठाकर ले गये हैं तो उसमें तो विशेषाधिकार हनन आदि कई तरह के प्रश्न ला सकते हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हाउस को तो बचाओ। यह कोई राजस्थान हाउस थोड़े ही है कि आर.ए.सी. के जवान भेजकर ....

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने सरकार पर आरोप लगाया है कि माननीय सदस्य ने यहां नोटिस दिया अल्पकालीन सूचना के आधार पर और जब आपने उनको पुकारा तो सरकार ने उनको गायब कर दिया, यह बिलकुल XX और निराधार आरोप है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनपार्लियामेन्ट्री वर्ड है, वापिस लीजिए । आप यह एक्सपन्ज कीजिए अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज्ड.

श्री शिवचरण माथुर : निराधार आरोप हैं और मैं ऐसी आशा नहीं करता था कि विपक्ष के नेता महोदय, सरकार पर ऐसा आरोप लगायेंगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके सदस्य ही आशा नहीं करते थे।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 295, जिसका उद्धरण अभी विपक्ष के नेता महोदय दे रहे थे, पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"295. **Raising a matter which is not a point of order**.—A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secratary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the speaker has given his consent..."

इसमें उनका कोई दोष नहीं माना जा सकता। उनको मालूम नहीं था कि आप किस समय उनका नाम पुकारेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मैंने समय की सूचना नहीं दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स में व्यवस्था है कि बिजनेस लेने के पहले 295 के ऊपर चर्चा होगी। इसमें भी सूचना देंगे ? मैं समझता हूं कि नियम हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लें।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शिवचरण माथुर : न उनका दोष है, न सदन का अपमान करने की मंशा है और न सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात है कि उनको उठाकर ले जाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल.

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब इस विषय के ऊपर विचार किये जाने के लिए एक नाम पुकारा तो यह सदन की सम्पत्ति हो गयी। इस पर कोई भी विचार और दृष्टिकोण सदन में रख सकते हैं। इसकी अनुमति आपको देनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्या। श्री कैलाश मेघवाल.

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी ब्यावर मिल के बारे में ...

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य सुविधा चाहते थे, वह सुविधा मैंने उनको उपलब्ध करा दी। उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। मैं इसमें असमर्थ हूं। आर्डर प्लीज। उनकी जगह मैं किसी अन्य सदस्य को इजाजत नहीं दे सकता। आर्डर, आर्डर। शांत रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पता लगाया जाये कहीं आर.ए.सी. वाले तो नहीं ले गए।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 28वें प्रतिवेदन पर विचार

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। इस पर गंभीरता से विचार हो और राज्य सरकार इसकी गंभीरता को समझे इसके लिए आज से एक महीने पहले वानकोवर में वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय लिया गया था। उस बैठक में हिन्दुस्तान के एक पादरी ने रिपोर्ट पेश की कि हिन्दुस्तान के 20 करोड़ लोग अमानवीय जीवन बिता रहे हैं, उन 20 करोड़ लोगों को अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है, वह 20 करोड़ लोग कभी भी जहां सवर्ण जाति के लोग पानी भरते हैं वहां पानी नहीं भर सकते वह उनके साथ बैठ कर पढ़ नहीं सकते। इस तरह की एक रिपोर्ट पेश की है और यह रिपोर्ट पेश होने के बाद, अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज के Librate these person ने ऐसा निर्णय लिया है। यह निर्णय मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि सरकार गंभीरता से इस विषय को लें। आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में यहां हम चर्चा करते हैं तो एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी समस्या का हल करने का, सारे प्रश्नों पर विचार करने का; अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो काम किये जा रहे हैं उन कामों को करने का उद्देश्य यदि हम यह मानकर चलते हैं कि उनका आर्थिक विकास

(2:40 म.प.)

(सभापति, श्री माधवसिंह दीवान, पदासीन)

करना है, इनको आर्थिक स्वावलम्बन देना है तो, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गलत बात होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति का एक विशिष्ट स्थान है और उस विशिष्ट स्थान में क्राइसेस ऑफ इकानमी नहीं है। क्राइसेस ऑफ सोशल स्टेटस है और क्राइसेस ऑफ सोशल स्टेटस होने की वजह से शिड्यूल कास्ट्स की जो सूची बनी है

(96)

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसमें उन्हीं जाति को लिया गया है जो कि हिन्दु जाति में अस्पृश्य मानी जाती हैं। ऐसे लोगों की माली हालत, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो लेकिन उन अस्पृश्य लोगों को समाज के दूसरे वर्ग के मुकाबले उनके साथ बैठने का मौका दें। वह सामाजिक विकारों से त्रस्त हैं, जो अस्पृश्यता इस समाज में है उसको समाप्त करना यह विशेष प्रकार की स्थिति है। उचित तो यह होता, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री बैठे हैं 1978-79 के आयुक्त की रिपोर्ट का हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुछ सिफारिश की गई हैं। आज चार साल के बाद उस रिपोर्ट पर जो 1980 में राजस्थान सरकार को मिली और उस चार साल के अन्दर राजस्थान की सरकार ने उस रिपोर्ट की किस सिफारिश को किस ढंग से माना है। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए अगर यह रिपोर्ट हमारे माननीय सदस्यों के सामने होती तो मेरा ऐसा ख्याल है माननीय सभापति महोदय, कि इस रिपोर्ट पर चर्चा अधिक सार्थक होती। मैं चाहूंगा, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री को इस रिपोर्ट पर बहस का जवाब इसलिये देना चाहिये कि इसमें बहस के मुद्दे, इसमें की गयी सिफारिश कि किसी एक विभाग या समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री इसका जवाब दें। इस तरह की हैं। यह क्षमता न उनकी है, न उनके सामर्थ्य में है और न वे उन पर प्रकाश डाल सकेंगे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, जो इस सदन के नेता भी हैं, को निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं, वे केवल समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि समाज कल्याण विभाग से तो कम है दूसरे विभागों, समान्य प्रशासन विभाग और राजस्थान की दूसरी गतिविधियों के बारे में इसमें जो सिफारिशें की गई हैं अगर उन पर प्रभावी ढंग से अमल करना चाहते हैं, राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है, उन का उत्थान करने की मन में यदि कोई भावना है तो मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी इस बहस का जवाब दें। जब बहस का जवाब दें तो मैं यह भी चाहूंगा कि जितनी सिफारिशें की गई हैं, मैं सारी सिफारिशों पर अभी चर्चा करने की स्थिति में नहीं रहूंगा, चार साल से यह रिपोर्ट राजस्थान की सरकार के पास पड़ी है इन चार सालों में राजस्थान की सरकार ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है यह इस सदन को जानकारी मिले। मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, पिछली बार जब इस विषय पर चर्चा चल रही थी, 26 मार्च को आखिरी दिन था उस समय सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी विराज रहे थे, और मैंने एक पाइंट पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। वह यह कि राजस्थान में आरक्षण लागू करने में, पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने के काम में पग-पग पर बाधायें पैदा की जा रही हैं और, माननीय सभापति महोदय, सचिवालय में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्तर के हर अधिकारी के द्वारा, आज मुझे यह कहने में एतराज नहीं कि पदोन्नति और नियुक्तियों के लिए आरक्षण के जो प्रावधान हैं उनको झुठलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, पिछली बार मैंने एक प्रश्न उठाया था, आज किसी भी विभाग को लीजिये, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो कर्मचारी हैं,

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह उन पर कोई दया नहीं करते, कोई आर्थिक आभार नहीं करते। मुख्य उद्देश्य तय हो गया है। केन्द्र में भी यह उद्देश्य-तय हो गया है कि इन लोगों को समान स्तर पर लाने के लिए आरक्षण का यह प्रावधान किया गया है। इन सारे प्रावधानों की व्यवस्थाओं में, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में जितने भी विभाग हैं, 117 या 118, सेवा वर्ग हैं, एक भी सेवा वर्ग या विभाग का रोस्टर का रजिस्टर विधान सभा के पटल पर रखा जाये जो रोस्टर प्रणाली के हिसाब से पूरा हो। आखिर क्या कारण है? किसी को चिन्ता नहीं है। रोस्टर के कौन से विन्दु हैं, किस विन्दु पर किसकी नियुक्ति होनी चाहिये, रोस्टर के विन्दुओं के हिसाब से किसकी पदोन्नति होनी चाहिए, इस बारे में राजस्थान का शासन सचिवालय, राजस्थान की आज की सरकार बिलकुल उदासीन है। माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस होता है जब यहां आकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी आन्दोलन करते हैं, वे अपनी मांगें मनवाने के लिये हड़तालें करते हैं, भूख हड़ताल तक का कदम उठाते हैं लेकिन उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस सदन का हर माननीय सदस्य जानता है क्योंकि हर माननीय सदस्य को अपने अपने क्षेत्र में कर्मचारियों से पाला पड़ता है। साईक्लोस्टाईल करके कर्मचारियों का रिकार्ड भेजते हैं, कि कहीं पर स्वायत्त शासन विभाग में पूरी नहीं हो रही रोस्टर की प्रणाली, तो कहीं पर सेटलमेंट में रोस्टर की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा, तो कहीं सामान्य प्रशासन विभाग में नहीं हो रहा है, कहीं किसी और विभाग में नहीं हो रहा कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग के बारे में इस तरह की शिकायत न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राजस्थान की सरकार इस बारे में व्यवस्था करेगी? इस आयुक्त ने जो सिफारिश की है वह सिफारिश इस आधार पर की है कि यह शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्ज के जो लोग हैं इनको ऊपर आने का मौका मिले, उच्च स्तर पर आने का मौका मिले, सामान्य जाति वालों के साथ उठ-बैठ सकें। मैं सिफारिश नं. 20 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिफारिश नं. 20 इस बात का द्योतक है कि देश के प्रान्तों में सरंक्षण दिया गया है और उस सरंक्षण के आधार पर राजस्थान में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये, 12 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिये सुरक्षित है लेकिन आयुक्त ने यह माना है कि इससे लोगों की द्रुत गति से प्रगति नहीं होगी ये सामान्य स्तर पर सेवा में इनके लोग नहीं आ सकेंगे और इसलिये अपने उस समय के प्रतिशत को जो 78 में था, को दुगना करने की सिफारिश की। सिफारिश नं. 20 को मैं ज्यों का त्यों पढ़ना चाहूंगा।

"(20)—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व को यथोचित समय में वांछित स्तर तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि इस स्कीम को नए सिरे से देखा जायं पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण का सिद्धान्त अपने आप में ठोस है और उच्चतम न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया है। फिर भी, सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को जो लाभ मिलते हैं वे नाम मात्र के ही प्रतीत होते हैं। अतः यह वांछनीय है कि पदों में प्रवेश के सभी स्तरों पर सीधी भर्ती पर अधिक जोर

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिया जाये । सभी भर्तियों तथा विशेषकर उन सेवाओं व संवर्गों की भर्तियों के लिए जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है, उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत 15 प्रतिशत तथा 7.50 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत कर देना आवश्यक है। जब तक इस नीति को नहीं अपनाया जाता तब तक निकट भविष्य में प्रतिनिधित्व के अपेक्षित स्तर तक पहुंचने की आशा नहीं की जा सकती। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की भर्ती में बहुत काफी सुधार हो सकता था यदि चयन समिति ,माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विभागीय पदोन्नति समिति अथवा नियुक्ति प्राधिकारी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को मिलने वाली ढीलों तथा रियायतों से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी आदेशों का सिद्धान्त और व्यवहार में ठीक ठीक पालन किया होता, (ग) तथा (घ) समूह के गैर तकनीकी अथवा अर्द्ध तकनीकी पदों के मामले में यह बात खास तौर से कही जा सकती है।"

माननीय सभापति महोदय, इस सिफारिश के बारे में, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था जो थोड़ा बाकी रह गया था वह आज निवेदन कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, रोस्टर का पालन हो रहा है या नहीं, सीधी नियुक्तियां हो रही हैं ? राजस्थान का मंत्री मण्डल और राजस्थान के अधिकारी पग पग पर इस बात के प्रयत्न कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आत्म निर्भर करने की जो बात है, वे नहीं बढ़ सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं इस प्रकरण को यहीं समाप्त करूंगा। राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये जो प्रतिबद्धता है, मैं चाहूंगा इस बात की घोषणा हो कि इस जाति के लोगों को तरक्की मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी और जो अधिकारी चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी आई.ए.एस. हो, ऊंचे पद के लोग हैं, जानबूझ कर यह कहकर कि गलती हो गई, रोस्टर का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रतिबद्धता के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी और अगर राजस्थान सरकार, राजस्थान के 33 प्रतिशत आबादी के प्रति कुछ अपना कर्त्तव्य समझती है तो ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने की घोषणा करे तभी इसका पालन होगा नहीं तो नहीं होगा। मैं इस स्थिति को यहीं छोड़ता हूं, माननीय सभापति महोदय, और दूसरी अन्य स्थिति में आना चाहूंगा। दूसरी स्थिति क्या है ? इसमें एक सिफारिश है...

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : इसका जवाब आ जायेगा, जवाब क्या आयेगा, हमने जो योजना चालू कर रखी है इस योजना में इतने लोग अनुसूचित जाति के लोग है। यह जो आयुक्त की रिपोर्ट है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की योजनायें इस तरह की व्यवस्थायें नहीं की जानी चाहियें इस तरह की व्यवस्थाओं से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति

(श्री कैलाश मेघवाल)

के लोगों का भला नहीं हो सकता। सिफारिश नं. 2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लक्ष्य यह होना चाहिये बड़ी मधुर भाषा है और बहुत उपयोगी निर्देश किये हैं। लक्ष्य यह होना चाहिये कि बीसवीं शताब्दी के इन महत्वपूर्ण शेष दो दशकों के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र की असमानताओं को पूरी तरह से मिटा दिया जायें।

और है उसमें। विकास की प्राथमिकताओं को आरोही क्रम में तैयार करना होगा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के अपेक्षाकृत निचले स्तर के लोगों, जिसमें अधिकांश जनता आती है, के लिये जोर देना होगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, वह इस तरह से है -यह थोड़ा भिन्न प्रकार का अन्त्योदय हो सकता है क्योंकि द्रुत गति से विकास के लिए यह एक सम्पूर्ण वर्ग पर बल देगा न कि चयनित आधार पर किन्हीं व्यक्ति विशेष पर। यह मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि चयन के आधार पर हमने पिछड़े को पहले छप्पर योजना, में इतने लोगों को छप्पर दिये, उसमें इतने लोग अनुसूचित जाति के इतने लोग जनजाति के हैं, हमने इतने लोगों को ऋण दिया उसमें इतने लोग अनुसूचित जाति के हैं, इतने अनुसूचित जन जाति के हैं। इस तरह के आंकड़े दिये जायें। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार इस सिफारिश को किस रूप से क्रियान्वित करना चाहती है, इस सिफारिश में स्पष्ट कहा गया है कि चयन तो सामान्य रूप से आप करेंगे। उस समय तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग चयनित हो जाते हैं लेकिन एक विशेष आधार है इसलिए चयन का आधार बना कर आप संतोष नहीं कर सकते कि हमने रोजगार के इतने साधन पैदा कर दिये उन्होंने इसलिए कहा है कि यह थोड़े भिन्न प्रकार का अन्त्योदय हो सकता है क्योंकि द्रुत गति से विकास के लिये एक सम्पूर्ण वर्ग पर बल देगा न कि चयनात्मक आधार पर व्यक्ति विशेष पर। ऐसी किसी भी स्कीम, जो पर्याप्त रोजगार देने तथा प्रभावशाली रचनात्मक कार्यक्रमों और उत्पादन, व्यापार वाणिज्य और उद्योग के साधनों के स्वामित्व को सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि एक प्रभावशाली नयी दिशा दी जाय तथा उसके कार्यान्वियन के लिये समर्पित नया उत्साह हो तथा निर्णयात्मक प्रयास पर नये सिरे से बल डाला जाय। यह सिफारिश नम्बर दो है. और आपके बीस सूत्री कार्यक्रम में भी सूत्र नंबर 7 या शायद 8 इसी तरह का है जिसमें यह जो सिफारिश है इसी की भावना निहित है। मैं पूछना चाहूंगा कि हो सकता है समाज कल्याण विभाग के कुछ आंकड़े रख दिये जायें। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के बारे में एक अकेले के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, समाज के सारे कमजोर वर्ग, समाज के सारे पिछड़े वर्ग, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके आधार पर सारी कार्यवाही होती है और उसी के आधार पर सारे आंकड़े बनते हैं लेकिन यहां यह मसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का है और इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि 1980 में यह रिपोर्ट उनको मिल गयी। तीन साल से रिपोर्ट अलमारी में

(श्री कैलाश मेघवाल)

बन्द है, इसकी सिफारिश नं0 2 के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पृश्यता की इसमें एक सिफारिश है कि इन अनुसूचित जातियों में से भी···

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं तो विगन ही कर रहा हूं ।

श्री सभापति : पिछली बार भी आपने काफी लम्बा बोला था ।

श्री कैलाश मेघवाल : पांच मिनट। वह तो हुआ ही नहीं था । आज तो यह बिजनेस में है, इतने में इस पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकेगी । जिसके आधार पर मैं चर्चा करना चाहता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर समय के लिए नहीं टोकें। टोकने से कोई फायदा नहीं।

श्री सभापति : काफी सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : बोलना चाहते हैं इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में···

श्री सभापति : 5-10 मिनट बोल लें।

श्री कैलाश मेघवाल आसन पर विराजे हुए थे अध्यक्ष महोदय, और सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इन पर विस्तार से तीन दिन की चर्चा होगी । इस पर विस्तार से तीन दिन की चर्चा होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मसला है । उस मसले को जिस तरह से टालने की कोशिश की जाती है उसमें आसन को तो किसी तरह से भागीदार नहीं बनना चाहिए । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा में जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना । इसमें एक सिफारिश है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति में से भी आपको उन जातियों की पहचान करनी पड़ेगी जो सबसे दयनीय स्थिति में हैं। सबसे दयनीय स्थिति में राजस्थान में मेहतर को माना जाता है, जो सिर पर मैला ढोते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था राजस्थान से कब विलुप्त हो जायेगी ?

इसमें सीधे सीधे क्या कार्यक्रम हैं सरकार का वह सदन को बताना होगा । आज आजादी के 36 साल के बाद भी सिर पर मैला ढोने की जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में हम कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सके और यही इसमें है। माननीय सभापति महोदय, अस्पृश्यता का सबसे मूल रूप से हरिजन शिकार है, दूसरे अनुसूचित जाति के शिकार हैं। हरिजन शिकार होने पर इस तरह का काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान के मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं, वह अपने आप को बड़ा हरिजन हितैषी घोषित करते हैं, हरिजनों को आप पिछड़ा घोषित करना चाहते हैं और हरिजनों में काम करने की डींग हांकते हैं, इन हरिजनों के सिर पर मैला ढोने की प्रथा राजस्थान में कब तक समाप्त हो जायेगी ? कौनसा साल ऐसा होगा जिस साल में राजस्थान के किसी भी गांव या राजस्थान

(श्री कैलाश मेघवाल)

के किसी भी नगर में हरिजन के सिर पर मैला नहीं होगा ? वह कौनसा साल होगा ? आप की क्या योजना है, उसको आप रखिये। मेरा तो इसलिए यह आरोप है कि आज नगरपालिकाओं में जो हरिजनों के स्थान हैं, माननीय सभापति महोदय, आपको भी मालूम है, आज सफाई कर्मचारी के रूप में दूसरी जाति के लोगों को भर्ती नहीं किया। तमाशा क्या हो रहा है कि सफाई कर्मचारी के रूप में किसी जैन को भर्ती किया और काम किसी से लिया ऐसी बात आपके पास भी आयी। मेरे पास इस तरह के कई उदाहरण हैं, उसको दूसरी जगह बिठाया जा रहा है। आज हालत यह हो गयी लेकिन उस सफाई कर्मचारी के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे। जो उनको लाभ दिया जा सकता है, वह लाभ दिया जाय। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा राजस्थान में कब समाप्त हो जायेगी ? यह अस्पृश्यता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और अस्पृश्यता का सबसे बड़ा कारण है सिर पर मैला ढोना इसमें राजस्थान सरकार का समयबद्ध कार्यक्रम अगर कोई है तो रखें अन्यथा यह तो हरिजनों की अस्पृश्यता का कार्यक्रम बनाते हैं, जो डींग हांकते हैं, जो उद्धार की बात करते हैं वह बेकार है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं इसकी एक सिफारिश के बारे में। इसमें एक सिफारिश है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के जो भू-भाग हैं, कृषि भूमि है वह उनके पास रहनी चाहिए। माननीय परसराम जी मदेरणा को तो सारा टीनेन्सी एक्ट करीब करीब मौखिक याद है, उसमें एक धारा 42 है, उसमें यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जो जमीन है, कृषि भूमि है वह ट्रान्सफर नहीं हो सकती। यह ट्रान्सफर नहीं हो सकती है, निषेध है। माननीय मदेरणा साहब को तो सारा पता है लेकिन इस प्रावधान को निगेटिव करने का राजस्थान में एक आन्दोलन चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय, थोड़ा सा ध्यान दें, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। माननीय सभापति महोदय, भूमि विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय सहकारी बैंक, इन भूमि विकास बैंकों और इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों का शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर कर्जा है, उस कर्जे का चुकारा नहीं होने पर उन भूमियों की नीलामी करके स्थानान्तरित किया जा रहा है, जो बिल्कुल अवैध है, हो नहीं सकता, कोई भी स्थानान्तरण हो सकता नहीं। लेकिन सारे राजस्थान में हो रहा है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि मैं जब सहकारिता विभाग में डेढ़ साल तक मंत्री रहा तो मैंने स्पष्ट रूप से आदेश दिये थे कि यह जो टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 है, इस धारा 42 का किसी भी तरह से उल्लंघन करने का न बैंक को अधिकार है, न भूमि विकास बैंक को अधिकार है, न किसी कर्जा वसूल करने वाली एजेन्सी को अधिकार है, इस बारे में स्पष्ट आदेश दिये थे लेकिन आप यह बता दीजिए, आपकी सरकार है, सहकारिता मंत्री जी तो अब भूतपूर्व हो गये और आपको अभी तक यह जानकारी मिली नहीं होगी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जितनी जमीन भूमि विकास

(श्री कैलाश मेघवाल)

बैंक या सहकारी बैंक ने कर्जा वसूल करने के नाम पर नीलाम की है, इस बात की स्पष्ट घोषणा की जाय कि उसमें टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 का पालन होगा, वह जमीन किसी को स्थानान्तरित नहीं की जायेगी। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी बातें कही गयी। इसमें एक सिफारिश है उस सिफारिश को मैं पढ़ना चाहता हूं। फिजीकल बातें हैं।

(3.00 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

यह सिफारिश नम्बर 143 है, माननीय सभापति महोदय, इसमें लिखा है:–"जहां अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को दी गई बंजड़ भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है और उसे खेती योग्य बनाना हिताधिकारियों की क्षमता से परे है, वहां सम्बन्धित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को उन्हें या तो उस भूमि के बदले दूसरी भूमि आवंटित करनी चाहिएं या उस भूमि के उद्धार कार्य में उन लोगों कि सहायता करनी चाहिए।"

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि आज राजस्थान में भूमि आवंटन करने के आंकड़े तो बहुत लम्बे चौड़े हैं लेकिन किस तरह की भूमि आवंटन हुआ है? सारी भूमि उबड़ खाबड़ है। माननीय सभापति महोदय, अगर भूमि मिल गई है तो वह उबड़ खाबड़ है, आज उस भूमि पर वह खेती नहीं कर सकता है। या तो उसको भूमि मिली नहीं, मिली तो कब्जा नहीं मिला और अगर कब्जा मिल भी गया तो वह उस पर खेती नहीं कर सकता।। वह भूमि पर काम करके मजदूरी करता था लेकिन भूमि मिलने के बाद वह उससे कमाई नहीं कर सकता। आज इस देश में धरती पति होना बहुत बड़ी बात समझी जाती है। उसको कहीं भूमि मिलती है तो वह उस पर जाकर अपनी शक्ति लगा करके उसको काबिल बनाता है तो उसको वहां से बेदखल कर दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के अन्दर एक और सिफारिश की गई है कि जहां-जहां पर आवंटन किया गया है उस भूमि का कब्जा दिलाने के बारे में पुलिस और रेवेन्यू विभाग के अधिकारी साठ दिन के अन्दर जांच करें और इस बात का पता लगायें कि उसको कब्जा मिला या नहीं। अगर कब्जा नहीं मिला हो तो उसको कब्जा दिलायें। इस बात की जांच करें कि उस भूमि पर कब्जा किस का है। अगर उसको कब्जा नहीं दिया गया है तो कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? पुलिस तुरन्त उसका कब्जा दिलायेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर कौनसी बाधा आ रही है, क्यों इस तरह की नौबत आ रही है,? इसमें सिफारिश है कि पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी हर जिले में एक टीम बना कर काम करेंगे। हर जिले में पुलिस और राजस्व अधिकारियों की टीम कायम की जाएगी और उस टीम की यह जिम्मेदारी होगी कि वह गांवों में जायेगी और जहां पर इस तरह के हालात हो, वहां पर कब्जा नहीं मिला हो वहां उनको कब्जा दिलायेगी।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान में बलात्कार की घटनायें बहुत हुई हैं। इन घटनाओं की जो अखबारों में खबरें आती हैं, आपको भी पता है, माननीय सभापति महोदय,

(श्री कैलाश मेघवाल)
कि बलात्कार की घटनाओं में नब्बे प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ हुये हैं। इन नब्बे प्रतिशत बलात्कारों में हर जिले की शिकायत यह आती है कि पुलिस थानों पर शिकायत करने वालों को प्रताड़ित किया जाता है और प्रभाव शाली लोगों को संरक्षण दिया जाता है। बलात्कार की शिकायत लिखने से मना कर दिया जाता है। शिकायतों की सुनवाई नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री के कक्ष में इस तरह का एक प्रकोष्ठ चलता था। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुए हैं, अत्याचार हो उनके केस रजिस्टर न करने की कितनी शिकायतें आई हैं? जितनी भी शिकायतें आती हैं हर शिकायतों में एक ही बात रहती है कि पुलिस मदद नहीं करती है। आखिर कब तक राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की महिलाओं पर अत्याचार होते रहेंगे? आज जितनी उत्पीड़ित महिलायें हैं, समाज के उत्पीड़न को बर्दाश्त करके शिकायत करने के लिए सामने आती हैं उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है। पुलिस में सुनवाई नहीं होती है। पुलिस उनको संरक्षण देने को तैयार नहीं है, उनकी मदद करने को तैयार नहीं है परिणामस्वरूप इस तरह के झगड़े होते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माननीय सभापति महोदय, कि आज आजादी के 36 साल गुजर जाने के बाद भी आज यह स्थिति है। आज भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का दुल्हा घोड़ी पर बैठ कर बिन्दोरी नहीं निकाल सकता। दुल्हा घोड़े पर नहीं बैठ सकता। क्या हालात हैं? हम आज भी किस आदम काल में खड़े हैं, किस तरक्की की बात करते हैं? कौन से आसमान के तारे तोड़ लिये, कौन से प्रगति कर ली? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान के आज के वातावरण में इस तरह से लोग जब शिकायत करने जाते हैं तो उनको पुलिस का थानेदार प्रताड़ित करता है। आज शिकायत करने वाले को ही प्रताड़ित होना पड़ता है। जो सवर्ण जाति के लोग बाग जुल्म करते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है और शिकायत करने वालों को भयभीत किया जाता है, उनको प्रताड़ित होना पड़ता है। हम कौन सी प्रगति की बात करते हैं। मैं भी पिंड़वाडा गया था। मैंने हर जगह पर सुना कि किस तरह से गांव गांव में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों पर हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है? आज हम कहते हैं कि नागरिक संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। लेकिन नागरिक संरक्षण अधिनियम में संरक्षण किन लोगों को मिल रहा है? शिकायत करने वालों को नहीं, जो अत्याचार करने वाले हैं उनको सरक्षण मिल रहा है। आज राजस्थान में इस तरह के हालात चल रहे हैं। आज राजस्थान में जो इस तरह का वातावरण बना हुआ है इस तरह वातावरण के अन्दर जो नागरिकों के सामान्य अधिकार हैं व उन अधिकारों से वंचित हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री पद पर माननीय माथुर साहब जब विराजमान हुए उस समय पहले ही बजट सत्र में मैंने एक बात कही थी और आज फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूं। उस समय मैंने निवेदन किया था कि संविधान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों के संरक्षण की बात की गई है लेकिन आज राजस्थान में क्य

(104)

(श्री कैलाश मेघवाल)

हालात हो रहे हैं। माननीय माथुर साहब ने कहा था कि मैं इन हालातों को सुधारूंगा, इन हालातों को ठीक करूंगा। लेकिन आज वह कह सकते हैं कि हालात सुधरे हैं? समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रगति की बड़ी बातें कही जाती हैं लेकिन आज भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, अस्पृश्य लोगों को सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। प्रतिगामी शक्तियां और दूसरी शक्तियां आज उनको जलील और परेशान कर रही है। गांवों मे जो सवर्ण लोग इन पर अत्याचार करते हैं इससे उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है। आज राजस्थान का जो प्रशासन है वह निर्बल के लिए नहीं है। शासन का कर्त्तव्य है कि वह निर्बल को प्रोटेक्शन दे और उसकी सुरक्षा करें लेकिन शासन से उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। आज जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, जिनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनके साथ मारपीट की जा रही है उनकी क्या हालत है?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, शहरों में आज क्या हालत है। पुलिस लाइन में शिड्यूल्ड कास्ट्स के सिपाही को इसलिए पीटा गया कि उसने सवर्ण सिपाहियों के पानी के मटके में पानी पी लिया। उसकी शिकायत हुई लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि सरकार के अन्दर ही इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है? जिन बातों के आधार पर शिकायत की जाती है उनकी सुनवाई नहीं होती। इस घटना को वहां पुलिस के सब बड़े अधिकारी जानते हैं। यहां के डी आई. जी. जानते हैं, एस. पी. जानते हैं, दूसरे अधिकारी जानते हैं लेकिन उस पर कार्यवाही करने के बजाय किया यह गया कि जिसने शिकायत की उसका ही स्थानान्तरण कर दिया। आज डेढ़ साल हो गए इस बात को लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि शिकायत करने वाले को ही तंग किया जा रहा है, उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है। यह एक केस नहीं है, हजारों ऐसे कैसेज राजस्थान में हैं। सरकारी दफ्तरों में जहां पर भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्स ट्राइब्स कर्मचारी हैं उनको दूर बैठाते हैं। उनसे नफरत करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनको जलील करते हैं। उनकी इस तरह की हालत बना रखी है और इसके बाद भी आप कहते हैं कि राजस्थान प्रगति कर रहा है, हम संविधान के उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक और सिफारिश की गई है। सिफारिश नम्बर आप देख लें, इसमें एक सिफारिश यह की गई है कि राजस्थान और केन्द्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए अभी तक क्या किया? राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि क्या किया आप ने इस सिफारिश पर? क्या इसी तरह से आप राजस्थान की शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों का भला करना चाहते हैं?

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, माननीय विधि मंत्री जी पधार गये, राजस्थान में अनुसूचित जाति जन-जाति के किसी व्यक्ति को मदद मिली है? राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब पिछले बजट सत्र में आया था, उसमें यह तो आ गया कि सारे जिलों में सारी अदालतों में फ्री लीगल ऐड मुहैया करा दी गई उसमें प्रशासनिक खर्चा बहुत ज्यादा होगा। सरकार ने बांटा ढाई लाख और मदद दी गई दो हजार की। दो हजार के आंकड़े हैं क्या करना चाहते हैं ? यह प्रसार हो रहा है ? यह किस तरह से प्रसार करेंगे ? आप जिस तरह से समीक्षा करते हैं, जिस तरह से सेमीनार करते हैं सारा खर्चा जब होता है, प्रशासनिक खर्चा कार्यालय का होता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह बतायें, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसी व्यक्ति का न्यायालय के निर्णय के लिये विचाराधीन मामला है उसमें कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति वादी है प्रतिवादी है, अभियुक्त है या और कुछ है इस बात की पहचान करने की सरकार के पास क्या मशीनरी है ? यह कहां है ? किसको सहायता दे रहे हैं ? माननीय सभापति महोदय, आप तो जानते हैं अच्छे वकील उनको नहीं दिये जाते हैं। कई बार शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग वकील नहीं कर सकते हैं इस कारण अन्याय का शिकार होने के लिये उनको मजबूर होना पड़ता है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं वकील करके, दूसरी तरफ पैरवी करके शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को और गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था करने का हल हमारी राजस्थान सरकार के पास नहीं है। इनके पास सिर्फ एक तरीका है, सिम्पोजिम करेंगे, सारी बातें करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अनुसूचित जाति जनजाति के आज छात्रावासों की हालत क्या है।

(व्यवधान)

श्री सभापति: संक्षेप में निवेदन करें माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं.

इसलिये निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, आज कुल मिलाकर सारे हालातों को इनक्लूड कर देखिये, राजस्थान के सारे छात्रावासों को ले लीजिये, कोई छात्रावास ऐसा नहीं है जिसकी व्यवस्था ठीक हो।

माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ईमानदारी से कहेगे, ये यहां पर बैठे हैं इनकी तरफ से जवाब दें, यह बतायें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम चलता है उसकी किसको चिंता है? पैसा था का, रहा है छात्रावासों का दो चार कार्यक्रमों वह कहां है? किस तरह प्रगति करना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं, आखिर आधार क्या है ?

लीज देने की बात आई। खनिज राज्य मंत्री माननीय प्रद्युम्नसिंह जी थे उस समय मैंने एक आरोप लगाया था, राजस्थान के खनिज क्षेत्र में वे सारी शक्तियां

106

(श्री कैलाश मेघवाल)

कहां तक सिर हो रही हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को छोटे-छोटे पट्टे देने की योजना चालू की गई थी, उसमें वे सारी शक्तियां बाधा पैदा कर रही हैं। आपने आंकड़े दे दिये। मैं पूछना चाहता हूं, कितने पट्टे दिये ?

मैं सामाजिक संस्थाओं से पूछना चाहता हूं उन्होंने क्या किया ? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह हालात ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, राजस्थान में यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। आज राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोग गरीबी और अस्पृश्यता के साथ जीवन बिता रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है। यहां पर यह बहस हो जायेगी। मैं चाहता हूं, जितनी सिफारिश हैं उन सिफारिशों को देखते हुए माननीय समाज कल्याण मंत्री जी अगर सक्षम हैं तो जवाब दें, क्योंकि जिस तरह की सिफारिशें हैं। उनका अगर माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो मेरा ख्याल है कि वे ज्यादा प्रभावी रूप से कमिटमेंट कर सकेंगे, सारा वातावरण बदलकर, नयी दिशा देकर उन सवालों पर नीति संबंधी निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी ही दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखें हैं उनका जवाब दें ! जो रिपोर्ट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं समय को देखते हुए इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं-,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके बारे में आप जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहताहूं कि आप सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए जवाब दें कि रिपोर्ट की सिफारिशें यह हैं, इस सिफारिश पर हमारा यह कार्यक्रम है इस सिफारिश पर यह कार्यक्रम है। इस सिफारिश पर यह कार्यवाही हुई है और इस सिफारिश पर यह करना चाहते हैं, मैं समझता हूं, तब तो आप राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ न्याय करेंगे।

जन जाति के विषय में कहना चाहूंगा, जन जाति की हालत क्या है ? और भी सदस्य बोलेंगे लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, जन जाति का आधार क्या है ? जन जाति के लिये सब ओर से प्रतिबंध लगा दिये। मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं, प्रतिबंध लगाकर उनके रास्ते बंद किये हैं। आजादी के पहले जनजाति की जो हालत थी उस समय जनजाति का व्यक्ति ज्यादा सुखी था, ज्यादा स्वतंत्र था। उस समय जनजाति का व्यक्ति ज्यादा सामान्य जीवन जी रहा था। आजादी के बाद के जमाने में उनकी खातेदारी की जमीन पर कब्जा कर लिया। आज लोगों के पास पैसा नहीं हैं। उनकी आर्थिक हालत गिर गई है। मैं कहना चाहता हूं, उनकी आर्थिक हालत सही हो। जो कार्यक्रम है उसका पैसा उनको मिलें। आप कह देंगे, दो सौ रुपये उसको दे दिये उसके उसने कपड़े पहन लिये। आप कह देंगे उसको यह दे दिया। वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र होकर अपने परिवार का पालन कर सकें, अपने को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से स्वतंत्र कर सकें, यह स्थिति आप पैदा करना चाहते हैं ? उसका आर्थिक आधार हो। सही आर्थिक आधार उसको कब मिलेगा ? ताकि वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रह सकें, अपना ठीक तरह से पालन कर सके।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसके अलावा मैं थोड़ा सा राजस्थान में महिला शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपको सुनकर बड़ा ऐसा लगेगा, राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति की महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 0.1 है। राजस्थान के मुख्य मंत्री घोषणा करते हैं महिलाए दसवीं पास हों। दसवीं पास होंगी कब ? राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा के लिये क्या कार्यक्रम है ? आप जानते हैं कि आज राजस्थान में कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का लड़का पढ़ने नहो जा सकता हैं। आर्थिक हालत यह है कि, ज्यादांतर लोगों को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का बच्चा 5-6 साल का होता होता काम पर चला जाता है। फिर पढ़ाई नहीं कर सकता है। यह हालत है' यह कब ठीक होगी? इन हालातों के लिये क्या योजना है, क्या योजना नहीं है। मैं समझता हूं, आप भी सन्तुष्ट नहीं होंगे, मैं भी सन्तुष्ट नहीं होऊंगा कोई भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जनता भी सन्तुष्ट नहीं होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल आर्य।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : हरिजनों की भावना के हिसाब से बोलना, टोपी के हिसाब से मत बोलना।

(व्यवधान)

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : माननीय सभापतिजी, आज हम अनुसूचित जाति और जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं। आजादी के बाद अनुसूचित जाति की उन्नति के लिये कांग्रेस सरकार ने नीति बनायी। कांग्रेस की नीतियों के कारण अनुसूचित जाति और जन जाति में आज बदलाव दिखाई दे रहा है। आज जो उन्नति की है, उनकी आजादी के पूर्व कैसी स्थिति थी, क्या थे और आज जो मांगीलाल आर्य जैसा व्यक्ति विधान सभा में सदस्य है, राजस्थान मंत्रिमण्डल में सदस्य है। कैलाश जो जो बोल रहे हैं और उनको जो अत्याचारों और मूलभूत अधिकारों के बारे में बोलने की आजादी मिली है वह कांग्रेस की नीतियों के कारण से है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ;

श्री मांगीलाल आर्य : सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, 58 साल की मेरी आयु है इसलिये मुझे आजादी के बाद का और उससे पूर्व का दोनों अनुभव हैं। मैंने एक ऐसे गांव में जन्म लिया है जहां छुआछूत का तो साम्राज्य था। पाली एक कस्बा कहलाता था मारवाड़ में, परन्तु वहां पर भी हम अपने घरों से बाहर निकल कर जब गांव में प्रवेश करते थे तो पायस पायस की आवाज लगाते थे। मैंने भी आवाज लगाई है-पायस पायस की। यह पायस पायस, की आवाज बोल कर हम गांव में निकलते थे और इस आवाज को सुनने वाले समझते थे कि मेहतर, हरिजन आ रहा है। यदि हम इस तरह की आवाज नहीं लगाते थे तो पत्थरों की वर्षा होती थी। तो वह जमाना भी हमने देखा है। आज जो परिवर्तन हुआ दिखता है

(श्री मांगीलाल आर्य)

इस आजादी के बाद. इस प्रजातंत्र में, यह इस कांग्रेस की नीतियों एवं कांग्रेस के कार्यक्रम की देन है ।

आजादी के पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति थी और आज क्या है ? आज मैं यह तो निःसंकोच कहूंगा कि जितनी सुविधाएं और अधिकार मिले और जितनी हमारे लिये योजनाएं बनीं उनका पर्याप्त लाभ नहीं मिला । परन्तु जितना भी हमें लाभ मिला है वह कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्य-कलापों का ही देन है इसको भुलाया नहीं जा सकता । स्वतंत्र भारत का संविधान बना उसके अन्दर हमें जो अधिकार मिले उनके उपयोग मे हमें राहत मिली है । जिस भावना से, जिन नीतियों से जो योजनाए और कार्यक्रम बने हैं, यदि सही रूप से संबंधित अधिकारी और विभाग में जो संबंधित कर्मचारी हैं ईमानदारी से लागू कर दें तो आज जो स्वरूप अनुसूचित जाति और जन जाति का है उसमें और भी उन्नति और प्रगति होगी । अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण और उन्नति के लिये अरबों रुपयों की योजना बनी है, अरबों रुपये खर्च किये गये हैं। जगह जगह छात्रावास खोले गये, जिनमें अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों को अपने तन और मन से स्वाध्याय करने के अलावा व्यवस्था की कोई चिन्ता नहीं है, सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से है। इससे जितनी उनको राहत मिलनी चाहिये थी उतनी नहीं मिली, यह एक दुःख का विषय है । इसको सरकार ने महसूस करके व्यवस्था में जो भी परिवर्तन किया है वह छात्रों के हित में है। उन छात्रों को पर्याप्त रूप से सुविधा मिलेगी । वरना अधिकारी हैं वे उसका दुरुपयोग करते हैं । एक बात मैं समाज कल्याण मंत्री जी, जो यहां बैठे हुये हैं, के ध्यान में लाना चाहूंगा कि विभाग द्वारा जो छात्रावास चलते हैं उनमें एक छात्र पर जो खर्चा होता था आपने उसमें परिवर्तन करके जो छात्रवृत्ति दी है वह बहुत कम है । हम तो चाहते थे और हमारी जो डिमाण्ड थी , जिसके लिये हमने कई बार लिखित में प्रयास भी किया कि सरकार जितना छात्रों पर खर्चा कर रही है, जैसे उनके भोजन का खर्चा और अन्य खर्चा जो होस्टल के माध्यम से न करके नकद छात्रवृति के रूप में छात्रों को मिले परन्तु जो छात्रवृत्ति की राशि तय की गई है वह आज के महंगाई के जमाने में , आज के भाव-ताव को देखते हुए बहुत ही कम है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधा प्रदान करें । इस वर्ग के सर्वांगीण विकास का मूल आधार शिक्षा है । जैसा कि संस्कृत के एक विद्वान का कथन है :–

"येषां न विद्या न तपो न दानम्
न ज्ञानम् न शीलम् न गुणा न धर्मः ।
ते मृत्युलोके भुविः भारभूता:
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ।"

मनुष्य के उत्थान के लिये मूल आधार कोई है वह शिक्षा है इसलिए इस वर्ग की शिक्षा पर महत्व दिया जाय, शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । अनुसूचित जाति की उन्नति के लिये सरकार के लोग दूसरे खर्च कर रहे हैं मैं समझता हूं , उसके बजाय विशेष तौर से शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाय तो निश्चित तौर से इस वर्ग का कल्याण होगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जो शिक्षा के लिए दे सकें, ज्यादा से ज्यादा दें और जो छात्रवृति दी जा रही है वर्तमान में मंहगाई का मूल्यांकन करके उनके खर्चे के हिसाब से छात्रवृत्ति देनी चाहिये ।

(श्री मांगीलाल आर्य)

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण के लिये कई प्रकार की योजनाएं बनती हैं। जहां तक उनको सस्ता न्याय दिलाने का सवाल है, इन गरीबों के पास पैसा नहीं होता। ये वकीलो पर खर्चा करने में असमर्थ होते हैं इसलिए न्याय से वंचित रहते हैं। इनको न्याय मिलने में कई प्रकार की पेचीदगियां आती हैं, मुश्किलात आते हैं जिससे सही रूप से न्याय इनको प्राप्त नहीं हो पाता। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि जितना इस मद में रुपया रखा गया वह खर्च नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले इस सम्बन्ध की कमेटी हमारे विधि मंत्री जी ने बनाई थी, उसका मैं भी सदस्य हूं। उसमें बताया गया कि जितनी राशि रखी गयी उसका 1/4 ही वर्ष में खर्च हुआ है। पूरा बजट खर्च नहीं होने का एक कारण यह था कि प्रक्रिया में इतनी पेचीदगियां हैं, कठिनाइयां और मुश्किलात हैं कि इसका पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिये इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाय, आसान बनाया जाय ताकि अपढ़ गरीब को सरलता से लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, जहां तक अस्पृश्यता का सवाल है, यह देश में इस प्रकार मुंह फाड़े खड़ी है, इधर से देखें या उधर से, सब तरफ अस्पृश्यता सामने आती है। अस्पृश्यता के लिये कानून बना है उस कानून का पालन कराने का जिस विभाग को अधिकार दिया गया है अगर आप उसमें भी ध्यान से देखेंगे तो पुलिस विभाग में भी छूआछूत की बीमारी फैली हुई है। पुलिस विभाग के अन्दर बड़े-बड़े पुलिस स्टेशन एवं पुलिस लाइन, जहां मैस चलते हैं, मैं यह महसूस करता हूं कि वहां पर भी जो शिडयूल्ड कास्ट्स के सिपाही हैं उनके साथ भेद-भाव बरता जा रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जितने भी पुलिस विभाग के मैसेज चलते हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों और हरिजनों को खाना पकाने के लिये रखा जाये, ऐसा करने पर यह भेदभाव खत्म होगा। वरना इस कानून की पालना कराने के लिये जिस पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है, वहां पर भी ऐसी मनोवृत्ति हो तो इसका सही मायने में लाभ नहीं मिल सकेगा। मैं यह जानता हूं कि आजादी के पहले छूआछूत आज से भी बहुत अधिक थी और कुछ क्षेत्रों में आज भी यह उसी प्रकार से चला आ रहा है। राजस्थान में आप देखेंगे, मेहतर ही विशेषकर छुआछूत के शिकार हैं। इसलिये मेहतर जाति के लिये आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि सही मायने में शिड्यूल्ड कास्ट का आपको कल्याण करना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया था, और कहा था कि इस देश की आजादी तभी सार्थक होगी जब इस देश के भंगी का लड़का हमारे देश का राष्ट्रपति बनेगा। सभापति महोदय, महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिये हमें इस देश के मेहतर वर्ग की ओर विशेष ध्यान देना होगा उनके कल्याण के लिये विशेष रूप से योजना बनानी होगी जैसा कि पंजाब और हरियाणा की सरकार ने किया है।

हमारा एक आल इण्डिया सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन है, मैं उसका एक प्रतिनिधि हूं इसलिये विभिन्न प्रदेशों में सफाई मजदूरों को क्या क्या सुविधा मिलती है मुझे पता है.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मुझे तो बोलने दीजिये।

श्री सभापति : दस मिनट तक बोल लिये।

श्री मांगीलाल आर्य : सभापति महोदय, पंजाब के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट को जो सुविधाएं हैं उसमें मेहतरों के लिये विशेषरूप से व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं आपको भी राजस्थान में उसी तरह से सुविधाएं देनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई मजदूरों के लिये विशेष योजना बना करके, मेहतर वर्ग सफाई मजदूरों के कल्याण के लिये उसी तरह का प्रावधान करें जैसा कि पंजाब और हरियाणा की सरकार ने किया है।

मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने सिर पर मैला ढोने की बात कही। यह हकीकत है। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी पार्टी ने इस बात को महसूस किया है कि हिन्दुस्तान के लिये यह एक कलंक की बात है। मानवता के लिये भी यह एक गिरी हुई बात है कि आजादी के 36 वर्ष बाद भी इन्सान का मैला इन्सान अपने सिर पर ढोये। हमारे देश पर यह कलंक है। इस समस्या का निवारण करने के लिये सरकार द्वारा एक भंगी कष्ट मुक्ति योजना बनी थी। उस योजना के अन्तर्गत लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ मगर उसका परिणाम आप देखेंगे तो उससे भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

श्री सभापति : कोई कारगर सुझाव दीजिये।

श्री मांगीलाल आर्य : यह जो योजना बनी, इस योजना के अन्तर्गत लाखों रुपया खर्च किया गया। शहरों में जो छोटे-छोटे मोहल्ले हैं, वहां पर थ्री व्हीलर गाड़ी देने की स्कीम बनी थी। उसके साथ छोटी-छोटी बाल्टियां दी गई थीं ताकि जो प्राइवेट मोहल्लों में महिला सफाई मजदूर हैं, जो घर-घर मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सफाई करती हैं वह मैला बाल्टियों के अन्दर ढोयें। दुःख के साथ, सभापति महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं ने इस योजना का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया है। जितने भी टैम्पो नगरपालिकाओं को दिये गये थे, जितने भी थ्री व्हीलर दिये गये थे, पूरे राजस्थान में आप इसकी जांच करा लीजिये, उन्होंने उनकी टैक्सी बनायी और नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी उन टैम्पों, टैक्सी में बैठकर घूमते हैं। कहीं पर भी इस योजना के अन्तर्गत सफाई मजदूर को लाभ नहीं मिला। उस योजना का दुरुपयोग हुआ। इसके लिये जो अधिकारी दोषी हैं, चाहे नगरपालिका के चैयरमैन हों, चाहे प्रशासक, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये। वरना ऐसी योजना इसी तरह चलायी जायेगी तो उसका कोई लाभ सही मायने में नहीं मिल सकेगा।

आज तक कई वेतन आयोग बैठे हैं किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वेतन आयोग ने जब-जब भी रिपोर्ट दी हैं, उनमें सफाई कर्मचारियों के कार्य का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनके कार्य के अनुसार क्या वेतन होना चाहिये वह अपनी रिपोर्ट देते समय इस बात का विशेष तौर से ध्यान देते हैं। पर सफाई कर्मचारी के कार्य से सफाई मजदूर के मानस पर, उसके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है, जिससे उसको क्या-क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और कितना उसको वेतन मिलना चाहिये, दुर्भाग्य की बात है कि

(श्री मांगीलाल आर्य),

सफाई मजदूरों के बारे में, सफाई कर्मचारियों के बारे में आज तक किसी भी वेतन आयोग ने इस गहराई में जाकर नहीं सोचा है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा नगरपालिकाओं में जो चपरासी होते हैं उनके लिये सर्दी-गर्मी में पूरी वर्दी की व्यवस्था होती है, अन्य कर्मचारियों की तरह उनको छुट्टियों की भी पूरी सुविधा होती है मगर उसी की तरह जो नगरपालिका का सफाई कर्मचारी है, सफाई मजदूर है, जो सवेरे पांच बजे ड्यूटी पर जाता है उसके लिये इस तरह की सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। न नगरपालिका, न संबंधित विभाग और न ही राज्य सरकार इस बात के लिये जिम्मेदारी लेती है। और यह कह कर बात को टाल दिया जाता है कि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसका यह मतलब है कि सफाई मजदूरों का शोषण किया जाये ? यह उनके साथ जुल्म है, अन्याय है। क्या सफाई मजदूर के जो अधिकार हैं वह उसको नहीं मिलने चाहिये ? यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि नगरपालिका के सफाई मजदूरों को न तो राज्य कर्मचारी माना जाता है और न ही लेबर एक्ट के अन्तर्गत मजदूर माना जाता है। इसके विपरीत उनकी सेवाएं इमरजेन्सी सेवाएं मानी गयी हैं। यह कौनसा न्याय है कि सफाई कर्मचारी न राज्य कर्मचारी हैं और न ही मिल मजदूर और उनकी सेवाएं इमरजेन्सी सेवाएं हैं ? जो सुविधाएं आपातकालीन श्रेणी के कर्मचारी को मिलनी चाहियें वह सुविधाएं सफाई मजदूर को नहीं दी जाती हैं। न उनको राज्य कर्मचारी की सुविधाएं प्राप्त हैं और न ही लेबर एक्ट के अन्तर्गत मजदूरों की सुविधाएं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाये। सफाई मजदूरों के लिये एक स्पेशल वेतन आयोग का गठन किया जाये। सफाई मजदूरों के कार्य से उनके स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल असर पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुये उनके लिये क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिये, क्या वेतन उनको मिलना चाहिये इसके लिये मेरा निवेदन है कि एक नये वेतन आयोग का गठन किया जाये। तभी सफाई मजदूरों के दुःखों का निवारण हो सकता है, उनका कल्याण हो सकता है।

समान काम के लिये समान वेतन की बात कही जाती है। सफाई मजदूर का जो काम है वह एक ऐसा काम है मलमूत्र गंदगी सफाई का जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो फिर समान काम के लिये समान वेतन का क्या आधार है ? यह बिल्कुल निराधार बात है। इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर रखा गया है यह उचित नहीं है। इनके काम समान नहीं हैं तो समान वेतन का क्या आधार है। अतः उन्हें एक तकनीकी कर्मचारी मान कर उनके लिये अलग से सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये। तकनीकी वर्ग वह वर्ग है कि कोई दूसरा उसके काम को नहीं कर सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सफाई मजदूर के कार्य को करने के लिये कोई तैयार नहीं है। एक दैनिक मजदूर भी दूसरे मजदूर के काम के आधार पर अपनी मजदूरी का मूल्यांकन करता है। सफाई कर्मचारी का काम उससे भिन्न है। अन्य किसी भी मजदूर के समान उसका काम नहीं है। उसका काम कठिन है। इसलिये सफाई मजदूर के साथ बड़ा अन्याय है, जुर्म है और उसका शोषण है। इस शोषण को समाप्त किया जाना चाहियें। यही मेरी प्रार्थना है। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

जयहिन्द।

श्री सभापति . श्री छोगालाल कंवरिया ।

श्री सो. एस. कंवरियां (दूदू): माननीय सभापति महोदय, आज हम इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की वर्ष 1978-79 की रिपोर्ट पर विचार कर रहे है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट में बहुत सी बातों पर सिफारिश की गई है, उसके बारे में मुझ से पूर्व वक्ता एक माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाला है। जहां तक हमारे देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के उत्थान का प्रश्न है, हमारे भारतवर्ष की आजादी के बाद इसका बहुत कुछ हल हुआ है। भारतवर्ष को आजादी 15 अगस्त, 1947 को मिली। आजादी के पूर्व कैसी स्थिति थी वह हम सभी जानते हैं। मेरे पूर्व वक्ता विधायक श्री मांगीलाल जी आर्य ने एक उदाहरण देकर बताया था कि किस प्रकार उनको भी पहले बाजार आदि स्थानों पर आवाज देकर चलना पड़ता था। आज हमारे देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की स्थिति हमारे सामने है। देश की आजादी के बाद हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, हम आगे बढ़े हैं। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की उन्नति भी शामिल है। आज अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कहलाने वाले लोगों का वह हाल नहीं है जो आजादी के पूर्व था। पहले अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता काफी गहरी थी परन्तु आज काफी हद तक इसमें कमी आयी है। शिक्षा की दृष्टि से भी हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। यह सब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारी कांग्रेस सरकार की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत कुछ हम देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बहुत से लोग पढ़-लिख कर आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हर प्रकार की सेवाओं में भी ये लोग आगे आ रहे हैं। आज हमारे देश में उन लोगों के उत्थान के लिए बहुत कुछ हो रहा है। देश ने आजादी के बाद करवट बदली है और हर क्षेत्र में प्रगति की है, वह बहुत सराहनीय है।

आज हमारे देश का विकासशील कन्ट्रीज में दसवां स्थान है, लेकिन दूसरी तरफ जहां हम गरीबी को देखते हैं और जहां पर केपिटा इन्कम की ओर हमारा ध्यान जाता है तो आज भी हमारे देश का स्थान 106 नम्बर पर है। इसका मतलब यह हुआ कि हम गरीबी मिटाने में आज तक इतने सक्षम नहीं हो सके हैं। आज हमारे देश में गरीबी व्याप्त है उसको मिटाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे देश में जो हमारी महान् नेता ने लागू किया है वह भी इस ओर कारगर कदम है। इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

जहां तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों की समस्याओं का सवाल है, मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा यद्यपि हमारे देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है और हमारा देश आगे बढ़ा है परन्तु अनुसूचित जाति व जन जाति के मामले में जितनी तरक्की होनी चाहिये वह अभी तक नहीं हो पाई है, आज भी उनकी हालत खराब है। यह 1978-79 की रिपोर्ट है उसमें बताया है कि हमारे देश की जो आबादी है उसमें से 29 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं उनमें 16 करोड़ लोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं।

(श्री सी. एल. कंवरिया)

कितनी बड़ी तादाद में गरीबी की रेखा के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए अभी भी हमको इन लोगों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इतना कुछ करने के बाद भी प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आज भी कई क्षेत्रों में इन लोगों को बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये। अनटचेबिलिटी या छूआछूत के मामले में अभी भी ठीक प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। जो हमारे हरिजन भाई या मेहतर भाई हैं उनके साथ तो अभी तक उसी तरह से बर्ताव किया जाता है।

इसके अलावा यह जो मैला ढोने की प्रथा है उस बारे में मैं पुरजोर शब्दों में कहे बिना नहीं रहूंगा। जब तक इस प्रकार की मैला ढोने की प्रथा रहेगी या इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी तब तक हमारे देश से यह छूआछूत का मामला जाने वाला नहीं है। इस प्रथा को मिटाने के लिए हमें कारगर कदम उठाने चाहिये। कुछ वर्ष पूर्व इस विषय में काफी जोर दिया गया था और योजनाएं भी बनाई गई थीं। इस प्रथा को दूर करने के लिए शहरों के अन्दर जो लोग रहते हैं उनके लिए ऐसे नियम बनाये जायं कि जब भी नया मकान बने या पुराने मकानों में भी यथासम्भव फ्लश टाइप लेट्रीन बनाई जाय। इसके लिये पूर्व में नगरपालिका ने कुछ अनुदान देने की भी घोषणा की थी। अब इस बारे में कारगर कदम उठाकर नगरपालिका को अनुदान देना चाहिए। गवर्नमेंट को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देकर इस प्रथा को खत्म करने के लिए जल्दी से जल्दी उपाय करना चाहिए ताकि छूआछूत की जो भी भावना आज हमारे देश में विद्यमान है वह मिट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक नल कुओं जो पीने के पानी के हैं उन पर छूआछूत के मामले देखे जाते हैं। सार्वजनिक स्थान पर भी उनके साथ छूआछूत का बर्ताव किया जाता है। इसको मिटाने के लिए जो भी कारगर कदम हों, उठाये जाने चाहिये। छूआछूत के जो भी केसेज हैं, उनमें इफेक्टिव तौर पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि पुलिस में इन मामलों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है। इसमें पुलिस की भी कमजोरी है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें कानूनी तौर पर लागू कर कार्यवाही करनी चाहिए।

इसके अलावा अत्याचार, आगजनी व बलात्कार की घटनाएं इन लोगों के साथ होती हैं उसके लिए भी कारगर कदम उठाये जाने चाहिए।

दूसरा, इनकी जमीनों के ऊपर जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जो अलाटशुदा जमीनें हैं उनको दूसरे लोगों ने हड़प लिया है, चाहे कृषि की भूमि हो, चाहे अन्य भूमि हो, उनको कब्जा दिलाना चाहिये; इसके लिये इफेक्टिव तौर पर कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि एस. डी. ओ. स्तर पर एक टास्क फोर्स बनायी जाय जिसके द्वारा जहां पर उलझे हुए मामले हैं उनको सुलझाया जाय। जहां कहीं जमीनें हड़पने के मामले हैं आज भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग इतने डरे हुए हैं कि वे उनमें कारगर कदम नहीं उठा पा रहे हैं। कई केसेज तो मेरे क्षेत्र में भी हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट

114

(श्री सी.एल. कंवरिया)

लेवल पर या एस. डी. ग्रो. लेवल पर एक टास्क फोर्स बनायी जाकर पुलिस इम्दाद से कब्जे दिलाये जायं। जो लैण्ड उनको अलाटेड है ग्रौर जो वाजिब कब्जा है ग्रौर दूसरे उनको कब्जा नहीं करने देते हैं वहां पर टास्क फोर्स जाये। उसके द्वारा उनको कब्जा दिलाया जाना चाहिए ग्रौर यह कार्य निश्चित तौर से किया जाना चाहिए। यह सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है। उन लोगों की बड़ी भारी दिक्कत है। इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। टास्क फोर्स बनाकर इफेक्टिव बात की जाय ग्रौर उनको कब्जा दिलाया जाय।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस हाउस में, रिजर्वेशन के संबंध में। अनुसूचित जाति ग्रौर अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन आजादी के बाद देश में लागू कर दिया गया था। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में 1972 तक जो रिजर्वेशन को लागू करने के लिए फार्मूला, रोस्टर सिस्टम है वह लागू नहीं था न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को सर्विसेज में पर्याप्त अधिकार था। सन् 1972 में मैंने केबिनेट में प्रपोजल रखवाकर रोस्टर सिस्टम लागू करवाया था। उस जमाने में रोस्टर सिस्टम लागू होने के बाद भी कई विभाग उसको सच्चे मायने में लागू नही किया करते थे। अधिक केटेगरी आदि बना दिया करते थे। कई प्रकार की केटेगरीवाईज पोस्ट बनाकर उनको फायदा नहीं देते थे। जैसे शिक्षा विभाग में अलग अलग पद पर दिये गये थे। जिन पर रिजर्वेशन नहीं था। ग्रलग ग्रलग सबजेक्ट के लेक्चरार की केटेगरी दी गई थी। जैसे विभाग में 50 पोस्टें हैं परन्तु कुछ दो पोस्ट लेक्चरर ग्रॉफ केमेस्ट्री, कुछ किसी ग्रौर सब्जेक्ट की, इस प्रकार से कर दिया गया था। तो वहां पर रिजर्वेशन नहीं के बराबर था। उस वक्त यह निर्णय लागू किया गया कि सारे पदों को एक ही मानकर चला जाय। इसके फलस्वरूप एक ही समय में 54 पोस्ट इनके लिये रिजर्व हुई। रोस्टर प्रणाली राजस्थान में पी.एस.सी. में तो लागू है लेकिन कई एक विभाग ऐसे हैं जहां कि अभी तक रोस्टर सिस्टम इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं है। मेरा इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ग्रोर ध्यान दें। रोस्टर सिस्टम जो है उसको इफेक्टिव ढंग से लागू करने के लिये तुरन्त ही कोई प्रक्रिया अपनायी जाय ताकि हर डिपार्टमेंट में इसका रजिस्टर रहे।

इसके अलावा प्रमोशन के लिये भी रिजर्वेशन का कुछ प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि प्रमोशन देने में रिजर्वेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, न दिया जा रहा है। इस अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है। प्रमोशन ड्यू होने पर भी आज तक कई विभागों ने उनको प्रमोशन नहीं दिया। मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में मैंने खुद ने फाइल पर लिखा था, लेकिन पता नहीं क्या होता है क्या प्रबन्ध है। पता नहीं अन्दुरुनी क्या कुछ होता है। सब कुछ प्रावधान होते हुए भी जो रोस्टर सिस्टम आज तक ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। इसको लागू किया जाना चाहिए। तो ये दो तीन बातें थी जिनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता था। इसके अलावा एस. सी. और एस. टी. के लिए जो उनके

(श्री सी. एल. कंवरिया)

कमिश्नर की अन्य शिफारिशें हैं आशा है, उनकी ओर भी हमारी सरकार ध्यान देगी और उनको लागू करने की कोशिश करेगी।

मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद देना हूं।

श्री सभापति : श्री मैरूंलाल भारद्वाज।

श्री मैरूंलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करते समय हमको इस बात का आत्मलोचन करना पड़ेगा कि इतने वर्षों से लगातार जो उनको आगे बढ़ने के लिये व्यवस्था की गई है उसके बावजूद भी आज दिन तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि रिजर्वेशन समाप्त हो। हम यह चाहते हैं कि सब लोगों की गरीबी समाप्त हो। कांग्रेस के लोगों का तो यह सिद्धान्त है। हम इस देश के अन्दर ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जिसके अन्दर एक भी आदमी ऐसा नहीं रहे जिसको कि रिजर्वेशन की जरूरत हो। मुझे यह दुख है कि अभी तक हम इस स्तर तक नहीं आ पाये हैं। इसलिये हां कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

एक बात तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग, खास तौर से जो कि ढाणियों में रहते हैं उनके पास थोड़ी जमीन है। जिनके पास पहले नहीं थी कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो उनको जमीन आवंटित की गयी है उसको दूसरे लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है और नाजायज कब्जे कर लिये हैं। वह जमीन उनको वापस दिलायी जानी चाहिए और उनकी जो कोई दिक्कत है वह दूर करनी चाहिये। इसके संबंध में मेरा एक सुझाव यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के ऐसे किसान जिनकी जमीन कुल 10 बीघा तक है, उनका लगान तुरन्त माफ कर देना चाहिये। और यह भी सही है कि इस लगान से राज्य सरकार को राजस्व की कोई खास हानि भी नहीं होगी, कोई अन्तर भी नहीं पड़ेगा। उससे सीमान्त किसान और लघु किसान को यह महसूस होगा कि हमारा लगान सरकार ने माफ किया है। इससे उसको आत्म संतोष होगा और वह और भी अच्छे ढंग से कृषि का काम कर सकेगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो छोटे किसान हैं उनके लिये अलग से सिंचाई की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। यह ठीक है कि बैंक आदि से ऋण लेकर वह कुआं आदि बना सकता है परन्तु वास्तविकता यह है कि इतना छोटा किसान इतना बड़ा ऋण लेकर न तो कुआं बना सकता है और न ही लोन चुका सकता है। इसलिये इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और यह काम लघु और सीमांत कृषक से शुरू करना चाहिए। मेरा तो वैसे यह निवेदन है कि सारे हिन्दुस्तान में ही सिंचाई का सारा काम सरकार के हाथ में होना चाहिए क्योंकि यह देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन चूंकि अभी चर्चा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चल रही है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शुरूआत उन्हीं से करनी चाहिए। ऐसी योजना बना कर यह निश्चय करना चाहिए कि अनुसूचित जाति और जन जाति के किसानों को और वरीयता के आधार पर लघु और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिये सिंचाई व्यवस्था सरकार करे। सरकार की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मैं एक बात उनकी शिक्षा के बारे में, उनके बालकों की शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है कि उनकी शिक्षा के लिये काफी व्यवस्था की है परन्तु ऐसा देखने में आता है कि शिक्षा सिर्फ बड़े शहरों तक है और रोजगार भी वहीं के लोग करते हैं। गांवों में अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक गरीबी के कारण छोटी उम्र में ही मजदूरी करने लग जाते हैं या भेड़ बकरी चराते हैं और शिक्षा का प्रवाह उन तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिये सुविधाओं के साथ साथ अनिवार्य शिक्षा की जानी चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि सम्पूर्ण देश में कम से कम माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये तो यह कर देना चाहिये कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लड़कों को माध्यमिक शिक्षा लेनी ही होगी। सरकार के खर्चे पर वह शिक्षा दी जाय। इस तरह का नियम बनाने पर ही अनिवार्य शिक्षा लागू होगी। और तब ही वह तबका वास्तविक रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। इसमें वह जो गिरा हुआ है उठेगा ही नहीं बल्कि जो आपसी भेदभाव है उसमें भी कमी आयेगी।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हम बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कई प्रकार के ऋण और अनुदान देते हैं। अकसर देखने में आता है कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार के कारण कुछ लोगों के पास अनुदान का पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसमें सुधार करने का एक तरीका यह है कि हम सीधे ही नकद अनुदान दे दें। ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करें जो उनसे लम्बी अवधि में वसूल किया जाय या किसी प्रकार का उपादान उनको देना चाहिए। कृषि के सम्बन्ध में हो तो कृषि के उपादान मुहैया कराये जायें, उद्योग के सम्बन्ध में हो तो उद्योग के उपादान मुहैया कराये जायें। नकद अनुदान के तौर पर देते हैं इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। मेरा निवेदन है कि इसमें हमको तुरन्त ही संशोधन करना चाहिए। क्योंकि गरीब लोगों के साथ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उससे उनको न केवल आर्थिक हानि हो रही है बल्कि जो मदद करना चाहते हैं, उससे उनके दिमाग में उल्टी भावनायें पैदा हो रही हैं। मैं एक बात और निवेदन करूंगा रिहायशी मकानों के लिए। बड़े शर्म की बात है, आजादी के बाद 35-36 साल में बड़ी बड़ी अट्टालिकायें तो शहरों में, कस्बों में देखने को मिलती हैं; 25-30 मंजिले मकान देखने को मिलते हैं, एयर कण्डीशन मकानों की स्थिति भी आ गयी है लेकिन ऐसा होने पर भी गरीब लोगों के पास झोंपड़े नजर आते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि एक छोटे परिवार के पास एक पक्का मकान हो। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए यह कार्यक्रम हमको पहल करके शुरू करना है। उसके किसी भी आदमी के लिए कोई कच्चा मकान नहीं रहे। यह योजना हुडको के तहत या अन्य बैंकों के मार्फत किसी भी प्रकार से चलायी जाये। बिना ब्याज के ऋण दें या उसमें कुछ उपादान की सहायता दें, अनुदान के रूप में पैसा दें। हमको पक्के मकान बनाने की पंचवर्षीय योजना अनिवार्य रूप से हाथ में लेनी चाहिए ताकि 5 साल के बाद इस देश में अनुसूचित जाति और जन जाति के किसी गरीब आदमी के पास कोई कच्चा मकान नहीं रहे। मकान सब पक्के बनें, हमको इस ओर भी पहल करनी चाहिए।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मैं एक ग्रौर मौलिक सुझाव देना चाहूंगा। कुछ ऐसी जातियां हैं जो इतनी पिछड़ गयी हैं कि उनकी ग्रोर से लगातार मांग आ रही है कि उनको भी अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग में शामिल किया जाय। अब तक जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग में शामिल किये गयें हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिजर्वेशन से बाहर आने की बात सोचने लगे हैं। मेरा निवेदन है कि इसका पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। जो कौम इतनी पिछड़ी हैं कि उनको इस वर्ग में शामिल किया जाय, उनको नये सिरे से शामिल किया जाना चाहिए। जो लोग इस स्थिति से बाहर जाना चाहते हैं, उनको बाहर निकालना चाहिये। मैं एक ग्रौर काम की बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि रिजर्वेशन वस्तुतः जाति के तौर पर किया गया था लेकिन वह महज जाति के नाम पर नहीं कियागया था। जाति के नाम पर रिजर्वेशन होने के बावजूद हमारे दिमाग में यह बात थी कि यह जातियां आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं आर्थिक रूप से पिछड़ी होने के कारण रिजर्वेशन देकर उनको तरक्की देने की स्कीम बनायी गई थी। इस स्कीम के रहते मुझे एक बड़ी भारी दिक्कत इन्हीं के वर्ग के लोगों में से सामने ग्राती नजर आती है। इस वर्ग में जो लोग समुन्नत हो गये हैं, वह वड़ के पेड़ बन गये हैं जो छोटे पेड़ों तक न प्रकाश पहुंचने देते हैं, न उनके लिए हवा पहुंचने देते हैं। स्थिति यह है, गांव में जो गरीब तबका इस वर्ग का है, उस तक यह सारी सुविधायें नहीं पहुंच पातीं। केवल कोटा पूरा हो होता है जो इन्हीं लोगों के इने गिने परिवारों के आपसी लोग, संबंधियों की मिलीभगत से सारा हिसाब बराबर हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि लोगों की न्यूनतम आर्थिक योग्यता इनकम टैक्स पे करने की हो ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो। जो लोग इनकम टैक्स देने की स्थिति में आ गये हैं, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन से मिलने वाली सुविधाग्रों को बन्द कर देना चाहिए। ताकि वह पैसा भी उन बेचारे गरीब लोगों को जल्दी मिले। उनको जल्दी राहत मिले ग्रौर वे बड़ की छाया से निकलकर खुली हवा में खुले प्रकार से काम कर सकें। मैं किसी व्यक्ति विशेष या कुछ लोगों की बुरी बात सोच कर नहीं कह रहा हूं। यह मैं जानता हूं कि इस वर्ग में ऐसे लोग मुखर हो गये हैं ग्रौर वे इस बात से सख्त नाराज होंगे। मैं उन मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, वह स्वयं सोचें कि क्या ग्राज रिजर्वेशन पाने के लिये ग्रन्दर से उनकी आत्मा हां भरती है। ऊपरी लोभ लालच के कारण धन लाभ ग्रौर आगे जाने के लिए, समृद्ध बनने के लिए वे उसका उपयोग करते हैं, गरीबी मिटाने के लिए नहीं करते हैं। इसलिए हमको यह निश्चय करना पड़ेगा। इससे जब एक आवाज जो जाति ग्रौर समुदाय के बारे में आती है, उसमें भी इससे सुधार आयेगा ......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बिना काम के आपस में वैमनश्यता की जो लोग बाग बातें करते हैं उसमें कमी आयेगी मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उन सब को एक जाति के तौर पर हमको लाना चाहिए। वे सब एक जाति के हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं ग्रौर कुण्ठित लोग हैं। उन सब को एक जाति का मानना चाहिए। ऐसे लोग जो शोषित से शोषक बने हैं, उनको इस जाति से बिल्कुल बाहर करना चाहिए। वे चाहे जन्म से किसी जाति के हों। शोषक लोग, समृद्ध लोग, लोगों से काम करवाकर अपनी सुख-सुविधायें बढ़ाने

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

वाले लोगों को हमको एक श्रेणी में लाना चाहिए, एक जाति में लाना चाहिए। उस तरफ एक कदम बढ़ाने का यह उचित अवसर है। हमको इस बात में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इससे कुछ व्यक्ति राजी या नाराज होंगे। यह मुखर लोगों द्वारा फैलाया गया जाल है कि रिजर्वेशन को इसी तौर पर रखा जाय। हमको रिजर्वेशन आर्थिक तौर पर करना पड़ेगा, करना चाहिए और उसकी पहली शुरूआत है, इन्कम टैक्स देने वाले लोगों को इन सुविधाओं से वंचित करना। यही मेरा आपसे निवेदन है।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री समर्थलाल ।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर 1978-79 की शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आयुक्त की रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रहा है। सभापति महोदय, 1983-84 के अन्दर 78-79 की रिपोर्ट डिसकस हो, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी राज्य सरकार कितनी जागरूक रहकर इन लोगों के हितों की रक्षा करती है। 1983-84 में 82-83 की रिपोर्ट डिसकस होनी चाहिए थी लेकिन 78-79 की रिपोर्ट डिसकस हो रही है। इससे आशय निकलता है, सभापति महोदय कि सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति एक प्रकार से बेरुखी अपनाये हुए है। इस बेरुखी का परिणाम यह है, सभापति महोदय, कि आजादी के बाद 35-36 वर्षों में करोड़ों-अरबों रुपए खर्च करने के बाद देश के अन्दर और इस राज्य के अन्दर इन लोगों की स्थिति दयनीय नजर आती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से लें तो भी, सभापति महोदय, आपको यह मानना पड़ेगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इन जातियों का जो उत्थान होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। आर्थिक दृष्टिकोण से तो जितना धन खर्च किया गया, जितना बताया गया, है, उसके आधार पर जितनी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी उन्नति इन पिछड़े वर्गों की नहीं हो पायी ।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के आधार पर कहना चाहता हूं, राजस्थान में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 3500 नियुक्तियां 83 के अन्दर निकाली गयी थीं लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको नियुक्ति 3500 स्थानों पर नहीं हुई। मैंने जो जानकारी दी है, उसके आधार पर यह कहना चाहता हूं कि 3500 स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान भरे हुए हैं और 50 प्रतिशत रिक्त हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें सतर्कता नहीं बर्ती गयी। इसमें कर्मचारी अधिकारीगण शामिल हैं जो इन लोगों को अपने विभागों के अन्दर किसी प्रकार से नियुक्ति नहीं दे सकते, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सभापति महोदय, राज्य के अन्दर जितने भी राजकीय विभाग, निगम और उपक्रम हैं उनमें से एक भी ऐसा विभाग नहीं है जिसके अन्दर 28 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति और जन-जाति के हैं। बल्कि मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग, जो इन लोगों की रक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया है, के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 20 प्रतिशत लोगों की नियुक्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की नियुक्ति

(श्री समर्थलाल)

समाज कल्याण विभाग के अन्दर, जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर केवल 4 प्रतिशत है, जब समाज कल्याण विभाग के अन्दर ही 4 प्रतिशत है तो अन्य विभागों का क्या हाल होगा, सभापति महोदय, यह सदन को जानना चाहिए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा के बारे में। जो हमारे मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आई.टी.आई. आदि जो भी संस्थान हैं उनके प्रवेश के अन्दर जो इनका प्रतिशत निर्धारित है उस निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पिछले 3 वर्ष से इन जातियों के लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया है। इन जातियों के विद्यार्थियों की जगह सवर्ण जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाता है। इस प्रकार के सैकड़ों छात्र हैं जिनको प्रवेश का हक मिलना चाहिए था। उनको प्रवेश का हक नहीं मिलकर दूसरे छात्रों को हक मिला है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार सतर्क होती, समय-समय पर सतर्कता बर्ती जाती तो इस प्रकार से सवर्ण लोगों की नियुक्ति और प्रवेश उन छात्रों की जगह नहीं होता। एस.सी. और एस.टी. के विद्यार्थियों का प्रवेश होता और वे आज पढ़-लिखकर हमारे सामने आते।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की जो हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज हैं उसके अन्दर अनुसूचित जाति और जन जाति के कितने व्यक्ति हैं? सभापति महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, अनुसूचित जाति के केवल 2 व्यक्ति हैं और जन जाति का एक भी व्यक्ति हायर ज्युडिशियल सर्विसेज में नहीं है। हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज में आर.जे.एस. और कुछ वकील लिये जाते हैं राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति और जन-जाति के करीब 3000 वकील हैं जिनकी 5 साल और 10 साल की प्रेक्टिस है। उनके अन्दर से आने चाहिये थे। आर.जे.एस. के रूप में 10-10, 15-15 साल की जिनकी सर्विसेज हो गई हैं उनको हायर ज्युडिशियल सर्विसेज में लेना चाहिये था। लेकिन उनकी जो पर्सेन्टेज है उसके आधार पर उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, उनको क्रमोन्नत नहीं किया गया।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है जिसको सारे राजस्थान का जायजा लेना चाहिये। उस कमेटी की मीटिंग 3 महीने के अन्दर एक बार होनी जरूरी है लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुआ करती है। उस कमेटी की मीटिंग 1982 के अन्दर केवल 2 हुई हैं और 1983 के अन्दर शायद एक भी मीटिंग अब तक नहीं हुई है। जब इस प्रकार की स्थिति मुख्य मंत्री स्तर की कमेटी की है, तो सारे विभागों का जायजा लेना कैसे माना जा सकता है और राजस्थान सरकार कैसे इनके हितों का संरक्षण करेगी।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, जन जाति क्षेत्रीय विकास परामर्शदात्री समिति है उसकी मीटिंग भी 3 माह में एक बार होनी जरूरी है। लेकिन उसकी भी मीटिंग नहीं हुई है। जब सरकार मीटिंग करने में ही कोताही करती है, मीटिंग ही नहीं करती है तो, सभापति महोदय, सारी मशीनरी पर किस प्रकार से चैक रखा जा सकता है, किस प्रकार से चैक हो सकता है यह हमे देखना चाहिये।

मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि राजस्थान के अन्दर कितने हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट, जिलों के अन्दर जिलाधीश, एस.

(श्री समर्थलाल)

पीज. आदि अनुसूचित जाति और जन जाति के हैं? जहां तक मैं समझता हूं, इने गिने 2-3-4 ही होंगे जबकि 30-40 आई.ए. एस. और आई.पी.एस. होंगे ' उसके अन्दर····

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सदन में किस तरह से बात-चीत हो रही है। आखिर सदन की कोई गरिमा है। एक इतनी अच्छी बहस में रुचि लेने के बजाय आपस में बात-चीत हो रही है। इनको ताड़ना दी जाय, सभापति महोदय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें।

श्री समर्थलाल : सभापति महोदय, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं, जिस प्रकार से विधान सभा में एम.एल.एज. की सीट्स रिजर्व हैं, लोक सभा के अन्दर एम. पीज की सीट्स रिजर्व हैं उसी प्रकार से ग्राम स्तर पर अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की, पंचायत के अन्दर सरपंचों की जगह रिजर्व होनी चाहिये, जिलों में जिला प्रमुख की सीट रिजर्व होनी चाहिये। इससे ग्राम स्तर पर जो परेशानी होती है उन परेशानियों की वे देखभाल कर सकेंगे, इस वर्ग के के प्रति रुझान हो सकेगा।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जो भी कार्यक्रम इन लोगों के विकास के लिये; उत्थान के लिये बने हैं उन कार्य-क्रमों केअन्दर, उन योजनाओं के अन्दर, उन परियोजनाओं के अन्दर जितना भी धन भारत सरकार और राज्य सरकर से प्राप्त होता है वह धन पूरा का पूरा खर्च नहीं होता। उन योजनाओं, परियोजनाओं का धन लैप्स हो जाता है। जो धन उन के लिये मुकर्रर किया जाता है उस साल के अन्दर यदि वह धन खर्च नहीं होता है तो मैं यह समझता हूं कि यह सरकार की असफलता है। जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उस धन के खर्च में बाधा डालते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये, उनको दण्ड मिलना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री रूपलाल परमार। बोलना नहीं चाहेंगे?

श्री अमरचन्द (अनुपस्थित)

श्री पीरूराम (अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

श्री अमराराम (पचपदरा) : सभापति महोदय, आजादी के बाद अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है वह यह है कि उन्होंने सम्मान और इज्जत से रहना सीखा। यह कांग्रेस सरकार की ही देन है।

(व्यवधान)

अनुसूचित जाति और जन जाति की शिक्षा के बारे में और नोकरी के बारे में जितना कांग्रेस सरकार ने किया है वह कोई भी अन्य सरकार नहीं कर सकती। पश्चिमी राजस्थान में अकाल हर साल पड़ता रहा इसलिये वहां के जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, इनको मंत्री मण्डल से निकाल दिया, ये शिड्यूल्ड कास्ट के ही हैं।

(व्यवधान)

गलत बयान कर रहे हैं। 28 प्रतिशत इनके मंत्रि-मण्डल में ही कोटा पूरा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज. । ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर ।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : कंवरिया जी को निकाल दिया, क्या ये शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं ?

श्री ग्रमराराम : शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग गांवों में रहते हैं वहां उनके रहने की स्थिति अच्छी नहीं है । गांवों में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसान हैं उनके जो लड़के हैं, उनके रहने की जो व्यवस्था है, पांचवीं से आठवीं में आयेंगे तो उनको बड़े कस्बे में रहना पड़ेगा। जब तक वहां छात्रावास नहीं होंगे, उनके रहने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक उनके लड़के पढ़ेंगे नहीं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे अपने लड़कों को पढ़ा सकें। जो बड़े-बड़े कस्बे हैं उनमें एक-एक कमरे में 50-50 ग्रौर 60-60 लड़के शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रह रहे हैं। उनमें अभी तक छात्रावासों की उचित व्यवस्था नहीं है। पचपदरा तहसील में सिर्फ दो कमरों में 50 लड़के रहते हैं। इसलिए जब तक उनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं होगी, उनके लिए सारी सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जायेंगी तब तक उनके लड़के पढ़ेंगे नहीं। बड़े कस्बों में जहां सैकेण्डरी स्कूल हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं वहां तो यह प्रबन्ध सरकार को कर ही देना चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में छात्रावास बहुत ही कम हैं ग्रौर जो छात्रावास खोले गये हैं उनके लिए भवन उपलब्ध नहीं हैं । लोग किराये पर भवन नहीं दे रहे हैं। वहां पर विशेष प्रोग्राम के द्वारा समाज कल्याण विभाग को भवन बनाने का प्रावधान करना चाहिये । यह कार्य अलग से उनके सुपुर्द करना चाहिये ताकि वहां छात्रावास बनाये जा सकें। मैं तो यह कहूंगा कि जब तक उनके अन्दर शिक्षा नहीं होगी तब तक उनकी उन्नति नहीं होगी, उनका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेन चीज जो है वह शिक्षा है । गरीब लोग जो गांवों में रहते हैं उनके लिए विशेष सुविधा दी जाय। शहरों में जो सम्पन्न लोग हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनके बच्चों को पैसा मिल जाता है लेकिन गांवों में कपड़ा जो दे रहे हैं वह बहुत ही कम दे रहे हैं। उनको राशन भी पूरा नहीं दे रहे हैं, जो उनको पूरा उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री थानसिंह ।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति ग्रौर अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है उसके बारे में, मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो सुविधायें मिल रही हैं वैसी पहले कभी नहीं मिली। ज्योंही आजादी मिली कांग्रेस की सरकार बनी । उसने शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों, जिनमें

(श्री थानसिंह)

ज्यादातर भूमिहीन थे, को भूमि दी । आजादी के पहले स्थिति यह थी, राजा-महाराजाओं के जमाने में एक प्रतिशत या एक एकड़ भी भूमि उनके पास नहीं थी। भूमि का नाम निशान भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास नहीं था। जो लोग बुनकर थे वे बुनाई का काम करते थे, जो मेघवाल थे वे मेघवाल का धन्धा करते थे। यहां तक कि पढ़ने का अधिकार भी उनको नहीं था। राजा-महाराजाओं के जमाने में। लेकिन ज्योंही कांग्रेस की सरकार आई, इनके पढ़ने की व्यवस्था की गई, भूमिहीनों को भूमि दी गई और नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 16 प्रतिशत और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 12 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया लेकिन इसके बावजूद आज तक इस कोटे को सरकार 25 प्रतिशत पूरा करने में असफल रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में सरकार को अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिये। कई अधिकारी लोग इसमें मनमानी करते हैं। उदयपुर जिले में 60 प्रतिशत लोग शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रहते हैं लेकिन उनके लिए वहां कुछ नहीं हुआ। एक बात और मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर पुलिस की भर्ती हुई, वहां के एस.पी. ने ट्राइब्स के एक भी कैण्डीडेट को नहीं लिया। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग पानी पिलाने के लिए लगे हुये थे उनको राज्य सरकार ने निकाल दिया। वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज्यादा है। मैट्रिक पास लड़के चपरासी बनने की स्थिति में नहीं हैं।

इन्दिरा गांधी का जो ट्वन्टी प्वाइन्ट प्रोग्राम है उसके अन्दर यह पांइट रखा गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जायेगा। अभी सरकार ने जो बैन लगा रखा है, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का बैन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये नहीं लगाया जावे।

सभापति महोदय, मुझे छात्रावासों में पढ़ने का मौका मिला है उसमें उस समय तीन सौ ग्राम मक्की की रोटी मिलती थी वही आज भी मिलती है। एक तरफ आपने व्यवस्था कर रखी है फिर किस प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग सलेक्शन में आ सकते हैं, कैसे वे डाक्टर बन सकते हैं, कैसे वे आगे बढ़ सकते हैं। आज हालत यह है कि बहुत सी जगह जन जातीय क्षेत्र में आदिवासियों के पास रहने को मकान नहीं हैं। आपने जो 750- रु. का प्रावधान रखा है उससे यह व्यवस्था नहीं हो सकती है। हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पास बर्तन नहीं हैं, खाने को अनाज नहीं है, रहने को मकान नहीं है। उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। उनके लिये जितनी भी योजनायें सरकार ने बनायी हैं उनका पूरा लाभ उनको नहीं मिल रहा है। आदिवासियों के लिए कोई योजना नहीं है। इस मामले में हमारा अनुभव है कि छात्रावासों में बच्चों के लिये व्यवस्था ठीक नहीं है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में आपने स्कूल तो खोल दिये हैं लेकिन मास्टरों

(4.28 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

(श्री थानसिंह)

के अभाव में वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है, उनकी हालत बहुत खराब है। शिक्षा के मामले में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिशत बहुत घट रहा है। जिस प्रकार का वातावरण पहले था वह अब नहीं रहा है। बुनकरों और मेघवालों की स्थिति बहुत खराब है। उनको अच्छे कपड़े चाहिये मकान की अच्छी व्यवस्था चाहिये। उनके रोजगार के मामले में भी निवेदन कर दूं कि 180 पोस्ट को भरने में सरकार असफल रही है।

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के रोजगार के बारे में मैंने पहले आपसे निवेदन कर दिया है। आज, सभापति महोदय, रोजगार के दफ्तरों में भी सिर्फ पियोन की पोस्ट के लिये बात करते हैं पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पियोन की लिस्ट भी अभी तक वहां पर पड़ी हुई है। राज्य सरकार को उसको भी भरने की फुरसत नहीं है। आज सरकार बड़ी बड़ी पोस्टे भरने की बात तो करती है पर बड़ी पोस्टों के लिये अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आज भी उनको अगर कहीं पर नौकरी दी जाने की बात होती है तो पानी पिलाने वालों में और बर्तन मांजने की जगह पर उनको नौकर रखते हैं औरउनसे आज भी सेवा करवाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि उन लोगों को बड़ी पोस्टों से विशेष तौर से वंचित किया जा सकता है? सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये राज्य सरकार को चाहिए कि उनको साल दो साल के लिये पहले वर्क चार्ज की नौकरियों में रखा जाय। इसके अलावा पुलिस में सिपाही की पोस्ट पर भर्ती किया जाय व सभी पोस्टें उनके लिये रिजर्व की जानी चाहिये इसके अलावा उनको पटवारी के पदों पर नियुक्तियां दी जानी चाहिये। मैं बड़ी पोस्टों की बात नहीं करता हूं, पर छोटी पोस्टें तो हमारे बेरोजगार नवयुवकों को मिलनी चाहियें। मैं मानता हूं कि पढ़ाई की कमजोरी के कारण हमें आप बड़ी पोस्टों पर नहीं आने दे रहे हैं पर आपको हमें एल.डी.सी. और यू.डी.सी. की पोस्टों पर तो नियुक्तियां देनी चाहियें। आज हम जब कि डाक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते हैं तो आप हमें एल.डी.सी. और यू.डी.सी. तो बनाइये। आज हमारा उदयपुर डिविजन, जो कि जन जाति के लोगों से भरा हुआ है और आदिवासी क्षेत्र है, में वहां भी अगर आदिवासी लोगों को नौकरियां नहीं मिले तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि उदयपुर के एस.पी. ने पुलिस में जो भर्तियां की उसमें आदिवासी क्षेत्र के जनजाति के लोगों को सिपाही की भर्ती में भी नियुक्तियां नहीं दी। इससे ज्यादा बढ़कर जनजाति के लोगों के साथ क्या अन्याय हो सकता है। आज होना तो यह चाहिये कि पुलिस में सिपाही की भर्ती की जाय उसमें सेन्ट पर्सेन्ट रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों का होना चाहिये।

इस मौके पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जनजाति क्षेत्र में राजनैतिक मामलों में भी बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो वार्ड हैं वहां भी अनुसूचितजाति, जन-जाति के लोगों को रिजर्वेशन होना चाहिये। वहां पर जो सरपंच और प्रधान हैं उन सरपंच और प्रधानों में रिजर्वेशन होना चाहिये। आज वहां

(श्री थानसिंह)

पर जो प्रधान हैं वह दूसरी जाति के लोग हैं। चूंकि जन जाति के लोगों में राजनैतिक जागृति नहीं है इसलिये उनके नाम पर जो पैसा आता है वह लोग उस पैसे को हड़प लिया करते हैं। आज भी वह लोग उनके पैसे अपने पास रख लेतेहैं जिससे उनकी हालत नहीं सुधर सकती हैं उनको यह आदत छोड़नी चाहिये। जनजाति के लोगों का विकास कैसे हो और उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो उसके लिये कार्यवाही होनी चाहिये। बेरोजगारी की जो समस्या जनजाति के लोगों में हैं उसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिये। आज उन लोगों को नौकरी की गारन्टी नहीं है। आज हालत यह है, सभापति महोदया, आज भी जन जाति के लोग किसी ठाकुर के यहां जाते हैं तो उसको पास नहीं बैठने दिया जाता है। उसको हीन भावना से देखा जाता है। आज भी उनके साथ कोई खाना खाना या पानी उनके यहां पीना नहीं चाहता है। आज आप जो योजनायें बनाते हैं वह सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। छोटे मोटे उद्योग उनके द्वारा लगाने की जो स्कीम आप बनाते हैं और जो भी योजनायें बनाते हैं उसके लिये जो आप के अधिकारी जाते हैं वह उनके घरों में नहीं जाते हैं। वह लोग या तो तहसीदार के घर पर या पंचायत समितिके आफिस में जाकर बैठते हैं, या सरपंच के घर पर जाकर बैठते हैं। उन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

सभापति महोदया, हमारे देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने इन गरीब लोगों की हालत सुधारने के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है इसमें गरीबों की हालत सुधारने के लिये सूत्र दिये हैं जिससे कि उन लोगों को उसका लाभ मिले और उनकी हालत सुधरे। इसके लिये हमारे यहां के लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। आज हमारे जन जाति के लोग आदिवासी क्षेत्र के बच्चे जहां पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिये पूरी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है और न ही उनके रहने के लिये व्यवस्थित छात्रावास हैं। आज यही कारण है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं। दूसरे बच्चे जो इंगलिश स्कूलों में पढ़ते हैं, जो पब्लिक स्कूल में से पढ़कर आते हैं वह जल्दी ही नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। हमारे बच्चे उनमें रह जाते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप हमारे यहां पर भी प्राइवेट स्कूल खोलिये, इंगलिश स्कूल खोलें ताकि हमारे बच्चे भी उसी तरह शिक्षित हों, आज आप चाहें हमारे यहां पर दूसरी योजनायें मत खोलिये। मत खर्च कीजिये आप उल जलूल. फालूत योजनाओं पर पैसा।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार के द्वारा एक समाज कल्याण विभाग खोला हुआ है मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विभाग हमारे कल्याण के लिये नहीं है अपितु हमारे समाज का शोषण करने के लिये है। यह विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का शोषण करता है। यह विभाग ऐसा विभाग है कि इसमें जन जाति के लोगो के लिये जो बजट राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है उसको पूरी तरह से उन लोगों के लिये खर्च नहीं कर पाते है और इसका बजट बच जाता है आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उनके बजट का पैसा लैप्स हो जाता है। आज राज्य सरकार ने गरीब लोगों के कल्याण के लिये हाईकोर्ट में जो लीगल ऐड के लिये प्रावधान कर रखा है वह भी उन्हे नहीं मिल पाता है उसका भी जो बजट होता है वह बच जाता है क्योंकि उसके लिये भी इस राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। आज

(श्री थानसिंह)

आज बिना लीगल ऐड के हजारों गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है। यह कितने शर्म की बात है। आज जितना भी पैसा उसके लिये है वह सारा का सारा हो बचा हुआ है इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप हमारे लिये फिजूल खर्च की योजनायें नहीं बनायें, बेबुनियाद खर्च की योजनायें हैं उन्हें आप लागू मत कीजिये। आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में और विशेष तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में न तो कोई बिजली की व्यवस्था है और न ही सड़कों की व्यवस्था है, न वहां पर आज कोई उन लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था है। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी लागू किया जाये। आज बड़े बड़े सवर्ण लोगों के तो फार्म हैं पर हमारे वहां बहुत ही हालत खराब है।

तो मेरा यह निवेदन है आप उनकी ओर ध्यान दीजिये और यह आपकी पुरानी आदतों को छोड़िये और ऐसी योजनायें वहां लागू कीजिये कि वहां की आर्थिक हालत सुधरे। ऐसी व्यवस्था कीजिये जिससे कि आप उनके साथ जुड़कर उनकी हालत सुधारें बस मुझे इतना ही निवेदन करना है। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति . श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदया, आज सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की सन् 78-79 की रिपोर्ट के बारे में विचार हो रहा है। सभापति महोदया आज हमारे देश को आजाद हुए 35-36 साल हो गये है इतने वर्ष के बाद भी अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। यद्यपि किसी न किसी रूप में उनकी हालत सुधारने के लिये उपाय किये जाते रहे हैं पर जो शताब्दियों से पीड़ित किया है उन पापों के प्रायश्चित के लिये यह बहुत ही कम हुआ है। आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग गरीब हैं, आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग पिछड़े हुए हैं, आज यह लोग अशिक्षित हैं। आजादी के बाद इतने लम्बे समय में सरकार ने जो आज तक काम किया है उससे जितना लाभ उनको मिलना चाहिये था, जितना उनका विकास होना चाहिये था वह नहीं हो सका है अभी सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये इतना कुछ किया तो उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके लिये, मैं माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की गयी थी। संविधान की बदौलत ही यह सुविधायें मिली। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को यह सुविधायें संविधान के निर्माताओं ने दी उन्होंने इस सरकार की व्यवस्थायें संविधान में की थी, यह कोई कांग्रेस की बदौलत नहीं है। उसमें इस प्रकार के रिजर्वेशन किये गये थे जिससे कि हमारे सदियों से पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाया जा सके, हमारे यहां पर गरीब तबके के लोगों की आर्थिक हालत सुधर सके। और यही कारण है कि चाहे जो भी सरकार आयी वह कुछ न कुछ कार्य उनके लिये करती रही है। लेकिन फिर भी इतने लम्बे समय के बाद भी आज स्थिति कोई विशेष नहीं सुधरी हैं।

126

(श्री हीरालाल आर्य)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुसूचित ज़ाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति. महोदया, अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के लिये नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था है। यह व्यवस्था संविधान में की गई है कि हमारे लिए 28 प्रतिशत नौकरियां रिज़र्वेशन से मिलेगी। लेकिन इतने लम्बे समय तक राज करने वाली कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने लोगों को रिजर्वेशन दिया है, यह रिपोर्ट के आंकड़ों से प्रकट हो जायेगा। रिजर्वेशन के नाम को लेकर बहुत आन्दोलन होते हैं कि रिजर्वेशन समाप्त किया जाए। लेकिन यह मामला नाजुक है, रिजर्वेशन अति आवश्यक है। यदि देश की जनता यह चाहती है कि हमारे गरीब भाई ऊंचे उठें तो उसके लिए रिजर्वेशन आवश्यक है। प्रथम श्रेणी की नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिला है वह 4.54 प्रतिशत मात्र है। द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिला है वह 6.55 प्रतिशत के आसपास है। तृतीय श्रेणी में जो रिजर्वेशन के आधार पर नौकरियां दी गई हैं वह केवल 12प्रतिशत है। इन आंकड़ों के बाद यदि अनुसूचित जन जाति के आंकड़े प्रस्तुत करूं तो वे आंकड़े और भी खराब हैं। इससे सिद्ध होता है कि रिजर्वेशन के आधार पर हमें नौकरियां नहीं मिलीं। इसके लिए दोषी अगर किसी को कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि राज्य सचिवालय में राज करने वाले अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं।

दूसरा, शिक्षा के आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। राजस्थान में.. . .

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बीच में बात न करें।

श्री हीरालाल आर्य : यह अनुसूचित जाति का 12 प्रतिशत के आसपास पड़ता है। अभी माननीय श्री कैलाश मेघवाल अनुसूचित जाति के महिला शिक्षा के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। महिला शिक्षा 0.1- प्रतिशत है जो नहीं के बराबर है। कहने के नाम पर हमने अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को शिक्षा देने की व्यवस्था की है, छात्रावास खोले हैं लेकिन आज छात्रावासों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनमें रहने वाले बच्चों को नहीं के बराबर सुविधायें मिल रही हैं। न पढ़ने के लिये पुस्तक उपलब्ध हैं न रहने के लिए भवन हैं, न पहनने के लिये कपड़ा है और न किसी प्रकार की विशेष सुविधायें हैं। सिर्फ अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था की है वह नहीं के बराबर है। पिछले विधान सभा सत्र में मैंने छात्रावासों की सुविधाओं के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कुछ मुद्दे उठाए थे। उस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि कि हम इन छात्रों की सुविधायें बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज तक छात्रावासों में किसी तरह की सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

सभापति महोदया, यह सरकार कहती है कि जो अनुसूचित ज़ाति व जन जाति के छात्र पढ़ रहे हैं उसके लिए हमने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो छात्र स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं दी जाती इस कारण न बच्चे समय पर पुस्तक खरीद पाते हैं न फीस दे पाते हैं। छात्रवृति का अधिकारी दुरुपयोग करते हैं। स्कूलों और कालेजों में जो सुविधायें प्राप्त हो रही हैं वे नहीं के बराबर हैं।

(श्री हीरालाल आर्य)

कोटा में छात्रों द्वारा शिकायत करने के बाद भी व्यवस्था नहीं हुई। सभापति महोदया, 1981-82 की छात्रवृति अभी तक नहीं दी गई। यह बात सिद्ध करती है कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है कि अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्र आगे आकर खड़े हों और अपना विकास कर सकें।

राजस्थान में गरीबी 58 प्रतिशत है। उस 58 प्रतिशत में से अनुसूचित जाति व जनजाति का यदि हम प्रतिशत देखें तो वह 75 और 85 के आसपास पड़ता है। सरकार को अनुसूचित जाति व जन जाति के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति व जन जाति के गरीब लोगों पर जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए वह खर्च नहीं किया जा रहा है, अधिकारी इस पैसे को हजम कर रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आज जो सब्सिडी की राशि अनुसूचित जाति व जन जातियों के लिये दी जाती है वह उनको उपलब्ध नहीं होती। अधिकारी उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं। अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को वह सब्सिडी नहीं मिलती हैं। इस तरह के मुद्दे कई बार जिला परिषदों की बैठकों में और दूसरी बैठकों में उठाए गये। सरकार को भी अवगत कराया गया, सभापति महोदया, सब्सिडी के नाम पर अनुसूचित जाति के लोगों पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है क्या उसका सत्यापन किया है? क्या आपने देखा है कि सब्सिडी उन लोगों तक पहुंच पाती है या नहीं? अगर सब्सिडी पहुंच पाती है तो आज अनुसूचित जाति व जनजाति इतनी गरीब नहीं रहती।

सरकार इस बात का दम भरती है कि हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। सभापति महोदया, दो साल पूर्व हमने नागौर, कोटा और अलवर जिले में जो विशेष अदालतें प्रारम्भ की उनसे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध कराना तो दूर रहा, उनको न्याय प्राप्त करने में ही कठिनाई आ रही है। गांव की अदालतों के सारे मामले डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स पर ट्रांसफर होने से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिये शहरों में आना पड़ता है।

एक दिन आने में और एक दिन जाने में खर्च होता है। लेकिन सरकार इस बात को मान नहीं रही है। जो प्राथमिकता दी गई है उसका कोई विशेष औचित्य नहीं है, यह योजना व्यवहारिक नहीं है। सरकार की बुद्धि पर तरस आता है कि इन विशेष अदालतों को समाप्त नहीं कर पा रही है बल्कि केवल यह घोषणा कर रही है कि हम इनको समाप्त कर रहे हैं। अभी तक गरीब लोग जिला हैडक्वार्टर पर आते हैं। सस्ता और सुलभ न्याय की दृष्टि से कानूनी सहायता देने के लिये जो विभिन्न प्रकार का फंड अलॉट किया जाता है वह फंड निश्चित रूप से खर्च नहीं किया जा रहा है और उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरी मान्यता है कि अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वित्त निगम के माध्यम से कुछ अनुदान

(128)

(श्री हीरलाल आर्य)

दिया गया था। उस के आधार पर उनको बसेज़ दिलाई गई थी ताकि अनुसूचित जाति व जन जाति के गरीब लोग कुछ कमा पायें। मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, कई बार अनुसूचित जाति के लोग इनसे मिले हैं और इनसे कह है कि आपके नियम कठिन हैं। इस वजह से जो उनको हैल्प मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है। इस कारण हाई कोर्ट के चौराहे पर बसे जा खड़ी हुई हैं। यदि सरकार इस बात का दम भरती है कि इन जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उनको विशेष सुविधायें देकर बसेज की व्यवस्था की है तो कई महीनों से बसेज हाईकोर्ट के पास क्यों खड़ी हुई हैं? इतना ही नहीं, वे इन कठिनाईयों के बारे में परिवहन मंत्री, मुख्य मंत्री से भी मिले। उनसे कहा गया कि यह आपको बरबाद करने के लिये हैं और आपको बरबाद करके ही रहेंगे।

अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, रुढिवादी हैं। अभी तक उनसे छूआछूत किया जाता है, मार-पीट की जाती है, झगड़ा, बलात्कार व हत्यायें की जाती हैं। आये दिन अखबारों में इस तरह की घटनायें आती रहती हैं। इस प्रकार की घटनायें दिनोंदिन बढ़ रही हैं।

(1.48 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

इसके कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन जातियों के लोगों के साथ जो अच्छे व्यवहार की बात की जा रही है वह दिखावा मात्र है। मैं चाहूंगा कि इन लोगों को वास्तव में ऊंचा उठाने के लिए सही तौर तरीके से और मान्यता के आधार पर विचार किया जाय। उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों, जिनकी संख्या करोड़ों में हैं, को ऊपर उठाने के लिए किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे लोग अपने अधिकार चाहते हैं तो उनको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, एकता की भावना से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जब वे ऐसा करेंगे तभी इस देश में समृद्धि आएगी जिसकी कि आज आवश्यकता है।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उधर से कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : खेतसिंह साहब मना करते जा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): यह तो अध्यक्ष महोदय का काम है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सात सदस्यों के नाम पुकारे गये थे, अध्यक्ष महोदय, यहां बोलने कोई ..

(व्यवधान)

(श्री दाउदयाल जोशी)

नहीं आया, यह तो षड़यन्त्र है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनकी समस्यायें सॉल्व हो चुकी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर समस्या सॉल्व हो जाती तो वह पीछे नहीं पड़ते। समस्या सॉल्व नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदस्यों पर मुख्य सचेतक और बाकी के सचेतक दवाव डाल रहे हैं। आप उनको थोड़ा प्रोटेक्शन तो दीजिए। एक सदस्य श्री बजारी को पकड़कर ले गये, बाकी सदस्य बोल नहीं रहे हैं इसका मतलव यह है कि सरकार आतंकपूर्ण कार्यवाही से माननीय सदस्यों को दबाना चाहती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह ख्वाम ख्वाह ख्याली पुलाव बनाया है। न तो इनसे कोई हमारा सदस्य मिला है, न ही यह किसी सदस्य से मिले हैं। यह कैसे कह रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है कि आज किसी को नहीं बोलने दूंगा, मेरा नाम खेतसिंह है।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुसूचित जाति और जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने गम्भीर सुझाव सरकार को दिये हैं। यह रिपोर्ट बहुत पुरानी है जो हमें मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने पिछड़े वर्ग के आर्थिक विकास पर जोर दिया है। यह वात अलग है कि राजस्थान सरकार से लेकर भारत सरकार तक हरिजनों के विकास की बात करती है, वह 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से या 5 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग के नाम से, वित्त निगम के नाम से, हरिजन विकास निगम के नाम से, उनके विकास कार्यक्रमों की घोषणा करती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा। अब तक जो चर्चा सत्ता पक्ष में चल रही है, मैं समझता हूं, सरकार का उसके प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया रहा है। अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों का रोजगार कितना सुरक्षित है? आप बांसवाड़ा या डूंगरपुर जिले में चले जाएं या उस रेगिस्तानी जिले में चले जाए वहां पर आपको आज भी विकास नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ग के उत्थान करने का जो एकमात्र तरीका है वह है, आर्थिक दृष्टि से उत्थान। अगर हम उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दें तो उनका विकास स्वतः ही हो जायेगा। मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम कितने लोगों को रोजगार दे पाये हैं और उनका रोजगार कितना सुरक्षित है? हमको कहा था कि राजस्थान सरकार के मंत्री मंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि हम हरिजन युवकों को रोजगार देंगे। उस समय कितना अच्छा लगा कि सरकार कुछ तो करने जा रही है, आज तक हमने अखबारों में पढ़ा था किन्तु आज राजस्थान सरकार का निर्णय अखबारों में छपा है कि राज्य सरकार उनकी स्थिति में सुधार करना चाहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर समाचार छपा कि राजस्थान में सरकार ने नियुक्तियों पर पाबन्दी लगा दी है। हम समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि नियुक्तियों पर पाबन्दी क्यों लगाई? आपने कहा था कि हम राजस्थान के गरीब वर्ग की लड़कियों को रोज़गार देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद राजस्थान

130

(श्री गोपाल पचेरवाल)

के मुख्य मंत्री का बयान आया कि सारी नियुक्तियों पर पाबन्दी लगा दी जायेगी। तो इसमें कौनसी बात सही है? माननीय समाज कल्याण मंत्री जब उत्तर दें तब बतायें कि राजस्थान के मुख्य मंत्री की दोनों बातों में से कौन-सी बात सही है। इस बात का आप स्पष्टीकरण अवश्य दें। अध्यक्ष महोदय, उनका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, एक ही बात पर टिका हुआ है कि उनका आर्थिक दृष्टि से उत्थान कर दिया जाये। आप उनको कब रोजगार दे पायेंगे?

राजस्थान में वित्त निगम द्वारा घोषणा की गई कि हम उद्योग लगा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उद्योग लगाने के लिये जो आवेदन-पत्र आये हैं उनमें से कितने आवेदन पत्र हैं हरिजनों के और उनमें से कितनों के आवेदन-पत्र मन्जूर किये गये हैं? हरिजन वर्ग के कितने लोगों का ऋण स्वीकृत हुआ? जयपुर में जो वित्त निगम का कार्यालय है, आज भी उस वर्ग के आवेदन-पत्र वहां पड़े हुए हैं और स्वीकृत नहीं हुए हैं। आप उद्योग लगाने की बात करते हैं लेकिन उनके आवेदन-पत्रों को चैक नहीं किया जाता। प्रशासनिक या कोई और तरीके से गलती बताकर उनको अटका दिया जाता है। जो राजस्थान का गरीब आदमी है उसको आप उद्योग लगाने के लिए कहते हैं लेकिन वह उद्योग नहीं लगा पाता आपके कारण। आप घोषणा करते हैं कि हम पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहन देंगे, आप बता सकेंगे कि इस वर्ग के कितने लोगों के आवेदन-पत्र आपके पास विचाराधीन हैं जिनको 10 दिन के भीतर निपटा दिया जाना चाहिये था? आप उनको स्वीकार करें और उनको उद्योग लगाने में प्रोत्साहन दें। अभी एक माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, जब पहाड़िया जी···

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : एक घण्टे में क्या बहस होती है···

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया गया।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के 26वें प्रतिवेदन पर विचार

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया, तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने हरिजन होने के नाते घोषणा की थी कि हरिजनों को पांच हजार रुपया दिया जायेगा, बस चलाने के लिए। हरिजन लोगों ने पांच हजार रुपये जमा कराके बसें ली लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वह बसें राजस्थान हाई कोर्ट के चौराहे पर पुलिस की हिरासत में खड़ी हुई हैं। आज राजस्थान में जो बसें लम्बे रूट पर चलती हैं उनको एक रुपया अस्सी पैसा एक किलो मीटर का दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा, डीजल के दाम बढ़ गये। आप स्वयं, मंत्री जी, आंकड़े उठाकर देखें कि कितने भाव बढ़ गये हैं। टायरों के भाव बढ़ गये हैं। आप टायर कम्पनी से चन्दा लेते हैं इसलिए आप जब चाहते हैं तब टायरों की कीमत बढ़ा देते हैं। राजीव गांधी के राजस्थान में आने पर राजस्थान के बस चालकों ने चन्दा नहीं दिया। इस-

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लिए उनकी बसें राजस्थान हाई कोर्ट के चौराहे पर खड़ी हुई हैं। राजस्थान सरकार इस पर सोचेगी और विचार करेगी। उनकी जो वाजिब मांगें हैं उनका जो वाजिब पैसा है वह उनको मिलना चाहिए। उनको भी जयपुर से भीलवाड़ा, जयपुर से उदयपुर आदि लम्बे रूट अलॉट करने चाहिए। राजस्थान के हरिजन बस चालकों के रूट नहीं बढ़ सकते, डीजल, टायरों की कीमत बढ़ सकती है। लगता है, यह लोग माननीय मंत्री जी को खुश नहीं कर पाये। आप बात करते हैं उनके उत्थान की उनको ऊपर उठाने की,

मैं पूछना चाहता हूं कि उनके रूटों को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों आज उनकी-बसें, हाई कोर्ट के चौराहे पर खड़ी हुई हैं। राजस्थान सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। यह सरकार हरिजन विरोधी है, यातायात मंत्री हरिजन विरोधी हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्री आप उस वर्ग के हैं, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आप सरकार से अपनी बात मनवा सकेंगे?

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो शहरों में सिटी बसें चल रही हैं उनको बंद करने की बात चल रही है। हमारे यातायात मंत्री बहुत प्रभावशाली हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा और राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट बसों के परमिट दिये जायेंगे, सिटी बस के परिमिट दिये जायेगें या और दूसरे परमिट दिये जायेंगे यह उन वर्ग विशेष के लोगों को दिलवाने की व्यवस्था करें जो कि पिछड़े वर्ग के और हरिजन वर्ग के हैं। नये रूट्स पर उनको परमिट दिलवाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि आप उस वर्ग के व्यक्ति हैं इसलिये आप उनके बारे में सोच सकते हैं। हम हमारे यातायात मंत्री जी से आशा नहीं कर सकते क्योंकि वह तो किसी शर्मा, ब्राह्मण या बनिये की बात करेंगे। राजस्थान के हरिजन राजस्थान के यातायात मंत्री से उम्मीद नहीं कर सकते लेकिन जो हरिजनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे तो उम्मीद कर सकते हैं। इसलिये समाज कल्याण मंत्री महोदय आपका ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आपकी सरकार इस प्रकार का निर्णय लेने वाली है और परमिट देने वाली है अतः आप इस पिछड़े वर्ग के लोगों को वित्त निगम से विशेष लोन दिलवाये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से समाज कल्याण विभाग ने पहल की, मुझे अच्छे काम की प्रशंसा करने में संकोच नहीं है, आपत्ति नहीं है। पहली बार राजस्थान में सीधी भर्ती उन लड़कियों की की है जो कि बेरोजगार थी। समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण मंत्री महोदय ने महिला सुपरवाइजर की पोस्ट के लिये तीस चालीस हरिजन लड़कियों को बिना किसी आवेदन के आमंत्रित किया। पहली बार समाज कल्याण विभाग में इस तरह का काम हुआ है। हमने कहा कि समाज कल्याण विभाग हरिजनों का और राज करेंगे ब्राह्मण। यह पहली बार हमको देखने का मिला। हमने जनता शासन में भी यह बात कही थी कि राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के मंत्रालय में मंत्री हरिजन हो उसका डायरेक्टर हरिजन हो, उसमें चपरासी से लेकर सारे अधिकारी हरिजन हों। आज पहली बार डायरेक्टर भी हरिजन है और समाज कल्याण मंत्री भी हरिजन है। मैं तो सरकार के इस कदम की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। लेकिन सिर्फ इससे परिवर्तन आने वाला नहीं है।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जितने भी अधिकारी हैं, चाहे जिला स्तर के हों या समाज कल्याण छात्रावास स्तर के हों, जब तक आप हरिजन अधिकारियों को नहीं लगायेंगे तब तक छात्रावासों का राशन पानी, अध्यक्ष महोदय, होस्टल सुपरिन्टेंडेंट खा जायेंगे। जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि होस्टल में आज भी वही रोटी मिल रही है जो पहले मिलती थी जब हमने पढ़ाई की थी। मैं कहना चाहूंगा समाज कल्याण मंत्री महोदय से कि आप इसमें कोई विशेष प्रयत्न करें। आप उन लोगों को प्लाट दिलाने की पहल करें तो उन लोगों का भला हो सकेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इससे हम उद्योगों में आगे बढ़ जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कई समस्यायें हमारे सामने हैं। छोटे गांवों में आज लोग धंधा परिवर्तन करना चाहते हैं। अभी भंगी कष्ट मुक्ति की बात माननीय सदस्य श्री आर्य साहब ने कही थी। भारत सरकार इस पर बड़ा बजट खर्च करती है। इन्दिरा गांधी भी भंगी कष्ट मुक्ति की बहुत बातें करती हैं, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की बात करती हैं। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के द्वारा फ्लश लेट्रिन बनाने के लिए 300 रुपये का अनुदान दे देंगे, क्या इससे जो भंगी कष्ट मुक्ति का अभियान है उसके लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी? मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि किसी ब्राह्मण को फ्लश लेट्रीन बनाने के लिए यह 300 रुपये का अनुदान नहीं दे रहे हैं बल्कि आप सीधे-सीधे उसको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। भंगी को कष्ट से मुक्ति नहीं दिला रहे हैं बल्कि आप उस वर्ग विशेष के व्यक्ति को 300 रुपये की सहायता दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे कोई सामाजिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। इससे सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त होने वाली नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा, आप इस तरह की योजना बनायें नगरपालिका के द्वारा दुकानें बनवाई जायं यू. आई. टी. द्वारा दुकानें बनवाई जायं शहरों में और सीधे उनको अलाट कीजिये। जैसे आपकी किसी नगरपालिका ने 50 दुकानें बनाई हैं तो उनमें से 40 दुकानें हमारे वर्ग के लोगों को मिले। इसके लिये अनुदान मिले। कम भाव पर वे दुकानें दें और उनसे कहें कि आप धंधा परिवर्तन कीजिए, आप यहां जूतों की दुकान लगाइये। आपके यहां से कोई तेल साबुन नहीं खरीद सकता, आटा नहीं खरीद सकता, गेहूं नहीं खरीद सकता तो आप जूते की ही दुकान लगाइये। उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वह धंधा परिवर्तन करें तो ही आप कुछ विकास कर पायेंगे, अन्यथा कहने मात्र से ऐसा होने वाला नहीं है। यह आपने कह दिया कि 300 रुपये समाज कल्याण विभाग की ओर से भंगी कष्ट मुक्ति के आधार पर हमने अनुदान दे दिया और उसने लेट्रीन बना ली और शुद्धता ने उसके घर में प्रवेश कर लिया और भंगी कष्ट मुक्ति का अभियान पूरा हो गया। इससे न तो भंगी कष्ट मुक्ति का अभियान पूरा होगा और नहीं कुछ परिणाम आने वाला है और न आपके लक्ष्य की पूर्ति होने वाली है। अगर सरकार इस भंगी कष्ट मुक्ति अभियान के आधार पर सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा को समाप्त करना चाहती है तो निश्चित रुप से आपको क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन की बात आपको करनी पड़ेगी, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिये आप उनका धंधा परिवर्तन कराईये उनको दुकानें दीजिए। दुकानें दिलवाने के

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लिए वित्त निगम से और बैंक से सस्ते ब्याज पर कर्जा दिलवाईये। आप उनको इस ओर अग्रसर कीजिए तभी आपके लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी नहीं तो कुछ नहीं हो सकेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं। इसके लिये आपने प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाया अब प्रशासन शहरों की ओर जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जितनों को भी आपने जमीन का अलाटमेंट किया, क्या उनको आज कब्जे मिल गये? आज उन लोगों को जमीन के कब्जे नहीं मिले हैं। जमीन उनको मिल गई लेकिन आज भी उस जमीन के ऊपर गांव के जागीरदार का कब्जा है, आज भी उस जमीन पर गांव के लाठीधारियों का कब्जा है। आज भी पुलिस उस गरीब की मदद नहीं कर पा रही है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, श्रीमन्, कि पुलिस पहुंच गयी लेकिन कब्जा नहीं मिला। हमने कलेक्टर से कहा और कई चिट्ठियां लिखीं। वह कहते हैं, मामला विचाराधीन है लेकिन लोग न्यायालय में चले जाते हैं। वह न्यायालय में क्यों नहीं जायेंगे? आपने जमीन अलाट कर दी, सीलिंग से प्राप्त जमीन आपने आवंटित की है लेकिन जमीन को आपने भूमिधारियों से मुक्त नहीं कराया आज भी जमीन उसके कब्जे में हैं। एस.डी.ओ. ने उस जमीन का आवंटन कर दिया। आवंटन उसको हो गया लेकिन पटवारी ने मौके पर कब्जा नहीं दिया। जब गरीब आदमी खेती करने गया बिना पटवारी के कब्जे दिये, तो भूमिधारी उस पर लाठी लेकर तैयार हो गया। जब वह गरीब पुलिस में गया तो पुलिस ने उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कर ली और उसके खिलाफ केस बना दिया। वह आज जूते तोड़ रहा है अदालत के दरवाजों पर, और वकील को पैसे दे रहा है। उसकी कोई सुनता नहीं है। थानेदार उसकी मदद करता नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हमने इतने हजार एकड़ जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को आवंटित कर दी। आवंटित तो कर दी वह आप की रिपोर्ट में और सेक्रेटेरियेट की फाइलों में है। आप वहां जाकर देखिये कि आपने जो जमीन आवंटित कर दी उस जमीन पर उसको कब्जा मिलाया नहीं। आपके कितने कलेक्टर ने कब्जा दिलाया?

हम कहना चाहेंगे, पिछले सत्र में भी मैंने यह बात कही थी कि इस राजस्थान की सरकार में शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने कलेक्टर हैं और कितने आई.ए.एस. ऑफिसर शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं? आप उनको डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर लगा दीजिये वह कब्जा दिलायेंगे क्योंकि उनके वर्ग का सवाल होगा। लेकिन आप एस.पी. को बैठा रहे हैं एन्टीकरप्शन में, आप उसको बैठा रहे हैं जयपुर में। वहां लगेगा कोई राणावत, कोई सज्जनसिंह, कोई विश्वनाथ सिंह, और न जाने कौन-कौन लगेंगे। कलेक्टर वह बनेगा। एस.पी. वह बनेगा। आप नाम लेने को कह देंगे कि बीकानेर में हमने एस.पी. लगा रखा है जो शिड्यूल्ड कास्ट का है। आप कह देंगे यह, लेकिन आप जानते हैं कि कितना आपने उसको जलील किया था, कितना उसको परेशान किया था। आज बीकानेर का एस.पी. तो काम कर सकता है लेकिन बूंदी का एस.पी. काम नहीं कर सकता है। बूंदी का एस.पी., जयपुर का एस.पी. जाकर कब्जा नहीं दिला सकता। जयपुर का कलेक्टर कब्जा नहीं दिला सकता। जयपुर के कलेक्टर

(श्री गोपाल पचेरवाल)

के बारे में, मैं कह सकता हूं, मैंने उनको कई बार कहा। पिछली बार विधान सभा में भी यह मामला उठाया था। कि सन् 75 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री भूपाल मेघवाल को रामगढ़ में भूमि का आवंटन हुआ था लेकिन उसको कब्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपका कलेक्टर क्यों नहीं दिलवाता कब्जा? यहां का डी.एस.पी. पुलिस फोर्स लेकर चला गया था। कब्जा दिलवाने के लिए लेकिन पैसे लेकर वापस आ गया। यह दिखवा लीजिए, रामगढ़ के भूपाल मेघवाल को आजतक भी जमीन का कब्जा नहीं मिला है। मैं पूरे आधार पर आपको अर्ज करता हूं मेरी जानकारी के अनुसार आज इस पर बहस खत्म की जा रही है वरना मैं आप को बताता कि आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। जमीन अलाट हो जाती है लेकिन कब्जा नहीं मिलता। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर लगाइये ताकि आपकी नीति को वह क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे और आपकी जो भावना है और जो आप असलियत में चाहते हैं कि गरीब का भला हो और हरिजनों को जमीन मिले, उसका आर्थिक विकास हो यह लक्ष्य आपका पूरा हो सके। आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स के जिस कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लगाया है शिड्यूल्ड कास्ट्स के जिस एस. पी. को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लगाया है मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से कहना चाहूंगा कि आप आंकड़े उठा कर देख लीजिए, आपने बीकानेर में पुलिस में एस.पी. को लगाया है वहां के आंकड़े उठाकर देख लीजिए वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीनों के ज्यादा कब्जे मिले हैं। आप आंकड़े मंगाकर देखेंगे तो पायेंगे कि उससे पहले वाले एस.पी. ने कब्जा नहीं दिलाया है और न ही पहले वाले कलेक्टर ने कब्जा दिलाया है। मैं जानता हूं कि उनका लगाव इस वर्ग के प्रति नहीं है।

उस गरीब आदमी को आपकी नीति का लाभ इसलिये नहीं मिला कि आपने जो जमीन अलाट की उसका कब्जा उसको नहीं मिला। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा सरकार से कि इस बारे में उचित कदम उठायें।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। अभी बात चल रही थी छुआछूत की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कानून बना हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा, राजस्थान में छुआछूत के केसेज में कितने लोगों को आपने सजा दिलवाई। कोई हरिजन किसी होटल वाले के खिलाफ, किसी मन्दिर के पुजारी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जायेगा तो अव्वल तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जायेगी और अगर दर्ज की जायेगी तो जिस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जायेगा वह शक्तिशाली होगा। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक हरिजन को इसलिये गोली का शिकार होना पड़ा था उसने होटल में प्रवेश करने का प्रयास किया। उस क्षेत्र से कांग्रेस के सदस्य उस गोली मारने वाले को बचाने में लगे हुए थे। हरिजन मारा गया। आज गरीब हरिजन होटल में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं।

आज गरीब हरिजन होटल में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। संविधान में जो अधिकार दिया है उस अधिकार की मांग करने वाले को गोली से मारा गया। मैं कहना चाहता हूं, उसको गोली से उड़ा दिया गया लेकिन आपकी राजस्थान सरकार ने गोली मारने वाले को बचा लिया। मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान में ऐसे कितने केस हैं जिनमें छुआछूत करने के आधार

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पर आपने सजा दिलवाई है ? मैं मांग करना चाहूंगा, राजस्थान में इसके लिये एक क्षेत्र बनाया जाय, जिस तरह से वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं उसी तरह एक अभियान कांग्रेस के विधायकों के माध्यम से चलायें । हर क्षेत्र में कांग्रेस का कार्यकर्ता आसपास के क्षेत्र में हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश करायेगा, होटल में प्रवेश करायेगा, नाई से वाल कटवाने का कार्य करेगा, उसको कोई डराने धमकाने का काम नहीं होने देगा । है आपमें यह नैतिक साहस ? अगर नैतिक साहस आप में हो तो आप घोषणा कीजिए कि कल से कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने पंचायत क्षेत्र में, अपने गांव में जाकर हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश करायेगा मैं कहना चाहूंगा, कितने मंत्री यहां बैठे हुये हैं क्या वे कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश करायेगें ? क्या नाथद्वारा के मन्दिर में हरिजन का प्रवेश करायेंगे ? है यह आप में नैतिक साहस ? आपको साहस जुटाना होगा । लेकिन आपमें साहस नहीं है क्योंकि आप वोट की राजनीति करते हैं, वोट के नाम पर आप गरीब का प्रयोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं । गांधी जी की तस्वीर पर आप माला पहना दोगे और गांधी जी की जयन्ती पर आप हरिजन बस्ती में जाकर पानी पीकर आसपास के वोट पूरा कर लेंगे ।

मैं कहना चाहता हूं, आप परिवर्तन की बात करते हैं, आप जात तोड़ने की बात करते हैं, । वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की बात करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वास्तव में जात तोड़ने में विश्वास रखता है । कोई भी माननीय सदस्य जात तोड़ने को तैयार है ? मैं आह्वान करता हूं, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता खड़ा होकर यह घोषणा कर दे कि वह अपने जिले में होटल में हरिजन को प्रवेश कराने का अभियान चलायेगा वह अपने जिले में मन्दिर-प्रवेश कराने का अभियान चलायेगा । लेकिन नहीं कर सकता . .

एक माननीय सदस्य : मना ही नहीं है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप करिये । आप ले जाते ही नहीं है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । समय काफी हो गया है । कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कांग्रेस के सिद्धान्त में है ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह सिद्धांत बनाया है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । कृपया बैठ जायें । ऑर्डर , ऑर्डर । कृपया आप शीघ्र समाप्त करें ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं जानता था, अध्यक्ष महोदय···

श्री परसराम मदेरणा : मन्दिर में प्रवेश की बात तो ठीक है । कौनसे मन्दिर की बात करते हैं ? गोविन्ददेव जी का भी है···

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ' यह हिम्मत बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं ने की है। आपमें है कोई हिम्मत ...

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : हिम्मत की आपने ?..

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य हमको भोजन पर आमंत्रित करें जिसमें हम सभी एम.एल. एज. आपके घर भोजन करने के लिये आयेंगे ...

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : पीने के पानी की व्यवस्था कर दो..

श्री यदुनाथसिंह : गरीब के पास खाने को पहले ही नहीं है...

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल अध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब सदन के माननीय सदस्य रहे हैं आप मेरे घर भोजन करने की बात कर रहे हैं मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन जयपुर के एक सफाई कर्मचारी के यहां आप भोजन करने के लिये आयें तो मैं व्यवस्था कर दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : हम वहां भी आ जायेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : जिस दिन आपका व्रत न हो, बता देना।

श्री यदुनाथ सिंह : गरीब के पास खाने को पहले ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, छूआछूत के संबंध में। मैंने सरकार को जो सुझाव दिये हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वे इस तरह का अभियान चलाने की घोषणा करें, चाहे गांधी जयन्ती पर करें या कभी भी करें, आपका यह कदम साहसिक कदम होगा।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। छूआछूत के संबंध में जो मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं, मैं न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की भावना से नहीं कह रहा हूं। जब न्यायालय में जाते हैं तो गरीब व्यक्ति के सामने बहुत परेशानी आती है। उसको शक्ति के आधार पर दबाने की कोशिश करते हैं इसलिये मैं चाहूंगा, सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि एक निश्चित अवधि के अन्दर उस केस का निपटारा किया जाना चाहिये। जिस तरह से आपने विशेष न्यायलय खोलें हैं, छूआछूत के केसेज के लिये विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिये। यह सीमा निर्धारित की जानी चाहिये कि जो मुकदमा दर्ज होगा, 6 महीने के अन्दर उस पर निर्णय ले लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि केस चलते भी हैं तो प्रायः उनमें समझौता हो जाता है और उन दोषियों को सजा नहीं मिल पाती।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अभी कई माननीय सदस्य खड़े हो गये और विशेष रूप से शर्मा जी को आपत्ति हो गई। मैं जानता था कि वे बोलेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी में एक मेहत्तर व्यक्ति सदस्य हैं मांगीलाल आर्य जी, उनको मंत्री बनाया था। अब, मदेरणा जी या शर्मा जी या पण्डित जी, आप खड़े होकर एक बात कह दीजिये कि क्या भंगी के बेटे को मंत्रिमण्डल में रखने का आप साहस रखते हैं ? पहाड़िया जी ने साहस किया था। आपकी माथुर सरकार में है हिम्मत ?..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस ने तो बनाया है..

श्री परसराम मदेरणा : समाज कल्याण मंत्री ही हरिजन का बेटा है ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। आरक्षण के बारे में माननीय सदस्यों ने महत्व-पूर्ण सुझाव दिये हैं, चाहे वे इस ओर के हों, चाहे उस ओर के हों : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आरक्षण के बारे में सरकार बड़ी उदासीन है।

आरक्षण की पालना सही तरीके से नहीं की जा रही है। आप चाहें तो सारे राजस्थान के आंकड़े मंगवाकर देख लें, आज रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया जाता। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जाकर वहां का रोस्टर प्रणाली का रजिस्टर उठाकर देख लें, चाहे कोई भी जगह हो, आज उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है और यह रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आरक्षण के आधार पर जो रोस्टर सिस्टम लागू नहीं किया जा रहा, उसको प्रभावी तौर पर सरकार को लागू करना चाहिए। जो संबंधित अधिकारी हैं अगर वह रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं करता है तो राजस्थान सरकार को निस्संकोच होकर, साहस के साथ उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, चाहे वह किसी का भतीजा हो, चाहे किसी मंत्री का भाई हो, । आज जो रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा है उसके लिये सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आरक्षण के संबंध में यह कहते हैं, योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। तो अब उसकी योग्यता क्या हो। जो दोहरी शिक्षा पद्धति आपकी है उसके कारण अमीर व्यक्ति का बेटा आपके मान्टेसरी स्कूल में शिक्षा लेकर आ रहा है, सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके आ रहा है। जब वह दोनों व्यक्ति, श्रीमन् परीक्षा में बैठते हैं, आर. ए. एस. की परीक्षा में बैठते हैं, आर. टी. एस. की परीक्षा में बैठते हैं, आई. ए. एस. की परीक्षा में बैठते हैं तो उनका रिटन टैस्ट होता है तो उसमें अच्छे उत्तर कौन लिख पायेगा, अच्छी अंग्रेजी में उत्तर कौन दे पायगा ? वही दे पायेगा जिसने शुरू से लेकर बी ए. तक अंग्रेजी पढ़ी है। गरीब हरिजन का बेटा, उस गरीब चमार का बेटा, जिसने सरकारी स्कूल में, गांव में स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, अंग्रेजी में उसका उत्तर नहीं दे पायेगा। तो हरिजन का जो चयन होगा वह अंग्रेजी के आधार पर होगा क्योंकि इस देश में अंग्रेजी के आधार पर नौकरी देने की परम्परा है। देश में आरक्षण की परम्परा योग्यता के आधार पर है। मैं कहना चाहूंगा, श्रीमन्, कि आज सामाजिक आधार पर आर-क्षण की नीति आपने लोगों पर लागू कर रखी है। पूंजी सारे देश में कुछ लोगों के पास है लेकिन जब हमारे लिये आरक्षण की व्यवस्था है तभी इस मामले में आवाज उठाते हैं। चाहे कोई भी आदमी हो, सरकार को इस मामले में पहल करनी पड़ेगी, प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे आप लोगों को निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा कि आरक्षण में योग्यता का जो माप-दण्ड है उसको तोड़ें। अगर योग्यता में कमी है तो आपको उसमें छूट देनी पड़ेगी और उनके प्रमोशन के लिये रोस्टर सिस्टम को प्रभावी बनाना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है ।

(138)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने विधायकों के लिये राजस्थान में जो आरक्षण कर रखा है उस कारण कुछ लोग इस वर्ग के विधायक बनकर आ जाते हैं। हम उन लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान विधान सभा में कुछ लोग बैठते हैं। इस सदन में उनके बारे में चर्चा करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों में हमारा आरक्षण नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि आरक्षण के आधार पर कितने प्रमुख हैं? क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान की नगरपालिकाओं में चैयरमैन आरक्षण के आधार पर हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है कि आरक्षण के आधार पर राजस्थान की इतनी पंचायतों में इतने सरपंच हैं? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तवमें स्थिति को हम देखें तो वहां कुछ नहीं है। आप राजनैतिक आरक्षण को विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा से गांव की पंचायतों तक ले जायेंगे, सरपंच तक ले जायेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप कह देंगे कि पंचायतों में वार्ड पंचों के लिए आरक्षण देंगे। लेकिन वार्ड पंच वह जीत कर आते हैं जो किसी बड़े आदमी की दया पर निर्भर हैं। उसकी दया पर वह लोग जीत कर आते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान में 20 पंचायतों में या 10 पंचायतों में या 20 नगरपालिकाओं में चेयरमैन के लिए आरक्षण करें। जिस तरह विधान सभा में आरक्षण का मापदण्ड है, उसी मापदण्ड के आधार पर नगरपालिकाओं में अध्यक्ष, जिला परिषदों में प्रमुख और पंचायतों में सरपंचके लिये आरक्षण नीति निर्धारित करेंगे तो बहुत अच्छा कदम होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह सारे जो मैंने आपके समक्ष और सरकार के सामने रखे हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से समाज कल्याण मंत्री इनका उत्तर देंगे। महत्वपूर्ण सुझाव आपके सामने रखे हैं, आप इन पर गम्भीरता से विचार करके इन का उत्तर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी जो उस वर्ग के प्रति आप करेंगे। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं।

आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दर लाल।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आयुक्त की वर्ष 1978–79 की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। जहां तक छूआछूत की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भले ही 10 साल तक कोशिश कर लें, छूआछूत की बीमारी नहीं जायेगी क्योंकि मन्दिर में आज जाने को कोई राजी ही नहीं है। हम मन्दिर में जाकर क्या करेंगे। हम तो उस मन्दिर में जाना चाहते हैं जहां गरीबों का उत्थान हो। मन्दिर में चाहे आप 24 पर्दे लगा दें मन्दिर की जरूरत हमको नही है हम मन्दिर का क्या करेंगे। हम मन्दिर में जाना नहीं चाहते सिंचाई मंत्री भी कह रहे थे मैं तैयार पर हरिजनों को न्योता कौन जिमावें। टाट फूट जावें उसकी मेरे क्षेत्र में एक छांन किया मैं स्पेशल दाल बाटी चूरमा बनवाया, उसको जाट सारे मिलकर खा गये, हरिजन बेचारों ने

(श्री सुन्दरलाल)

दाल रोटी खाई। इसलिये तो यह चाहते हैं कि जिस हरिजन को विकास के लिये, छप्पर के लिये 750 रुपये हम देते हैं मैं मंत्री जी और सिंचाई मंत्रीजी से कहूंगा कि इसमें कोई घोटाला नहीं हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए आप प्रतिज्ञा करें कि हरिजनों को यह रुपया सीधा मिले और उसी को मिले जिसके नाम से प्रस्ताव हो। जो 5000 रुपये कर्जे के रूप में हरिजन को दिये जाते हैं वह भी उसी को मिले।

पिछली बार यहां सुना था कि छात्रावास के लिए एक कमेटी बनायी जाती है। तो यह छात्रावास नहीं है, वह सांडशाला बना रखी है। इसके लिए एक अध्यापक देते हैं, वह अध्यापक रहता है और एक अन्य आदमी रहता है। वह 50 लड़कों का नाम लिख लेता है और पैसा खा जाता है। आज मंत्री महोदय अपने जवाब में इसमें सुधार करने की बात करेंगे।

इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो हरिजनों के बच्चे पढ़ते हैं उनके इलाज के लिए डाक्टर को 75 रुपये दिये जाते हैं लेकिन एक दिन भी डाक्टर स्कूल की बाउण्ड्री में गया हो तो मुझे उसकी जानकारी दे दें। क्योंकि हरिजन बीमार ही नहीं होता इसलिये उसका इलाज नहीं होता। 75 रुपये जो डाक्टर लेता है उसकी जगह गरीब को रोटी खाने के लिए दे दें। सारे पैसों का टोटल लगाकर वह पैसा जो लड़के पढ़ते हैं उनको दे दें ताकि वे रोटी खा सकें।

अब जैसे 10 हवाई जहाज दे दो लेकिन जब उनको हवाई जहाज चलाना ही नहीं आता तो उसका वे क्या करेंगे इसी तरह योग्यता के आधार पर जब हमारी नियुक्ति, प्रमोशन, की बात आती है तो कहते हैं कि उपयुक्त कैण्डीडेट उपलब्ध नहीं है। कब उपलब्ध होंगे उपयुक्त कैण्डीडेट ? योग्यता कब आयेगी ? इस तरह का विचार करना चाहिए। इस आधार पर मैं आपको बतानाा चाहता हूं कि यह छूआछूत तो कहीं है ही नहीं। इस मामले में जाट, अहीर और राजपूत सब छूआछूत मानते ही नहीं हैं। हमने उनको घर में जिमाया है। छूआछूत वाली बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं है। लेकिन अन्य जो बात बतायी गयी है उन पर मंत्री महोदय घोषणा करेंगे कि हरिजनों को पैसा सीधा मिलेगा और नियुक्ति में ढकोसलेबाजी नहीं करेंगे। वक्त सदा नहीं आता है इसलिये जब वक्त है तो उस वक्त घोषणा करनी चाहिए।

आज राजस्थान में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिये सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है उसको लोग बीच में अड्डा बनाकर खा जाते हैं, इसको भी खत्म करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीब हरिजन का बच्चा छात्रावास में नहीं पढ़ता है, उसमें भी सिफारिश वालों के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए आप इसकी व्यवस्था को भी देखिये। आप मेरे साथ मेरे क्षेत्र में चलिये, मैं आपको साथ ले चलूंगा और बताऊंगा कि वहां छात्रावास चल रहा है या नहीं या लोगों को पता भी है कि छात्रावास भी है या नहीं। या तो 5 आदमियों को पता है या एक सीनियर टीचर पढ़ाता है उसको पता है या जो हरिजन पढ़ता है उसको पता है कि छात्रावास है। बाकी पैसा जब आता है तो उसको खा जाते हैं और भाग जाते हैं।

ऐसा मत करो, मैं यही सुझाव देना चाहता हूं।

छूआछूत के मामले में मैं निवेदन करना

(श्री सुन्दरलाल)

चाहता हूं कि हमें मन्दिरों से. कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मन्दिरों में तो राम के जमाने से ही हमें परेशान करते आ रहे हैं, हमें मन्दिरों का क्या करना है। हम तो कमा खाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। मैं तो यही करना चाहता हूं।

जय हिन्द।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का बीसवां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन वितरित तो कराइये।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर, अभी पढ़कर सुना देंगे

श्री घनश्याम तिवाड़ी: पढ़ कर नहीं, पहले सर्क्यूलेट कराइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, अव्यवस्था नहीं फैलायें। बैठ जावें··· आसन पैरों पर है। ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जावें।

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं यह ····

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): रामगोपाल जी बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जावें। यदि कोई माननीय सदस्य आपत्ति करना चाहें तो एक-एक माननीय सदस्य उठकर आपत्ति कर सकते है उस पर मैं विनिश्चय दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: पहले तो रिपोर्ट कल प्रस्तुत की जावे।

श्री अध्यक्ष: कल क्यों करें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, हम इस उम्मीद में थे कि यहां कल रिपोर्ट पेश करेंगे··

श्री खेतसिंह राठौड़: हमेशा से यही होता रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है आज ही रिपोर्ट पेश कर दें यह जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इसको सर्क्यूलेट नहीं किया जाय, तब तक इसको हाऊस में ले नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

यहां पर जिस दिन कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग होती है, आमतौर पर उसी दिन कार्य सलाहकार समिति के प्रति-

(श्री अध्यक्ष)

वेदन पर सदन अपनी सहमति व्यक्त कर देता है। शायद ही कभी हुआ हो मेरी याददाश्त के अनुसार ऐसा अवसर नहीं आया कि आज कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई हो और उसके बारे में कल उस पर विचार किया जावे। आमतौर से सदन अपनी सहमति उसी दिन व्यक्त कर देता है। जहां तक सर्क्यूलेशन का सवाल है, आसन को ऐसा अधिकार है कि नियमों में...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, आसन को सब अधिकार है लेकिन हमारे विशेषाधिकारों का उल्लघंन करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष: मेरी बात सुनिये।

आप जानते हैं कि आसन को अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग आज ही आसन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। सदैव इस अधिकार का आसन उपयोग करता रहा है ताकि सदन की कार्यवाही निरन्तर चल सके। अब विपक्ष के माननीय नेता महोदय, यह कह रहे हैं, कार्य सलाहकार समिति की बैठक के अन्दर यह तय किया गया कि इस प्रतिवेदन के अनुसार कल जो सदन की कार्यवाही चलेगी, कल विधायी कार्य है। विधायी कार्य के लिए आज जब आपत्ति उठाई थी विपक्ष के नेता महोदय ने, कि नियमानुसार माननीय सदस्यों को जितना समय संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है, तो मैंने यह व्यवस्था दी थी कि इस पर आज चर्चा नहीं होगी। कल यदि यह प्रस्ताव पेश किया जाता है वह सब निरस्त हो जायेगा। फिर परसों से कार्यवाही चालू होगी। सदन का जो मुख्य कार्य है इस बैठक में या इस सत्र में, वह विधायी कार्य है। अन्यथा मुझे कोई आपत्ति नहीं होती इसको आगे रखने में। जो कल प्रस्ताव रखने में व्यावहारिक कठिनाई है उसको विपक्ष के नेता महोदय और अन्य माननीय सदस्य, जो उस समिति की बैठक में उपस्थित थे, भी जानते हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में नियमों के अन्दर ढील देना उचित होगा, जैसी कि हमारी पूर्व में परम्परायें रही है, ढील सदैव देते आयें हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के प्रतिवेदन के विरुद्ध यहां पर आपत्तियां उठाई जा रही हैं। वैसे आम तौर पर परम्परा यह रही है कि कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन होता है वह सर्व सम्मति से पास होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता ···

श्री अध्यक्ष: एक और निवेदन है। जब कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे, हमारे प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के नियम 215 में व्यवस्था यह है कि इस पर अधिक से अधिक आधे घण्टे तक चर्चा हो सकती है। तो आधे घण्टे का सदुपयोग जिस तरह से चाहें, कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह उपयोग नहीं करना चाहते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी उस समय विरोधी पक्ष की तरफ से कुछ मांगें रखी गई और, अध्यक्ष महोदय, आपसे भी यह निवेदन किया गया था इन मांगों के सम्बन्ध में कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हो उसमें विरोधी पक्ष ने इस प्रकार की मांग रखी है, इसका उल्लेख यहां हो जावे...

श्री अध्यक्ष : इसका उल्लेख नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन में उल्लेख हो जावे···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी भी याददाश्त अभी तक ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त आपने यह कहा था, मैंने सभी माननीय सदस्यों, जो उपस्थित थे, से निवेदन किया था कि इसके अन्दर तो इसको हम ला नहीं सकेंगे लेकिन आपको यह छूट होगी कि आप इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखना चाहें तो उसको आप स्वयं रख दें। पहले इनका प्रस्ताव हो जाय···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रस्ताव पहले सर्क्यूलेट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपने जो आपत्ति उठाई उस पर निर्णय दे दिया है। पहले प्रस्ताव आने दीजिए। प्रस्ताव को मतदान हेतु नहीं रखा जायेगा लेकिन विपक्ष अपनी बात कह सकेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रस्ताव में हम संशोधन प्रस्ताव रखना चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा के इतिहास में शायद यह पहला अवसर होगा···

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर किसी प्रकार का विवाद हो। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह विवाद क्यों हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : विवाद तो होते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विवाद तो होते हैं लेकिन मीटिंग के पार्टीसिपेंट ही विरोध करें ऐसा नहीं हुआ। दूसरे मैम्बर्स ने इस प्रश्न को उठाया होगा लेकिन जो मैम्बर उस बैठक में सम्मिलित हुए हों वे विरोध करें, ऐसा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप उपस्थित नहीं थे, जो माननीय सदस्य उपस्थित थे उन्होंने उठाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे छः महीने से पच्चीस दिन पहले विधान सभा की यह बैठक बुलाई गई

श्री अध्यक्ष : मैं नम्र निवेदन करता हूं कि पहले प्रस्ताव आने दीजिए उसके बाद, आप अपनी बात कह दें। आप उस समय संशोधन प्रस्ताव दे सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले सर्क्यूलेट तो कराइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: हम प्रस्ताव में संशोधन दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रस्ताव पढ़ दें उसको सुन लीजिए। मैं अपनी तरफ से यह व्यवस्था दे रहा हूं, आपको यह छूट होगी कि आप उस पर मौखिक रूप से संशोधन प्रस्ताव रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा। मैं आपको इसलिए भी निवेदन करूंगा कि आज तक यह स्थिति नहीं आई है..

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं प्रस्ताव रखूंगा तब तो संशोधन पेश करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप लिखित में प्रस्ताव दीजिए उसके बाद हम संशोधन रखेंगे हम रामगोपाल नहीं बनना चाहते... हम रामगोपाल की बात नहीं कर रहे हैं, हाउस की बात कर रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : हम अमेंडमेंट रखना चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, पहले प्रस्ताव आने दीजिए उसके बाद में मौखिक रूप से जो कोई भी संशोधन प्रस्ताव आप प्रस्तुत करेंगे मैं उन प्रस्तावों को विधिवत्, नियमानुसार प्रस्तुत किए हुए मान कर उनके बारे में चर्चा करने की इजाजत दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको कौनसी जल्दी है। उनको तो सरकार बदलने की जल्दी है। आपको किस बात की जल्दी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आप तो ऐसी परम्परा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो यहां विराजने वाले हो नहीं। आप तो उधर ही बैठोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके सिर पर तो रामगोपाल बैठा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव आने दीजिए ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संशोधन प्रस्ताव किस पर पेश करें। आप सर्क्यूलेट करवाइये यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में यह पहला अवसर होगा कि हमें अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ वाक आउट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी व्यवस्था करना चाहें...

श्री अध्यक्ष : आप वाक आउट नहीं करें तो अच्छा होगा।

(व्यवस्था)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको दलगत राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। अध्यक्ष को दलगत राजनीति से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस दलगत राजनीति से अलग रहें। 11 तारीख को प्रणव मुकर्जी आ रहे हैं। ये सदन से भागना चाहते हैं, 9 तारीख तक विधान सभा चलाना चाहते हैं, आप भी इसमें पार्टी बनाना चाहते हैं यह नहीं होने दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : 9 तारीख के बाद विधान सभा नहीं चलेगी यह कैसे कह रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही है, आप भी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि 9 तारीख को मैंने कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। 9 तारीख को मैं वापिस लूंगा...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें इससे मतलब नहीं है। पार्टी की आपस की लड़ाई है। हाउस में चर्चा करना...

(व्यवधान)

(144)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहें जायें··

श्री खेतसिंह राठोड़ : आप बहुत कोशिश कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं नहीं कर रहा हूं, खेतसिंह जी, मैं तो चाहता हूं ऐसा कमजोर मुख्य मंत्री बैठा रहे तो शासन भी डूब जाये और कांग्रेस पार्टी भी डूब जाय..

(व्यवधान)

मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कितने दिन से सैशन चल रहे हैं? आपने पिछले सैशन में हमको विश्वास दिया था कि रिपोर्ट्स पर चर्चा होगी । आज एक रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो रही है न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर हो रही है न किसी कम्पनी के नाम चर्चा हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : आप सुन नहीं रहे हैं। इसमें एतराज तो···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन लिया, अध्यक्ष महोदय, मैंने सुन लिया । मैं बिना सुने नहीं बोल रहा हूं। 9 तारीख को भागने की तैयारी है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 9 तारीख को मीटिंग रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मीटिंग हो रही है मुझे मालूम है । आपकी मर्जी है, अध्यक्ष, महोदय, हम तो इस सरकार से नहीं कह सकते आपसे कह सकते हैं। हमें आप पर विश्वास था, आप हमारे जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करेंगे लेकिन दुर्भाग्य से राजनैतिक चक्र जो चल रहा है उससे राजस्थान में कोई भी कांग्रेस का आदमी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और उसमें एक आप भी हैं। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सारे प्रसंग में···

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री-पशुपालन): ... बात कर रहे हैं आप।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : बैठ जाओ, बैठ जाओ.

(व्यवधान)

चुपचाप बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करवाइये, देखेंगे कल क्या होता है। कितने दिन चलता है हाउस। आपकी मर्जी है उतने दिन चलाईये हाऊस।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह ।

श्री खेतसिंह राठोड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20 वें प्रतिवेदन, जो निम्नांकित है, पर अपनी सहमति प्रकट करता है:–

कार्य सलाहकार समिति ने दिनांक 6 सितम्बर, 1983 से 9 सितम्बर, 1983 तक

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार किया। समिति सिफारिश करती कि उक्त कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाये :—

दिनांक 6, 7 **व** 8 **सितम्बर**, 1983.

निम्नांकित विधेयकों पर विचार और उनका पारण:—

1. सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983
2. राजस्थान पंचायत समिति तथा तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983
3. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983
4. राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983
5. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983
6. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983
7. राजस्थान पास-बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983
8. मोहनलाल सुखाड़िया विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983

दिनांक 9 **सितम्बर**, 1983

1. आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 26वें प्रतिवेदन पर अग्रेतर विचार।
2. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण, 1982-83 पर विचार।

दिनांक 6, 7 व 8 सितम्बर, 1983 को विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयकों में से प्रथम तीन विधेयकों पर संशोधनों की सूचना माननीय सदस्य यदि देना चाहें तो, प्रक्रिया नियमों के शिथिलन में दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को प्रातः 11.00 बजे तक दे सकते हैं। शेष विधेयकों के संबंध में संशोधनों की सूचना नियमानुसार प्राप्त की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृति)

सहमति व्यक्त की गई,

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 26 वें प्रतिवेदन पर विचार

शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर अग्रेतर विचार

अन्य कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : हमारी तरफ से बोलने वाले हैं, चार नाम हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम।

श्री पीरूराम (टी.बी.) : अध्यक्ष महोदय, आयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति की 26वीं रिपोर्ट में काफी कुछ बातें दर्शायी गई हैं। मैं यह समझूंगा, इस रिपोर्ट को केन्द्र सरकार से पास करायेगी और लागू करायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : (नदबई): केन्द्र कहां मान रहा है? नहीं मान रहा है।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, कृषि जोतों के बारे में बताना चाहता हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जो जमीन मिलती है वह अमूमन कागजों में मिलती है। 74, 75, 76, और 77 के हमारे जिले में काफी केसेज पैण्डिंग हैं। जो जमीन सीलिंग में छोड़ दी गई और उनको दे दी गई उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उसका सबसे मोटा कारण यह है कि उन लोगों को मौके पर कब्जा नहीं दिया गया। एस.सी. के लिए जमीन छोड़ी हुई है, लेकिन कब्जा देने में ढील होने की वजह से दूसरी पार्टी हाई कोर्ट से स्टे ले आती है और वह जमीन से वंचित रह जाते हैं। न वह काश्तकार रहता है और न भूमिहीन रहता है। उसकी हालत बुरी हो जाती है। मेरे क्षेत्र में महराना गांव है वहां 93 काश्तकारों की ऐसी स्थिति है। उनमें से 70-75 प्रतिशत भूमिहीन गरीब काश्तकार हरिजन हैं।

(5.45 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति पदासीन)

उनकी नकलें माननीय मंत्री महोदय को दी हैं। उनको यहां जमीन नहीं मिले तो अन्य कहीं जमीन अलाट करें। उनमें से 76 भूमिहीन घोषित हैं, जिनको सीलिंग में छूटी हुई जमीन मिली थी। ऐसे काफी मिसलें गंगानगर जिले में हैं। एक नियम है सरकार को 75 के नियमों के तहत कि फसल कुर्क कर सकते हैं, जमीन कुर्क कर सकते हैं। आम तौर पर अधिकारी लोग ऐसा कार्य नहीं करके सवर्ण जाति के लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिये नहीं करते हैं कि हमारे वर्ग के अधिकारी वहां नहीं हैं। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो अधिकारी हैं वह जिला हैडक्वार्टर्स पर लगने चाहियें, न कि यहां दफ्तरों में लगाये जायें, ताकि हमारे गरीबों की वह बातें सुन सकें। क्योंकि वे भी गरीब हैं, गरीब घर से आते हैं, बड़ी मेहनत और हिम्मत से पढ़ लिख कर अधिकारी बनते हैं इसलिये वह सारी बातों को सुनेंगे कि एस.सी., एस.टी. के परिवारों के साथ क्या हो रहा है। वे उनको हमदर्दी देंगे बेशतर दूसरों के इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही कहना है।

दूसरी बात यह है, प्रमोशन का जहां तक सवाल है, हमारी सरकार, सभापति महोदय, यह कर रही है कि रोस्टर प्रणाली को छोड़कर एक दो का प्रमोशन कभी कर देती है, एक दो का कभी कर देती है। उनको टाइम पर बेनीफिट नहीं मिलता है, उनकी सी.आर. वगैरह छोटे बड़े अधिकारी खराब कर देते हैं। वह कहते हैं, उनकी सी.आर. खराब है। सी. आर. तो हमारी उसी दिन से खराब है, अधिकारी क्या लिखेंगे।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा, काफी साधन, लोन देने की बातें कही जाती हैं। जो एड देने की बात है वह कागजों में दर्शायी जाती है। गरीबों को एड लोन जो भी होता है सहायता सरकार से उतनी नहीं मिल पाती जितनी कि मिलनी चाहिये। सरकार नियम बनाती है, सब कुछ करती है सहायता देती है पर अधिकारी लोग उनको जितना लाभ मिलना चाहिये उतना नहीं दे पाते।

शिक्षा का जहां तक सवाल है जो बी.ए. एम.ए. लड़के हमारे होते हैं उनकी क्लासेज अलहदा से होनी चाहिये, यह आयोग की रिपोर्ट

(श्री पीरूराम)

में भी दर्शाया गया है, सिफारिश भी की गई है। जो ऐड मिलती है एम.ए., बी.ए. को वह फर्स्ट सैकिण्ड क्लास को 150-250 रुपये है। थर्ड क्लास के बच्चों को ऐड नहीं दी जाती है। तो उनको भी ऐड दी जानी चाहिये इससे वह लोग पढ़ेंगे और तरक्की करेंगे।

सबसे बड़ी बात मैं तो यह बताना चाहता मुख्य मंत्री महोदय को कि जो अधिकारी शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उनको जिलों में लगाया जाये ताकि उन लोगों के दिल में हमदर्दी आये और वह शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जितना हो सके, भला कर सकें।

इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री अमरचन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, आज की जो चर्चा है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जो सुविधा दी गई हैं उसके सन्दर्भ में चल रही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के पश्चात् अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, जो हजारों वर्षों से पीड़ित हैं, के लिये संविधान में व्यवस्था की गयी। उससे जो इन लोगों को लाभ मिला है उसे वास्तव में हम अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो वह युग भी हमें मालूम है, सामन्तशाही जमाने में हम पढ़ते थे। मैं स्वयं अपनी बात बताना चाहूंगा, जब मैं पढ़ने जाता था उस समय सवर्ण लोगों के बैठने की जगह टाट-पट्टियों पर अलग होती थी और हम लोग अलग बैठते थे। मैं खुद अपनी बोरी ले जाता था और उस पर बैठता था। इसके बावजूद भी पढ़ाने वाले शिक्षक का यही भाव रहा था कि साले यह भी अपने बराबर बैठना चाहते हैं। तो उस जमाने को हमने देखा और भुगता है। फिर हमारा देश आजाद हुआ और हमारी कांग्रेस सरकार बनी और उसमें हमारे अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को स्वर्ण अवसर मिला लेकिन जितनी सुविधा हमें मिलनी चाहिये थी उससे हम वंचित होते आ रहे हैं। वास्तव में जब जब इन्टरव्यू का मौका आता है उसमें हमारी जातियों को लिया जाने की संविधान में 33 प्र.श. रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। उसमें होता यह है जैसे रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बट नहीं जाता उसी हिसाब से सवर्ण लोग, अधिकारी लोग, कुछ लोग- मैं सबके लिये नहीं कहता, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो निश्चित रूप से दोनों जातियों को आगे बढ़ाने वाले हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो येन-केन प्रकारेण उनको वंचित करने की चेष्टा करते हैं। जैसे ही सीधी भर्ती के लिए इन्टरव्यू का मौका आता है उस समय या तो इन्टरव्यू को टाल दिया जाता है या इन लोगों को अयोग्य घोषित कर टाल दिया जाता है और अन्य लोगों को भर दिया जाता है।

अभी-अभी एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें विद्युत मण्डल के अधिकारियों को बुलाया गया। उसमें सीधी भर्ती के आंकड़ों के बारे में पूछा गया तो उसमें पता ही नहीं लग पा रहा था कि कोई अनुसूचित जाति या जन जाति के लोग भर्ती किये गये हों। केवल मात्र एक ही उत्तर उनका था कि अनुसूचित जाति, जन जाति के प्रार्थी अयोग्य होने के कारण अन्य लोगों से पोस्टें भर दी गई। तो, इस प्रकार से राज्य सरकार तो सुविधा दे रही है। लेकिन अधिकारियों के दिल में इस प्रकार की

(श्री अमरचन्द)

उदासीनता जमी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि मुख्य मंत्री महोदय, को बहुत गहराई से हमें जो व्यवस्था और सुविधाएं मिलनी चाहिये उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

दूसरी, अनुसूचित जाति को ऋण वाली बात। अभी-अभी हमारी सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम में इसकी व्यवस्था की है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में थोड़ा यह भी कह दूं कि जनता सरकार के शासन में अन्त्योदय योजना शुरू की गई लेकिन उसमें भी गांव वालों ने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को स्थान नहीं दिया लेकिन ज्योंही कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आई। उसने आते ही इलाकों को ट्राइबल एरिया घोषित किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये हमारी कांग्रेस सरकार बनने के बाद बहुत अच्छी, सुन्दर व्यवस्था हुई। 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीब आदमी जो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, माली भी हो सकते हैं, उनको भी सरकार ने सुविधा दी और आज अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है।

अब मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों को ऋण देने का बहुत अच्छा काम हुआ है। दो हजार रुपये का जो लोन दिया जाता है उसमें एक हजार की छूट उनको दी जाती है। यह वास्तव में आगे बढ़ाने वाली बात है। लेकिन सब में होता यह है कि जो ऊपर बैठे हैं उन लोगों की जेब में वह पैसा चला जाता है और वह पैसा वास्तविक रूप से जिन लोगों तक पहुंचना चाहिये, उनको नहीं मिलता। इसके लिये सुधार किया जाय। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि यदि लोन पास हो गया और कुछ छूट दी जाती है तो उसका नकद भुगतान उनको उसी समय कर दिया जाय, किसी के माध्यम से नहीं कराया जाय ताकि वह पैसा उसको तुरन्त मिल जाय। यह ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे के लिये ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जैसा कि अभी हमारे चिमनराम जी साहब ने एक बात कही कि इसमें जिला अधिकारियों को लगाया जाय, वह बात ठीक है। मेरा भी इसमें सुझाव है कि जिस समय इन्टरव्यू का मौका आये तो कम से कम अनुसूचित जाति या जनजाति के अधिकारी को इन्टरव्यू में बैठाया जाय ताकि योग्यता की बात पनप नहीं पाये।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री बालचन्द्र आर्यवीर

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (उग) : माननीय सभापति महोदय, आज अनुसूचित जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। मैं कुछ मुद्दे इसके सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। आज अनुसूचित जाति की, हरिजनों की पूर्ण सुरक्षा नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एलुपखेड़ा गांव में एक अगस्त को हरिजनों पर अत्याचार हुआ, भूमि के मामले को लेकर के राजस्व अभियान के नाम पर भूमि अलाट हुई। उस मामले को लेकर 1 अगस्त को कुछ प्रभावशाली लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनकी औरतों के साथ मारपीट और बलात्कार किया। उन्होंने पुलिस को और जिलाधीश को इस बात को बताया तो उन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उनको सुरक्षा

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

प्रदान नहीं की। आज वह लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके मकान जला दिये गये। आज वह अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं। उनमें से कई पलायन कर चुके हैं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : सदन का समय माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 26 वें प्रतिवेदन पर विचार

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इसी प्रकार की घटना झालावाड़ में हुई। वहां पर एक हरिजन की बारात गई हुई थी। कुछ प्रभावशाली लोगों के घरों के पास से वह बारात निकली।

डा. हरिसिंह: यह तो रात तक नहीं रुकेंगे।

एक माननीय सदस्य : आपको क्या तकलीफ है?

श्री सभापति : नहीं, जल्दी समाप्त कर देंगे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : उस बारात पर उन प्रभावशाली लोगों ने हमला किया और बारां के एक हरिजन की हत्या कर दी। उसमें कुछ हरिजनों के भंयकर चोटें आई।

इसी प्रकार चूरू जिले का एक उदाहरण है। वहां पर एक हरिजन महिला नसबन्दी कराने गई थी। उसके साथ डाक्टर और कुछ कर्मचारियों ने बलात्कार किया। अधिकारियों को इस बात को बताया गया लेकिन अभी तक न तो कोई जांच हुई है और न किसी प्रकार की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति के लोगों को जो लाभ मिल रहा है। बजट जो आता है वह सारा अधिकारियों की जेब में जाता है। झालावाड़ जिले के छात्रावास में छात्रों को पानी नहीं मिल पाता है। वह छात्रावास बिलकुल खण्डहर हो रहा है। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एम.एल.ए. क्वार्टर के पास बापू छात्रावास है। उसके पास से सभी माननीय सदस्य निकलते हैं। ऐसा लगता है कि शायद ही कोई वहां पर रहता हो।

तो मेरा निवेदन है, जो बजट दिया गया है वह पूरा इन पर लगे इसके लिये माननीय समाज कल्याण मंत्री, जो स्वयं अनुसुचित जाति के हैं, पूरा ध्यान देंगे।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आज हरिजनों पर निरन्तर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर एस.डी.ओ., एस.पी., कलेक्टर जहां तक हो सके हरिजन तबके के लगाये जायें ताकि इनके हितों की वे रक्षा कर सकें।

सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 6 सितम्बर, 1983 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही सायं 6.01 बजे मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर, 1983 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

150

परिशिष्ट--1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 का विवरण)

जिला भीलवाड़ा की सूची कत्ल केसेज दिनांक 1–4–81 से 31–3–82 तक दर्ज हुये।

क.सं.	नाम मृतक	एफ.आई.आर. नं. व दिनांक	अपराध धारा	नाम थाना	हत्या या किस्म प्राकृतिक	नतीजा तफतीश	नाम अपराधी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री गंगाराम पुत्र बलदेव मीणा नि. लुहारी कलां	34/81 10–4–81	302 आई.पी.सी.	जहाजपुर	हत्या	चालान नं. 35 31–5–81	श्री भुवा पुत्र बगतावर मीणा नि. लुहारीकला
2.	नन्दू स्त्री हीरालाल तेली	41/81 24–4–81	,,	बिजोलिया	,,	चालान नं. 43 18–8–81	श्री रामकरण पुत्र किशोरमल तेली नि. हाल बैरीसाल
3.	मु. भागुती पुत्री हीरा कुम्हार नि. अक्षेड़	27/81 22–4–81	,,	फुलियां	,,	चालान 28–7–83	श्री मलुदान पुत्र केशरदान साधू नि. पाजरा
4.	मुस्म्मात चम्पा पुत्री रामसिंह रावत नि. समेल	31/81 25–4–81	,,	बदनोर	,,	चालान 23 31–5–81	श्री रामसिंह पुत्र हम्मीरसिंह रावत नि. समैल
5.	श्री जवारा पुत्र पन्ना बैरवा नि. चांडाकाडामला	37/81 7–5–81	,,	पन्डेर	,,	चालान 33 24–6–81	श्री गोपाल पिता सुखदेव गूजर नि. खेडा

(151)

6.	उदा पुत्र ओंकार गूजर निं. टहूला	24/81 6–6–81	302 आई.पी.सी.	शंकरगढ	हत्या	एफ आर 20 24–12–81 अदमपता मुलजिमान	बावजूद काफी रसी के मुलजिमान का पता नहीं चलने से एफ आर अदमपता मुलजिमान में कता की
7.	मु. भगवानी पुत्री श्री किशनी टाट नि. पानसेल	72/81 20–6–81	,,	सदर	,,	चालान 53 12–9–81	श्री किशन पुत्र घोसा अहीर नि. पान्थल
8.	श्री बेलीराम नि. रहे	62/81 21 6–81	,,	करेंडा	,,	चालान 24 5–7–81	श्री भंवरघाल पुत्र रामलाल नि. रहे
9.	श्री जगन्नाथ कुम्हार नि. रावों का खेड़ा	111/81 29–6–81	,,	मांडल	,,	चालान 107 28–9–81	श्री गणपतराव कल्याणसिंह नि. रावों का खेड़ा
10.	श्री पांचू गूजर नि. इटदीपा	83/81 5–9–81	302 आईपीसी	पूलिया	,,	चालान 78 24–8–82	श्री गजराज सिंह मंजबान सागदीपा श्रीराम लला आडपुरा जबरसिंह सांगरिया
11.	श्री किशनगाणी नि. बणकाखेडा	480/81 11–9–81	,, ,,	भीलवाडा	,,	चालान 278 23–10–81	श्री सुवालाल पुत्र हीरालाल जाट नि. राहेली
12.	श्री देवाजाट नि. पुत्र सुगना	105/81 11–9–81	,, ,,	सदर	,,	चालान 60 12–10–81	श्री गणेश पुत्र कजोडजी नि. सुवाणा
13.	श्री सलमो नि. भीलवाडा	506/81 6–10–81	,,	भीलवाड़ा	,,	चालान 307 30–10–81	श्री रमजान पुत्र सफीमोहम्मद नि. निलगर भीलवाडा
14.	श्री मगना पुत्र घासा खाती नि. खतोला का खेडा	136/81 21–10–81	,,	कोटडी	,,	चालान 97 26–11–81	श्री शंकर पुत्र कालू गूजर भूरा पुत्र देवारी गूजर रामबक्स पुत्र भोला गुजर, नि. खातोलाका खेडा

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	श्री जेठू बलाई नि. ग्रानन्दपुरा	115/81 2–11–81	हत्या	बदनोर	302 ग्राई.पी.सी.	चालान 67 24–11–81	श्री मांगू पुत्र धीसा धोबी नि. पाटन
16.	श्री रामचन्द्र नि. विजरवा	126/81 11–11–81	,,	बिजोलिया	,,	चालान 94 31–12–81	श्री पन्नालाल वरदा पुत्र भंवर लाल धाकड इन्द्रपुरा
17.	श्री पोखर पुत्र किशना तेली नि. पाजरा	110/81 10–12–81	,,	रायपुर	,,	चालान 49 21–8–82	श्री मांगूदास पुत्र केसूदास साधू नि. पाजरा
18.	ज्ञात नहीं होस का	182/81 11–12–31	,,	गुलाबपुरा	,,	एफआरनं 5 15–2–82 अदमपता मुलजिमान	लाश का सर कटा हुआ होने से सनागत नहीं हुई नामजद पतारसी के अभियुक्तों का पता नहीं चला।
19.	श्री शंकरलाल नि. भीलवाडा	601/81 11–12–81	,,	भीलवाडा	,,	चालान 392 28–12–81	श्री मोहनलाल पुत्र शिवभगवान शर्मा नि. भीलवाड़ा
20.	श्री दुगना गूजर नि. भीलवाडा	602/81 13–12–81	,, ,,	भीलवाडा	,,	चालान 391 31–12–81	श्री भंवरलाल खटीक नि. भीलवाडा
21.	श्री भवाना धाकड नि. बैरीसाल	137/81 15–12–81	,, ,,	बिजोलिया	,,	एफग्रार नं. 16 30–4–82 ग्रदमपता मुलजिमान	बावजूद पतारसी के मुलजिमान का पता नहीं।
22.	मु. दाखी पत्नी हृत्या मेघवाल नि. गाडोली	175/81 19–12–81	,, ,,	जहाजपुर	,,	चालान 118 31–12–88	सुरजा पुत्र रोडा मीणा नि. कान्हा काहेला

23.	श्री ओंकारनाथ नि. नागा का वदिया	7/82 21–1–82	302 आई.पी.सी.	करेडा	हत्या	चालान 4 2–3–82	श्रीमती केली पत्नि ओंकारनाथ नि. नाग का वदिया
24.	श्री भीवा कुमावत नि. पडासौली	20/82 10–2–82	,, ,,	आसीन्द	,,	चालान 16 26–2–83	श्री बोला पुत्र छीतर कुमावत नि. पडासौली
25.	श्री भैरूंसिंह नि. अमरगढ़	14/82 16–2–82	,,	वागौर	,,	चालान 12 15–3–82	नारायणसिंह, भंवरसिंह सज्जन सिंह राजपूत नि. अमरगढ़
26.	श्रीमती अमली धाकड़ नि. फलासिया	35/82 3–4–82	,,	पन्डेर	,,	चालान 23 30–4–82	श्री कल्याण, रामा, सीताराम, मदन, रामलाल, हजारी, बलाईयान नि. फलासिया

लिस्ट कत्ल केसेज दिनांक 1–4–82 से 31–3–83 तक की तालिका

1.	श्री मेवालाल तेली नि. शम्भुगढ़	24/82 7–5–82	आई.पी.सी. 302	शम्भुगढ	हत्या	चालान 20 20–5–82	मु. बाली पुत्री नेन तेली नि. शम्भुगढ
2.	श्री राजेन्द्र ब्रा. नि. देवली	56/82 5–5–82	,,	जहाजपुर	,,	चालान 57 8–8–82	श्री किशन पुत्र मदनलाल अग्रवाल देवली
3.	श्री बालू अचारण नि. भीरोप	232/82 24–5–82	,,	भीलवाडा	,,	चालान 149 31–5–82	श्री नन्दाकौर नि. ककोलिया
4.	श्री वन्दू खां नि. आसीन	61/82 31–5–82	,,	आसीन्द	,,	चालान 52 24–6–82	श्री ओमप्रका शन्डा नि. आसीन
5.	श्री वन्सीया कंजर नि. आद्रण	75/82 14–6–82	,,	मांडल	,,	एफआर नं. 44 24–9–82 अदमपता मुलजिमान	बावजूद पतारसी के पता नहीं चलने से एफआर दी गई

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	नवजात शिशु सांसी	59/42 26-6-82	आई.पी.सी. 302	बागोर	हत्या	चालान 45 26-7-82	मुस्मात मैना पुत्री रामा सांसी ग्रामली
7.	श्री श्यामलाल नायक नि. जोपा	91/82 22-7-82	,,	बीगोत	,,	चालान 62 14-8-82	श्री मोहन खाती नि. खरवाडा
8.	श्री श्योजी वगरा नि. ततवरिया	80/82 4-8-82	,,	शाहपुरा	,,	चालान 74 25-9-82	श्री गोरू कलिया, रामा, अमरा, गंगा, वंजाराम, नि. बंजारोका झोपड़ा.
9.	श्री जयसिंह नि. भीलवाड़ा	382/82 16-8-82	,,	भीलवाडा	,,	चालान 327 30-9-82	देवागोपी मु. मांगी, तेलीयान नि. भीलवाडा
10.	श्री मदालालीया कंजर नि. आमोली	146/82 14-9-82	,,	गंगापुर	,,	चालान 112 11-10-82	भवाना, माना, शंकर जाट नि. गंगापुर
11.	मु. प्यारी पत्नी कन्हैया-लाल अमीरगढ़	77/82 16-9-82	,,	हमीरगढ़	,,	चालान 51 11-10-82	कन्हैयालाल, मु. चांदी साबू नि. हमीरगढ़
12.	श्री गोपी गूजरान नागाका बदिया	25/82 20-9-82	,,	करेडा	,,	चालान 52 9-10-82	प्रताप, हजारी, लक्ष्मण, नेती गूजरान नि. नागाकाबाद—श्री
13.	मु. चादी नि. भीलवाड़ा	482/82 18-10-82	,,	भीलवाडा	,,	चालान 13 31-1-83	पता नहीं चलने से एफ आर कता की गई
14.	मु हरिभाभा नि. पुर	513/82 7-11-82	,,	भीलवाडा	,,	चालान 20 28-1-83	श्री बरकत, पीरमोहम्मद, नि. पुर
15.	मु. भावना देवी नि. बागोर	114/82 11-12-82	,,	बागोर	,,	चालान 6 14-2-83	श्री शंकरसिंह, गुमानसिंह सोती देवी, सीतादेवी, नि. बागोर

(155)

16.		152/82 23-12-82	302 आईपी.सी.	मांडलगढ़	प्राकृतिक	श्रदमबकुवा 34 26-12-82	पोस्टमार्टम में हार्टफेल होना व मृतक के कहीं चोट नहीं होने से एफ. आर. कता की
17.	श्री रामसुख वा.. नि. हिगुणिया	7/83 17-1-83	,, ,,	विगोद	हत्या	चालान 20 6-8-83	बन्शीलाल. नन्दाबगैगह 10का जाटान, हीगुणिया
18.	मु. प्राबंती स्त्री जगदीश दमामी	14/83 16-1-83	,,	जहाजपुर	,,	चालान 11 27-2-83	जगदीश मु. नन्दु दमामी नि. चाउडिया
19.	श्री नारायण नि. रोहणी की ढाणी	3/83 9-1-83	,,	रायपुर	,,	चालान 5 3-2-83	डूंगरसिंह शैतानसिंह, राजपूत कूका ठेकरी, नि. रोहेडी की ढाणी
20.	श्री पन्ना खारोल नि. ढीकोला	15/83 20-2-83	,,	शाहपुरा	,,	एफ. ग्रार 16 25-5-83 श्रदमपता मुलजिमान	प्रवास के मुलजिमान का पता नहीं चलने से एफग्रार दी गई
21.	बच्ची दुर्गा पुत्री मला नायक नि. बावजा	24/83 6-3-83	,,	बनेडा	,,	चालान 16 31-3-83	मुस्मात दाखी बेवा मूला नायक नि. बावजा
22.	श्री हरलाल जाट नि. बाजीया	25/83 11-3-83	,,	,,	,,	चालान 14 22-3-83	गोपी पुत्र सूरजमल तेली साकिन लाणीयाकला
23.	मु. उगवीबलायान नि. पीपस	22/83 28-3-83	,,	कोटडी	,,	चालान 14 14-4-83	नारायण, गोदू, माना, लखमा बलाई नि. पीयास

(156)

परिशिष्ट -2

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

दिनांक 31–8-83 को सिंचाई आधुनिकीकरण खण्ड, बारां में चल रहे कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	श्रमिकों की औसत संख्या कार्य प्रभारी कर्मचारी	मस्टरोल में कार्य करने वाले श्रमिक	योग
1	2	3	4	5
1.	मध्यम सिंचाई परियोजना बिलास	11	25	36
2.	आधुनिकीकरण पार्वती नहर	63	34	97
3.	लघु सिंचाई 1– रामपुरा परियोजना 2– बगदेव परियोजना 3– सिरसोपुरा परियोजना 4– खटका	30	20	50
4.	बाढ़ नियन्त्रण बारां	30	2	32
5.	सिंचाई तालाबों की देखभाल (21 नम्बर)	143	79	222
		277	160	437

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूचना)

तालिका 'क'

पिछले 3 वर्षों के अन्त में रहे समायोजित ओवर-ड्राफ्ट से संबंधित सूचना

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ओवर ड्राफ्ट (–) 1 बचत (+) की राशि (मार्गोपाय अग्रिम सहित)
1980–81	– 155.27
1981–82	– 283.46
1982–83	– 26.07

158

परिशिष्ट--4

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़ के उन पंचायत मुख्यालयों की सूची, जहां वर्तमान में आयुर्वेद औषधालय नहीं है :—

पंचायत समिति	पंचायत मुख्यालय
आमेर	1. सिरोही
	2. लखेर
	3. कंवरपुरा
विराट नगर (बैराठ)	4 आमलोदा
	5. जोधूला
	6. मेड़
जमवारामगढ़	7. घटवाड़ी
	8. बलोड़
	9. धोला
	10. जयचन्दपुरा
	11. राजपुरा बासताला
	12 माथसूला
	13. सामरेड़कला
	14. टोड़ा
	15. रायपुर
	16. भावनी
	17. थली
	18. नामला
	19. फूटोलाव
	20. थोलाई
	21. बिरपसना
	22. खरखड़ा
	23. लालवास
	24. नेवर
	25 बूज
	26. मानोता
	27. चावण्डिया
	28. धर्मपुरा
	29. ताला (नोट:– यूनानी औषधालय संचालित है)

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

पर्यवेक्षकों के साक्षात्कार को चयन समिति में बैठे अधिकारियों की सूची

दिनांक	अधिकारी का नाम	पद
1	2	3
4–7–83	1. श्री एस.डी. मदान	1. उप शासन सचिव कृषि उत्पादन
	2. ,, वी.पी. माथुर	2. कार्यवाहक निदेशक, कृषि विपणन
	3. ,, इन्द्रजीत सिंह	3. अति. निदेशक, कृषि विभाग
	4. ,, डी.एल. माथुर	4. उप निदेशक, कृषि विपणन
5–7–83	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
6–7–83	,,	,,
7–7–83	,,	,,
8–7–83	1. श्री वी.पी. माथुर	,,
	2. ,, इन्द्रजीत सिंह	,,
	3. ,, डी.एल. माथुर	,,
9–7–83	अवकाश	कोई साक्षात्कार नहीं
10–7–83	,,	,,
11–7–83	1. श्री वी.पी. माथुर	1. कार्यवाहक निदेशक, कृषि विपणन
	2. ,, आर.आर. मेहता	2. प्रबन्धक संचालक, राजस्थान राज्य बीज निगम लि.
	3. ,, डी.एल.माथुर	3. उप निदेशक, कृषि विपणन
12–7–83	अवकाश	कोई साक्षात्कार नहीं
13–7–83	1. श्री वी.पी.माथुर	1. कार्यवाहक निदेशक, कृषि विपणन
	2. ,, डी.एल.माथुर	2. उप निदेशक, कृषि विपणन
	3. ,, आर.एन. जोशी	3. ,, ,, ,,
14–7–83	1. ,, वी.पी. माथुर	1. कार्यवाहक निदेशक, कृषि विपणन
	2. ,, डी.एल. माथुर	2. उप निदेशक, कृषि विपणन
	3. ,, ए.एन. शर्मा	3. ,, ,, ,,
15–7–83	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
16–7–83	– ,,	,,
17–7–83	अवकाश	कोई साक्षात्कार नहीं
18–7–83	1. श्री वी.पी. माथुर	1. कार्यवाहक निदेशक, कृषि विपणन
	2. ,, डी.एल.माथुर	2 उप निदेशक, कृषि विपणन
	3. ,, ए.एन.शर्मा	3. ,, ,, ,,

160

1	2	3
19–7–83	1. श्री वी.पी.माथुर 2. ,, डी.एल.माथुर 3. ,, ए.एन.शर्मा	1. कार्यवाहक निदेशक, कृषि विपणन 2. उप निदेशक, कृषि विपणन 3. ,, ,, ,,
20–7–83	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
21–7–83	,,	,,
22–7–83	1. श्री वी.पी.माथुर 2. ,, डी.एल.माथुर 3. ,, ए.एन.शर्मा	1. सचिव, रा. रा. कृषि विपणन बोर्ड 2. उप निदेशक कृषि विपणन 3. ,, ,, ,,
23–7–83	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
24–7–83	अवकाश	कोई साक्षात्कार नहीं
25–7–83	1. श्री वी.पी.माथुर 2. ,, डी.एल.माथुर 3. ,, ए.एन.शर्मा	1. सचिव, रा. रा. कृषि विपणन बोर्ड 2. उप निदेशक, कृषि विपणन ,, ,, ,,
26–7–83	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
27–7–73	,,	,,
28–7–83	,,	,,
29–7–83	,,	,,

परिशिष्ट-6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्ति से मुक्त की गई भूमि

13. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर विकास न्यास हेतु अतिरिक्त भूमि प्राप्ति हेतु वर्ष 1979 से जुलाई, 1983 तक किस-किस भूमि की अवाप्ति के नोटिस निकाले गये? कृपया क्षेत्र का नाम, भूमि का क्षेत्रफल, अवाप्ति नोटिस के दिनांक सहित पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर विकास न्यास, उदयपुर ने उक्त में से कौन-कौन सी भूमि अवाप्त कर कब्जे में ले ली? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसी कौनसी भूमि क्षेत्र है जिसे पुन: आदेश द्वारा अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया? कृपया मुक्त भूमि का क्षेत्रफल, स्थान व मालिक का नाम सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सच है कि अवाप्ति का नोटिस मात्र लोगों से रिश्वत प्राप्त करने हेतु निकाले जाते हैं एवं पुन: अवाप्ति से मुक्त कर दिया जाता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर नगर न्यास हेतु अतिरिक्त भूमि प्राप्ति हेतु वर्ष 1979 से जुलाई 1983 तक अवाप्ति के नोटिस नहीं निकाले गये।

(2) नगर विकास न्यास उदयपुर ने भूमि अवाप्त कर कब्जे में नहीं ली है।

(3) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

भूमि की सूची जो अवाप्ति से मुक्त की गई

क.सं.	भूमिधारी का नाम	योजना	भूमि का विवरण	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक जिसके तहत अवाप्ति से भूमि मुक्त की गई
1–	श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री परसराम खटिक	हिरनमगरी सेक्टर–II	खसरा नं. 2427/2 को 8 बीघा 8 बिस्वा तथा 2427/7 को 3 बीघा	एफ.6 (21) नविआ/3/80, दिनांक 12.12.80
2–	श्री फतेहलाल डाँगी व अन्य	मोतीमगरी	खसरा नं. 333/2, 355/1, 356 से 360, 364/2, 372 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा	प. 6 (10) नविग्रा/3/81, दिनांक 14.8.81
3–	श्री चतरसिंह बाबेल व श्रीमती किरणदेवी बाबेल	हिरनमगरी सेक्टर नम्बर 11–13	17 बीघा 14 बिस्वा	प. 6 (16) नविग्रा/3/71, दिनांक 22.9.82

वन विभाग के क्षेत्रान्तर्गत खनिजों का खनिज विभाग द्वारा लीज दी गई खदानें

14. **श्री माला राम** (खेतड़ी) : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर व झुन्झुनू में वन विभाग के क्षेत्रान्तर्गत कितनी खनिज की खदानें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त खदानों में ऐसी कितनी खदानें हैं जिनका स्वामित्व तो वन विभाग के अधीन है किन्तु जिन्हें लीज पर या अलॉट संबंधी कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा की जाती है ? गत तीन वर्षों में इस प्रकार से कितनी खदानों का अलॉटमेन्ट किया गया और उन्हें लीज पर दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त खदानों के अलाट करने या लीज पर दिये जाने से पूर्व खनिज विभाग ने वन विभाग से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ? यदि हां, तो कब कब एवं किस किस खान के संबंध में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह वैधानिक है ? यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है एवं कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) समस्त खदानों को लीज खनिज विभाग द्वारा ही दी जाती है। सीकर व झुंझुनू जिले के वन क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में दी गई खदानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त सूची में से चार प्रकरणों में विभाग की सहमति ली गई है जिन प्रकरणों में विभाग की सहमति ली गई है जिन प्रकरणों में स्वीकृति नहीं ली गई है उसके कारणों की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।

(4) खनिज विभाग द्वारा किसी भी वन क्षेत्र में लीज देने से पूर्व यह आवश्यक है कि लीज का प्रार्थी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संबंधित खनिज अधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत कर व कार्य करने की अनुमति प्राप्त करें इस प्रक्रिया का पालन करने का दायित्व खनिज विभाग के अधिकारियों का है।

———

(164)

सीकर एवं झुंझुनूं जिलों में वन विभाग के क्षेत्रान्तर्गत पुरानी खनिज की खदानों की सूची।

जिला सीकर

रेट कम रायल्टी के आधार पर बनेचर की खानों की संख्या।

1. थाना रघुनाथगढ़	44
2. थाना खण्डेला	5
3. थाना हर्ष	78
4. थाना दांता (कोटवाला)	31
5. थाना दांता (मंडा)	14
6. थाना दांता (रेवासा)	18
कुल:	190

लॉग टर्म लीज :-

नाका मोम का थाना माइनर खानें	37
नाका मोमा थाना	7
जिला झुंझुनूं	10

———

सीकर जिले के वन क्षेत्रों में स्थापित खदानें (लांग टर्म लीज) जिन की स्वीकृति गत तीन वर्षों में प्राप्त हुई है।

	नाम रेन्ज	नाम खान मालिक	खनिज विभाग की स्वीकृति संख्या	विभाग की स्वीकृति प्राप्त की या नहीं
1.	नीम का थाना	श्री विजय कुमार मित्तल	प. 2/ 174/खान/ग्रुप/ 2/ 80/ 4-11-80	4352 15-9-79
2.	श्री माधोपुर	श्री गोपीलाल पुत्र घीसा लाल	प. 5/ 375/ खान/ ग्रुप/ 108/ 3/ 12-3-81	नहीं
3.	नीम का थाना	श्री हरिकिशन मितल पुत्र सूरजभान मित्तल	प. 5/ 351/खान/ ग्रुप/ 3 / 80/ 19-6-81	नहीं
4.	नीम का थाना	श्रीमती मधु अग्रवाल	प. 3/ 270/खान/ ग्रुप/ 1/ 81/ 3-9-81	हां 15एकड़
5.	अजीत गढ़	श्री विष्णु सेठी पुत्र सुआलाल	प. 3/377/ खान/ ग्रुप/ 1/ 81/ 26-11-81	नहीं
6.	नीम का थाना	सर्व श्री हरिओम मित्तल	प. 3/312/खान/ ग्रुप-1/ 81/ 26-11-81	नहीं
7.	नीम का थाना	श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, छावनी	प. 3/ 374/खान/ग्रुप-4/ 81/ 14-12-81	नहीं
8.	डाबला	श्री प्रेमचन्द शर्मा पुत्र फूलचन्द	प. 3/ 393/खान/ग्रुप-1/ 81/ 19-2-82	नहीं
9.	डाबला	श्री मालसिंह पुत्र जगूसिंह	प. 4/ 80/ खान ग्रुप-1/ 82/ 29-4-82	नहीं
10.	नीम का थाना	श्री हरिकिशन मित्तल	प. 4/287/ खान/ग्रुप-1 /82/ 3-12-82	नहीं
11.	,,	श्री सत्यनारायण पुत्र जय नारायण हरिजन	प. 1/नीम/रि/ 319/ खान / ग्रुप/ 35/ 83/ 863/ 25-6-83	नहीं
12.	,,	श्रीमती भगवती देवी स्व. गजानन्द अग्रवाल	नि. दे/ प-2/ए/ 16/नीम/ खान/ 82/ 90/ 13-1-85	नहीं
13.	,,	श्री महेश अग्रवाल	नि.दे./प-2/ए/ 17/नीम/ खान/ 72/ 439/ 13-1-85	नहीं
14.	नीम का थाना	श्री सत्यनारायण हरिजन ढानी कुडा तह. नीम का थाना	रा. म. नीम/रिव्यू/ ग्रुप- 87/ 82/ 304/ 9-2-82	नहीं

166

जिला झुन्झुनूं में गत तीन वर्ष में खनन पट्टे की वन क्षेत्र में स्वीकृति जो खनिज विभाग द्वारा जारी की गई।

क.सं.	नाम व पता	ग्राम व वन खंड	वास्ते	क्षेत्रफल हैक्टर में	सहायक खनिज अभियन्ता नीमका थाना को माईनिंग हेतु स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का क्रमांक व दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री रतन लाल सिसोदिया उदयपुर वाटी	मुक्ता बांव	सोफ्ट स्टोन	398.75	2727/11-12-80	—	वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।
2.	श्री निजामुद्दीन	चिराना	क्वार्षण	52 है.	168/22-1-81	688/6-2-78	
3.	श्री राकेश कुमार एण्ड कम्पनी खेतड़ी	मनकावास (खेतड़ी)	,,	42.17 है.	2129/26-12-81	220/22/5-8-80	
4.	श्री सोनू माईनिंग इण्ड् पीपराली रोड सीकर	ग्राम लोहार्गल	घरट	80.50 है.	46/82/29-982	--	लीज निरस्त कराने की कार्यवाही जारी है।
5.	,,	टोठों की ढाणी	,,	,,	67/82 26-6-82		

167

राजस्थान में वैद्य, उप वैद्यों का स्थानान्तरण

15. (1) श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)––(2) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)––क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में माह अप्रेल सन् 1983 से अगस्त सन 1983 तक किस किस जिले में कितने कितने वैद्यों, उप वैद्यों के स्थानान्तरण हुए ? इतने स्थानान्तरण के क्या कारण रहे और इन स्थानान्तरणों के कारण राज्य सरकार को कितना व्यय वहन करना पड़ा।

(2) इन स्थानान्तरणों में मंत्री जी के आदेशों से कितने व निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक के आदेशों से कितने हुये ?

(3) वैद्यों के स्थानान्तरणों के अधिकार नियमों के तहत किन अधिकारियों को दिए हुये हैं ? क्या इन नियमों की पालना होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में माह अप्रेल, 1983 से अगस्त, 1983 तक 313 वैद्यों एवं 240 उप वैद्यों/नर्स के स्थानान्तरण हुए हैं। लेकिन प्रभावित वैद्यों की संख्या 218 एवं कम्पाउण्डर/नर्स की संख्या 143 है। इस प्रकार प्रभावित वैद्यों एवं कम्पाउण्डर/नर्स की संख्या को सम्मिलित करने पर, वैद्यों के स्थानान्तरण 531 एवं कम्पाउण्डर/नर्स के 383 स्थानान्तरण हुए हैं जिलेवार सूची संलग्न है।

स्थानान्तरण स्वेच्छा, प्रशासनिक-दृष्टि शिकायतन एवं कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापन का अवसर प्रदान करने हेतु किये गये हैं।

स्थानान्तरण पर व्ययभार की सूचना फिलहाल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है क्योंकि सभी कर्मचारियों के द्वारा यात्रा-व्यय बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) राज्य आयुर्वेद मंत्री, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य सरकार के स्तर से किये गये परिवर्तनों की सूचना निम्नानुसार है :—

नाम पद	मंत्री स्तर से	निदेशक स्तर से	अति० निदेशक स्तर से	राज्य सरकार स्तर से	कुल
1	2	3	4	5	6
वैद्य	489	––	40	2	531
कम्पाउण्डर/नर्स	311	––	67	5	383

(3) वैद्यों के स्थानान्तरण के अधिकार राज्यादेश अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक को दिये हुए हैं। आदेशों की पालना की जा रही है।

(168)

माह अप्रैल, 1983 से अगस्त, 1983 में वैद्यों एवं कम्पाउण्डर/नर्स के स्थानान्तरण की जिलेवार सूची :–

क्र.सं.	नाम जिला	वैद्य	कम्पाउण्डर/नर्स
1.	अजमेर	19	16
2.	जयपुर	85	37
3.	सीकर	23	15
4.	अलवर	38	12
5.	भरतपुर/धौलपुर	24	29
6.	झुन्झुनू	15	09
7.	कोटा	22	09
8.	झालावाड़	17	04
9.	स.माधोपुर	66	57
10.	बून्दी	01	03
11.	टोंक	08	05
12.	उदयपुर	48	19
13.	बांसवाड़ा	16	10
14.	भीलवाड़ा	31	13
15.	चित्तौड़गढ़	08	09
16.	डूंगरपुर	10	08
17.	पाली	13	15
18.	जोधपुर	10	13
19.	सिरोही/जालौर	17	11
20.	बाड़मेर/जैसलमेर	15	20
21.	नागौर	14	18
22.	बीकानेर	03	10
23.	गंगानगर	15	22
24.	चूरू	13	19
	योगः	531	383

राज्य के पशु चिकित्सालय एवं विभाग की जीपों में वायरलैस सेट

16. **श्रीमती उजला अरोड़ा** : (जयपुर ग्रामीण)–क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य के पशु चिकित्सालयों तथा विभाग की जीपों में वायरलैस सैट लगाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कृपया योजना का मानचित्र सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1983 में उक्त योजना में वायरलेस सैट लगाये जाने थे, और 31 जुलाई, 1983 तक कहां-कहां लगाये गये ? यदि हां, तो कितने और कहां कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त योजना के निमित्त इस वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई है ?

(4) इस योजना की उपादेयता क्या है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।
(2) प्रश्न ही नहीं उठता।
(3) प्रश्न ही नहीं उठता।
(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

अलवर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय

17. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों पर पिछले एक वर्ष में कितना प्रशासनिक खर्चा किया गया ?

(2) अलवर जिले में पिछले एक वर्ष में नवीन सड़कों के बनाने व पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के कोष से कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों पर 13,17,777.54 रु. तथा अधिकारियों पर 1,73,458.84 रु. का प्रशासनिक व्यय वर्ष 1982–83 में किया गया।

(2) वित्तीय वर्ष 1982–83 में विभाग द्वारा अलवर जिले में नवीन सड़कों के निर्माण पर 20,87,016 रु. तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत पर 1,00,51,579 रु. की राशि व्यय की गई।

सांभर साल्ट में क्यारों में नमक का बहाव

18. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर),
श्री बहादुरसिंह (दानपुर),
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं

श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष बाढ़ में सांभर साल्ट का काफी नमक क्यारों में पड़े रहने के कारण बह गया ? यदि हां, तो कितने मूल्य का ?

(2) क्या यह सही है कि क्यारों से नमक समय पर नहीं उठाया गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(170)

उत्तर

(1 व 2) सांभर साल्ट भारत सरकार का प्रतिष्ठान है जिसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना एकत्र हो जाने पर सदन को अवगत कराया जावेगा।

सूरतगढ़ में घग्घर के पानी से क्षति

19. **श्री कमलेन्द्रसिंह** (वल्लभनगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सूरतगढ़ में घग्घर के पानी से कितने गांवों पर प्रभाव पड़ा है ?

(2) फसलों का कितना नुकसान हुआ है ?

(3) सरकार इस क्षति की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) घग्घर के पानी की सेम से सूरतगढ़ तहसील के मुख्यत: बड़ोपल मानकथेडी व किसनपुरा ग्रामों के मकानों व जमीनों पर कुप्रभाव पड़ा है।

(2) इस सेम के पानी के कारण लगभग 31.03 एकड़ भूमि काश्त योग्य नहीं रही है।

(3) बडोपल, मानकथेडी व किसनपुरा के क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा ग्रामवासियों को दे दिया गया है। जमीन के बदले जमीन आवंटित करने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है।

नगर परिषद् जयपुर की सीमा में राष्ट्रीय एवं धार्मिक त्यौहारों पर मांस के क्रय-विक्रय पर पाबन्दी

20. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद जयपुर की सीमा में राष्ट्रीय एवं धार्मिक त्यौहारों पर कमेले व मांस की दुकानें बन्द रखी जाती हैं तथा नगर परिषद, जयपुर द्वारा कमेले व मांस के दुकानदारों व नागरिकों के नाम सूचना प्रसारित कर दुकानें बन्द करने तथा क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में अपील की है? यदि हां, तो किन-किन दिवसों पर बन्द रखे जाते हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) अगर राष्ट्रीय व धार्मिक पर्वों पर कमेले व मांस की दुकानें नगर परिषद् सीमा पर चलती है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा घोषित दिवसों पर कमेले व मांस की दुकानें खोलने व मांस क्रय-विक्रय करने सम्बन्धी शिकायतें दुकानदारों व परिषद् कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई और क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

(2) अवकाश दिवसों पर अगर मांस की दुकानें खोली जाती हैं, तो जयपुर के स्वीकृत स्लाटर हाउस बाईलाज 1946 के तहत चालान की कार्यवाही की जाती है तथा अवैध मांस को जब्त कर नष्ट कर दिया जाता है।

(3) नगरपरिषद् जयपुर के जामरोली कमेले को पिछले शहीद दिवस पर एक नगर परिषद् कर्मचारी द्वारा अनधिकृत रूप से खोल दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाकर निलंबन किया जा चुका है।

कार्यालय नगर परिषद्, जयपुर

आवश्यक सूचना

जन स्वास्थ्य के हित में सभी नागरिकों को अवगत कराया जाता है कि निम्नलिखित दिवसों पर नगर परिषद के कमेले एवं नगर परिषद, जयपुर की सीमा की सभी मांस, मछली की दुकानें नियमानुसार बंद रहेंगी। अतः निम्नलिखित दिवसों पर सभी मांस विक्रेताओं को भी पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपनी मांस मछली की दुकानें बंद रखें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। साथ ही नागरिकों से निवेदन है कि वे निम्नांकित दिवसों पर किसी भी मांस की दुकानों से स्वास्थ्य के हित में मांस क्रय न करें अन्यथा परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी :–

क्रमांक	दिवस का नाम	दिनांक	वार
1.	गणतंत्र दिवस	26–1–83	बुधवार
2.	शहीद दिवस	30–1–83	रविवार
3.	महाशिवरात्रि	11–2–83	शुक्रवार
4.	रामनवमी	21–4–83	गुरुवार
5.	महावीर जयंती	25–4–83	सोमवार
6.	बुध जयंती	26–5–83	गुरुवार
7.	स्वाधीनता दिवस	15–8–83	सोमवार
8.	जन्माष्टमी	31–8–83	बुधवार
9.	गणेश चतुर्थी	10–9–83	शनिवार
10.	ऋषि पंचमी	11–9–83	रविवार
11.	अनन्त चतुर्दशी	21–9–83	बुधवार
12.	महात्मा गांधी	2–10–83	रविवार
13.	दीपावली	4–11–83	शुक्रवार
14.	कार्तिक पूर्णिमा	20–11–83	रविवार

ह.
(मदनलाल चढ्ढा)
आयुक्त (सतर्कता)
नगर परिषद्, जयपुर

ह.
(डा. दिनेशचन्द्र भण्डारी)
स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर परिषद्, जयपुर।

आयुर्वेद विभाग द्वारा व्यय

21. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा):–– क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

1 अप्रेल 1980, से 31 मार्च, 1983 तक विभाग किस किस मद में कितनी कितनी धनराशि खर्च करने में असमर्थ रहा? स्वीकृत धनराशि खर्च न कर सकने के क्या कारण रहे? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर.

वर्षवार किस किस मद में, कितनी कितनी धनराशि खर्च नहीं हो पायी उसका विवरण, मय कारणों के सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विभिन्न लेखा मदों में स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं हो सकने का कारण सहित विवरण
वर्ष 1980–81

लेखा मद	स्वीकृत अन्तिम अनुदान	वार्षिक व्यय	धनराशि जिसका उपयोग न हो सका	उपयोग नहीं कर सकने का कारण
1	2	3	4	5
280–चिकित्सा				
(ख) अन्य चिकित्सा पद्धतियां				
(क) आयुर्वेद				
(I) निर्देशन और प्रशासन				
मोटर गाड़ियां ...	15000	13402	1598	वास्तविक व्यय के आधार पर बचत सम्भावित
अनुरक्षण	30000	29071	929	बचत नगण्य है।
अन्य व्यय	45000	41934	3060	आदेशित माल समय पर प्राप्त नहीं होने से।
डिक्रीटल चार्जेज	65000	10631	54369	समायोजन संवेदन मद से किया गया।
(II) चिकित्सा सहायता—चिकित्सालय एवं औषधालय				
यात्रा व्यय	435000	421188	13812	स्वीकृति अतिरिक्त प्रावधान की 31-3-81 को प्राप्त हुई। बिलों का भुगतान नहीं हो पाने से बचत।
वर्दियां	571000	537163	33837	नर्स/कम्पाउण्डर व च. श्रे. कर्मचारियों के पद रिक्त रहने से।
खाद्य सामग्री	255000	249643	5357	बचत नगण्य है।
जड़ी बूटियों का क्रय	170000	160289	9711	परिगणित क्षेत्र उप परियोजना खर्चा अधिक दिया दिये जाने के कारण

भ्रमणशील औषधालय	222000	208664	13336	पदों के रिक्त रहने के कारण
शिक्षा				
सहायतार्थ अनुदान अंशदान	1798000	1797467	533	बचत नगण्य है।
प्रशिक्षण	65000	57371	7629	इण्टर्नशिप छात्रों की संख्या कम होने से
नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण	258000	252319	5681	बचत नगण्य है।
अनुसंधान रसायनशालाएं				
संवेतन	1727000	1707826	19174	बचत नगण्य है।
यात्रा व्यय	48000	45857	2143	अतिरिक्त प्रावधान की सूचना देरी से प्राप्त होने से
चिकित्सा व्यय	34000	31882	2118	,, ,,
अनुदान/अंशदान	7000	6292	708	बचत नगण्य हैं
मोटर गाड़ियां	168000	166108	1892	,,
वनौषधि उद्यान एवं ड्रग लेबोरेटरी	83000	72090	10910	आदेशित माल की सप्लाई प्राप्त नहीं होने से
होमियोपैथिक औषधालय एवं				
चिकित्सालय	889000	852784	36216	पदों के रिक्त रहने के कारण
यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय				
मशीनरी और साज सामान	4000	3899	101	बचत नगण्य है।
औषधियों का क्रय	52000	51745	255	,,
सामग्री और प्रदाय	3000	2045	955	,,
परिगणित क्षेत्र उप परियोजना				
चिकित्सालय एवं औषधालय				
मजदूरी	7000	5988	1012	दैनिक श्रमिकों के समय पर उपस्थित नहीं होने से

1	2	3	4	5
यात्रा व्यय	21000	16564	4436	अतिरिक्त प्रावधान की सूचना देरी से प्राप्त होने के कारण
चिकित्सा व्यय	9000	7641	1359	,, ,,
सामग्री और प्रदाय	29000	19063	9937	,, ,,
मशीनरी और साज सामान	41000	36029	4971	माल की सप्लाई नहीं होने के कारण
अनुरक्षण	4000	1400	2600	गांवों में भवन मरम्मत के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण
वर्दियां	10000	8941	1059	पद रिक्त रहने से
जल एवं विद्युत	11000	8610	2390	खर्च के बिल समय पर प्राप्त नहीं होने से।
खाद्य सामग्री	18000	15085	2015	रोगी संख्या कम होने से।
मोटर गाड़ियों का क्रय	92000	—	92000	उदयपुर महाविद्यालय द्वारा खर्च किया जाना था।
		नहरी क्षेत्र का विकास		
औषधालय एवं चिकित्सालय	905000	842730	62270	पदों के रिक्त रहने से।
		वर्ष 1981–82		
निदेशन एवं प्रशासन—				
संवेतन	2860000	2766546	93454	पदों के रिक्त रहने से।
यात्रा व्यय	212000	200549	11451	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिलों का भुगतान नहीं हो सका।

चिकित्सा व्यय	89000	81053	7947	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिलों का भुगतान नहीं हो सका।
किराया/रेण्ट	75000	68326	6674	,, ,,
मोटर गाड़ियां	18000	11158	6842	,, ,,
अन्य व्यय	35000	10485	24515	,, ,,
डिक्रीटल चार्जेज	1000	—	1000	कोई भुगतान करना अवशिष्ट नहीं था।
चिकित्सा एवं औषधालय—				
संवेतन	58463000	55922820	2540180	पदों के रिक्त रहने के कारण।
यात्रा व्यय	355000	336206	18794	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिलों का भुगतान नहीं हो सका।
चिकित्सा व्यय	445000	381729	63271	,, ,,
किराया/रेण्ट	83000	58249	24751	,, ,,
अनुदान/अंशदान	500000	403895	96105	,, ,,
मशीनरी और साज सामान	98000	77934	20066	कर्मचारियों की हड़ताल एवं व्यापारियों द्वारा सप्लाई माल अस्वीकृत हो जाने के कारण।
सामग्री और प्रदाय	311800	293564	20436	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिलों का भुगतान नहीं हो सका।
वर्दियां	673000	489735	183265	,, ,,
बिजली एवं जल	182000	174824	7176	,, ,,
खाद्य सामग्री	290000	262473	27527	,, ,,
जड़ी बूटियों का क्रय	285000	—	285000	व्यापारियों द्वारा माल सप्लाई न करने, हड़ताल के कारण भुगतान न होने एवं व्यापारियों द्वारा लगाई गई निजी शर्तों की स्वीकृति राज्य सरकार से समय पर प्राप्त न होना।

175

176

1	2	3	4	5
भ्रमणशील औषधालय	230000	201457	28543	पदों के रिक्त रहने तथा हड़ताल बिलों का भुगतान नहीं होने से।
शिक्षा				
अनुदान/अंशदान	1946000	1883884	62116	हड़ताल के कारण अवशिष्ट अनुदान का भुगतान नहीं किया जा सका।
छात्रवृत्ति एवं इण्टर्नशिप भत्ता	65000	86846	18154	हड़ताल के कारण इण्टर्ननीज को भुगतान नहीं हो पाया।
नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण	301000	277334	23666	,, ,,
अनुसन्धान-रसायनशालाएं				
संवेतन	2146000	2028010	117990	पदों के रिक्त रहने एवं कर्मचारियों की हड़ताल।
मजदूरी	50000	29095	20905	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिलों का भुगतान नहीं हो सका।
यात्रा व्यय	52000	42627	9373	कर्मचारियों की हड़ताल एवं अवशिष्ट बिलों का भुगतान न होने से।
चिकित्सा व्यय	36000	29071	6929	,, ,,
कार्यालय व्यय	193000	118944	74056	हड़ताल के कारण अवशिष्ट बिलों का भुगतान नहीं होने से
किराया/रेंट	10000	2355	7645	,, ,,
अंशदान/अनुदान	10000	2664	7336	,, ,,
मशीनरी एवं साज सामान	7000	3641	3359	,, ,,
मोटर गाड़ियां	281000	258318	22682	हड़ताल के कारण अवशिष्ट बिलों का भुगतान नहीं हो सका
सामग्री और प्रदाय	8000	4025	3975	,, ,,

जड़ी बूटियों का क्रय	4000000	1527160	2472840	व्यापारियों द्वारा माल सप्लाई न करने, हड़ताल के कारण भुगतान न होने एवं व्यापारियों द्वारा लगायी गयी निजी शर्तों की स्वीकृति राज्य सरकार से देरी से प्राप्त होना
वनौषधि उद्यान एवं ड्रग लेबोरेटरी	147000	79327	67673	पदों के रिक्त रहने एवं हड़ताल के कारण अवशिष्ट बिलों का भुगतान न होने से
उदयपुर रसायनशाला का विकास	100000	—	100000	व्यापारियों द्वारा समय पर मशीनें सप्लाई न करने से
होमियोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय	1049000	914252	134748	पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अवशिष्ट बिलों का भुगतान न होने से
यूनानी औषधालय एवं चिकित्सालय				
यात्रा व्यय	14000	12535	1465	हड़ताल के कारण अवशिष्ट बिलों का भुगतान नहीं होने से
चिकित्सा व्यय	18000	15869	2131	,, ,,
कार्यालय व्यय	38000	21113	16887	,, ,,
किराया/रेंट	11000	9153	1847	,, ,,
मशीनरी और साज सामान	7000	2016	4984	,, ,,
सामग्री और प्रदाय	6000	3366	2634	,, ,,
खाद्य सामग्री	7000	1415	5585	,, ,,
जल एवं विद्युत	1000	—	1000	,, ,,
मजदूरी	2000	—	2000	,, ,,
औषधियों का क्रय	73000	—	73000	हड़ताल होने से भुगतान न होना; मांग-पत्र कम राशि का प्राप्त होना, व्यापारियों द्वारा सप्लाई न कर पाना एवं व्यापारियों की निजी शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय पर स्वीकृत न होना।

परिगणित क्षेत्र उप परियोजना

1	2	3	4	5
निदेशन एवं प्रशासन	95000	84946	10054	कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अवशिष्ट बिलों का भुगतान न होने से।
चिकित्सा एवं औषधालय				
संवेतन	1300000	1126684	173316	पदों के रिक्त रहने के कारण
मजदूरी	7000	6863	137	बचत नगण्य
यात्रा व्यय-	48000	36557	11443	कर्मचारियों की हड़ताल से अवशिष्ट बिलों का भुगतान न होने से।
चिकित्सा व्यय	9000	7730	1270	,, ,,
मशीनरी और साज सामान	8000	7287	713	,, ,,
अनुरक्षण	4000	950	3050	,, ,,
सामग्री और प्रदाय	48000	44113	3837	,, ,,
वर्दियां	23000	18207	4793	,, ,,
जल एवं विद्युत	22000	11213	10787	,, ,,
खाद्य सामग्री	43000	30922	12078	,, ,,
औषधियों का क्रय	162000	63201	98799	हड़ताल होने से भुगतान न होना, मांग पत्र कम राशि का प्राप्त होना, व्यापारियों द्वारा समय पर सप्लाई न कर पाना एवं व्यापारियों की निजी शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय पर स्वीकृत न होना।

मोटर गाड़ियां	120000	117168	2832	बचत नगण्य है।
अनुसन्धान–रसायनशालाएं	4000	—	4000	कर्मचारियों की हड़ताल के कारण।
नहरी क्षेत्र का विकास–औषधालय एवं चिकित्सालय				
संवेतन	897000	867261	29739	पदों के रिक्त रहने से।
यात्रा व्यय	10000	8989	1011	कर्मचारियों की हड़ताल के कारण।
कार्यालय व्यय	16000	7076	8924	कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अवशिष्ट बिलों का भुगतान न होने से।
मशीनरी एवं साज सामान	5000	904	4096	,, ,,
सामग्री और प्रदाय	10000	8843	1157	,, ,,
अनुरक्षण	5000	4883	117	बचत नगण्य
औषधि क्रय	49000	15692	33308	व्यापारियों द्वारा माल सप्लाई न करने एवं अन्य कारण।
लोक निर्माण कार्य–				
अनुरक्षण एवं मरम्मत	60000	57725	3275	बचत नगण्य
		वर्ष 1982–83		
निदेशन एवं प्रशासन				
संवेतन	3354000	3350001	3999	पदों के रिक्त रहने के कारण
चिकित्सा व्यय	129000	124001	4999	बचत नगण्य
कार्यालय व्यय	355000	354900	100	,, ,,
अन्य प्रभार	27000	26421	579	,, ,,
चिकित्सा एवं औषधालय				
संवेतन	67926000	67370788	555212	पदों का रिक्त रहना

(179)

(180)

1	2	3	4	5
यात्रा व्यय	480000	445614	34386	कोष कार्यालय द्वारा बिल स्वीकार न करने से
चिकित्सा व्यय	50 0000	491572	8428	,, ,,
सामग्री और प्रदाय	346000	333417	12583	,, ,,
वर्दियां	898000	895000	3000	,, ,,
जल एवं प्रकाश	222000	216537	5463	,, ,,
खाद्य सामग्री	287000	285724	1276	बचत नगण्य
औषधियों का क्रय	99000	84626	14374	कोष कार्यालय द्वारा बिल नहीं लेने, वर्ष के अन्तिम दिनों में माल की सप्लाई प्राप्त होने से
भ्रमणशील औषधालय				
यात्रा व्यय	12000	11534	466	बचत नगण्य
मोटर गाड़ियां	40000	37315	2685	,, ,,
औषधियों का क्रय	600 0	5806	194	,, ,,
शिक्षा नर्स|कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र				
यात्रा व्यय	8000	7266	734	कोष कार्यालय द्वारा बिल स्वीकार नहीं करने के कारण
चिकित्सा व्यय	700 0	5509	1491	,, ,,
कार्यालय व्यय	20000	18367	1633	,, ,,
किराया और रेंट	60 00	5324	676	,, ,,
खाद्य सामग्री	10000	9898	102	बचत नगण्य
औषधियों का क्रय	5000	4960	40	,, ,,

अनुसंधान-रसायनशालाएं

यात्रा व्यय	58000	57676	324	बचत नगण्य
चिकित्सा व्यय	43000	42499	501	,, ,,
कार्यालय व्यय	169000	163282	5718	,, ,,
सहायतार्थ अनुदान	2000	1930	70	,, ,,
मशीनरी और साज सामान	7000	6345	655	बचत नगण्य
सामग्री और प्रदाय	4000	3963	37	,,
अन्य व्यय	16000	15918	82	,,
मोटर गाड़ियां	215000	194726	20274	कोष कार्यालय द्वारा बिल स्वीकार नहीं किये जाने के कारण
वनौषधि उद्यान एवं ड्रग लेबोरेटरी	120000	115177	4823	,, ,,

परिगणित क्षेत्र उप परियोजना

निदेशन एवं प्रशासन	130000	126115	3885	कोष कार्यालय द्वारा बिल स्वीकार नहीं किये जाने से
चिकित्सालय एवं औषधालय				
संवेतन	1713000	1688906	24094	पदों के रिक्त रहने के कारण
मजदूरी	9000	8799	201	बचत नगण्य
कार्यालय व्यय	11000	10182	818	कोष कार्यालय द्वारा बिल पारित न किये जाने से
मशीनरी और साज सामान	6000	4899	1101	,, ,,

1	2	3	4	5
सामग्री और प्रदाय	18000	16105	1895	कोष कार्यालय द्वारा बिल पारित न किये जाने से
वर्दियां	29000	25230	3770	,, ,,
विद्युत एव जल	9000	7102	1898	,, ,,
खाद्य सामग्री	6000	5999	1	बचत नगण्य
होमियोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय				
संवेतन	1074000	1059861	14139	पदों का रिक्त रहना
यात्रा व्यय	10000	9988	12	बचत नगण्य
कार्यालय व्यय	27000	25628	1372	कोष कार्यालय द्वारा बिल समय पर नहीं लेने से
किराया, कर	9000	8668	332	बिल समय पर प्राप्त न होने से
मशीनरी एवं साज सामान	5000	2057	2943	कोष कार्यालय द्वारा बिल स्वीकार न करने के कारण
यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय				
यात्रा व्यय	19000	18394	606	कोष कार्यालय द्वारा बिल स्वीकार न करने से
चिकित्सा व्यय	23000	19210	3790	,, ,,
कार्यालय व्यय	64000	62362	1638	,, ,,
खाद्य सामग्री	6000	5992	8	बचत नगण्य
विद्युत एवं जल	1000	684	316	बचत नगण्य

प्राकृतिक चिकित्सालय एवं औषधालय

संवेतन	187000	178559	8441	पदों के रिक्त रहने के कारण
सामग्री और प्रदाय	3000	2915	85	बचत नगण्य
खाद्य सामग्री	15000	14904	96	,, ,,

राजस्थान नहर क्षेत्र का विकास–चिकित्सालय एवं औषधालय

यात्रा व्यय	11000	10860	140	बचत नगण्य
कार्यालय व्यय	14000	13996	4	,,
मशीनरी और साज सामान	6000	5715	285	,,
अनुरक्षण	5000	4919	81	,,
सामग्री और प्रदाय	11000	10726	274	,,
औषधियों का क्रय	59000	46877	12123	व्यापारियों द्वारा माल की सप्लाई समय पर न करने, सप्लाई माल अस्वीकृत हो जाने एवं कोष कार्यालय द्वारा बिल स्वीकार न करने से ।

184

तहसील बोंली का निर्मित भवन

22. **श्री कुन्जीलाल मीणा** (बामनवास):—क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बोंली का तहसील भवन जिसका निर्माण सार्वजनिक विभाग ने कराया था वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गया और जिसके बारे में रिपोर्ट भी अधिशाषी अभियन्ता द्वारा विभाग को दे दी गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस भवन से जनजीवन की क्षति होने का अंदेशा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी ?

(3) क्या सरकार जनहित को मद्दे-नजर रखते हुए उक्त तहसील के लिए नये भवन निर्माण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील बोंली के तहसील भवन का निर्माण राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया था। भवन जीर्ण अवस्था में है। विभाग के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कोई रिपोर्ट विभाग को नहीं दी गई है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची में इस भवन के न होने के कारण इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(3) इस प्रश्न का संबंध सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं है।

राज्य में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

23. **श्री हरी सिंह** (कुम्हेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में 1–4–1982 से 31–7–1983 तक अकाल राहत पर कुल कितना व्यय हुआ है ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अकाल राहत पर कुल व्यय का वांछित जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है जो सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 1–4–82 से 31–7–83 तक अकाल राहत पर हुए व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	राशि लाखों में
1.	अजमेर	968.33
2.	अलवर	64.32
3.	बांसवाड़ा	620.73
4.	बाड़मेर	1561.00
5.	भरतपुर	3.75
6.	भीलवाड़ा	2072.58
7.	बीकानेर	404.92

1	2	3
8.	बून्दी	216.85
9.	चितौड़गढ़	855.80
10.	चूरु	415.59
11.	डूंगरपुर	514.02
12.	गंगानगर	96.28
13.	जयपुर	247.464
14.	जैसलमेर	544.314
15.	जालौर	479.52
16.	झालावाड़	53.78
17.	झुन्झनूं	209.526
18.	जोधपुर	2265.598
19.	कोटा	84.78
20.	नागौर	397.032
21.	पाली	1233.90
22.	स. माधोपुर	75.72
23.	सीकर	313.93
24.	सिरोही	412.396
25.	टोंक	158.99
26.	उदयपुर	1923.061
27.	धौलपुर	34.93
	योग:—	16,230.111

उपरोक्त मे खर्च की निम्न राशियां शामिल नहीं है, जिनका जिलेवार विवरण उपलब्ध नहीं है जिसे संकलित किया जा रहा है।

क्र.सं.	नाम पद	राशि (लाखों में)
1.	कुए गहरे कराने के लिए	48.00
2.	सांड सहायता	16.60
3.	पोषाहार	92.01
4.	डेयरी को सहायता	15.00
5.	बीज.खाद के लिए अनुदान	293.00
6.	गौशालाओं को अनुदान	7.13
7.	चिकित्सा स्वास्थ्य	25.40
8.	पुनर्वास विभाग	11.73

(186)

1	2	3
9.	पंचायतों को ऋण	11.50
10.	सा. निर्माण विभाग को औजारों के लिए	3.28
11	सिंचाई विभाग को औजारों के लिए	5.00
12.	वन विभाग को चारा एकत्र करने हेतु	5.00
13.	चारा उगाने हेतु	1.00
14.	चारागाह भूमि विकास हेतु	16.80
15.	भेड़ों के निष्क्रमण हेतु	2.00
16.	डेयरी (पशुओं को चारा दाना हेतु)	214.30
17.	सहायता आयुक्त	25.25

नोट: -1 खर्चे के जो आंकड़े दिये गये हैं, उसमें सा. नि. विभाग की प्रोरेटा चार्जेज की राशि 65.48 लाख है ये राशि उक्त व्यय में शामिल नहीं है। इनका जिलेवार विवरण उपलब्ध नहीं है जिसे संकलित किया जा रहा है।

नोट:--2. व्यय के ये आंकड़े अस्थाई हैं खर्चे की बुकिंग महालेखाकार के यहां आने पर ही अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो पायेंगे जो विलम्ब से प्राप्त हो सकेंगे।

मैसर्स के. डी. इलेक्ट्रोनिक्स, जयपुर द्वारा बरामदों का उपयोग

25. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय)-

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)-क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि मिर्जा इस्माइल रोड पर मैसर्स के. डी. इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा अपनी दुकान के सामने के बरामदे को बन्द कर उसका अनधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में नगर परिषद्, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस प्रकार के अनाधिकृत निर्माण जयपुर नगर परिषद क्षेत्र व जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में लम्बे अर्से से है। इस बारे में मामला सरकार के विचाराधीन है। इसके बारे में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

लूनी नदी का पुल का निर्माण कराना

26. **श्री अमरा राम चौधरी** (पचपदरा)-क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या बालोतरा के नजदीक लूनी नदी पर पुल बनाने हेतु मामला सरकार के

(श्री अमराराम चौधरी)

निर्णयाधीन है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक हो जाएगा ?

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि लूनी नदी में इस वर्ष पानी आने से करीब महीने भर आवागमन में बाधा हुई व जान-माल का खतरा रहा ?

उत्तर

(1) वित्तीय साधनों के अभाव में इस पुल को बनाने हेतु कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) इस नदी पर बने पक्के काजवे पर इस वर्ष अधिक पानी आने से आवागमन में बाधा हुई परन्तु जानमाल के खतरे की कोई सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

राहत कार्यों पर लगे श्रमिक व खर्च राशि

27. श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर): क्या अकाल राहतमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ब्यावर उप खण्ड में अकाल राहत कार्यों की मजदूरी का भुगतान कब तक का कर दिया गया ?

(2) वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में जवाजा पंचायत समिति में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य हुये व कितनी राशि खर्च हुई? कृपया वर्ष वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1982-83 व 31 जुलाई, 1983 तक राजस्थान के जिलों में जो अकाल राहत कार्य चले उन पर कितनी-कितनी राशि खर्च हुई व कितने श्रमिक कार्य पर लगे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्यावर उपखण्ड के राहत कार्यों पर किये गये भुगतान की सूचना निम्न प्रकार है :--

विभाग का नाम	दिनांक जब तक का भुगतान किया गया
1. सिंचाई विभाग	31-7-83 तक
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग	30 जून, 83 तक
3. भू-संरक्षण विभाग	30-6 83 तक
4. वन विभाग	30-6-83 तक

बकाया के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(3) वर्ष 1982-83 एवं वर्ष 1983-84 में जुलाई, 83 तक जो राहत कार्य चले एवं उन पर हुए व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ख' में अंकित है। इन कार्यों पर इस अवधि में प्रत्येक मास में जो श्रमिक नियोजित किये गये उनका जिलेवार एवं मासवार विवरण परिशिष्ट "ग" व "घ" में अंकित हैं। इन परिशिष्टों को सदन के पटल पर रख दिया गया है।

188

पंचायत समिति जवाजा में विभिन्न अभिकरण द्वारा चलाये गये राहत कार्यों की सूची सम्वत् 2038

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	अनुमानित राशि
1	2	3	4
सार्वजनिक निर्माण विभाग			
1.	देवाता बड़ कोचरा	15–00	0–25
2.	एन. एच. नं. 8 गाफा सरुपा रोड़	15–00	0–25
3.	ब्यावर कोटड़ा काबरा सड़क	3–00	0–25
4.	बड़ा खण्ड से दुधातेश्वर	13–00	0–50
5.	बड़ा खेड़ा बंजारी भीम सड़क	2–00	0–50
6.	अप्रोच रोड टू अतीत मंड	2–00	0–50
	वाया पास नेशनल हाई वे नं. 8 ब्यावर जोधपुर	4–00	0–50
7.	बड़ाखान से टाटगढ़ सड़क	3–00	0–50
	बराडाव से कटासियान वाया आसन	4–00	0–50
8.	अप्रोच सड़क टू रावत माल फ्रोम राष्ट्रीय मार्ग नं. 8	1–50	0–92
9.	अप्रोच सड़क टू सूरड़िया फ्रोम ब्यावर आसीन	1–50	0–92
10.	अप्रोच सड़क नाईकला कोटड़ा काबरा	9–00	1–80
11.	टाटगढ़ से दुधातेश्वर	6–00	0–92
12.	ब्यावर दिलवाड़ासहावा पाधरीया वास बेबेद मसूदा ब्यावर	15–00	2–75
13.	बड़ा ढाब से खेड़ा कला सड़क इम्प्रूवमेंट	5–00	0–90
14.	अप्रोच सड़क से बलाड़	2–00	0–50
वन विभाग			
1.	सोनियाना भू-संरक्षक कार्य	1–00	0–25
2.	लाम्बा प्लान्टेशन एवं वन संरक्षण की चौकी	1–00	0–25
सिचाई विभाग द्वारा			
1.	प्रेम सागर कालीबर	0–50	0–25
2.	काला टोला बाघयाल	0–50	0–25
3.	लोरड़ी टेक केनाल	0–	0–25
4.	खारी की आव खारवा	1–00	0–25
5.	सुराधाबा फीडर	2–00	0–50

1	2	3	4
6.	जवाजा टैंक	0-30	0-30
7.	राजियावास टैंक	0-30	0-30
8.	जालिया पीठावास	0-30	0-30
9.	लोटियाना तालाव	1-00	0-50
10.	फावरा तालाब	0-50	0-50
11.	पाड़ा बगड	0-30	0-30
12.	भूजो रेल रपट	0-60	
13.	बरवड़ सेखड़ा टैंक	1-00	0-50
14.	देवासा टैंक	1-00	0-50
15.	सराधना फीडर	1-00	0-50
16.	रावत भाटा टैंक व फीडर	1-00	0-50
17.	लसानी तालाब	1-00	0-50
18.	बेजारी तालाव	1-00	0-50
19.	परबस्ती तालाब	1-00	0-50
20.	भोमा देह तालाब	1-00	0-50
21.	लालोलाव टैंक	1-00	0-50
22.	पूत सागर जालिया	1-00	0-50
23.	बारवास टैंक	1-00	0-50
24.	मकरेड़ा तालाब	1 50	0-50
25.	तालाब किशनपुरा	0-50	0-50
26.	सरवीना तालाब नाहर पुरा	0-50	0-40
27.	दोरा दाता तालाब	0-50	0-40
28.	तालाब राजियावास	0-50	0-40
29.	बोर का तालाब	0-50	0-40
30.	बबुआ का तालाब टाटगढ़	1-00	0-50
31.	सारोठ फीडर	1-00	0-50
32.	शेरा का बाला	1-00	0-50
33.	सरमालिया तालाब	0-50	0-50
34.	सूरजपुरा तालाब	0-50	0-50
35.	पंचायत पुनेरा तालाब	0-50	0-50
36.	उत्तरा तालाब तारागढ़	0-50	0-50
डी.पी.ए.पी. ब्यावर द्वारा			
1.	नाईकला रपट	0-50	0-30
2.	गाफा रपट	0-30	0-18

(190)

1	2	3	4
3.	टाटगढ़ रपट	0–55	0–33
4.	तारागढ़ रपट	0–20	0–12
5.	बढुग्रा रपट	75615/–	0–30
	सार्वजनिक निर्माण विभाग:–		
1.	बड़ा खेड़ा से भीम बंजारी सड़क	6–00	0–80
2.	ब्यावर बर पाली सिरोही सड़क.	8–50	0–40
3.	ब्यावर कोटड़ा कावरा	4–00	0–85
4.	बड़ाखान से टाटगढ	20–00	1–00
5.	देवाता से ब्रहमोला गोटियान	15–00	2–00
6.	जस्सा खोड़ा से बराखन रोड	3–00	1–00
7.	ग्रप्रोच रोड से अतीत मंडी	6–00	1–00
8.	ब्यावर से मोटा रोड	5–00	1–00
9.	बाईपास रा. उ. वार्ड नं. 8 ब्यावर से जोधपुर	4–00	2–50
10.	बड़ा खान से दुग्धातेश्वर	18–00	2–00
11.	ब्यावर बर पाली सिरोही रोड	8–50	0–40
12.	बड़ा छोडोसभीप बंजारी सड़क	6–00	0–80
13.	बड़ा जाट से टाटगढ	20–00	1–00
	वन विभाग जवाजा:–		
1.	देलिया घाटा से सरूपा रोड	23000/–	23000/–
2.	देलिया घाटा राक्सी	33000/–	33000/–
3.	हिमालियावास से मोडकिया घाटा	29000/–	29000/–
4.	मोडिंया से पंचराला घाट	23000/–	23000/–
5.	धारका घाट से बाम्बूड़ा	20000/–	20000/–
6.	रावड़ि से बोडिया घाटा	20000/–	20000/–
7.	रवाई माल से रावली	20000/–	20000/–
8.	कावरा दाता से काली घाटी	20000/–	20000/–
9.	बड़ा खाव से रावली	8000/–	8000/–
10.	बाछवाल से हिरणियावास	17000/–	17000/–
11.	जोगीं खेड़ा से बाम्बोड़ा	7000/–	7000/–
12.	काली घाटी से भाभड़ा बड़ा	14000/–	14000/–

1	2	3	4
सिचाई विभाग द्वारा:—			
1.	मुख्य घाटी फीडर	4–30	1–75
2.	ताखमीना टैंक	0–60	0–50
3.	काली कांकड़	0–60	0–60
4.	दतवांड़ा टैंक	0–70	0–60
5.	बताड़ टैंक	2–00	1–25
6.	फूटिया तालाब भोपालपुरा	0–50	0–20
7.	भूजल रपट	0–00	1–00
8.	देवीत बड़ा	3–00	3–00
9.	कोहरपुरा	0–50	0–50
10.	जोसला	0–50	0–50
11.	दौलतगढ़ किंग	0–50	0–50
12.	फूलसागर	0–50	0–50

पंचायत समिति जवाजा में सम्वत् 2039 में विभिन्न विभाग के माध्यम से चलाये जाने हेतु स्वीकृत कार्यों की सूची :--

क्र.सं. स्वीकृत क्रमांक एवं दिनांक राज्य सरकार जिलाधीश द्वारा	नाम कार्य	अनुमानित लागत	स्वीकृत राशि
सिचाई विभाग :			
एफ(2)(20/स आ/खरीफ/रा का 81/26558–577, दिनांक 16-12-82	1–तोठियाना बांध	1–00	0–15
	2–बबुग्रा का तालाब टाटगढ़	1–00	0–27
	3–सराघना फीडर	1–00	0–27
105978/17–1–83	4–सुराधारा ,,	3–50	1–75
	5–भुजरेल रपट	0–60	0–00
	6–भीमदेई तालाब	0–50	0–50
	7–राजियावास ,,	0 50	0–50

(192)

1	2	3	4
	8–बरबत खेड़ा तालाब	0–50	0–50
	9–देवाता फीडर	5–0	1–50
	10 रुपेरा टैंक जवाजा	0–50	0–50
1738–64/ 21–1–83	11–देवाता बांध	0–50	0–50
	12–लतावी टैंक	0–50	0–50
	13–बजारी ,,	0 50	0–50
	14–बाराबारा ,,	0–50	0–50
	15–सकीना टैंक नोहरपुरा	0–50	0 50
	16–रीछवा का तालाब	0–50	0–50
	17–गावाई तालाब सरगांव	0–50	0–50
	18–मकरेड़ा टैंक	0–50	0–50
55/17–2–83	19–काली डोला बागयात	0–80	0–20
	20–काली कांकड़ टैंक	0–60	0–20
	21–जालिया पीथावास	0–10	0–20
	22–रूपसागर आरनली	1–0	0–25
	23–जवाजा तालाब	1–00	0–25
	24–सारोड़ फीडर	0–40	0–20
	25–राता भाटा टैंक	0–80	0–20
	26–पूल सागर जालिया	0–60	0–20
	27–प्रेम सागर कालिजा (फूतिया तालाब)	0–30	0–30
	28–किशनसागर किशनपुरा	0–40	0–40
	29–अतित गंड तालाब	1–00	0–20
	30–गूढी का बाला	0–50	0–10
	31–कुशालपुरा तालाब बबाड़	0–50	0–10
	32–देलवाड़ा तालाब	1–00	0–20
	33–बाहना तालाब मालपुरा	1–00	0–20
	34–सीसी बेरी ,, कोटड़ा	0–50	0–10
	35–बिछू का चोड़ा ,, दुर्गावास	0–50	0–10
	36–बरलतलाब सुरड़िया	0–50	0–10

1	2	3	4
	37-गोहाना टैंक गोहाना	0-50	0-10
	38-पाकरियाबास ,,		
	39-ठोकराना नून्द्री महेन्द्रातान ,,	0-50	0-10
0-20/30-4-83	40-जोरामंडी फीडर कोटड़ा	1-00	1-00
	41-नया तालाब रूपनगर	0-50	0-50
	42-भीमसागेलाव वराखण्ड	0-60	0-60
	43-रामबास तालाब दुर्गाबास	0-50	0-50
191-202/24-5-83	44-खेतावास रपट कार्य	3-00	3-00
1742-61/30-5-83	45-नीलकंठ महादेव एनीकट	0-70	0-70
	योग :	37-70	20-64

डी. पी. ए. पी.

26558-570/16-12-82	1-गाफा एनीकट	0-68	0-20
1059-78/17-1-83	2-नाईकला रपट	0-44	0-44
	3-बबुग्रा रपट	0-67	0-67
722-39/17-2-83	4-तबारा वाला नाला रपट	1-17	1-17
	5-नोडियाना रपट कार्य	0-99	0-99
	6-पालना रपट कार्य	0-84	0-84
	योग :	4-79	4-31

सार्वजनिक निर्माण विभाग :

1	2	3	4
17399–64/21–1–83	1–ब्यावर कोटड़ा काबरा	1–70	1–02
	2–अप्रोच रोड टू अतीत मंड	3–50	1–02
	3– ,, ,, ,, रावत माल	1–80	1–02
	4–टाटगढ़ से बराखान 15 किमी.	5–00	1–02
7581–99/23–2–83	5–स्टेथांगबाईंडिंग ब्यावर पालीबाई पास सहित नेशनल हाई वे नं. 8 से ब्यावर जोधपुर रोड 11 किमी.	6–50	1–35
	6–बड़ाखान से दुधालेश्वर 13 किमी.	3–00	0–75
	7–ब्यावर आसींद सड़क बाईंडिंग एवं कारपेंटिंग 6 किमी.	8–00	2–00
	8–अप्रोच रोड टू गाफा सरूपा 16 किमी.	2–00	0–80
	9–बड़ाखान से कटालिया 15 किमी.	3–00	0–75
1–49/2–4–83	10–नाईकला कोटड़ा काबरा	2–50	2–50
	11–देवाता बड़कोचरा लोटियाला सुरजपुरा	2–50	2–50
	12–बड़ा खेड़ बजारी भीम	2–50	2–50
8311–24/23–4–83	13–ब्यावर जोधपुर रोड से कोटड़ा वाया किलोबदी गुदेलरोड	2–50	2–50
	14–सम्पर्क सड़क सूरडिया	1–00	1–00
	15–अप्रोच रोड टू चांद चीतार	1–60	1–60
	16–सम्पर्क सड़क दुर्गावास	1–50	1–50
	योग:	48–60	23–80

195

वन विभाग :

1	2		3	4
	7300–16/23–2–83	1–खारवा नर्सरी ब्यावर	0–48	0–15
	2238/17–2–83	2–टाटगढ़कन नं. 271532 है क्षेत्र के फेंसिंग गेप ब्लास्टिंग कार्य	1–00	1–00
		3–बागमाल कन नं. 27/272 है क्षेत्र की फेंसिंग एवं गेस ब्लास्टिंग कार्य	1–00	1–00
		योग:	2–48	2–25

"परिशिष्ट ख"

1–4–82 से 31–7–83 तक अकाल राहत कार्यों पर हुए व्यय का विवरण :—

क्र. सं.	नाम जिला	अवधि		(राशि लाखों में)
		अप्रेल 82 से सितम्बर 82	अक्टूबर 82 से मार्च, 1983	अप्रेल 83 से जुलाई, 83
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	295.92	89.30	469.69
2.	अलवर	0.30	3.54	27.80
3.	बांसवाड़ा	142.55	137.71	262.16
4.	बाड़मेर	653.20	152.67	518.66
5.	भरतपुर	2.25	—	—
6.	भीलवाड़ा	971.21	196.69	653.82
7.	बीकानेर	46.83	3.13	22.04
8.	बूंदी	100.51	10.54	78.89
9.	चित्तौड़गढ़	313.82	95.37	335.59

1		2	3	4
10.	चूरू	55.19	7.94	36.71
11.	धौलपुर	5.17	0.01	00.15
12.	डूंगरपुर	162.51	55.71	193.03
13.	गंगानगर	1.06	--	5.00
14.	जयपुर	55.364	13.19	77.12
15.	जैसलमेर	133.014	7.60	45.27
16.	जालौर	142.47	32.33	157.18
17.	झालावाड़	2.85	7.12	22.22
18.	झुंझुनू	19.98	1.986	29.22
19.	जोधपुर	805.998	136.31	718.65
20.	कोटा	13.78	0.42	5.56
21.	नागौर	154.052	5.58	30.18
22.	पाली	464.89	112.18	453.57
23.	सवाई माधोपुर	6.65	—	0.34
24.	सीकर	84.26	3.24	51.47
25.	सिरोही	13 996	42.83	171.52
26.	टोंक	53.66	4.54	61.18
27.	उदयपुर	671.811	216.17	868.60
	योग :	5471.355	1338.136	5305.62

नोट :--1. कालम संख्या-5 में खर्चे के जो आंकड़े दिये गये हैं, उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रोरेटा चार्जेज की राशि 65.48 लाख है ये 5305.62 लाख की राशि में शामिल नहीं है। इनका जिलेवार विवरण उपलब्ध नहीं है। जिसे संकलित किया जा रहा है।

2. व्यय के ये आंकड़े अस्थाई हैं खर्चे की बुकिंग महालेखाकार के यहां आने पर ही अंतिम आंकड़े उपलब्ध हो पायेंगे जो विलम्ब से प्राप्त हो सकेंगे।

परिशिष्ट 'ग'

राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों का जिलेवार एवं माहवार विवरण
(अवधि अप्रेल, 82 से जुलाई, 82 तक)

क्र.सं.	नाम जिला	अप्रेल 82	मई, 82	जून, 82	जुलाई, 82
1.	अजमेर	16502	23947	40666	35008
2.	अलवर	—	—	—	1007
3.	बांसवाड़ा	4685	15377	21025	21025
4.	बाड़मेर	43517	74930	82727	81177
5.	भरतपुर	—	—	—	—
6.	भीलवाड़ा	67951	70637	77678	72228
7.	बीकानेर	3000	6077	7203	5662
8.	बूंदी	4842	5935	9732	8703
9.	चित्तौड़गढ़	10663	16000	24136	20319
10.	चूरू	2044	4959	7005	8434
11.	धौलपुर	18	20	26	26
12.	डूंगरपुर	11162	21266	29584	23256
13.	गंगानगर	42	75	116	207
14.	जयपुर	316	700	3730	9130
15.	जैसलमेर	11224	17414	19692	19475
16.	जालोर	3670	7668	13387	20766
17.	झालावाड़	—	433	628	925
18.	झुंझुनूं	456	738	2722	4332
19.	जोधपुर	53876	93230	110564	91237
20.	कोटा	—	—	—	—
21.	नागौर	7738	13143	27575	29559
22.	पाली	34141	46993	62467	46314
23.	स. माधोपुर	415	370	355	1196
24.	सीकर	2200	4079	6672	6695
25.	सिरोही	4637	9591	12110	11269
26.	टोंक	532	3801	5878	6366
27.	उदयपुर	43812	76701	96666	98347
	योग :	327443	514084	662344	622653

राजस्थान सरकार

सहायना विभाग

राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों का जिलेवार एवं माहवार विवरण

क.सं.	नाम जिला	मास के अन्त में							जुलाई, 83		दिनांक
		दिसम्बर 82	जनवरी 83	फरवरी 83	मार्च 83	अप्रेल 83	मई 83	जून 83	12/7	19/7	31/7
1.	अजमेर	1027	4984	16376	25819	40435	40811	50429	47954	18277	10668
2.	अलवर	—	—	—	2029	6145	1665	2906	2650	1897	910
3.	बांसवाड़ा	*7871	*11448	*19789	*21455	22071	28020	27201	17595	10185	5020
4.	बाड़मेर	3221	5862	37100	44535	63772	81888	92572	64646	50077	22140
5.	भीलवाड़ा	2380	17216	27832	33773	43232	53187	57973	56390	26299	9116
6.	बीकानेर	—	—	556946	1302	1723	2595	2466	2079	732	700
7.	बून्दी	—	—	—	1988	3421	4144	5785	5386	2496	1443
8.	चित्तौड़गढ़	685	1074	17257	20814	36267	30164	33512	35328	18814	7084
9.	चूरू	—	—	691	2984	4607	3200	4793	4173	2600	—
10.	धौलपुर	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—
11.	डूंगरपुर	2586	5253	11996	13795	20171	22223	27203	24485	11195	9510

12. गंगानगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13. जयपुर	76	419	1833	2756	3385	5381	7778	7121	4978	1194
14. जैसलमेर	1126	1857	2029	1816	7745	4996	9216	8754	6660	1056
15. जालोर	1388	2963	4590	7588	13180	11510	25194	13927	9446	1913
16. झालावाड़	–	–	1128	1510	1370	2638	4254	4726	1823	586
17. झुंझुनू	–	–	–	375	919	2144	2160	1798	1636	1533
18. जोधपुर	2726	6036	25791	43724	60158	74372	90540	88291	66460	14423
19. कोटा	–	–	–	231	199	793	498	498	435	435
20. नागौर	–	–	439	1859	3617	2961	9626	4048	2109	232
21. स. माधोपुर	–	–	–	–	–	–	–	53	152	–
22. पाली	6837	7883	14253	35267	50772	43198	58480	50574	31869	10835
23. सीकर	–	–	–	1290	2071	4168	5289	4319	2839	1648
24. सिरोही	942	2027	6220	9998	16638	17030	16738	14014	6059	1823
25. टोंक	–	–	475	955	1266	4121	6204	6453	4181	1160
26. उदयपुर	3706	23903	35868	43494	58120	69887	87630	80605	44855	16535
योग :	34571	90985	225269	319374	461273	514096	628447	535867	326076	119982

*दिसम्बर, 1982 में 5000 एवं जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 83 में प्रति माह जो 6000 श्रमिक माही परियोजना पर राहत व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त रूप से नियोजित किये गये, बांसवाड़ा जिले की श्रमिक संख्या में सम्मिलित हैं।

(200)

हैंड पम्प्स लगवाने में अनियमितताओं के दोषी अभियन्ता

28 (30/सि मं.) श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में हैंड पम्प्स लगवाने में पाई गई अनियमितताओं के लिए किन-किन अधिकारियों एवं इंजीनियर्स को कब-कब निलम्बित किया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इन निलम्बित व्यक्तियों को कब-कब आरोप-पत्र दिये गये ? कृपया ऐसे आरोप-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक अभियन्ता ने निलम्बन के इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त स्थगन आदेश के निरस्त कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) दो अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता व एक कनिष्ट अभियन्ता को निलम्बित किया गया। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निलम्बित व्यक्तियों को अभी तक आरोप-पत्र नहीं दिये गये हैं।

(3) जी हां। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करा लिया गया है।

क्र.स.	नाम	पद	निलम्बित किये जाने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री जयकिशन	अधिशाषी अभियन्ता	24-3-83
2.	श्री पी.सी. जैन	अधिशाषी अभियन्ता	8-8-83
3.	श्री आई.सी. मेहता	सहायक अभियन्ता	24-3-83
4.	श्री जगदीश प्रसाद सोनी	कनिष्ठ अभियन्ता	2-4 83

अलवर स्थित मोती डूंगरी का विक्रय

29. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अलवर स्थित मोती डूंगरी का विक्रय हुआ है ? यदि हां, तो कितनी राशि में ? इसको बेचने वाले और खरीदने वाले कौन-कौन हैं ? कृपया पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह राजकीय सम्पत्ति है ? यदि हां तो इसका बेचान कैसे हुआ ?

(3) मोती डूंगरी बेचान के संबंध में आयशर गुड अर्थ लिमिटेड ने अलवर से प्रकाशित दैनिक अरुण प्रभा में कोई नोटिस प्रकाशित करवाया था, जिसमें मोती डूंगरी को खरीदने संबंधी उल्लेख था ?

(4) यदि हां, तो क्या इस नोटिस के प्रत्युत्तर में अलवर नगर विकास न्यास ने कहा था कि यह राजकीय सम्पत्ति है तथा इस भूमि को नगर विकास न्यास ने अपनी योजना में शामिल कर लिया है ?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर स्थित मोती डूंगरी का विक्रय श्रीमती चांद कंवर धर्मपत्नी श्री तेजसिंह जी भूतपूर्व अलवर नरेश द्वारा 18 लाख रुपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.4.82 को मैसर्स इण्डो यूरो केमीकल्स सर्विसेज लिमिटेड, बम्बई और मैसर्स मोदी एल्कालीज एण्ड केमीकल्स लिमिटेड अलवर को किया गया है।

(2) जी हां। इसका बेचान अवैध हुआ है। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

तहसील फागी में विभिन्न ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

30. **श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील फागी ग्राम पंचायत कांसेल के ग्राम 1. नूकनी, 2 गोविन्दपुरा उर्फ बासड़ा, 3. छारदड़ा, 4 रातखेड़ा, 5. कांसेल, 6. सवाई जयसिंह पुरा आदि के नागरिकों के लिये पीने के पानी की पिछले लम्बे अर्से से मांग की जाती रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गांवों के लोग चार किलोमीटर दूरी से पानी लाकर अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं ? यदि हां, तो क्या इन गांवों को पेयजल सुलभ कराने हेतु सरकार कोई कदम उठा रही है? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम बुकनी में हैण्ड पम्प योजना चालू है, व शेष ग्रामों में ग्रामवासी 2 किलो मीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर से पानी लाकर पेयजल की आवश्यकता पूरी करते हैं। ग्राम गोविंदपुरा एवं कांसेल में हैण्ड पम्प योजना पर कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम सवाई जयसिंहपुरा, छारदडा, एवं रातखेड़ा क्षेत्रीय जल योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं एवं उन पर जिला परिषद द्वारा अनुमोदन के पश्चात् आगामी वर्षों में धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जावेगा।

मित्र नगर सुधार समिति, अजमेर के पंजीकरण का प्रकरण

31. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मित्र नगर सुधार समिति लि.; अजमेर, राजस्थान संस्थाएं पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत रजिस्ट्रार संस्थायें (रजिस्ट्रार सहकारी समितियां), जयपुर के यहां पंजीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति से पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों की साजिश से उक्त समिति के गठन में फर्जी दस्तखत कर समिति का पंजीकरण करवाया है ? यदि हां, तो ऐसे कृत्यों के लिये कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार व दोषी हैं ?

202

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति के पदाधिकारियों द्वारा अन्य व्यक्तियों की साजिश से मित्र नगर सुधार सहकारी समिति लि.; अजमेर व मित्र नगर सहकारी समिति लि.; अजमेर के फर्जी नाम से रसीदें जारी कर लोगों से आवासीय जमीनें देने का झांसा देकर धोखाघड़ी से धनराशि ऐंठी है? यदि हां तो इस प्रकार कितनी राशि एकत्रित की गई और उसका क्या हिसाब है और धोखाघड़ी व साजिश में कौन-कौन व्यक्ति दोषी है?

(4) क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर एवं जिला सतर्कता समिति, अजमेर के निर्देश से सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर ने सम्पूर्ण मामले की जांच की है! यदि हां तो जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उसके आधार पर की गई अग्रिम कार्यवाही का विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मित्र नगर सुधार समिति, अजमेर के नाम से एक संस्था पंजीकृत है।

(2) ऐसा कोई तथ्य विभाग की जानकारी में नहीं है।

(3) एक शिकायत के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर द्वारा जांच की जाने पर विदित हुआ है कि मित्र नगर सुधार समिति द्वारा फर्जी नाम से "सहकारी" शब्द का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की गई है। अतः कथित फर्जी सहकारी समिति के निम्न पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

1. श्री मुरारी लाल शर्मा
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
3. श्री कन्हैया लाल शर्मा
4. श्री विरद सिंह
5. श्री राम सिंह रावत

(4) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, ने इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिये थे। जिला सतर्कता समिति के निर्देश आने से पहले जांच की जा चुकी थी। एक व्यक्ति की शिकायत पर सहायक रजिस्ट्रार, अजमेर ने इस मामले की जांच की थी। जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

जांच रिपोर्ट

मित्र नगर सुधार सहकारी समिति लि०, अजमेर ।

श्रीमान मगन स्वरूप शर्मा, सदस्य मित्र नगर सुधार सहकारी समिति लि., अजमेर ने दिनांक 28-6-83 को एक शिकायत इस कार्यालय में प्रेषित की और निवेदन किया कि मित्र नगर सुधार सहकारी समिति लि., अजमेर के नाम से श्री प्रेमसिंह तंवर एवं श्री मुरारी लाल शर्मा लिपिक, केन्द्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय अजमेर ने भूखंड आवंटन के संबंध में राशियां प्राप्त की हैं और उन्हें कोई भूखड आवंटित नहीं किया है। शिकायत के आधार पर राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 129 के अन्तर्गत "सहकारी" शब्द का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया गया ।

जांच के दौरान श्री मगन स्वरूप शर्मा मित्र नगर सुधार सहकारी समिति लि., अजमेर के पास से जारी रसीद संख्या 13 दिनांक 7-7-81 तादादी राशि 2000/- एवं रसीद संख्या 53 दिनांक 12-3-82 राशि 2728.00 प्रस्तुत की। दोनो रसीदों पर श्री मुरारी लाल शर्मा के प्राप्ति हस्ताक्षर हैं, इसके अतिरिक्त भू-रूपान्तरण शुल्क की राशि 150/- रु. जमा कराने बाबत चालान संख्या 73 दिनांक 23-3-82 भी उन्होंने प्रस्तुत किया जिस पर श्री हनुमान प्रसाद शर्मा लिपिक, श्रम आयुक्त कार्यालय अजमेर के हस्ताक्षर हैं। श्री मगन स्वरूप शर्मा ने एक अपंजीकृत बयनामा की फोटो स्टेट कापी भी प्रस्तुत की, जिस पर श्री कन्हैया लाल शर्मा ने अध्यक्ष श्री मुरारी लाल शर्मा मंत्री एवं श्री जितेन्द्र पाठक ने कोषाध्यक्ष की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं। जांच के दौरान श्री मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि मित्र नगर सुधार समिति का रेकार्ड व संबंधित पदाधिकारियों श्री रामसिंह रावत से प्राप्त कर प्रस्तुत कर देंगे। मित्र नगर सुधार समिति सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसका पंजीयन 332/81-82 दिनांक 1-12-1981 है। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त मित्र नगर सुधार समिति ने गृह निर्माण सहकारी समिति के उपनियमों के अनुसार कार्य किया है जबकि उक्त संस्था के पंजीकृत उपनियमों के अनुसार भूमि के क्रय एवं विक्रय का कार्य नहीं कर सकती है। जांच के दौरान अन्य पदाधिकारियों श्री विरदसिंह, श्री हनुमान प्रसाद शर्मा एवं श्री कन्हैयालाल को तलब किया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सदस्य से जितनी राशि प्राप्त की गई और भूमि विक्रेता को जो राशि भुगतान की गई है उसमें काफी गोलमाल हुआ है सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की गई है। मित्र नगर सुधार सहकारी समिति के पदाधिकारी के रेकार्ड भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जांच से यह स्पष्ट है कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर "सहकारी" शब्द का दुरुपयोग कर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इसलिऐ रिकार्ड को छिपाया जा रहा है। अतएवं दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलाने के लिए मामला पुलिस में दर्ज कराए जाने का निर्णय लिया गया।

ह.-
सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, अजमेर ।

(२०५)

अकाल राहत श्रमिकों का न्यूनतम वेतन

32. **श्री बहादुरसिंह (दानपुर)**

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अकाल राहत कार्यों में लगे श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या उस निर्णय की प्रति सरकार ने प्राप्त करली है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार अकाल राहत कार्यों में लगे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन चुकाया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब चुकारा किया गया ?

(3) राज्य सरकार अकाल राहत में लगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी कितना रुपया प्रति दिन देती थी और उच्चतम न्यायालय ने प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी कितना रुपया निश्चित की है ।

(4) क्या जिन श्रमिकों को न्यायालय के निर्णय के पूर्व कम मजदूरी दी जाती थी उनको शेष राशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब उन्हें निर्णयानुसार भुगतान करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां । सरकार ने उस निर्णय की प्रति प्राप्त कर ली है ।

(2) उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय रिट याचिका संख्या 6816/81 संजीत राय बनाम सरकार में हुआ था, यह रिट याचिका मदनगंज हरमाडा सड़क राहत कार्य के बाबत थी । फैसले के अनुसार भुगतान करने के लिए रु. 27850.94 की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ को दे दी गई थी, उसमें से 26313.47 पैसे का चुकारा तहसीलदार किशनगढ़ ने अप्रेल, 1983 में कर दिया था । शेष राशि का भुगतान श्रमिकों के न मिलने के कारण नहीं हो पाया था । यह राशि पुनः तहसीलदार को दे दी गई है । परन्तु अभी इसमें से कितना चुकारा हो पाया यह सूचना नहीं मिल पाई । अन्य किसी राहत कार्य पर इस फैसले के अनुसार चुकारा नहीं किया गया है । राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले पर पुनःविचार हेतु याचिका प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है ।

(3) राहत कार्यों पर दैनिक मजदूरी की अधिकतम दर 7/- रुपया है जो निर्धारित टास्क से सम्बन्ध है । राहत कार्यों पर न्यूनतम मजदूरी की कोई दर तय नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में न्यूनतम मजदूरी 7/- रुपया प्रतिदिन देने बाबत निर्णय दिया है ।

(4) मदनगंज हरमाडा सड़क राहत कार्य, जिसको लेकर रिट याचिका दायर की गई थी, पर श्रमिकों को उत्तर के भाग-2 में अंकित अनुसार चुकारा कर दिया गया है ।

पुलिस थानों में टेलीफोन

33. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने पुलिस थानों में टेलीफोन नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार बाडमेर व जैसलमेर जिले के पुलिस थाना गिराब गिडा, झिंझनी-याली में टेलीफोन लगाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) 222 थानों पर टेलीफोन व्यवस्था नहीं है सूची संलग्न है ।

(2) इन थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

उन पुलिस थानों की सूची जिन पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं हैः—

क्र. सं.	नाम जिला	पुलिस थाने का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	जिला सीकर	थोई	
2.	,,	पाटन	
3.	,,	खन्डेला	
4.	,,	दांता रामगढ़	
5.	,,	लोसल	
6.	,,	नैनवा	
7.	,,	रामगढ़ सेठान	
8.	,,	रघुनाथ गढ़	
9.	,,	खाटू	
10.	जिला टोंक	बरोनी	
11.	,,	पीपलू	
12.	,,	नागर	
13.	,,	अलीगढ़	
14.	,,	डिग्गी	
15.	,,	लाम्बा हरीसिंह	
16.	,,	मेहंदवास	
17.	,,	दूनी	
18.	,,	छान	
19.	जिला झुंझुनू	मलसीसर	
20.	जिला अजमेर	गेगल	
21	,,	मांगलिया वास	
22.	,,	श्रीनगर	
23	,,	नसीराबाद कैंट	
24.	,,	जवाजा	
25.	,,	मसूदा	
26.	,,	टाटगढ़	
27.	,,	सेवर	
28.	,,	ऐरन	
29.	,,	किशनगढ़	
30.	,,	पीसांगन	
31.	जिला भीलवाड़ा	सदर	

1	2	3	4
32.	जिला भीलवाड़ा	बदनोर	
33.	,,	आसीन्द	
34.	,,	शम्भूगढ़	
35.	,,	बागौर	
36.	,,	रायपुर	
37.	,,	फूलिया	
38.	,,	सकरगढ़	
39.	,,	पण्डेर	
40.	,,	कोटारी	
41.	,,	बिगोद	
42.	,,	काछोला	
43.	जिला नागौर	श्री बालाजी	
44.	,,	सुरपालिया	
45.	,,	खाटू	
46.	,,	पांचोड़ी	
47.	,,	भीवसर	
48.	,,	भावन्ड़ा	
49.	,,	पीलवा	
50.	,,	चितावा	
51.	,,	मारोठ	
52.	,,	गच्छीपुरा	
53.	,,	जसवन्तगढ़	
54.	,,	बरड़वा	
55.	,,	सुन्दुना	
56.	,,	पादू	
57.	,,	थावला	
58.	,,	मेड़ता रोड़	
59.	जिला कोटा	मन्डाना	
60.	,,	काबोली	
61.	,,	बुढ़ादित	
62.	,,	इन्द्रगढ़	
63.	,,	शीशवाली	
64.	,,	शाहबाद	
65.	,,	भंवरगढ़	

1	2	3	4
66.	ज़िला कोटा	केलवाड़ा	
67.	,,	नाहरगढ़	
68.	,,	कस्वा	
69.	,,	चाबा	
70.	,,	मोराक	
71.	,,	कनवास	
72.	,,	मोठपुर	
73.	,,	हरनोदा	
74.	,,	कांबई	
75.	,,	जापला	
76.	जिला बून्दी	जवाहर सागर डेम	
77.	,,	गैन्दोली	
78.	,,	कापरैन	
79.	,,	देई	
80.	,,	हिण्डोली	
81.	,,	डबलाना	
82.	,,	खिनिया	
83.	,,	केशोराय	
84.	जिला झालावाड़	बकानी	
85.	,,	असनावर	
86.	,,	भालटा	
87.	,,	मनोहर थाना	
88.	,,	जावर	
89.	,,	सारोला	
90.	,,	पिड़ावा	
91.	,,	सुनेल	
92.	,,	डग	
93.	,,	पगारिया	
94.	जिला जोधपुर	डागियावास	
95.	,,	भंवर	
96.	,,	बालेसर	
97.	,,	देचू	
98.	,,	जाम्बा	
99.	,,	भोजासर	

208

1	2	3	4
100.	जिला जोधपुर	खेड़ापा	
101.	जिला जालौर	सायला	
102.	,,	नोसरा	
103.	,,	आहोर	
104.	,,	बासरा	
105.	,,	जसवंतपुरा	
106.	,,	सरवाना	
107.	,,	चितलवाड़ा	
108.	,,	मोहरन	
109.	,,	सामोद	
110.	जिला पाली	गुडा एण्ड़ला	
111.	,,	केरला	
112.	,,	शिवपुरा	
113.	,,	हालू	
114.	,,	मागरवल्ला	
115.	,,	नाना	
116.	जिला बाड़मेर	बायल	
117.	,,	गडरा रोड़	
118.	,,	भीखासर	
119.	,,	गिराव	
120.	,,	मांडली	
121.	,,	गिड़ान	
122.	,,	गुड़ामालनी	
123.	,,	सिन्दारी	
124.	,,	विजवाड़	
125.	जिला जैसलमेर	मोहनगढ़	
126.	,,	झिनझिनयाली	
127.	,,	साकरा	
128.	,,	नोख	
129.	,,	नाचना	
130.	जिला सिरोही	ग्रनादरा	
131.	,,	वरलूट	
132.	,,	मान्डेट	
133.	,,	रोहीडा	

1	2	3	4
134.	जिला भरतपुर	नगर	
135.	,,	भुसावर	
136.	,,	पहाड़ी	
137.	,,	वैर	
138.	,,	सीकरी	
139.	,,	सेपऊ	
140.	,,	उच्चैन	
141.	,,	नदबई	
142.	,,	बसेईदान	
143.	जिला अलवर	विजय मन्दिर	
144.	,,	कठूमर	
145.	,,	प्रतापगढ़	
146.	,,	टहला	
147.	,,	नारायणपुर	
148.	,,	माढ़न	
149.	जिला सवाईमाधोपुर	रवाजना डूंगर	
150.	,,	मलानमा डूंगर	
151.	,,	बोंली	
152.	,,	सलीमपुर	
153.	,,	टोडाभीम	
154.	,,	मंडावर	
155.	,,	मढ़मोरा	
156.	,,	बामनवास	
157.	जिला बीकानेर	मालाहृन	
158.	,,	जामसर	
159.	,,	पूगल	
160.	,,	बज्जू	
161.	,,	दपातरा	
162.	जिला चूरू	दूधवाखेड़ा	
163.	,,	भानीपुरा	
164.	,,	सैंदवा	
165.	,,	हमीरवास	

210

1	2	3	4
166.	जिला गंगानगर	लूनावट	
167.	,,	पल्लू	
168.	,,	भिरानी	
169.	,,	मुकलावा	
170.	,,	घड़साना	
171.	जिला उदयपुर	गोरधन विलास	
172.	,,	कुरावा	
173.	,,	गोगुन्दा	
174.	,,	सायरा	
175.	,,	खामोदा	
176.	,,	देलवाड़ा	
177.	,,	रेलमगरा	
178.	,,	आमेट	
179.	,,	भीम	
180.	,,	देवगढ़	
181.	,,	टिवेर	
182.	,,	बल्लभनगर	
183.	,,	भिण्डर	
184.	,,	भारसोला	
185.	,,	लसाडिया	
186.	,,	झाड़ोल	
187.	,,	कोटरा	
188.	,,	ओगना	
189.	,,	फलासिया	
190.	,,	मूण्डवा	
191.	,,	खेरवाड़ा	
192.	,,	पानरवा	
193.	,,	पहाड़ा	
194.	,,	सिरोड़ा	
195.	,,	रिखबदेव	
196.	,,	झालेरा	
197.	,,	बोकारिया	
198.	जिला बांसवाड़ा	पाटन	
199.	,,	सालोपाट	

1	2	3	4
200.	जिला बांसवाड़ा	शेरगढ़	
201.	,,	कलीजिरा	
202.	,,	पीपलखूंट	
203.	,,	दानपुर	
204.	,,	खामेरा	
205.	जिला डूंगरपुर	छम्बोला	
206.	,,	गणेशपुर	
207.	,,	निथवा	
208.	जिला चितौड़गढ़	विजयपुर	
209.	,,	अकोला	
210.	,,	पारसोली	
211.	,,	भनोरगढ़	
212.	,,	डूंगला	
213.	,,	कानेरा	
214.	,,	निकुम	
215.	,,	धोलापानी	
216.	,,	सुहागपुरा	
217.	,,	रथनजना	
218.	,,	सालमगढ़	
219.	,,	छामोत्तर	
220.	,,	राशमी	
221.	जिला उदयपुर	ब्रह्मपुरी	
222.	,,	कोलवा	कोलवा में पी. सी. ओ. सुविधा उपलब्ध न होने के कारण टेलीफोन लगवाया जाना संभव नहीं है।

212

राज्य के विभिन्न थानों में बच्चों के अपहरण के मामले

34. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व):—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1982 से 15 अगस्त, 1983 तक किस-किस थाने में बच्चे गुम होने अथवा बच्चों का अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज हुई हैं? कृपया बच्चों का नाम व पता सहित तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन बच्चा कब कब बरामद हुआ है और इनमें पुलिस के प्रयास से कौन-कौन से बच्चे बरामद हुए हैं?

(3) कौन-कौन बच्चे अभी तक लापता हैं, कौन-कौन बच्चे की जानकारी मिली है और किस-किस बच्चे की लाश बरामद हुई है?

(4) उपरोक्त अवधि में किस-किस बच्चे के अपहरणकर्ताओं को कब-कब गिरफ्तार किया गया और उन मामलों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सूचना सूची में अंकित है।

(3) सूचना सूची में अंकित है।

(4) सूचना सूची में अंकित है।

राज्य में 1 अप्रेल, 1982 से 15 अगस्त, 1983 तक गुम हुए तथा अपहरण किये गये बच्चों की सूची

अपहरण

नाम थाना	बच्चे का नाम, उम्र पूरा पता	बच्चा कब मिला	पुलिस की मदद से	कितने बच्चे भीख रहे	कितने बच्चों की हत्या हुई	कितनी की लाश मिली	नाम मुल. मय पता	ता. गिर.	मु. नं. व नतीजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोतवाली भीलवाड़ा	1. सुश्री ललिता मोदी पुत्री सूरजमल मोदी उम्र 13 साल नि. भीलवाड़ा	1– 7–83	—	–	–	–	–	–	स्कूल जाते समय कुछ सुधाकर फरार कर लिया जो स्वयं आ गई एफ आर अदम दी।
,,	2. सुश्री चन्द्रकला पुत्री ओमकार मराठा उम्र साढे सात साल सिरकी मोहल्ला भीलवाड़ा	22– 8–83	पुलिस की मदद से	–	–	–	–	–	मु.नं. 248/83 दर्ज किया किन्तु स्वयं इच्छा से ट्रेन में बैठ जाना पाया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोत-वाली भील वाड़ा	3. अशोक पुत्र जयकिशन सिंधी उम्र 8 साल नि. भीलवाड़ा	—	—	–	–	–	–	–	मु. नं. 272/83 धा 363 ता. हि. इतला मिलने पर कायम कर तफ्तीश की बच्चे की लाश मिलने पर 30 ता. हि. का जुर्म ए आर किया अब तक पुलिस तलाश जारी है।
	4. इकबाल पुत्र मिट्ठू खां उम्र 11 साल सा. मजदूर कालोनी	15- 7-83	पुलिस की मदद से	-	–	–	तेजा पुत्र सोहन लाल नायक सा. सेंगावास जिला नागौर	15- 7-83	अपहरणकर्ता को मौके पर पकड़ लिया तफ्तीश से अपहरण कर्त्ता जो पागल था इस पर अपराध प्रमाणित नहीं होने पर एफ आर अदम वकू में दी गई।
चल	5. निरंजन पुत्र भंवरलाल सोनी उम्र 11 साल सा. मांडलगढ़	11- 7-83	—	–	–	–	अब्दुलगनी पुत्र नूर महो. मुलतानी सा. बीगोद	11- 7-83	अ. सं. 65/83 धारा 365,511 ता. हि कायम कर मुलजिम को गिरफ्तार कर दि. 18-7-83 को चार्जशीट पेश की।
निवा सी	6. मु. शाखी पुत्र नरेन्द्र-कुमार मेहता नि. गुसला	4- 7-83	—	–	–	–	–	–	मु. नं. 282/83 धारा 363 ता. हि. कायम किया जाकर तफ्तीश की बच्ची के घर से निकल कर भटक जाने पर स्वयं आने पर एफ आर अदम वकू गलत फहमी में पेश की गई

सरी-पुर नगर	7.	कमलजीत उम्र 3 साल	–	—	–	–	–	श्रीमती जैना पत्नी कोशिया	,,	मु.नं. 47/82 धारा 363 ता. हि. में दर्ज कर मुलजिमा का चालान दिया जिसको साढे चार माह हेतु अदालत से सजा हुई।
नवाली नगर	8.	राजू उम्र 5 वर्ष	–	—	–	1	1	मेजरसिंह	,,	मु.नं 378/82 धारा 364,366 ता.हि. पर कायम कर चालान अदालत में पेश किया केस अण्डर ट्रायल है
मेड़ता सिटी नागौर	9.	भंवरलाल माली पुत्र कंवरलाल माली मेड़ता	–	पुलिस की मदद से	–	–	–	हरिराम पुत्र छोटा राम माली 2. प्रभात पुत्र हुकमा राम दोरोगा पालिया वास	15–11–82	चालान अदालत में पेश किया।
राज-गढ़ चूरू	10.	महावीर पुत्र कानिराम ब्राह्मण उम्र 10 साल सा. सिद्धमुख –	–	पुलिस की मदद से	–	–	–	गोपालदास पुत्र मुखाडियादास वशिष्ठ जिला औरंगाबाद हाल ठीकरी घोला गढ़ थाना लक्ष्मणगढ़ अलवर 2. छती-दास पुत्र रामस्वरूप ठाकुर उम्र 55 साल सा. गाजीपुर हाल नाथू दान का गुरुद्वारा बनारस	25– 7–83	मुकदमा जेर तफतीश है।

215

(216)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
माल पुरा टोंक	11. भूपेन्द्र पुत्र रामचरण महाजन सा. मालपुरा	—	—	—	1	1	श्री रामनारायण पुत्र मोहनलाल महाजन मालपुरा 2. मोखाराम पुत्र मुसना 3. देवेन्द्र सिंह पुत्र नन्द-किशोर रेगर 4. धरमेन्द्र पुत्र लक्ष्मण रेगर	22-6-83 27-6-83	मुकदमा नं. 64/83 धारा 302 ता. हि. थाना मालपुरा दर्ज कर दिनांक 29-7-83 को चारों मुलजिमान के विरुद्ध चालान अदालत पेश किया।
तालेड़ा बूंदी	12. मंजू पुत्र मुंशीखां उम्र 10-12 साल सा. नामना रोड़	—	नहीं मिली	—	—	—	चरन उर्फ पंडित नि. नवाना रोड़ थाना तालेड़ा	—	मु. नं. 101|83 धारा 363 ता. हि. दर्ज कर तफतीश जारी है।
कोत-वाली भरत पुर	13. सर्वेशकुमार पुत्र हीरालाल वैश्य उम्र 12 साल भरतपु	—	नहीं मिला	—	—	—	—	—	मु. नं. 257/33 धारा 365 ता. हि थाना कोतवाली दर्ज हुआ।
,,	14. कोमलसिंह पुत्र गोविंदसिंह जाट उम्र 13 साल भरतपुर	25-7-83	पुलिस की मदद से	—	—	—	—	—	मु. नं. 280/83 धारा 365 ता. हि थाना कोतवाली दर्ज हुआ।
राज-गढ़ अल-वर	15. सुरज पुत्र लड्डूरमीणा उम्र 15 वर्ष नि. नया गांव	26-12-82	,,	—	—	—	—	—	मु. नं. 247/82 धारा 366 ता हि दर्ज हुआ एफ. आर अदमवकूवा गलतफहमी वाका में दी।

राज. अल.	16. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र स्वामी सा. पेहल	31-7-72	पुलिस की मदद से	–	–	–	रमजान पुत्र मस्त खां सक्का सा. नोरंगपुर थाना बैराठ जयपुर	31-7-83	मु.नं. 127/82 धारा 362/365ता.हि. थाना राजगढ़ दर्ज कर मूल. के खिलाफ चार्जशीट दिनांक 28-8-83 को दी।
टहला अलवर	17. रामखिलाड़ी पुत्र हरगोविंद मीणा उम्रावाल	5-1-83	„	–	–	–	जयराम पुत्र मूरा 2. रामजीलाल पुत्र जयराम 3. लहरी पुत्र जयराम कौम मीनगान सादा का ग्वाड़ा थाना प्रतापगढ़	30-1-83	मु.नं. 1/83 धारा 368ता.हि. थाना टहला कायम कर मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दिनांक 6-2-83 को दी।
बारां कोटा	18. फूलचन्द पुत्र मांगीलाल जाटव नि. फतहपुर उम्र 12-13 साल	–	–	1	–	–	–	–	मु. नं. 305/82 धारा 363 ता.हि. दर्जकरतफतीश की काफी तलाश करने पर नहीं मिला एफ. आर. अदमपता मे दी गई।
गुमान पुरा कोटा	19. तरवण	–	–	1	–	–	–	–	मु.नं. 118/83 धारा 365 ता.हि. कायम कर तफतीश की मगर पता नहीं चला एफ.आर. अदम पता में दिनांक 25-7-83 को चाक की गई
फलोदी	20. कालू पुत्र भगवानदास	–	„	–	–	–		–	मु.नं. 101/82 धारा 363 ता.हि. थाना फलोदी कायम कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जोध-पुर	21. बालकिसन पुत्र भगवानदास								तफतीश की तफतीश पर नहीं मिलने से एफ. आर. अदमपता मुलजिमान दिनांक 31-1182 को दी।
	22. लाला पुत्र भगवानदास जाति आचार्य सा. फलोदी								
फलोदी जोधपुर	23. सिरिया पुत्री लालचन्द जाति दर्जी सा. फलोदी	—	—	—	—	—	—	—	मु.नं. 18/83 धारा 363 ता.हि. दर्ज किया सिरिया अपने आप आ गई एफ. आर. अदमवकुवा में दी।
खाण्डा फलसा	24. देवो उम्र 7 दिन जन्मा हुआ बच्चा	4-10-82	पुलिस की मदद से	—	—	—	श्रीमती अन्नू पत्नि श्री अंगदलाल जाति शर्मा वन विभाग थाना लूणी	4-10-82	मु.नं. 77/82 365 ता.हि. कायम कर मुलजिमा का चालान दिनांक 12-11-82 को किया
उदय-मंदिर	25. ओमप्रकाश पुत्र अमोलकचन्द जाति सांखला नि. रातानाड़ा जोधपुर	—	—	—	—	—	देवीदास पुत्र नेमराज जा. कलाल सा. नगौरी गेट जोधपुर	20-5-83	मु.नं. 135/83 धारा 363 ता.हि. कायम कर तफतीश की लड़का स्वयं आया मुलजिमान का चालान दिनांक 23-7-83 क किया।
प्राग-पुरा जय-पुर	26. रामनिवास पुत्र छीतरमल यादव उम्र 15 साल ढाणी-गुढा तनबडनगर	17-2-83	पुलिस की मदद से	—	—	—	मौडराम पुत्र नानगराम 2 भैरा राम पुत्र मूलराम अहीरान सा. ढाणी मोतीवाली तह-नारायणपुर अल-वर	17-2-83	मु.नं. 30/83 धारा 363, 366 ता.हि. दर्ज कर मुलजिमान के खिलाफ दिनांक 14-3-83 को चालान पेश किया

(218)

219

विश्व-कर्मा	27. कु. इन्द्रा पुत्री मेहताब उम्र 8 साल प्लाट नं. 100 जे. पी. कालोनी जयपुर	3–10–82	पुलिस की मदद से	–	–	–	पूरणं पुत्र जोधाराम मीणा सा. उदक पापड़ जयपुर	3–10–82	मु.नं. 112/82 धारा 363, 366 ता.हि. दर्ज कर मुलजिम के खिलाफ चालान पेश किया।
चौमू	28. जीवणनाथ उर्फ अशोक कुमार पुत्र संकर नेपाली नि. नेपाल	18–1–83	,,	–	–	–	गुल्लालाल पुत्र चिमनलाल माली सा. अमरसर थाना शाहपुरा	18–1–83	मु.नं. 20/83 धारा 363, 365,347,344 ता.हि. कायम कर-मुलजिम के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया।
बजाज नगर	29. संजय यादव पुत्र अमरनाथ उम्र 12 साल सा. 44 ए चक इलाहबाद	25–7–82	,,	–	–	–	जुगल पुत्र जिंदी राम 2. महेन्द्रशर्मा पुत्र जगदीशप्रसाद	25–7–82	मु.नं. 15/82 धारा 363,365 ता.हि. दर्ज कर मुलजिमान का चालान अदालत में पेश किया गया।
,,	30. शांतिदेवी पुत्री लादूरा रेगर उम्र 15 साल टौंक रोड, जयपुर	27–10–82	,,	–	–	–	छोटू पुत्र नेनूरेगर टौंक रोड, जयपुर	27–10–82	मु.नं. 233/82 धारा 363, 366 ता.हि. दर्ज कर तफतीश की व मुलजिमा का चालान अदालत में पेश किया।
बजाज नगर	31. गायत्रीदेवी पुत्री रामधन उम्र 7 साल सा. अरानिया जिला स. माधोपुर	–	,,	–	1	–	—	–	मु.नं. 57/83 धारा 363 ता.हि. दर्ज कर तफतीश की मुलजिमान का पता नहीं चला एफ.आर. अदमपता में दी गई।
मोती डूंगरी	32. प्रकाश पुत्र मोहन जाति सींधी उम्र 6 साल सा. फूटाखुर्रा मं. नं. 3694 जयपुर	20–7–82	,,	–	–	–	नीतू स्वामी पुत्र रामस्वामी जाति सोनिया सा. रामे. श्वरम तीर्थ हाल रामगंज चौपड़	20–7–82	मु.नं. 231/82 धारा 363 ए ता.हि. दर्ज कर तफतीश की चालान मुकदमा दि. 13–10–82 को अदालत में पेश किया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जवाहर नगर	33. हनुमान प्रसाद पुत्र रामलाल बलाई उम्र 13 साल सा. के रसना थाना सांभर	20–7–82	पुलिस की मदद से	–	–	–	भगवानसहाय पुत्र भंवरलाल मीणा उम्र 47 साल सा. जटवाड़ा थाना बस्सी	20–7–82	मु.नं. 145/8 धारा 420, 363 ता.हि. दर्ज कर तफतीश की चालान मुकदमा अदालत में 17–8–82 को पेश किया ।
सोडाला	34. ग्यारसीलाल पुत्र तुलसीराम उम्र 6 साल माली केशवपुरी, कालोनी न्यूसांगानेर रोड जयपुर	–	–	1	–	–	–	—	मु.नं. 128/82 धारा 365 ता.हि. दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है ।
	35. प्रताप पुत्र मोती बागडिया उम्र 14 सा. चांदसा फागी	9–10–82	”	–	–	–	गोविन्दसिंह पुत्र पन्ने सिंह राजपूत सा. चांदसा 2. मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत सा. हरसोली 3. नरपतसिंह इन्द्रसिंह सालासर 4. इन्द्रासिंह पुत्र अजीतसिंह सा. गलासर	9–10–82	मु.नं. 145/82 धारा 365, 368 ताहि कायम कर तफतीश की व चालान अदालत दिनांक 20–12–82 को पेश किया

(221)

कोत-वाली	36. राजेश उम्र 8 साल सा. झालानियों का रास्ता मु. 32 जयपुर	10–5–82	,,	–	–	–	मस्सजबशाह पुत्र मिसरेदीन मुसलमान सा. चिडियावाली बाग जयपुर 2. गोपाल पुत्र राधाकिशन पुरोहित म.नं. 31 झालानियों का रास्ता जयपुर	10–5–82	मु.सं. 318/82 धारा 363, 366 ता.हि. दर्ज कर तफतीश की व चालान अदालत में दिनांक 28–5–83 को पेश किया।
,,	37. महेश पुत्र गोपाल लाल उम्र 12 साल सा. निदडरावजी का रास्ता जयपुर	–	–	–	1	–	–	—	मु.नं. 315/82 धारा 363 तां.हि दर्ज कर तफतीश की मुकदमा में एफ. आर. अदमपता में दिनांक 16–10–82 को दी।
,,	38. राजू पुत्र गजानन्द उम्र 10 साल सा. भट्टों की गली म.नं. 1058 जयपुर	20–5–83	,,	–	–	–	जयसिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत आउटर सिगनल के पास जयपुर डेयरी	20–5–83	मु.नं. 218/83, धारा 363, 366 ता.हि. दर्ज कर तफतीश को चालान अदालत में दिनांक 31–7–83 को पेश किया।
,,	39. राजेन्द्र पुत्र गोविन्द जोशी उम्र 16 साल सा. गणगोरी बाजार जयपुर	14–8–83	,,	–	–	–	–	—	मु.नं. 445/83 धारा 363, ता.हि. दर्जकर तफतीश की मुकदमा में एफ. आर. अदम वकू गलतफहमी में दिनांक 31–8–83 को दी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
माणक चौक	40. रहीस भानजा पुत्र अब्दुलकादर सा. जोगियों का टीबा रामगंज बाजार जयपुर	19–4–82	–	–	–	–	प्रेमकिशोर पुत्र किशनदास अग्रवाल उम्र 40 साल सा. चांदनीचौक दिल्ली	19–4–82	मु नं. 221/82 365 ता.हि. कायम कर तफतीश की व चालान अदालत पेश किया जिस पर मुलजिम को सजा 6 माह व 100 रु. जुर्माना हुआ।
मदन गंज	41. राजकुमारी पुत्री विनोद कुमार कुमावत उम्र 14 साल सा. मदनगंज	4–5–83	पुलिस की मदद से	–	–	–	प्रेमचंद पुत्र गोविंद को गिरफ्तार किया सुमित्रा पुत्र कन्हैया लाल (अग्रिम जमानत हुई)	5–5–83	मु. नं. 36/83 धारा 363 ता.हि. दर्ज किया तफतीश जारी है।
	42. अनिलकुमार पुत्र राधा रमण ब्राह्मण उम्र 14 साल सा. भरतपुर हाल लोंगिया अस्पताल अजमेर	21–7–83	–	–	–	–	–	–	मु.नं. 124/83 धारा 363 ता. हि. कायम कर तफतीश की बालक फुलेरा से स्वयं आया जिसने बताया कि उसे रुमाल सूंघा कर बेहोश कर ले गये थे मुकदमा जेर तफतीश है।
चाक वर	43. लीलावती पुत्री नानग राम सिंधी सा. त्रिपोलिया गेट अजमेर	11–4–82	पुलिस की मदद से	–	–	–	भोजूमल पुत्र ढालूमल सिंधी सा. कमानी गेट अजमेर	11–4–82	मु. नं. 84/82 धारा 366, 363 ता.हि. कायम कर तफतीश की मुल. को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया।

राम गंज	44. 1. मीरा 12 वर्ष 2. नेनी 9 वर्ष 3. रामजोत 7 वर्ष 4. आपू 5 वर्ष 5. श्याम 2 वर्ष द्वारा फकीरचन्द पुत्र माणूजी खटीक सा. पहाड़गंज के लड़के व लड़कियां	25– 8–83	–	–	–	–	श्री अब्दुलसमद पुत्र नसीमुदीन मुसलमान सा. बगल	25–8–83	दिनांक 25–8–83 को लड़के व लड़कियां अपने घर के सामने खेल रहे थे उस समय तीन आदमी आये और अपने आपको रिश्तेदार बताकर ले गये थोड़ी दूर जाने पर बच्चों ने हल्ला किया जिस पर दो मुलजिमान भाग गये व एक को पकड़ लिया गया मुकदमा जेर तफतीश है।

गुम सुदा

थाना	बच्चे का नाम मय पिता का नाम व निवास स्थान, उम्र	दिनांक गुम होने	दिनांक मिलने	पुलिस द्वारा	स्वयं या अन्य तरह	लाश कहां बरामद हुई		शेष रहा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोतवाली भीलवाड़ा	1. राजेन्द्रकुमार पुत्र रामस्वरूप अग्रवाल उम्र 18 साल सा. भीलवाड़ा	–	16–7–83	–	–	–	–	–	मां को बिना कहे स्वयं के ननीहाल चला गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
कोतवाली भीलवाड़ा	2. विमल पुत्र गणेशलाल सन उम्र 15 साल भीलवाड़ा	–	15-7-83	– –	– –	–	—
,,	3. सत्यनारायण पुत्र भंवर लाल नाई उम्र 16 साल सा. भीलवाड़ा	–	18-7-83	– रिश्ते दार द्वारा	– –	–	मां को बिना कहे ननिहाल चला गया जिसको भंवरलाल का साढ़ूले कर आया।
,,	4. बद्री पुत्र रतनलाल बैरवा उम्र 8 साल सा. भीलवाड़ा	7- 7-83	–	– –	– –	1	दि. 7-7-83 को उक्त बच्चा न जाने कहां चला गया जिसकी अब तक तलाश जारी है।
विजय नगर	5. कलावती पुत्री देवाराम उम्र 14 साल नि. 19 जीबी गंगानगर	10- 4-82	–	– –	– –	1	अभी तक नहीं मिली।
रावत सर	6. रूपाराम पुत्र हीराराम 23 पी डब्ल्यू डी	16-12-82	–	– –	– –	1	,,
नागौर थाना	7. ज्ञानचन्द पुत्र रामचन्द्र सिंधी सा. नागौर	19-11-82	20-11-82	– स्वयं	– –	–	–
नागौर थाना	8. ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम जोशी सीकर हाल नागौर	9-3-83	15- 3-83	– स्वयं	– —	–	—
,,	9. सुनीलकुमार पुत्र रुंदर-लाल दर्जी सा. नागौर	24-3-87	30- 3-83–	–	– —	–	—

नागौर थाना	10. मुकेश पुत्र नेमीचन्द रेलवे स्टेशन नागौर	24–3–87	26–5–83	–	–	स्वयं	—	–	—
,,	11. गोपीराम पुत्र सुआलाल सा. पीटीवाड़ा नागौर	24–5–83	26–5–83	–	–	स्वयं	—	–	—
गच्छी पुरा	12. गोविन्दलाल पुत्र संपतलाल चोहान	6–2–83	18–2–83	पुलिस द्वारा	–	–	—	–	—
सिरोही थाना	13. अतुल पुत्र हणवतराज कोठारी 15 वर्ष सा. सिरोही	20–4–82	23–11–82	–	–	–	—	–	—
झुंझुनूं थाना	14. रोहिताश पुत्र साबु मलसीराम रेगर उम्र 18 वर्ष	22–7–83	—	–	–	–	—	नहीं मिला	—
थाना वैर	15. अनिलकुमार पुत्र गोपाल दत्त सा. भरतपुर उम्र 14 साल हाल हलेनी थाना वैर	2–8–83	3–8–83	–	–	स्वयं	—	–	—
,,	16. सुमेर पुत्र गोपाल भरतपुर हाल हलेना उम्र 13 साल	2–8–83	3–8–83	–	–	स्वयं	—	–	—
भरतपुर	17. बुद्धि पुत्री देवीसिंह गुजर उम्र 14 साल सा. भरतपुर	30–5–82	30–5–82	–	स्वयं	–	—	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भरत-पूर	18. पिंकी उर्फ मीरा पुत्री विरेन्द्रकुमार उम्र 10 साल सा. ञमक का कटला भरतपुर	11-9-82	11-9-82	–	–	–	–	–	–
,,	19. विनोद पुत्र रामबाबू उम्र 12 साल	20-7-83	20-7-83	स्वयं	–	–	–	–	–
,,	20. अनिलकुमार पुत्र राधेश्याम उम्र 12 साल सा. भरतपुर	20-7-83	21-7-83	स्वयं	–	–	–	–	–
,,	21 दीनदयाल पुत्र कुंजविहारी उम्र 16 साल	20-7-83	20-7-83	स्वयं	–	–	–	–	–
कोतवाली अलवर	22. रामाकांता पुत्र मंगतूराम वैश्य सी स्कीम अलवर	8-5-83	9-5-82	स्वयं	–	–	–	–	–
,,	23. धर्मेन्द्र पुत्र रामसिंह अलवर	18-5-82	19-5-82	–	स्वयं	–	–	–	–
,,	24. सतीशकुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद महाजन सा. खोहर।	27-5-82	2-10-82	–	–	–	–	–	–
,,	25. कुलदीप पुत्र जसवन्त ब्राह्मण सा. गुडगांवा	29-7-82	29-7-82	–	–	–	–	–	–

अलवर	26. सपन पुत्र रामदयाल यादव स्कीम नं. 10 अलवर	1– 8–82	2– 8–82	–	स्वयं	–	–	–	–
,,	27. विजय पुत्र किशनलाल बैंक कालोनी अलवर	12–10–82	12–10–82	–	,,	–	–	–	–
–	28. गुड्ड पुत्र रमेशचन्द्र शेरापुरा अलवर	3– 9–82	3– 9–82	–	,,	–	–	–	–
–	29. दिनेशकुमार पुत्र शिवराम देहरादून	5– 9–82	5– 9–82	–	,,	–	–	–	–
–	30. राजेश पुत्र श्यामसुन्दर अरोडा चकलागुडी	25– 9–82	26–9–82	–	,,	–	–	–	–
–	31. सावित्री पुत्री गंगाराम कुम्हार सा. आजादपुरा	6–11–82	9–11–82	–	,,	–	–	–	–
–	32. नन्दबिहारी पुत्र सत्य–नारायण शर्मा मुंशी बाजार अलवर	6–11–82	9–11–82	–	,,	–	–	–	–
–	33. गुड्ड उर्फ प्रमाद पुत्र रामजीलाल उदपुरी	20– 1–83	20–1–83	–	,,	–	–	–	–
–	34. मन्नू पुत्र रामभगत खटीक अखेपुरा	17– 2–83	17–2–83	–	,,	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
–	35. संतरा पुत्री भंवरा मेहतर तीज की रोड, अलवर	5– 3–83	5– 3–83	–	स्वयं	–	–	–	–
–	36. दिनेशकुमार पुत्र रामजी लाल तीजकी रोड, अलवर	25– 3–33	27–3–83	–	,,	–	–	–	–
–	37. प्रेम प्रकाश पुत्र बालकिशन मीणा, अलवर	29– 3–83	29–3–83	–	,,	–	–	–	–
अलवर कोतवाली	38. योगेशकुमार पुत्र हरदत प्रसाद एस.एम.डी. का चौराया अलवर	10–4–83	11–4–83	–	,,	–	— –		—
,,	39. कमलकुमार पुत्र हर भगवान गेंदाकी बावड़ी, अलवर	12–4–83	13–4–83	–	,,	–	—	—	—
,,	40. राजेशकुमार पुत्र तोलाराम पंजाबी, अखेपुरा	26–4–83	27–4–83	–	,,	–	—	—	—
,,	41. मनोजकुमार पुत्र राधेश्याम हाऊसिंग बोर्ड, अलवर	23–5–83	31–5–83	–	,,	–	—	—	—

अल-वर कोत-वाली	42.	महेशचन्द पुत्र द्वारका-प्रसाद शिकारी पाड़ा, अलवर	30-6-83	30-6-83	-	स्वयं	-	—	—	—
,,	43.	भरतसिंह पुत्र जगमाल-सिंह स्कीम नं. 1	20-7-83	21-7-83	-	,,	-	—	—	—
,,	44.	महो. इस्माईल पुत्र सिवाबक्षा सा. नालबपुर अलवर	27-8-83	—	-	,,	-	—	नहीं मिला	—
राज गढ़	45.	टिसू पुत्र हरिसिंह यादव सा. राजगढ़	6-7-83	8-7-83	-	,,	-	—	—	—
,,	46.	जमीला पुत्री मक्खनमेव छजू का बास राजगढ़	21-2-83	26-2-83	-	,,	-	—	—	—
जालोर थाना	47.	फयाजअली पुत्र मुख्तयास-अली उम्र 18 वर्ष	19-7-83	27-7-83	-	,,	-	—	—	—
काटा	48.	बिक्की पुत्र अब्दुल कादर नयापुरा उम्र 4 वर्ष	,,	मिल चुका	-	,,	-	—	—	—
,,	49.	मांगलाल का बच्चा 9 वर्ष		मिल चुका	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नया- पुरा कोटा	50. अनिता पुत्री मांगीलाल अहीर नयापुरा कोटा उम्र 13 वर्ष		–	मिल गयी –	–	–	–	–	–
,,	51. सुनील पुत्र दलजीत निवासी गोरधनपुरा उम्र 12 साल		–	,, –	–	–	–	–	–
,,	52. बच्ची पुत्री मायादेवी शर्मा नि. नयापुरा		–	,, –	–	–	–	–	–
,,	53. दलजीत उम्र 13 वर्ष		–	,, –	–	–	–	–	–
,,	54. पार्वती उम्र 10 वर्ष		–	,, –	–	–	–	–	–
,,	55. गोविंद 12 वर्ष		–	,,	–	–	–	–	–
,,	56. लड़का 7 साल		–	,, –	–	–	–	–	–
,,	57. जानकीबाई पुत्री मदनलाल हरिजन उम्र 9 साल साल नयापुरा		–	,, –	–	–	–	–	–
,,	58. काली पुत्री द्वारकासिंह उम्र 16 साल नयापुरा		–	,, –	–	–	–	–	–

नयापुरा कोटा	59. एक बच्चा उम्र 6 साल	–	मिल गया	–	–	–	–	–	–
,,	60. लखनलाल 11 साल	–	,,	–	–	–	–	–	–
,,	61. राजेन्द्रकुमार वैरवा का लड़का	–	,,	–	–	–	–	–	–
,,	62. शंकरलाल	–	,,	–	–	–	–	–	–
कुनाडी	63. जीतू उम्र 4 साल	–	,,	–	–	–	–	–	–
,,	64. रामचन्द्र 5 वर्ष	–	,,	–	–	–	–	–	–
,,	65. बाबू 15 वर्ष	–	,,	–	–	–	–	–	–
,,	66. कुन्दन 14 वर्ष	–	,,	–	–	–	–	–	–
कुन्हाड़ी थाना	67. इदरिश उम्र 12 वर्ष	–	मिल गया	–	–	–	–	–	–
सांगोदर	68. सदफराज 8 साल	–	–	–	–	लाश मिली	–	–	लाश पानी में तैरती हुई मिलने पर 174 जा. फौ. कार्यवाही की गई।
गुमानपुरा	69. अजयश्रृंगी	–	मिल गया	–	–	–	–	–	–
,,	70. हरपालसिंह पुत्र शैलसिंह शास्त्री नगर कोटा	–	–	–	–	–	–	नहीं मिला	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जयपुर माणक चौक	71. किशनपुत्र बाबूलाल उम्र 13 साल	17-7-82	18-7-82	-	स्वयं	-	-	-	-
,,	72. प्रकाश पुत्र मोहनदास 6 साल फूटा खुर्रा	20-7-82	21-7-82	-	,,		-	-	-
,,	73. अजयपारीक पुत्र भगवान सहाय पुरोहितजी का कटला 15 साल	29-8-82	31-8-82	-	,,	-	-	-	-
,,	74. देवबहादुर पुत्र खड़गबहादुर आगरा रोड़, जयपुर	1-9-82	2-9-82	-	,,	-	-	-	-
,,	75. निसारग्रहमद पुत्र ग्रब्दुल सलाम 5 साल, हिण्डौन	3-9-82	3-9-82	-	,,	-	-	-	-
,,	76. जगमोहन 17 साल	9-10-82	3-11-82	-	,,	-	-	-	-
,,	77. धारिया पुत्र गेडाराम 11 साल स्टेशन के पास, जयपुर	23-10-82	25-10-82	-	,,	-	-	-	-

माणक चौक जयपुर	78. संजय पुत्र गौरीशंकर उम्र 7 साल	19-11-82	19-11-82	-	स्वयं	-	-	-	-
,,	79. सलीम पुत्र चिमनभाई 4 4 साल घी वालों का रास्ता	22-11-82	22-11-82	-	,,	-	-	-	-
,,	80. पिट्टू पुत्र द्वारकाप्रसाद घी वालों का रास्ता	25.11-82	25-11-82	-	,,	-	-	-	-
,,	81. टम्पो पुत्र किशोरीलाल 4 साल पानों का दरीबा	-	-	-	-	-	-	-	-
	82. अजय उम्र 3 साल लाडलीजी का खुर्रा	27-11-82	27-11-82	-	मिल गया	-	-	-	-
,,	83 भारत उर्फ बल्लू पुत्र रतनलाल 12 साल ख्वासजी का रास्ता जयपुर	3-12-82	7-12-82	-	,,	-	-	-	-
,,	84. राजेश पुत्र रामावतार ढाईसाल चौड़ा रास्ता, जयपुर	3-1-83	3- 1-83	-	,,	-	-	-	-
,,	85. पवनकुमार पुत्र सुम्नालाल 10 साल गंगापोल जयपुर	12-1-83	12- 1-33	-	मिल गया	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
माणक चौक	86. बृजमोहन पुत्र तिलक 14 सात भट्टों की गली	29–1–83	29–	1–83	– मिल गया	–	–	–	–
,,	87. राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश 16 साल जगदीश मार्ग, जयपुर	12–2–83	12–	2–83	– ,,	–	–	–	–
,,	88 अमरसिंह पुत्र लच्छूसिंह 15 साल सा. एस. पी. हाल जयपुर	28–2–83	29–	2–83	– ,,	–	–	–	–
,,	89. सत्यनारायण पुत्र चांदमल ख्वासजी का रास्ता, जयपुर	21–3–83	21–	3–83	– ,,	–	–	–	–
,,	90. बृजमोहन पुत्र चांदमल ख्वासजी का रास्ता	21–3–83	21–	3–83	– ,,	–	–	–	–
,,	91. रामशंकर पुत्र श्याममनोहर मिश्र 12 साल घासी का खुर्रा, जयपुर	18–4–83		–	– ,,	–	–	–	नहीं मिला
बनी पार्क	92. जगदीश पुत्र महेद्रप्रसाद शर्मा बर्फखाना रोड बनीपार्क	16–5–82	16–	5–82	– ,,	–	–	–	–

बनी-पार्क	93. विजयसिंह शेखावत चिल्ड्रन एकेदमी वनीपार्क	20-7-82	–	–	मिल गया	–	–	–	नहीं मिला
,,	94. मामचन्द पुत्र भंवरलाल कुमावत हाथी बाबू का बाग	25-8-82	27- 8-82	–	,,	–	–	–	–
,,	95. राजेन्द्रसिंह पुत्र ललित प्रसाद उम्र 13 साल सूतमिल कालोनी बनीपार्क	26-8-82	27- 8-82	–	,,	–	–	–	–
,,	96. दौलतराम पुत्र विद्यासागर खत्री उम्र 10 साल माधो सिंह रोड बनीपार्क	18- 9-82		–	–	–	–	1	–
,,	97. मुन्ना पुत्र नारायण पारीक लक्ष्मणघाट हान होटल	2 -10-82		–	–	–	–	1	–
,,	68. विक्रमकुमार पुत्र गणेशदास जेएनई सोसायटी चोमू रोड	22- 1-83		–	–	–	–	1	–
,,	99. चन्द्रशेखर उम 15 साल झोटवाड़ा रोड	5- 3-83	6- 3-83	–	स्वयं	–	–	–	–
,,	100. रामबाबू पुत्र सुनीलकुमार 19 साल	7- 4-83		–	–	–	स्वयं	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बनी- पार्क	101. हरगोविन्द पन्नसिंह, सिंधी कालोनी	19– 4–83		–	–	–	स्वयं	–	–
,,	102. दुर्गाप्रसाद उम्र 13 साल झोटवाड़ा रोड	27– 4–83		–	–	–	1	–	–
,,	103. राजेन्द्रकुमार पुत्र मदनलाल इन्द्रा कालोनी	3– 6–83	5– 6–83.	–	–	–	स्वयं	–	–
,,	104. राजू पुत्र शिवशंकर उम्र 14 साल	6– 6–83		–	–	–	1	–	–
,,	105. अरुणकुमार पुत्र तारानंद उम्र 12 साल	2– 7–83	12–7–83	–	–	–	स्वयं	–	–
झोट- वाड़ा	106. कुशलमोहनपुत्र ओमप्रकाश 12 साल सरकस कालोनी झोटवाड़ा	16– 2–83	16–2–83	–	–	–	,,	–	–
,,	107. रोहिताश पुत्र श्रद्धाराम 10 साल अजावाडी झोटवाड़ा	–	–	–	–	–	1	–	–
,,	108. गंगाराम पुत्र नामालूम ग्राम आडीपुर इलेक्ट्री एरिया	–	–	–	–	–	–	–	–

237

झोट-वाड़ा	109. राजेन्द्रकुमार सिसकराम सा. झोटवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
,,	110. विजय पुत्र नामालूम शिव कालोनी 11 साल	–	–	–	–	–	–	–	–
,,	111. धर्मपाल विक्रमसिंह 9 साल हरिजन बस्ती झोटवाड़ा		–	–	–	–	–	–	–
,,	112. श्रवणसिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 11 साल गणेश कालोनी	–	–	–	–	–	–	–	–
,,	113. विक्रमसिंह पुत्र ब्रह्मसिंह राजपूत अशोक कालोनी झोटवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
,,	114. विक्रमसिंह पुत्र गणेशलाल उम्र 16 साल झोटवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
,,	115. महेशकुमार पुत्र एस. के. गुप्ता प्रेमनगर	–	–	–	स्वयं	–	–	–	–
आदर्श नगर	116 सलीम अहमद पुत्र मोह. इशाक उम्र 12 साल	3–11–82	6–12–82	–	,,	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आदर्श नगर	117. अनिलकुमार पुत्र नन्नेखां अमृतपुरी	28-9-82	1-10-82	-	स्वयं	-	-	-	-
,,	118. मनमोहन उर्फ पप्पू पुत्र राजेन्द्र	31-7-82	2- 8-82	-	,,	-	-	-	-
,,	119. राजू पुत्र हरिशंकर रेगर कचरा बस्ती	7-7-82	10- 7-82	-	,,	-	-	-	-
,,	120. नोवरतन पुत्र नानगराम धोबी, जनता कालोनी	27-6-83	30- 6-83	-	,,	-	-	-	-
,,	121. अनूप पुत्र मदनलाल 15 साल गुरुनानकपुरा	2-7-83	6- 7-83	-	,,	-	-	-	-
मोती डूंगरी	122. मोह.सलीम पुत्र गुलाम मोह. एम डी.रोड	21-7-82	22- 7-82	-	,,	-	-	-	-
,,	123. जयसिंह पुत्र रामसिंह बधिर संस्था	7-11-82	8-11-82	-	,,	-	-	-	-
,,	124. अलफज पुत्र कलीपर 10 साल मिनर्वा सनिमा के पीछे	29-4-83	29- 4-83	-	स्वयं	-	-	-	-

मोती डूंगरी	125.	भगवान सहाय पुत्र घनश्याम 15 साल मंदिर गणेशजी	16–6–83	17–6–83	–	स्वयं	–	–	–	–
बजाज नगर	126.	महेश बल्लू दुर्गापुरा	2–6–83	3–5–82	–	,,	–	–	–	–
,,	127.	हरिसिंह पुत्र भागीरथ बरकत नगर	14–7–83	13–7–82	–	,,	–	–	–	–
,,	128.	जयसिंह पुत्र हरिसिंह बरकत नगर	27–7–82	—	–	,,	–	–	–	–
,,	129.	रामकुमार पुत्र सुनील कुमार पुरानी बस्ती	8–9–82	18–9–82	–	,,	–	–	–	–
,,	130.	कपिल पुत्र विनोदकुमार बजाज नगर	18–9–82	18–9–82	–	,,	–	–	–	–
,,	131.	राजीवकुमार पुत्र राजवीरसिंह 13 साल बरकत नगर	21–9–82	22–9–82	–	,,	–	–	–	–
,,	132.	महेश जोशी पुत्र मोती किसन जनकपुरी	25–9–82	25–9–82	–	,,	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बजाज नगर	133. संजयकुमार पुत्र राम दयाल वरकतनगर	18–10–82	19–10–82	–	स्वयं	–	–	–	–
,,	134. बाबूलाल पुत्र मूंडवा जे. पी. कालोनी	3–1182	28–11–82	–	,,	–	–	–	–
,,	135. दुर्गालाल पुत्र बद्री नारायण 17–18 साल ऐजी कालोनी	15–12–82	19–12–82	–	,,	–	–	–	–
,,	136. विवेक व्यास 12 साल लवकुश नगर	8–1–83	10– 1–83	–	,,	–	–	–	–
,,	137. नरेश पुत्र रामचन्द्र दुर्गापुरा	5—2–83	15– 2–83	–	,,	–	–	–	–
,,	138. अजय पुत्र सोहनलाल 10 साल ऐ. जी. कालोनी	9–3–83	10– 3–83	–	,,	–	–	–	–
,,	139. शंकर पुत्र रामलाल ख्वासजीकारास्ता	12–3–83	13– 3–83	–	,,	–	–	–	–

मोती डूंगरी	140. सूरज व हेमराज पुत्र पुखराज सांभरलेक	17-3-83	17-3-83	-	स्वयं	-	-	-	-
,,	141. आदर्शकुमार पुत्र सुनिल कुमार 15 साल बरकत कालोनी	19-3-83	19-3-83	-	,,	-	-	-	-
,,	142. बच्चूसिंह पुत्र प्रकाशकुमार देव नगर	29-4-83	—	-	,,	-	-	-	-
बजाज नगर	143. संजू पुत्र रामकरण उम्र 4 साल सुंदर कालोनी, जयपुर	13-5-83	20-3-83	-	,,	-	-	-	-
,,	144. गिरधारी पुत्र धन्नालाल, 11 साल टेलीफोन कालोनी	24-6-83	25-6-83	-	,,	-	-	-	-
,,	145. अलोककुमार पुत्र गिरधारी लाल 12 साल सा. 158 गोवन नगर	27-6-83	1-7-83	-	,,	-	-	-	-
,,	146. राजेश पुत्र राधेश्याम 15 साल म. 38 जेल नगर	2-7-83	5-7-83	-	,,	-	-	-	-
,,	147. मोहनलाल पुत्र रामप्रताप 12 साल अम्बेडकर नगर	12-7-83	12-7-83	-	,,	-	-	-	-
	148. सत्यनारायण पुत्र मोती लाल 15 साल	18-7-83	27-7-83	-	,,	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बजाज नगर	149. योगेन्द्र पुत्र नरेन्द्रसिंह 4 साल शिवकालोनी, जयपुर	29–7–83	19–7–83	–	स्वयं	–	–	–	–
,,	150. दीनू पुत्र ओमप्रकाश 13 साल कीर्तिनगर	18–8–83	19–8–83	–	,,	–	–	–	–
,,	151. मनोजकुमार कालीदास पुत्र मूलचन्द 17 साल म. 1365 किशनमार्ग	9–8–83	—	–	,,	–	–	–	–
,,	152. (ए) धर्मेन्द्र (बी) अजय (सी) पिंकी (डी) सीताराम 127 बरकत कोलोनी	22–8–83	24–8–83	–	,,	–	–	–	–
कोतवाली	153. सलीम अहमद 12 साल धोबियों का मोड	4–4–82	11–4–82	–	,,	–	–	–	–
,,	154. किशोरसिंह 19 साल इन्द्रा बाजार, जयपुर	13–4–82	13–4–82	–	,,	–	–	–	–
,,	155. रामसिंह पुत्र मदनलाल सा. चूरू का रास्ता	23–4–82	1–5–82	–	,,	–	–	–	–

कोत वाली	156. कन्हैयालाल 22-25 साल खेजड़ों का रास्ता	26–4–82	29–4–82	–	स्वयं	–	–	–	–
,,	157. राजेश 14 साल दीना नाथ जी की गली	10–5–82	14–5–82	–	,,	–	–	–	–
,,	158. हरिकिशन 11 साल (बी.) राजकुमार पुत्र दयाराम सिंधी नाटाणियों का रास्ता	12–5–82	12–5–82	–	,,	–	–	–	–
,,	159. उस्मान उम्र 12 साल	19–5–82	23–5–82	–	,,	–	–	–	–
	160. घन्ना उर्फ सुरेश 10 साल	22–5–82	22–5–82	–	,,	–	–	–	–
,,	163. पूरण प्रकाश पुत्र चिरंजीलाल 13 साल खजाने वालों का रास्ता	22–5–82	22–5–82	–	,,	–	–	–	–
,,	164. बसंतकुमार पुत्र गोकुल महाजन कल्याण जी का रास्ता	26–5–82	26–5–82	–	,,	–	–	–	–
,,	165. राजेश पुत्र नारायण 15 साल झालानियों का रास्ता	30–5–82	1–6–82	–	,,	–	–	–	–
,,	166. दुर्गासिंह पुत्र अविन्दा प्रसाद जाट के कुए का रास्ता जयपुर	12–6–82	9–7–82	–	,,	–	–	–	–

(२५५)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोतवाली	167. सुभाषचन्द पुत्र हनुमान सहाय 15 साल कल्याण जी का रास्ता	30–6–82	3–7–82	–	स्वयं	–	–	–	–
,,	168. विरेन्द्रकुमार द्वारा बद्री नारायण 13 माल नाहरगढ़ रोड़, जयपुर	1–7–82	5–7–82	–	,,	–	–	–	–
,,	169. राधेश्याम द्वारा रामस्वरूप महाजन सा. जाट के कुए का रास्ता	4–7–82	30–10–82	–	,,	–	–	–	–
,,	170. अनिलकुमार द्वारा श्रीम प्रकाश गोविंदरायजी का रास्ता	20–7–82	–	–	,,	–	–	–	–
,,	171. अरुण कुमार द्वारा गौरी शंकर सा. 1258 बाबा हरिश-चन्द्र मार्ग	5–8–82	3–10–82	–	,,	–	–	–	–
,,	172. नन्दकिशोर द्वारा परसराम सा. निदड़रावका रास्ता	13–8–82	25–8–82	–	,,	–	–	–	–

कोतवाली	173. तुलसीदास द्वारा श्रीमती देवी आर्यों का रास्ता, जयपुर	24-8-82	25-8-82	-	स्वयं	-	-	-	
,,	174. हेमराज द्वारा गिरधारीलाल सालानियों का रास्ता	28-8-82	-	-	,,	-	-	-	-
,,	175. जसराजप्रसादद्वाराहरिशंकर नाहरगढ़रोड़	3-9-82	4-9-82	-	,,	-	-	-	-
,,	176. सतीशचन्द्र 14 साल	5-9-82	7-9-82	-	,,	-	-	-	-
,,	177 संजयकुमार उम्र 17 वर्ष मिश्रराजी का रास्ता	15-9-82	16-9-82	-	,,	-	-	-	-
,,	178. सुरेश द्वारा रामप्रसाद 6 वर्ष लालजी सांड का रास्ता	29-9-82	29-9-82	-	,,	-	-	-	-
,,	179. दिलीपकुमार 13 वर्ष द्वारा देवीप्रसाद विष्णु मार्ग	19-10-82	28-10-82	-	,,	-	-	-	-
,,	178. राजेशकुमार 11 साल सा. अरूण स्टुडियो	25-10-82	25-10-82	-	,,	-	-	-	-
,,	179. मुन्ना द्वारा नानगराम 5 साल 789 जाट के कुएं का रास्ता	25-10-82	26-10-32	-	,,	-	-	-	-
,,	180. नरेश उर्फ नारी 11 वर्ष सा. नाटाणियों का रास्ता	25-10-82	25-10-82	-	,,	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोत-वाली	181. रमेश उम्र 14-15 वर्ष सा. दीनानाथजी की गली	26-10-82	31-10-82	–	स्वयं	–	–	–	–
,,	182. राजेन्द्रकुमार उम्र 14-15 वर्ष 2762 बगरू वालों का रास्ता	28-10-82	15-12-82	–	,,	–	–	–	–
,,	183. मनोज 18 साल सा. 2444 खजाने वालों का रास्ता	3-11-82	3-11-82	–	,,	–	–	–	–
,,	184. प्रमोदकुमार 5 वर्ष द्वारा मखनलाल सा. श्री माधोपुर हाल जयपुर	5-11-82	5-11-82	–	,,	–	–	–	–
,,	185. इन्द्रकुमार 10 वर्ष जयलाल मुंशी का रास्ता	13-11-82	12-1-83	–	,,	–	–	–	–
,,	186. अशोक मित्रा 18 वर्ष सा. सरस सदन गणगौरी बाज़ार	17-11-82	17-11-82	–	,,	–	–	–	–
,,	187. मनोजकुमार 12 वर्ष सा. पंडित शिवदीन का रास्ता	1-12-82	2-12-82	–	,,	–	–	–	–

कोत वाली	188. विपिनकुमार 16वर्ष सा. जाट के कुए का रास्ता	10-12-82	18-12-82	-	स्वयं	-	-	-	-
,,	189. गोपीबल्लभ उम्र 12वर्ष सा. जयलाल मुंशी का रास्ता	12-12-82	25-12-82	-	,,	-	-	-	-
,,	190. धर्मेन्द्र ब्राहमण सा. ,,	13-12-82	20-12-82	-	,,	-	-	-	-
,,	11. मुकुट बिहारी 15 वर्ष 9सा. 668 टिक्की वालों का रास्ता	14-12-82	जुलाई 83	-	,	-	-	-	-
,,	192. पपलू त्रिवेदी 12 साल मिश्ररायजी का रास्ता	26-12-82	26-12-82	-	,,	-	-	-	-
,,	193. रमेश उम्र 11 वर्ष अजयबघर का रास्ता	25-12-82	26-12-82	-	,,	-	-	-	-
,,	194. राजीवकुमार 15 वर्ष द्वारा राम बाबू ब्राह्मण पं. शिव दीन की गली	26-12-82	8-1-83	-	,,	-	-	-	-
,,	195. लालू उम्र 4 साल द्वारा थावरदाससिंधी भिंडों का रास्ता	7-1-83	7-1-83	-	,,	-	-	-	-
,,	196. रामावतार 14 वर्ष द्वारा रामनारायण तेली दीनानाथ की गली	23-1-83	25-1-83	-	,,	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोत-वाली	197. बाबू गिरजा 10 वर्ष द्वारा रूपनारायण दर्जी गोविंद रावजी का रास्ता मु.नं.2431	2-2-83	3-2-83	24-3-83	स्वयं	–	–	–	–
,,	198. किशोरीलाल 12 वर्ष द्वारा राजमल अग्रवाल नींदड़-राव का रास्ता	15-2-83	15-2-83	–	,,	–	–	–	–
,,	199. अजय अग्रवाल 11 साल शिवगोपाल ब्राह्मण बाबा हरिशचन्द्र मार्ग	22-2-83	23-2-83	–	,,	–	–	–	–
,,	200. महेश कुमार 15 वर्ष म.नं. 2143 खजाने वालों का रास्ता	26-2-83	24-3-83	–	,,	–	–	–	–
,,	201. राजकुमार 14 साल द्वारा नारायणप्रसाद गोविंदराय जी का रास्ता	28-2-83	9-3-83	–	,,	–	–	–	–
,,	202. रमेश साढ़े चार वर्ष द्वारा नोरताराम रामदेवजी का मंदिर	25-3-83	6-5-83	–	,,	–	–	–	–

कोत-वाली	203. पुरुषोतम 11 वर्ष द्वारा गिरधरदेवी सा. 2176 गोदू का रास्ता	25-3-86	15-6-83	–	स्वयं	– –	–	–	–
,,	204. रामलखन 16 साल सा. 2799 कल्याणजी का रास्ता	25-3-83	26-3-83	–	,,	–	–	–	–
,,	205. वृजमोहन 12 वर्ष खजाने वालों का रास्ता	6-4-83	18-4-85	–	,,	–	–	–	–
,,	206. आसिफ 6 साल सा. रामगंज	6-4-83	6-4-83	–	,,	–	–	–	–
,,	207. कल्लू 5 साल द्वारा राम प्रकाश खजानेवालों का रास्ता	11-4-83	12-4-83	–	,,	–	–	–	–
,,	208. निसार अहमद 14 साल द्वारा असगर मुसलमान जाट के कुए का रास्ता	19-4-83	3-6-83	–	,,	–	–	–	–
,,	209. रमेश 20 साल जाट के कुए का रास्ता	22-4-83	23-4-83	–	,,	–	–	–	–
	210. राजू उर्फ राजेश उम्र 15 वर्ष 1077 झालानियों का रास्ता	27-4-83	30-6-83	–	,,	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोत-वाली	211. सुरेन्द्र 16 वर्ष सा. झालानियों का रास्ता	30-4-83	10-6-83	—	स्वयं	—	—	—	—
,,	212. कंगलिया 4 साल बारा खुंटेटों का रास्ता	15-5-83	19-6-83	—	,,	—	—	—	—
,,	213. महेश 12 साल द्वारा हरिनारायण सैनी	21-5-83	24-5-83	—	,,	—	—	—	—
थाना कोतवाली जयपुर	214. भंवर उर्फ दीपक उम्र 18 वर्ष नि. 405 नि. पुरानी बस्ती गोविन्दरायजी का रास्ता जयपुर।	12-5-83	21-5-83	—	,,	—	—	—	—
	215. श्री योगेश शरण उम्र 8 वर्ष जाट के कुऐ का रास्ता मकान नं. 662 जयपुर।	28-5-83	30-5-83	—	,,	—	—	—	—
	216. भैरूं उम्र 20 साल नि. पंडित शिवदीन का रास्ता, जयपुर मकान नं. 2209	29-5-83	20-5-83	—	,,	—	—	—	—

थाना जयपुर कोत-वाली	217. खानुदीन उर्फ पप्पू उम्र 12 साल नि. खजानों का रास्ता मकान 2548	8–6–83	—	—	स्वयं	—	—	—	—
	218. अजंका उर्फ अजय उम्र 10 वर्ष बा. मकान नं. 20 गिरधारी मन्दिर गणगौरी बाजार।	17–6–82	19–6–83	—	,,	—	—	—	—
	219. राजकुमार उम्र 16 साल महाजन नि. नींदडरावजी का रास्ता 3357 जयपुर।	6–7–83	8–8–83	—	,,	—	—	—	—
	220. राजू 7 वर्ष केयर आफ मीना देवी चुरुकी का रास्ता मुखमिला का दरवाजा जयपुर।	11–7–83–	21–7–83	—	,,	—	—	—	—
	221. अशोक कुमार 12 साल नि. निन्दारायजी का रास्ता मकान 3289 जयपुर।	30–7–83	30–7–82	—	,,	—	—	—	—
	222. राजेन्द्र 16 साल मकान नं. 2170 राजा शिवदास का रास्ता जयपुर	4–8–83	4–8–83	—	,,	—	—	—	—
	223. अशोक कुमार 15 साल नाई नि. नीमडी पुलिस चौकी के पास मकान नं 3651	5–8–83	16–8–83	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अलवर गेट अजमेर	224. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र जगदीशप्रसाद महाजन रामलीला का बाडा नगर अजमेर	4-12-82	7-12-82	—	स्वयं वापिस आया		—	—	-
	225. हेमन्तकुमार पुत्र सोहन कोली नि. गूजर घरती अजमेर	9-4-83	10-4-83	—	,,	,,	—	—	—
	226. श्री धर्मवीर शर्मा पुत्र नारायण शर्मा बिहारी गंज अजमेर	8-4-86	8-4-83	—	,,	,,	—	—	—
	227. पप्पू पुत्र किशनलाल नि. माल बीचला अजमेर।	18-4-83	18-4-83	—	पुलिस की मदद से		—	—	—
	228. रमेशचन्द्र गुप्ता पुत्र हरिशचन्द्र नि. आशागंज, अजमेर	2-7-83	2-7-83	—	स्वयं वापिस आया		—	—	—
	229. मुकेश पुत्र रामप्रताप यादव नि. रामलीला का बाड़ा अजमेर	5-8-83	7-8-83	—	,,	,,	—	—	—
	230. अनिलकुमार पुत्र छीतरमल माली नि. गहलोतों की डूंगरी अजमेर	6-8-83	8-8-83	—	,,	,,	—	—	—

अजमेर गेट	231.	मनीषकुमार पुत्र मोतीचंद नि. अलवर गेट अजमेर	25- 8-83	25-8-83	-	स्वयं वापस आया	-	-	-
थाना अलवर अजमेर।	232.	श्री अशोककुमार उम्र 15 साल पुत्र वीपी दुकरानी नि. वियाणी मोहल्ला नवाब का बाड़ा अजमेर।	20-11-82	25-11-82	-	स्वयं कहीं चला गया जो स्वयं की वापिस आ गया	-	-	-
	233.	अमित पुत्र सुभाषचन्द्र जैन नि. बाबूकेसम अजमेर उम्र 35 वर्ष	22- 6-82	23-6-82	-	जनता की सहायता से थाने पर लाकर पेश किया	-	-	-
	234.	अशोककुमार पुत्र रमेशचन्द्र उम्र 15 वर्ष नि. वाजीवाली गली केसरगंज अजमेर	11- 7-83	14-7-83	-	स्वयं वापिस आया	-	-	-
	235.	मनीषा पुत्री लक्ष्मणदास सिन्धी उम्र 15 वर्ष नि. आबूरोड हाल केसरगंज, अजमेर	24- 7-83	25-7-83	-	,, ,,	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केकड़ी अजमेर	236. श्री गुडडू उर्फ इस्लाम पुत्र अजीज पु. उम्र 14, 15 साल नि. केकड़ी		5- 8-83	7- 8-83	–	अपनी बहिन के पास चला गया था यहीं मिला।	–	–	–
गंज थाना	237. श्री मोहम्मद पुत्र मोहम्मद यासीन नि. हैदराबाद उम्र 12 साल हाल दरगाह अजमेर		13-6-83	13- 6-83	–	पुलिस की की सहायता से अजमेर में मिला।	–	–	–
,,	238. मोहन पुत्र आसूमल सिंधी उम्र 17 साल नि. दरगाह		4- 6-83	5- 6-83 रात्रि को करीब 9 बजे	–	,, ,, ,,	–	–	–
कोतवाली	239. कु. कालानी पुत्री नरेशचन्द्र गुप्ता महाजन उम्र 6 साल नि. नया बाजार अजमेर।		9- 11-82	9-11-82	–	जनता की सहायता से थाने पर लाकर पेश किया।	–	–	–
सिविल लाईन	240. सहू पुत्र रोहिताश सिंह यादव उम्र 12 साल नि. सिविल लाइन अजमेर।		28-2-82	28-12-82	–	,, ,, ,,	–	–	–

राम गंज	241.	कु. कोलया पुत्री रामलाल कंजर उम्र,4 साल नि. मदनगंज	30–7–82	30– 7–83	–	जनता की सहायता से माने पर लाकर पेश किया ।	–	–	–
अलवर गेट	242.	श्री टिनटीन मलेशिया छात्र सेवा कालेज. अजमेर विद्यार्थी	11–10–82	दो दिन बाद	–	उदयपुर चला गया था वहां मिला ।	–	–	–
,,	243.	पूनियां चौधरी नि.वगडी नगर नि. वाली हाल नाका मदार	18–10–82	18–10–82	–	स्वयं वापिस आया ।	–	–	–
,,	244.	कंवरलाल पुत्र राम नारायण कोली प्रतापनगर अजमेर ।	18–10–82	28–10–82	–	,, ,, ,,	–	–	–
क्लाक टावर अजमेर	245.	श्री दिलीपकुमार पुत्र सुन्दरलाल 16 वर्ष तोपदडा, अजमेर।	28. 7.83	1– 8–83	–	स्वयं वापिस आ गया ।	–	–	–
मदन गंज अजमेर	246.	पयोजी जाट नि. मदनगंज	25. 8.83	26–8–83	–	,, ,,	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मदन गंज अजमेर	247.	दीपककुमार नि:मदनगंज	2.9.82	3- 9-82	- स्वयं वापिस आ गया	-	-	-	
,,	248.	मोहनलाल मदनगंज	20.6.83	2- 6-83	- अजमेर अपनी के पास मिला।	-	-	-	
,,	249.	बृजराजसिंह नि.मदनगंज	13.6.83	1- 6-83	- 6 दिन बाद स्वय घर पर आ गया।	-	-	-	
,,	250.	दुर्गालाल मदनगंज	24.7.83	26-7-83	- पुलिस के द्वारा ढूंढने पर उसी दिन मिल गया।	-	-	-	
,,	251.	विश्राम पुत्र सावतसर	27.7.83	27-7-83	- ,, ,, ,,	-	-	-	

सूची गुमशुदा बच्चे जिला जोधपुर दिनांक 1-4-82 से 15-8-83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिलाड़ा	251.	जगदीश पुत्र शिवपुरी नि. बिलाड़ा	314	3- 9-82	नहीं	-	-	-	
सदर बाजार	252.	विजय पुत्र मेघाराम नि. बाजार घोड़ों का चौक	79	3- 9-82	,,				

सदर बाजार	253.	कु. बाव उर्फ उषा पुत्री ज्ञानचन्द सा. करला बाजार	458	13–11–82	अपने आप आई	–	–	–
,,	254.	कु. वहीदा पुत्री रमजान नि. खानिया नई सड़क, जोधपुर	689	19– 6–82	,,	–	–	–
,,	255.	मोहम्मद इब्राहिम पुत्र अब्दुल वहीद नि. मेड़ली सिलावटों का वास	564	17– 7–73	,,	–	–	–
सदर कोत-वाली	256.	बन्शीलाल पुत्र बरसीगाराम विश्नोई सा, मोजासर	504	12– 6–82	हुआ 12–6–82 को खुद आया	–	–	–
,,	257.	मोहम्मद सरीफ पुत्र मोहम्मद हनीफ सा. मियाओं की मस्जिद जोधपुर।	321	7– 8–82	हुआ 7–8–82 को खुद आया	–	–	–
,,	258.	धर्मेन्द्र पुत्र शिम्भूनाथ नि. सिंह पोल।	757	19– 2–82	हुआ 21–2–82 को खुद आया	–	–	–
,,	259.	गीता पुत्री धर्मपाल नि. कागर चौक।	11	1– 3–83	हुआ अपने आप आई	–	–	–
,,	260.	विजयसिंह पुत्र दुर्गासिंह नि. सोजती गेट	120	24– 5–82	हुआ 24–5–82 खुद आया	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सदर कोतवाली	261. नारायण पुत्र महेन्द्र श्रीमाली चुने की चौकी, जोधपुर पागल होना बताया	729	17– 7–84	हुआ		पूछताछ की गई पता नहीं चला पिता ने पागल होना जाहिर किया	–	–	
,,	262. राजेन्द्र शर्मा पुत्र गोविन्द श्रीमाली, खांडा फालसा	116	27– 8–82	हां	27–7–82 अपने आप आया	–	–	–	
,,	263. श्रवणकुमार पुत्र बृजमोहन नि. प्रतापनगर, जोधपुर	477	11– 8–83	नहीं		पता नहीं चला	–	–	
धान-मंडी	264. ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल नि. धानमंडी	20– 9–82	21–9–82	स्वयं आया		–	–	–	
,,	265. किशनलाल पुत्र मांगीलाल नि. कंडपोल	5–10–82	8–10–82	,,	– –	–	–	–	
,,	266. महेश पुत्र लक्ष्मण नि. नाडा खाडा	2–12–82	3– 2–83	,,	– –	–	–	–	
,,	267. शकुन्तला पुत्री मोहनलाल नि. अशोकनगर।	28–1–83	23–1–83	,,	– –	–	–	–	
,,	268. गोपाल पुत्र मोहनलाल नि. खटीकवाड़ा	27–7–83	1– 8–83	,,	– –	–	–	–	
अंबामाता	269. लक्ष्मी पुत्र पन्नालाल नि. अम्बामाता	14–4–82	15–5–82	,,	– –	–	–	–	

अम्बामाता	270. अम्बालाल पुत्र नारुगमती नि. अम्बामाता	3-12-82	3-12-82	स्वयं आया	—	—	—	—	—
,,	271. प्रतापी पुत्री नारुगमती नि. अम्बामाता	—	—	,,	—	—	—	—	—
,,	272. छोटू उर्फ छितेदाकुमार व पुत्र दिलीपकुमार नि. अम्बामाता	5-6-83	5-6-83	,,	—	—	—	—	—
घंटाघर	273. मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमीद नि. सिलावडावडी।	12-9-82	12-9-82	,,	—	—	—	—	—
,,	274. करणसिंह पुत्र बृजलाल नि. चांदपोल	22-11-82	30-11-82	,,	—	—	—	—	—
,,	275. अर्जुनलाल पुत्र भगवानलाल नि. घन्टाघर	2-2-83	2-2-83	,,	—	—	—	—	—
,,	276. कमलाशंकर पुत्र हरलाल नि. जेठीया की गली	2-2-83	11-4-83	,,	—	—	—	—	—
,,	277. विमला पुत्र हुकमसिंह घन्टाघर	21-6-83	22-6-83	,,	—	—	—	—	—

(260)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

क्र.सं.	लाईसेन्सधारी का नाम
1	2
1.	श्री चतुर्भुज पुत्र श्री जगन्नाथ लुहार नि. मोती चोहट्टा।
2.	,, नजमुलहुसैन पुत्र नूरमोहम्मद खां चौधरी नि. महावतबाड़ी।
3.	,, शांतिलाल पुत्र नन्दलाल नि. मालदास स्ट्रीट।
4.	,, कालू पुत्र लालमोहम्मद मुसलमान।
5.	,, गोट्टूलाल पुत्र भगवानलाल गहलोत नि. गणेशघाटी।
6.	,, जगदीशचन्द्र पुत्र गोट्टूलाल गहलोत नि. गणेशघाटी।
7.	,, रामलाल पिता मोहनलाल तम्बोली नि. करजाली हाउस।
8.	,, देवीलाल पिता चुन्नीलाल नि. चांदपोल।
9.	,, शकूरखां पुत्र रुस्तम खां मुसलमान नि. पान्डूवाड़ी
10.	,, इकबालहुसैन पुत्र मोहम्मद इब्राहीम नि. लालघाट।
11.	,, रफीक मोहम्मद पिता हिम्मतखां नि. पान्डूवाड़ी।
12.	,, हसनखां पिता वजीरमोहम्मद नि. केलवा हाउस।
13.	,, अब्दुलगफार पिता शेरखां नि. महावतबाड़ी।
14.	,, अल्लीशेरखां पिता अलबखां नि. कल्लेसाज।
15.	,, मोहम्मद मुन्नीखाँ पिता अमीर मोहम्मद नि. केलवाहाऊस।
16.	,, मकबूलमोहम्मद पिता दाऊदमोहम्मद शेख नि. जाटवाडी।
17.	,, सहजादमोहम्मद पिता नजीरमोहम्मद पठान केलवा हाउस।
18.	,, चुन्नु उर्फ बसीर पिता फतहमोहम्मद मुसलमान नि. सिलावटबाड़ी।
19.	,, अब्दुलबेग पिता वजीरबेग नि. कल्लेसाज उदयपुर।
20.	,, केसरबेग पिता वजीरबेग नि. कल्लेसाज।
21.	,, प्रतापसिंह पिता हमेरसिंह नि. साहीवालों की हवेली।
22.	,, गणपतलाल पिता मोहनलाल सिकलीगर मोती चौहट्टा।
23.	,, पृथ्वीराज पिता चतुरभुज स्वर्णकार नि. उदयपुर।
24.	,, जगदीशचन्द्र पिता सोहनलाल सोनी नि. मोती चौहट्टा।
25.	,, लक्ष्मीनारायण पिता गणेशलाल टेलर नि. मोती चौहट्टा।
26.	,, प्रतापसिंह पिता लाभचंद बोहरा नि. महतों का टीबा।
27.	,, गोसमोहम्मद पिता अजीजखां नि. कल्लेसाज।
28.	,, जगदीशलाल पिता भंवरलाल सिकलीगर, उदयपुर।
29.	,, गोहूखां पिता हम्मीरखां मुसलमान नि. पान्डूवाड़ी।
30.	,, मोहम्मदबक्स पिता अल्लाबक्स नि. सिलावटबाड़ी।
31.	श्री रोशनलाल पिता तुलसीराम तम्बोल नि. जगदीश रोड

1	2
32.	श्री शंकरलाल पिता नाथूलाल पालीवाल नि. सिलावटवाड़ी।
33.	„ दोलतराम पिता रतनलाल सोनी नि. मोती चौहट्टा।
34.	„ अमृतराम पिता चिमनलाल ब्रा. कोलपोर्ले।
35.	„ मकबूल अहमद शेख पिता दाउदमोहम्मद नि. जाटवाड़ी।
36.	„ उदयराज पिता मेघराज धाभाई नि. जगदीश चौक।
37.	„ मोहनलाल पिता मनसानाथ सनाढ्य नि. वारदोघाटी।
38.	„ अल्लाखां पिता रहीमबक्स नि. तेलियों की माता।
39.	„ भंवरलाल पिता मनोहरलाल जैन नि. महुवा का टीबा।
40.	„ ख्यालीराम पिता हरिराम ब्रा. नि. मदनोर हाऊस।
41.	„ इकबालअहमद पिता ममकूरअहमद नि. इमलीघाट।
42.	„ गोपालाल पिता मोहनलाल सोनी नि. मोती चौहट्टा।
43.	„ तेजसिंह पिता गिरधारी, हाथीपोल।
44.	„ केसरसिंह पिता संग्रामसिंह बापना, सेठजी की वाड़ी।
45.	„ समसूदीन पिता अब्दुलरहमान नि. लेक व्यू होटल।
46.	„ गफूरखां पिता गुलाबखां मुसलमान नि. चमनपुरा।
47.	„ छोटालाल पिता कालू धोबी नि. चमनपुरा।
48.	„ उदयसिंह पिता केसरसिंह नि. पंचवटी।
49.	„ संग्रामसिंह पिता के. कुन्दनलाल नि. सेठजी की वाड़ी।
50.	„ दीनमोहम्मद पिता अहमद मुसलमान नि. चमनपुरा।
51.	„ लक्ष्मीलाल पिता चन्द्राणी कालवी नि. फारसी का बंगला।
52.	„ गोपालसिंह पिता मोडसिंह चायल नि. उदयपुर।
53.	„ गिरधारीसिंह पिता प्रतापसिंह नि. हाथीपोल।
54.	„ सरीक पिता लाल मोहम्मद मुसलमान नि. चमनपुरा।
55.	„ भौरू खां पिता बली मोहम्मद नि. स्वरूपसागर।
56.	„ भूरीलाल पिता जीवाजी नि. आउटसाईड हाथीपोल।
57.	„ मुराद पिता इद्रू मुसलमान नि. चमनपुरा।
58.	„ रामसिंह पिता देवीसिंह राठोड़ नि. पंचवटी।
59.	„ गम्भीरसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत नि. सिंघवी हाउस।
60.	„ अमरसिंह पिता केसरसिंह राजपूत नि. बेदला हाउस।
61.	„ मोजूदीन पिता भोलू नि. चमनपुरा।
62.	„ मोहनलाल पिता माणकराम नि. भट्टजी की बाड़ी।
63.	„ नाथाराम पिता चिमनाजी नि. पंचवटी।
64.	„ मोहनलाल पिता रामकिसन मोची नि. हाथीपोल बाहर।
65.	„ दलपतराज लोढा पुत्र रतनलाल नि. मधुवन।

1	2
66.	श्री नरेन्द्रकुमार पिता भूपालसिंह नि. 26 सी मधुबन।
67.	,, फकरू पिता नजरअली हितावाला नि. हाथीपोल
68.	,, सेफुउद्दीन पिता फकरूद्दीन नि. हाथीपोल।
69.	,, बशीर मोहम्मद पिता नजीर मोहम्मद नि. हाथीपोल।
70.	,, जसवन्तसिंह पिता केसरसिंह सिंघवी नि. मधुबन।
71.	,, रामसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत नि. हाथीपोल।
72.	,, अमरसिंह पुत्र नन्दसिंह राजपूत सा. पंचवटी।
73.	,, किसनदास पिता कानदास नि. पंचवटी।
74.	,, उस्मान मौहम्मद पिता जमाल मौहम्मद नि. चमनपुरा।
75.	,, अब्दुल रसीद पिता नजीर मौहम्मद नि. बारगली।
76.	,, वकील मल पिता सेवक रामजी सिंधी नि. चेतक सर्किल।
77.	,, हरिसिंह यादव नि. पंचवटी।
78.	,, छोटूलाल पिता कालू धोबी नि. चमनपुरा।
79.	,, नरपतसिंह पिता अभयसिंह नि. रेजीडेन्सी रोड।
80.	,, बिहारीलाल पिता जमनादास नि. पंचवटी।
81.	,, ओमप्रकाश पिता जालीमराम नि. चेतक सर्किल।
82.	,, मदनलाल पिता मातीगराम सुखवाल नि. चेतक सर्किल।
83.	,, श्रीमती नमनदेवी पत्नी तिलकचन्द नि. उदयपुर।
84.	,, गोवर्धनसिंह पिता चतुरसिंह राजस्थान बटा.।
85.	,, मांगीलाल पिता नारायणलाल नि. पंचवटी।
86.	,, समसूदीन पिता अब्दुलरहमान खां नि. लेकव्यू होटल।
87.	,, मेजर मनोहरसिंह नि. बेदला।
88.	,, रघुनाथसिंह पिता मनोहरसिंह नि. बेदला।
89.	,, प्रमोद प्रकाश पिता हालाराम एम.एस. सिंघल लेक हाउस।
90.	,, फजुल हुसैन पिता गुलामअली हाथीपोल बाहर।
91.	,, ताहिरअली पिता गुलामअली नि. हाथीपोल बाहर।
92.	,, विजयसिंह पिता अजीतसिंह नि. रेजीडेन्सी रोड।
93.	,, गफूरखां पिता गुलाम खां मुसलमान नि. चमनपुरा।
94.	,, मदनलाल पिता सालगराम जी
95.	,, एस.एन. गुप्ता पिता भोलानाथ गुप्ता नि. भूपालपुरा।
96.	,, हिम्मतसिंह आइ.पी.एस. (से.नि.) पंचवटी नि.।
97.	,, गोवर्धनसिंह चतुरसिंह चूडावत एच.सी.सी. बटालियन।
98.	,, सोहनलाल पिता बद्रीलाल अग्रवाल नि. हजारेश्वर महादेव।
99.	,, बहादुरसिंह पिता सज्जनसिंह स. वन रक्षक पश्चिम।

1	2
100.	श्री जगदीश पिता अजगरसिंह सातेकराम चौक।
101.	,, भंवरलाल पिता बालकृष्ण पालीवाल नि. जनरल हास्पिटल।
102.	,, दलपतराज पिता रतनराज लोढ़ा सेठजी की बाड़ी।
103.	,, ओमकारलाल पिता बरदीचंद परिहार नि. चेतक रोड।
104.	,, राज कुमार पिता ओंकारलाल नि. चेतक रोड़।
105.	,, ओंकारलाल पिता वरदी चंद नि. चेतक रोड।
106.	,, मानसुर अली पिता जीवन अली बोहरा नि. चमनपुरा।
107.	,, भीमसिंह पिता दुल्ले सिंह राजराणा नि. हजारेश्वर महादेव कालोनी।
108.	,, कृष्णपाल सिंह पिता सुलतान सिंह प्रधानाध्यापक मेओ कालेज।
109.	,, जनसन पिता मनोहर सिंह नि. बेदला।
110.	,, नारायण लाल पिता वरदी चंद नि. चौगान रोड़।
111.	,, जसवीर सिंह पिता हिम्मत सिंह सखवाल बंगला।
112.	,, उम्मेदखां पिता होदरीखां नि. चमनपुरा।
113.	,, भैरू सिंह पिता मोती सिंह जनरल हास्पिटल उदयपुर।
114.	,, सीजीपी पिता मार्फत एच. एल. क्लिटस मनोहर भवन।
115.	,, फजी हुसैन पिता गुलाम अली हाथीपोल।
116.	,, सरफ अली पिता गुलाब अली हाथीपोल।
117.	,, निर्भयसिंह पिता अभयसिंह नि. रेजीडेन्सी रोड उदयपुर।
118.	,, गोपीकृष्ण पिता रामगोपाल बोहरावन संरक्षक उदयपुर।
119.	,, नरेन्द्र सिंह पिता किसन सिंह नि. हाथीपोल।
120.	,, नारायणलाल पिता गणेशलाल सहेली मार्ग।
121.	,, कृष्णपाल सिंह पिता सुल्तान सिंह प्रा. आर. एन. टी. कालेज।
122.	,, उमराव सिंह पिता कमल चंद।
123.	,, डा. पी. डी. विश्वास पिता डा. एच. एल. विश्वास।
124.	,, खमान सिंह पिता होनाड सिंह फूल भवन।
125.	,, नरपत सिंह पिता जवान सिंह हाथीपोल।
126.	श्रीमती नरेन्द्र कुमारी पिता सोभाग सिंह रेजीडेन्सी रोड।
127.	श्री जसवन्त सिंह पिता मल सिंह रामदस कालोनी।
128.	,, रघुनाथ सिंह पिता मनोहर सिंह राव बेदला हाउस।
129.	,, नरेन्द्र नाथ पिता श्रीलाल आचार्य पंचवटी।
130.	,, जीव सिंह पिता अम्बालाल दोसी लन्दन स्टोर।
131.	,, मनोहर सिंह पिता गुरमुख सिंह मैनेजर सिनेमा।
132.	,, जसवंत सिंह पिता चंदन मधुबन।
133.	,, हजीमउदीन पिता समसुदीन मुसलमान।

1	2
134.	श्री माधव सिंह पिता मनोहर सिंह नि. बेदला गोविन्द भवन ।
135.	,, सोकिन पिता मोहम्मद मुसलमान नि. चमनपुरा ।
136.	,, एस बैन्जामिन पिता ग्रार.बेजामीन मिसिंग कम्पाउन्ड ।
137.	,, सुधीरमोदी पिता मनोहरश्यामजी नि. अशोकनगर ।
138.	,, मन्सूर ग्रली पिता जीवन ग्रली पथावाला हाथीपोल ।
139.	,, आणद निदारी भू.पू. जिला दंड नायक पंचवटी ।
140.	,, नरेन्द्रसिंह पिता किसन सिंह नि. हास्पिटल रोड ।
141.	,, भंवरलाल पिता बालकिशन जनरल हास्पिटल ।
142.	,, जोगेन्द्रपाल डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकलचर ।
143.	,, जाकिर मोहम्मद पिता खुमानखां नि. चमनपुरा ।
144.	,, युरानी पिता इन्द्रकुमारी बंगला ।
145.	,, ब्रांच मेनेजर स्टेट बैंक इन्डिया ।
146.	सुश्री ग्राईखां पिता डिबीखां डिप्टी मैनेजर हि.जिंक
147.	श्रीमती राजकुमार पत्नी जिनेन्द्रपालसिंह ।
148.	श्री राजकुमार जिनेन्द्रपाल सिंह नि. ग्रम्बा माता ।
149.	,, एन.ओ. बनर्जी पिता दुर्गा बनर्जी स्वरूप सागर ।
150.	,, देवेन्द्रपालसिंह पिता राजकुमार पिता जोगेन्द्रपाल सिंह ग्रम्बावगढ़ ।
151.	श्रीमती कुवंरानी इलदेवी पत्नी राजकुमार देवेंद्रपाल सिंह ।
152.	श्री ग्राई बाली पिता एनडी बाली नि. पोलो ग्राउन्ड ।
153.	,, हर्षनारायण शर्मा पिता हरगोविन्द सिंह नगर दंड नायक ।
154.	,, चुन्नीलाल पिता बजा शंकर ओसवाल नि. चांदपोल ।
155.	,, देवेन्द्रसिंह पिता महराज ग्रमर्थसिंह भटियानी चौहटा ।
156.	,, राजसिंह पिता मदनसिंह राजपूत नि. नागानगरी ।
157.	,, जगन्नाथसिंह पिता स्वरूप जी ।
158.	,, प्रद्युम्नसिंह नि. कुरावड़ हाउस ।
159.	,, सुब्रमनयसिंह ।
160.	,, लवकुमारसिंह पिता नरदेवसिंह नि. अम्बागढ़ ।
161.	,, नरदेवसिंह पुरागढ़ हाल अम्बा माता ।
162.	श्रीमती शीतल कुंवर ग्रम्बागढ़ ।
163.	श्री शिरदारसिंह पिता चतरसिंह बागोरका नोहरा ।
164.	,, रवीन्द्रकुमार पिता इन्द्रगोविन्द अम्बा माता ।
165.	,, इन्द्रलाल पिता माणकलाल गोविल अम्बा माता ।
166.	,, लक्ष्मणचंद पिता भैरूंलाल मेघवाल ग्रम्बागढ़ ।
167.	,, मोतीलाल पिता कन्हैयालाल चौवीसा ।

1	2
168.	श्री जगन्नाथसिंह पिता स्वरूपसिंह ।
169.	,, फकरुदीन पिता खुदाबक्शजी ओ.टी.सी. स्कीम ।
170.	,, भैरूंसिंह पिता धर्मसिंह सा. अम्बा माता ।
171.	,, रामनाथ पिता कामनाथ कालबेलिया अम्बा माता ।
172.	,, नाथू पिता सुन्डानाथ कालबेलिया मल्ला तलाई ।
173.	,, किशन पिता ब्रजपाल राजपूत नि. अम्बा माता
174.	,, पन्नालाल पिता गणेश राजपूत नि. गांधीनगर ।
175.	,, मोडाराम पिता गोदल भाई नि. देवाली ।
176.	,, इन्द्रलाल पिता भादाणी नि. अम्बा माता ।
177.	,, सेनानाथ पिता हिमतानाथ कालबेलियां नि. मंलातलाई ।
178.	,, नारायणपुरी पिता केसरपुरी नि. यादव मोहल्ला ।
179.	,, मोहम्मद रफी सिराजूदीन मु. नागो नगरी ।
180.	,, अम्बेअली पिता इब्राहीम वोहरवाडीं ।
181.	,, रावदअली पिता गणेशअली नि. मंडी ।
182.	,, मन्सूरखां पिता हुसनखां पठान नि. मीणापाडा उदयपुर ।
183.	,, अली मोहम्मद पिता समेरअली वोहरा भूतमहल उदयपुर ।
184.	,, बूरावादीन पिता सुखावादीन होली उदयपुर ।
185.	,, अल्लानूर पिता शाहनूरखां नि. धोली वावड़ी उदयपुर ।
186.	,, वजीर मोहम्मद पिता रहीमखां नि. भोईवाड़ा ।
187.	,, अलीमउदीन पिता रहीमबक्स नि. भोईवाड़ा ।
188.	,, बजीरखां पिता रहीमखां नि. ,,
189.	,, निरभयराम पिता सालगराम कुमावत नि घोलीवावड़ी ।
190.	,, मन्नेखां पिता हम्मीरखां मुसलमान नि. मीणापाड़ा ।
191.	,, मोहम्मदबक्स पिता कादर बक्स नि चूडीदरों की मस्जिद ।
192.	,, अहमद हुसैन पिता नूरमोहम्मद मुसलमान नि. वोहराड़ी ।
193.	,, मोहम्मद पुत्र मीराबक्स नि. वोहरवाडी ।
194.	,, मीराबक्स पिता अल्लाबक्स मु. नि. कारवाड़ी ।
195.	,, अहमदअली पिता अक्बरअली अन्तरवाला नि. वोहरवाड़ी ।
196.	,, अमदबक्स पिता करीमबक्स नि. कारवाड़ी उदयपुर ।
197.	,, वसीरखां पिता एतानखां नि. सुथारवाड़ा ।
198.	,, बसन्तालाल पिता छ्यालीलाल नि. मंडी की पाल ।
199.	,, सैयद महबूब पिता बरकतअली नि. चूड़ीगरोन की मस्जिद ।
200.	,, खेमराज पिता रामनारायण नि गुदीया भैंस ।
201.	,, नरेन्द्रराम पिता भूरजी नगारची नि. कंडपोल ।

1	2
212.	श्री नूरमोहम्द पिता दीनमोहम्मद नि. बडबूजियां घाटी।
213.	,, मोहम्मद ईस्माईल पिता रहीमबक्स नि. धोलीबावडी।
214.	,, गुलमोहम्मद पिता अकबरअलि नि. चौकला बाजार;
215.	,, मोहम्मद अल्ला फारूकी पिता कालू ईमाम बक्समेवाफरोस
216.	,, जालमचन्द पिता प्रेमराज जैन नि. तीजका चौक।
217.	,, जगदीश कुमार पिता हिलोरिया नि. खेमजी मंडी।
218.	,, आमीनखां पिता हमीदखां मुसलमान नि. छोटीयों की गुवाड़ी।
219.	,, अलारखखां पिता छोटे खां मुसलमान नि. धोली बावडी।
220.	,, किसनलाल पिता तुलसीराम माली नि. गुन्हीयां भैरु।
221.	,, असीरबुदीन पिता जलालुउदीन रंगरेज नि मोचीवाडा।
222.	,, संग्रामसिंह पिता बतरसिंह मेहुण नि. मालदास स्ट्रीट।
223.	,, गुलाम अब्बास पिता अकबरअली खाई रोड।
224.	,, नूरमोहम्मद पिता दीन मोहम्मद नि. बडभुजिया घाटी।
225.	,, उदयलाल पिता तख्तीसिंह मेहता नि. मालदास स्ट्रीट।
226.	,, जाकीर हुसैन पिता तयाब अली बोहरा कुडावल नजमपुरा।
227.	,, मोहम्मदहुसैन पिता अब्दुलबक्स।
228.	,, नुरूलअली पिता अकबरअली मातमवाड़ा।
229.	,, गुलामहुसैन पिता ईस्माईल बोहरा मैनेजर अशोका सिनेमा।
230.	,, अहमद खां पिता अहसन खां नि धोलीबावडी उदयपुर।
231.	,, कमरूदीन पिता मोहम्मअली ए.टी. नि. बोहरवाडी।
232.	,, मोहम्मदहुसैन पिता जीवनखां धोलीबावडी।
233.	,, इनायतअली पिता अकबर अली हिरणवाला बोहरवाड़ी।
234.	,, बख्तावरसिंह पिता देवीसिंह धाबाई नि. झिणीरेत।
235.	,, बिहारीलाल पिता पन्नालाल शर्मा नि. धानमंडी।
236.	,, असगरअली पिता उमरावअली नि. धोलीबावड़ी।
237.	,, नूरमोहम्मद पिता वजीरमोहम्मद नि. निवारबर मोहल्ला।
238.	,, भंवरलाल पिता भैरूलाल बोरवाल इन्सपेक्टर पुलिस।
239.	,, अहमद हुसैन पिता मोहम्मद बक्स बडी हवेली।
240.	,, करनीसिंह पिता भरतसिंह राणावत।
241.	,, लाला शुक्ललाल पिता रतनलाल नि. भोपालबाड़ी।
242.	,, ताजखां पिता इब्राहीमजी नि बस्तीराम की बाड़ी।
243.	,, मन्जरअहमद पिता कुंदाबक्स नि. वूहडयरों का मौहल्ला।
244.	,, योगेशचन्द्र पिता देवीलाल धाभाई धानमंडी।
245.	,, लक्ष्मीलाल पिता मोतीलाल नलवाया नि. धानमंडी।

1	2
246.	श्री कालूखां पिता इब्राहीम मंडीवाला नि. मोचीवाड़ा ।
247.	,, कन्हैयालाल पिता लक्ष्मीलाल नि. घोलीबावड़ी ।
248.	,, दिले खां पिता दिल अहमदखां नि. धानमंडी
249.	,, अली मोहम्मद पिता करीम मेवा करोलमंडी की नाल
250.	,, अहमदहुसैन पिता मोहम्मद बक्स नि. बड़ी होली
251.	,, फकरुद्दीन पिता नासीरअली बोहरा नि. बोहरबाड़ी
252.	,, मनोहरलाल पिता छगनलाल महाजन मीणापाड़ा
253.	,, गणेशलाल पिता छगनलाल तम्बोली नि. तीज का चौक
254.	,, चतरलाल पिता रतनलाल नि. मीणापाड़ा
255.	,, गुलामअब्बास पिता अल्लाबक्स नि. चौथापाड़ा
256.	,, अल्लारअहमद पिता मोहम्मद गुलाम नि. घोलीबावड़ी
257.	,, फकीर मोहम्मद पिता दिल मुराद नि. धानमंडी
258.	,, धनराज पिता फूलचन्द जैन नि. घोलीबावड़ी
259.	,, गिरधारीलाल पिता लक्ष्मीचन्द नि. मंडी
260.	,, महेन्द्र पिता दूलीचंद अग्रवाल नि. भिणीरेत
261.	,, सेमुअललाल पिता छोटेलाल रेलवे हास्पिटल
262.	,, हरिराम पिता ओमप्रकाश रेलवे कालोनी
263.	,, बी.एन. सरकार पिता एम.एन. सरकार राणाप्रताप नगर
264.	,, दिलीपसिंह पिता बहादुरसिंह झाला रेलवे कालोनी
265.	,, मुकटराम पिता गम्भीरलाल खेमपुरा शांतिनगर
266.	,, रूपशंकर पिता गुजरात नि. पुराना रेलवे स्टेशन
267.	खुदाबक्स पिता मोहम्मदबक्स मु. नि. सुन्दरबास
268.	,, छानू पिता खेमाजी ढागी नि. खेमपुरा
269.	,, नानाम पिता माना ,, ,,
270.	,, देवीसिंह नायक का नि. 77 स्टेशन प्रतापनगर
271.	,, मन्सूरखां पिता अहमदखां मुसलमान नि. सुन्दरबास
272.	,, हमखां पिता अकबरखां नि. रेलवे कालोनी
273.	,, लक्ष्मणसिंह पिता लालसिंह नि. खेमपुरा
274.	,, लक्ष्मीलाल पिता माधोलाल पुरोहित नि. रेलवे स्टेशन
275.	,, रामसिंह पिता प्रतापसिंह नि. रेलवे स्टेशन पुराना
276.	,, दीगम्बरसिंह पिता बादशाहसिंह नि. पुराना स्टेशन
277.	,, उषा पिता सरिया मीणा नि. खेमपुरा
278.	,, नवलसिंह पिता किशनसिंह नि. ,,
279.	,, भंवरलाल पिता किशनलाल सालवी नि. सुन्दरवास

(268)

1	2
280.	श्री गोपीलाल पिता तेजा हरिजन नि. खेमपुरा
281.	,, कन्हैयालाल पिता भवानीशंकर शर्मा नि. सुन्दरवास
282.	,, मांगीलाल नि. खेमपुरा
283.	,, रामचन्द्र पिता गोवर्धन मीणा नि. खेमपुरा
284.	,, बसन्तसिंह पिता हीरालाल चौधरी नि. खेमपुरा
285.	,, मोहम्मद इब्राहीम पिता मोहम्मद इस्माईल सा. आयड़
286.	,, भगतसिंह पिता हीरासिंह मनोसियां यूनिवरसीटी
287.	,, भंवरलाल पिता मोतीलाल नागदा नि. पायड़ा
288.	,, छोटूखां पिता रमनखां नि. पायडा
289.	,, तेजसिंह पिता भैरा राजपूत नि. पायडा
290.	,, उमरबहादुर पिता शिवबहादुरसिंह बोहरा गणेश
291.	,, किशनाराम पिता टेकचन्द सालवी नि. गणेश नगर
292.	,, दलपतराम पिता कुमन सिन्धी प्रतापनगर
293.	,, सच्चानन्द पिता लाकुमल ,, ,,
294.	,, अर्जुनसिंह पिता दलालसिंह शक्तावत
295.	,, लेबर आफिसर काटन मोल उदयपुर
296.	,, कृष्णमोहन सिंघल पिता बृजमोहन नि. प्रतापनगर
297.	,, अमरनाथ प्रतापनगर
298.	,, गंगाराम पिता भैराराम राजपूत नि. प्रतापनगर
299.	,, महेन्द्रसिंह पिता नरेशसिंह ,,
300.	,, ओमप्रकाश पिता सुन्दरसिंह ,, ,,
301.	,, राजेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह ,, ,,
302.	,, जोधा पिता दौला रेलपथ नि. कार्यालय
303.	,, नारायणलाल पिता गुलाबचन्द समीना
304.	,, लक्ष्मणसिंह पिता रामसिंह राजपूत नि. सबीभाटा
305.	,, भंवरसिंह पिता भैरुसिंह ,,
306.	,, कालूलाल पिता किशनलाल ब्रा. ,,
307.	,, आभूसिंह पिता मानसिंह राजपूत नि. समीन
308.	,, दुर्गाशंकर पिता देवीलाल ब्रा. नि. समीना टी
309.	,, भगवानलाल पिता हीरालाल नि. समीना
310.	,, देवाराम पिता पनीराम सुथार नि. समीना
311.	,, बेणीराम पुत्र नन्दराम ,,
312.	,, खुबीलाल पिता लालुजी ,,
313.	,, नेनचन्द्र पिता रूपचन्द्र श्री राजपनत

1	2		
314.	श्री गमेरलाल पिता पूनमचन्द महाजन नि. समीना		
315.	,, कासीगिरी पुत्र कमीला सवीना		
316.	,, किशनसिंह पिता जवानसिंह राजपूत नि. सवीना		
317.	,, शिवगिरी गरुबलदेवगिरी	सवीना	
318.	,, ओंकार पिता अम्बालाल राव	नि. सवीना	
319.	,, मिट्ठूराम पिता मोडीराम कलाल	नि. ,,	
320.	,, नारायणलाल पिता गुलाबचन्द	,,	
321.	,, लाला पिता कोका गमेती	,,	
322.	,, गुमाना पिता सावला गमेठी	,,	
323.	,, काला पिता ,,	,,	
324.	,, उधा पिता तेजा ,,	,,	
325.	,, निर्भराम पिता पृथ्वीराज सुथार	,,	
326.	,, शिगिरी पिता नर्बदा गिरी गोस्वामी		
327.	,, अमरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत नि. सवीना		
328.	,, छोगालाल पिता गणेशलाल महाजन नि. सवीना		
329.	,, मोपीलाल पिता उधा डांगी ,,	,,	
330.	,, मुरादखां पिता फैज मोहम्मदखां पठान .	,,	
331.	,, रणजीतसिंह पिता भवानीसिंह राठोड नि. हिरणमगरी		
332.	,, भंवरसिंह पिता शंकरसिंह राणावत	,,	,,
333.	,, शकूरअली पिता हनीफअली	,,	,,
324.	,, लालअली पिता नियाजअली	,,	,,
335.	,, नन्दलाल पिता धनलाल ब्रा. निवासी पानेरिया की मादड़ी		
336.	,, लालूराम पिता भैरूलाल ,,	,,	,,
337.	,, देवीलाल पिता जयचन्द ,,	,,	,,
338.	,, मोतीलाल पिता खेमराज ,,	,,	,,
339.	,, नन्दलाल पिता रूपा ,,	,,	,,
340.	,, भैरूलाल पिता तेजराम ,,	,,	,,
341.	,, लादुराम पिता चतुभुज नि०	,,	,,
342.	,, नन्दलाल पिता बावा ,,	,,	,,
343.	,, ,,	,,	,,
344.	,, नाथूलाल पिता भीमाराम मादड़ी		
345.	,, गंगाराम पिता गणेशलाल नि. मादड़ी		
346.	,, शिवलाल पिता मोडा गायरी नि. गायरियावास		
347.	,, देवीलाल पिता चतुरभुज ब्रा. मादड़ी		

(270)

1	2
348.	श्री मन्नालाल पिता हीरालाल पालीवाल नि. मादड़ी
349.	,, लालूराम पिता भंवरलाल मादडी
350.	,, भूरालाल पिता त्रिलोकचन्द ग्रा. मादडी
351.	,, मांगीलाल पिता हमरा गायरी नि० गायरीयावास
352.	,, ओंकारलाल पिता खूबीलाल मेनारिया पानेरियों की मादड़ी
353.	,, मोहनलाल पिता रतनलाल ,, ,, ,,
354.	,, लालूराम पिता खेमराम ग्रा० नि० ,, ,,
355.	,, गणपतलाल माथुर मेडिकल आफिसर अशोक नगर
356.	,, अम्बालाल मारू एक्सीयन भोपालपुरा
357.	,, एस० के० राणावत पिता लेट महाराज सरदारपुरा
358.	,, हिम्मतसिंह पिता गोविन्दसिंह नि० अशोकनगर
359.	,, भूपेन्द्र पिता महाराज करणसिंह नि० करणाली हाऊस
360.	,, भोपालसिंह पिता नारायणसिंह बी० एन कालेज
361.	,, नरेन्द्रसिंह पिता मेजर रामसिंह भोपालपुरा
362.	,, हरिशचन्द्र पिता शिवचन्द भाई नि० भोपालपुरा
363.	,, दीना भाई पिता गुलाबराम भोपालपुरा
364.	,, कैलाश स्वरूप पिता केदार स्वरूप नि० सुजानगढ़
365.	,, दीनदयाल मोरवल पिता धनपतराम कोरवाल नि० भोपालपुरा
366.	,, उम्मेदसिंह पिता जोरजु हिम्मतसिंह नि० ग्रायड
367.	,, उम्मेदसिंह सिसोदिया पायगुडडी
368.	,, भंवरसिंह चौधरी पिता चम्पालाल लायनमेल
369.	,, रघुवीरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह अशोकनगर
370.	,, कैपटीन गुलाबसिंह पिता राज भीमसिंह
371.	,, गुलाबसिंह पिता बीबीसी कान्त रेजिमेन्ट
372.	श्रीमती सतनाम मलिक पत्नि महेन्द्रसिंह मलिक भोपालपुरा.
373.	श्री मेजर गुलाबसिंह पिता राजमानसिंह अशोकनगर
374.	,, जोरासिंह पिता सरदार मगरसिंह सिल भूपालपुरा
375.	,, जनुलहप पिता अब्दुल गफूर सेक भूपालपुरा
376.	,, राजेन्द्रकुमार न्यायमूर्ति पिता रेव रत्न मूर्ति भूपालपुरा
377.	,, मानसिंह पिता ठाकुरसिंह भूपालपुरा
378.	,, गोपीकृष्ण पिता राधाकृष्ण परिहार अशोकनगर
379.	,, हिम्मतसिंह पिता मानसिंह उदयपुर सरदारपुरा
380	,, हुकमराज महता पिता अर्जुनराज भूपालपुरा
381.	,, अहम्मद इब्राहीम पिता महमूद ईस्माइल आयड

1	2
382.	श्री मनोहर श्याम नि० भूपालपुरा
383.	,, कालीदास पिता रूद्रा भूपालपुरा
384.	,, एम. एस. आनन्द भोपालपुरा
385.	,, करणराज पिता वेचराम शाह कोन्ट्रेक्टर
386.	,, मोहनसिंह पिता गोविन्दसिंह नि. रेजीडेन्सी रोड
387.	,, विजयसिंह पिता टोलालाल माथुर नि० उदयपुर
388.	,, हनुमान प्रसाद पिता रामकुमार अशोकनगर
389.	,, मेजर केसरसिंह पिता मोलादसिंह एन० सी० सी० ग्रुप
390.	,, सुरेन्द्रनाथ पिता हीराम जी रिटायर्ड सी. ओ. भूपालपुरा
391.	,, उदयभानसिंह पिता निर्भयसिंह सरदारपुरा
392.	,, निर्भयसिंह पिता अभयसिंह रेजीडेन्सी रोड
393.	,, नरेन्द्रभानसिंह पिता निर्भयसिंह ,,
394.	,, निर्भयसिंह पिता अभयसिंह ,,
395.	,, एल० जी० चटर्जी, शास्त्री सर्कल भूपालपुरा
396.	,, एस० जी० चटर्जी,
397.	,, विश्वास पिता एच० एल० विश्वासल नि० भूपालपुरा
398.	,, प्रीतमसिंह पिता जोरावरसिंह ,,
399.	,, पीडा विश्वास नि० बीएलएच विश्वास रेजीडेन्सी रोड
400.	,, बहादुर पिता ठाकुर राजबहादुरसिंह नि० भोपालपुरा
401.	,, दीनबन्धु पिता मोणा बक्स लालजी भूपालपुरा
402.	,, नरेन्द्र कुमारी पुत्री सोभागसिंह रेजीडेन्सी कालोनी
403.	,, तखतसिंह पिता मानसिंह अशोकनगर
404.	,, तसीर मोहम्मद पिता ईस्माईल नि० अलीपुरा
405.	,, गजेन्द्रसिंह पिता चन्द्रभानसिंह भूपालपुरा
406.	,, सुलतानखां पिता जमालखां भूपालपुरा
407.	,, अब्दुल हकीम पिता अली बक्स अलीपुरा
408.	,, बसन्तकुमार पिता दीना भाई भूपालपुरा
409.	,, कुन्दनलाल पुत्र प्यारेलाल भूपालपुरा
410.	,, हरनारायण ओझा पिता रामस्वरुप अशोकनगर
411.	,, कृष्णकान्त पिता रामस्वरुप सक्सेना अशोकनगर
412.	,, इमरारखां पिता बरकततुल्लाखां भूपालपुरा
413.	,, धर्मनारायण पांडे पिता भगवती लाल विकास अधिकारी
414.	,, बहादुरसिंह पिता मघसिंह भूपालपुरा
415.	,, नरेन्द्रसिंह भूपालपुरा

1	2
416.	श्री गोपालसिंह पिता मोडसिंह भूपालपुरा
417.	,, भंवरलाल पिता मोतीलाल ,,
418.	,, भजनलाल पिता बालचन्द
419.	,, बलवन्तसिंह पिता गोवर्धनसिंह अशोकनगर
420.	,, रमेशचन्द्र पिता श्यामलाल डी.एस.पी.
421.	,, अमरसिंह पिता जसवंतसिंह उप महानिरीक्षक
422.	,, शेरसिंह पिता चुन्नीलाल नि. भूपालपुरा
423.	,, केशरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
424.	,, भंवरलाल पिता चौथमल नि. भूपालपुरा
452.	,, कालूलाल पिता भंवर सिंह ,,
426.	, चिमनसिंह पिता हरीसिंह चुण्डावत भूपालपुरा
427.	,, पृथ्वीसिंह पिता भूरसिंह भूपालपुरा
428.	,, रामूसिंह नि. भूपालपुरा
429.	,, निर्भय सिंह ,,
430.	,, घासीराम पिता जगन्नाथ पालीवाल अलीपुरा
431.	,, अजमत सिंह पिता मोरयुमुख नि. अलीपुरा
432.	,, रियाज मोहम्मद पिता फैज मोहम्मद नि. अलीपुरा
433.	,, किशनलाल पिता अमराजी नि. अलीपुरा
434.	,, रसूल मोहम्मद पिता मोलाबख्श नि. अलीपुरा
435.	,, मोहम्मद पिता अकबर नि. अलीपुरा
436.	, रमजान खां पिता इसमाईल खां नि. अलीपुरा
437.	,, सैयद नैयर नि. अलीपुरा
438.	,, अमीर मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद नि. अलीपुरा
439.	,, गोपीलाल पिता रामनाथ टांक कृष्णपुरा
440.	,, दुर्गाशंकर पिता छोटेलाल नि. ,,
441.	,, शरदराव पिता रामचन्द्र नि. ,,
442.	,, हीतकुमार पिता हरी
443.	,, गणपतसिंह पिता सावणसिंह चौहान नि. सरदारपुरा
444.	,, मानसिंह नि. सरदारपुरा
445.	,, शिवसिंह पिता पहाड़सिंह राजपूत नि. सरदारपुरा
446.	,, महाराज हरीसिंह करजाली हाऊस
447.	,, लालसिंह पिता प्रतापसिंह नि. सरदारपुरा
448.	,, लालसिंह पिता अभयसिंह
449.	,, निभयसिंह पिता मदनसिंह रेजीडेन्सी

1	2
450.	श्री प्रेमसिंह पिता हमेरसिंह, सरदारपुरा
451.	,, प्यारेलाल पिता रमनलाल
452.	,, पुरणलाल पिता ढालचन्द
453.	,, के.डी. पिता थोमस अशोक नगर
454	,, महावीर पिता राव बहादुर अशोक नगर
455.	,, रमेश पिता लक्ष्मीचन्द अशोक नगर
456.	,, गिरधारी पिता चन्दमल बिलोचिस्तान कालोनी
457.	,, अब्दुल हकीम पिता हाजी अब्दुलकरीम अलका होटल
458.	,, मकरालाल पिता लादुलाल नि. शक्तिनगर
460.	,, फतेह मोहम्मद पिता अलाबक्श छींपा नि. आयड़
461.	,, मोहम्मद बक्स पिता राजमोहम्मद नि. आयड़
462.	,, श्यामलाल पिता जीतमल आयड
463.	,, आत्माराम पिता अर्मी आयड
464.	,, अब्दुल हमीद पिता इसमायल अली छीपा
465.	,, खूमानसिंह पिता हजारीसिंह
466.	,, रमा पिता वरधा डांगी नि. आयड
467.	,, देवीलाल पिता छगनलाल चौधरी
468.	,, मोहम्मद पिता हबीब आयड
469.	,, प्रहलादचन्द पिता भगवानलाल नि. आयड
470.	,, दिनेशचन्द्र पिता मानलाल आयड.
471.	,, नानूराम पिता कुबीराम नि. सबरी कालोनी
472.	,, दुर्गाप्रसाद पिता रतनलाल नि. आयड़
473.	,, देवीसिंह पिता लालसिंह राजपूत बी.एन. कालेज
474.	,, पूर्णालाल पिता डालचन्द हरिजन ,,
475.	,, योगेश चन्द्र पिता रामचन्द्र कुम्हारों का भट्टा
476.	,, यशवन्तलाल कुम्हारों का भट्टा
477.	,, भगवन्तसिंह पिता नानूसिंह नि. हरणमगरी
478.	,, भंवरलाल पिता गिरधारीलाल राजपूत भटयानी चौहटा
479.	,, जीवणसिंह पिता कालूलाल मोती चौहटा
480.	,, वीरेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह राठौड़ राज. बैंक के पास
481.	,, खजानसिंह पिता सरदार ईश्वरसिंह सिख कालोनी
482.	,, इन्द्रसिंह पिता रावलसिंह मेहता मोती चौहटा
483.	,, करणराजसिंह पिता नारायणसिंह रावत बोयडाकी हवेली
484.	,, दोलतसिंह पिता दीपसिंह एम.बी.सी.

(274)

1	2
485.	श्री जगदीशचन्द्र पिता रघुनाथ अग्रवाल सूरजपोल
486.	,, महेशचन्द्र पिता आर. एन. शर्मा ब्रह्मपुरी।
487.	,, हरिश्चन्द्र पिता आर. एन. शर्मा।
488.	,, जोगेन्द्रसिंह पिता अंकुरसिंह सिख प्रताप इंजीनियरी।
489.	,, दोलतराम पिता सुखदेव धाभाई खेरादीवाड़ा।
490.	,, अमरजीतसिंह पिता सरदारसिंह नि. ठक्कर बाबा कालोनी।
491.	,, लक्ष्मणसिंह पिता करतारसिंह नि. कुठेव हाल रावजी हाटा।
492.	,, मोहनसिंह पिता मेघसिंह राजपूत नि. मेडता।
493.	,, चरणसिंह पिता ईश्वरसिंह सिख कालोनी।
494.	,, शम्भुसिंह पिता प्रतापसिंह कालाजी गोराजी।
495.	,, दीपकसिंह पिता प्रतापसिंह नि० शिवाजीनगर।
496.	,, हयादखां पिता जमानखां अमलकांटा।
497.	,, खुमानसिंह पिता किशनसिंह श्री नाथजी का मन्दिर।
498.	,, मुस्ताक अहमद पिता अब्दुलखां पठान खाजी पीर उदयपुर।
499.	,, जितेन्द्रनाथ पिता महेशनाथ कालाजी गोराजी।
500.	,, गजेन्द्रकुमार पिता माधवलाल अग्रवाल उग्रसेननगर।
501.	,, रघुराज पिता नारायणसिंह नि० बोहेडा हवेली।
502.	,, दरबारसिंह पिता सरदार ईश्वरसिंह सिख कोलोनी।
503.	,, महावीरसिंह पिता नारायणसिंह नि० बोहेडा।
504.	,, कोशलदास पिता दूरीचन्द फटा दरवाजा उदयपुर।
505.	,, प्रतापसिंह पिता माधवसिंह महता सूरजपोल।
506.	,, सरदार गुरमुखसिंह पिता खोगनसिंह प्रोपराईटर भारत मोटर स्टोर्स।
507.	,, फकीर मोहम्मद पिता सुल्तान मोहम्मद खेरादीवाडा।
508.	,, हरलाल पिता राधाकिशन नि० कानजी का घाटा।
509.	,, नरेन्द्रसिंह भोपालगढ़ हाल भगवतप्रकाश उदयपुर।
510.	,, भंवरलाल पिता देवीनारायण नि० भटीयाणी चोहटा।
511.	,, बगवारलाल पिता छगनलाल कमला फार्मेसी।
512.	,, मोहनलाल पिता चुन्नीलाल नि० खेरादीवाड़ा।
513.	,, पन्नालाल पिता हीरालाल मासानी।
514.	,, महाराज जगतसिंह बडी सादडी हाल घासघर।
515.	,, प्यारेलाल पिता मगनलाल शर्मा नि० भटीयाणी चोहटा।
516.	,, रामसिंह पिता लक्ष्मणसिंह भटीयाणी चौहटा।
517.	,, भोपालसिंह पिता अंकित नहीं है।
518.	,, नायर ए. के. कपूर पिता गणेशदास कपूर।
519.	,, मांगेलाल पिता अम्बालाल शर्मा।
520.	,, नानालाल पिता फोरमा।
521.	,, विक्रमसिंह पिता अर्जुनसिंह रंगीनवास पेलेस।

अतारांकित प्रश्न सं० 24 की सूची बिना लाईसेन्स के हथियार जो साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस द्वारा बरामद किये गये

क्रम संख्या	नाम पता जिनसे अवैध हथियार बरामद किये गये	नाम हथियार
1.	श्री मोहम्मद खां पुत्र फतेह खां. नि. केलवा हाउस, उदयपुर थाना घण्टाघर, उदयपुर।	टोपीदार बंदूक
2.	श्री नुन्नूखां पुत्र फतेहमोहम्मद मु. नि. ईमलीघाट थाना घंटाघर उदयपुर।	22 बोर बंदूक
3.	खलील हुसेन पिता अल्लाहबक्स मु. नि. माहवतवाडी थाना घंटाघर, उदयपुर।	चाकू 22" लंबा
4.	श्री सोमु उर्फ गुरुबक्ससिंह पुत्र लखासिंह सरदार नि. थाना अम्बामाता, उदयपुर।	दो तलवार एवम 1 चाकू
5.	श्री आनन्दीलाल पुत्र श्री वसन्तीलाल शर्मा नि. रंगनिवास थाना सूरजपोल, उदयपुर।	तलवार
6.	मोहम्मद रफी पुत्र श्री ताजमोहम्मद मु. नि. खेराडीवाड़ा थाना सूरजपोल, उदयपुर।	गुप्ती
7.	श्री मगनलाल पुत्र मनोहरलाल अग्रवाल नि. सूरजपोल थाना सूरजपोल, उदयपुर।	नाजायज कारतूस

276

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का विवरण)

राहत कार्यों हेतु केन्द्रीय सरकार से मांगी गई सहायता एवं केन्द्र द्वारा तय की गई व्यय सीमा का विवरण

(राशि लाख रु० में)

क्र सं.	अवधि	मांग की राशि	केन्द्र द्वारा व्यय की तय की गई सीमा
	1980-81		
1.	(अप्रेल 80 से सितम्बर, 80)	2700-00	750-00
2.	अक्टूबर, 80 से मार्च 81	4300-00	1200-00
	1981-82		
3.	अप्रेल, 81 से सितम्बर, 81	12600-00	3478-00
4.	अक्टूबर, 81 से मार्च, 82	6440-00	2380-00
	1982-83		
5.	अप्रैल, 82 से सितम्बर, 82	14700-00	2723-00
6.	अक्टूबर, 82 से मार्च, 83	5000-00	1187-50

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का विवरण)

वर्ष 83–84 में चित्तौड़गढ़ जिले में मुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	नाम बंधक श्रमिक पिता का नाम गांव व आयु	बंधक रखने वाले का नाम तथा निवास
1	2	3
1.	श्री भारत पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी निनोर आयु 18 वर्ष	श्री रघुनाथ पुत्र नन्दा नाई निवासी निनोर
2.	,, गोर्धन पुत्र बगदीराम मीणा निवासी निनोर, आयु 20 वर्ष	
3.	,, ऊंकारसिंह पुत्र श्रीरामसिंह, राजपूत बोरदिया, आयु 46 वर्ष	,, नारायणसिंह पुत्र विजयसिंह ग्राम बोरदिया
4.	,, आशाराम पुत्र श्री रतन मीणा, निनोर आयु 19 वर्ष	,, लक्ष्मणसिंह, निवासी निनोर
5.	,, भैरू पुत्र कला मीणा बोरदिया आयु 8 वर्ष	,, महावीरसिंह, निवासी बोरदिया
6.	,, खातू पुत्र कारू बोरदिया आयु 20 वर्ष	,, रूपसिंह मोहनसिंह, निवासी बोरदिया
7.	,, अमरू पुत्र मोती मीणा लखारिया आयु 20 वर्ष	,, प्रहलाद सिंह, निवासी लखारिया
8.	,, शम्भू पुत्र रतन मीणा, निनोर आयु 21 वर्ष	,, नन्दू पुत्र भूरा, निवासी निनोर
9.	,, रतना पुत्र जगन्नाथ मीणा, बोरदिया आयु 25 वर्ष	,, शेरसिंह पुत्र गुजरसिंह, निवासी बोरदिया
10.	,, रतन पुत्र तुलसीराम बलाई निवासी बोरदिया आयु 40 वर्ष	,, आनन्दसिंह पुत्र किशोरसिंह, निवासी बोरदिया
11.	,, बालूसिंह पिता हरिसिंह निवासी बोरदिया आयु 40 वर्ष	,, नाहरसिंह राजपूत, निवासी बोरदिया
12.	,, पूना पुत्र श्री ला बलाई निवासी दूधवास आयु 45 वर्ष	,, रूपसिंह पुत्र नाहरसिंह, निवासी कुथावास
13.	,, किशूराम पुत्र दादू भील निवासी बोरदिया आयु 45 वर्ष	,, नटवरसिंह, निवासी बोरदिया
14.	,, भवर पुत्र धन्ना मोगिया, निवासी निनोर आयु 35 वर्ष	,, भैरूलाल, निवासी निनोर
15.	,, मोहन पुत्र रतन मोगिया निवासी निनोर आयु 45 वर्ष	,, लाल पुत्र भागीरथ, निवासी निनोर
16.	,, खेम जी पुत्र गज्जा जी निवासी निनोर आयु	,, तेजसिंह निवासी निनोर

278

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची)

हैण्ड पम्प वर्षवार

क्र.सं.	गांव का नाम	1980-81 व उससे पूर्व			1981-82			1982-83			1983-84			कुल खोदे	कुल असफल
		कुल खोदे	असफल	स्थानापन्न वर्ष	कुल खोदे	असफल	स्थानापन्न वर्ष	कुल खोदे	असफल	स्थानापन्न वर्ष	कुल खोदे	असफल	स्थानापन्न वर्ष		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	सिवेरा	5	1	80-81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
2.	केशवगंज	—	—	—	2	—	81-82	—	—	—	—	—	—	2	—
3.	मुरी	—	—	—	—	—	—	3	2	82-83	—	—	—	3	2
4.	केरलापादर	—	—	—	2	—	81-82	—	—	—	—	—	—	2	—
5.	राजपुरा	—	—	—	—	—	—	2	—	82-83	—	—	—	2	—
6.	उन्दरा	—	—	—	—	—	—	1	—	82-83	—	—	—	2	1
7.	आमली	—	—	—	10	1	81-82	—	—	—	—	—	—	10	1
8.	ठडी वेरी	—	—	—	5	—	81-82	—	—	—	—	—	—	5	—

9. मालप	–	–	–	3	–	81–82	–	–	–	–	–	–	3	–
10. सादलवा	3	–	80–81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
11. बरली	–	–	–	3	–	81–82	–	–	–	–	–	–	3	–
12. कुण्डल	–	–	–	2	–	81–82	–	–	–	–	–	–	2	–
13. सावेला	–	–	–	3	2	81–82	–	–	–	–	–	–	3	2
14. डांगा	2	–	80–81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
15. कालूम्बरी	–	–	–	2	–	81–82	–	–	–	1	–	83–84	3	–
16. बागदडी	–	–	–	2	–	81–82	–	–	–	–	–	–	2	–
17. मोरस	–	–	–	10	2	81–82	–	–	–	–	–	–	10	2
18. मालेरा	4	1	80–81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1
19. घरट	–	–	–	5	–	81–82	–	–	–	–	–	–	5	–
20. नयावास	–	–	–	3	1	81–82	–	–	–	–	–	–	3	1
21. पहाडकला	–	–	–	2	–	81–82	–	–	–	–	–	–	2	–
22. मडिया	–	–	–	3	1	81–82	–	–	–	–	–	–	3	1
23. वीरवाड़ा	–	–	–	–	–	–	2	–	82–83	4	–	83–84	6	–
24. परलाई	–	–	–	2	–	81–82	–	–	–	–	–	–	2	–
25. कोटरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	83–84	2	–
26. नया सानवाड़ा	–	–	–	–	–	–	4	–	82–83	–	–	–	4	–
27. जूना सानवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	83–84	1	–
28. विरोली	–	–	–	4	1	81–82	–	–	–	–	–	–	4	1
29. खेड़ी गेगरवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	83–84	1	–
30. शिवगढ़	8	3	80–81	–	–	–	–	–	–	1	–	83–84	9	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31. कोजरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	83-84	2	1
32. जिया पुरा	—	—	—	2	—	81-82	—	—	—	—	—	—	2	—
33. जनापुर	—	—	—	—	—	—	4	1	82-83	3	—	83-84	7	1
34. झान्कर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	83-84	2	1
35. फुलेरा	—	—	—	2	—	81-82	—	—	—	1	—	—	3	—
36. धानपुरा	—	—	—	2	1	81-82	—	—	—	—	—	—	2	1
37. पेशुवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	83-84	4	1
38. डुंगरी	—	—	—	—	—	—	2	—	82-82	1	—	83-34	3	5
39. बनास	—	—	—	2	—	81-82	—	—	—	—	—	—	2	—
40. रामपुरा	—	—	—	—	—	—	2	1	82-83	1	—	83-84	3	1
41. रिछडी	—	—	—	2	—	81-82	—	—	—	—	—	—	2	—
42. गोडियावा	—	—	—	—	—	—	1	—	82-83	—	—	—	1	
43. चवरली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	83-84	1	—
44. कोदरला	—	—	—	—	—	—	2	—	82-33	1	—	83-84	3	—
45. तेलपुर	—	—	—	—	—	—	5	2	82-83	—	—	—	5	2
46. आरासना	—	—	—	4	3	81-82	—	—	—	1	1	—	5	4
47. डिगंर	—	—	—	—	—	—	3	—	82-83	—	—	—	3	—
48. लोटाना	—	—	—	—	—	—	3	—	82-83	—	—	—	3	—
49. कालाबोर	—	—	—	2	—	81-82	—	—	—	—	—		2	—
50. आपरी खोडा	—	—	—	—	—	—	2	—	82-83	1	1	—	3	1

51. बसन्तगढ़	—	—	—	—	—	—	7	1	82–83	1	—	—	8	1
52. झाडोली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	83–84	4	—
53. अजाडी	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	4	2	83–84	6	2
54. कान्टल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	83–84	2	—
55. भावरी	—	—	—	—	—	—	6	—	82–83	5	2	83–84	10	2
56. प्रातुम्बरी	—	—	—	—	—	—	1	—	82–83	—	—	—	1	—
57. वासा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	83–84	4	1
58. बालोरिया	—	—	—	10	1	81–82	1	—	82–83	—	—	—	1	1
59. नानखाड़ा	—	—	—	—	—	—	1	—	82–83	1	—	83–84	2	—
60. नितोड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	82–83	4	—	83–84	4	—
61. खाखर खाड़ा	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3	1	83–84	3	1
62. तरवी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	83–84	2	—
63. नादिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	83–84	3	—
64. धनारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	83–84	3	1
65. माण्डवाडा	—	—	—	—	—	—	1	—	82–83	1	—	—	2	—
66. इचरा	—	—	—	—	—	—	7	1	82–83	—	—	—	7	1
67. केर	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	1	—	83–84	3	—
68. चुरलीखेड़ा	—	—	—	2	—	81–82	—	—	—	—	—	—	2	—
69. उबेर	—	—	—	1	—	81–82	—	—	—	—	—		1 ह	—
70. खोखरा खेड़ा	—	—	—	2	—	81–82	—	—	—	1	—	—	3	—
71. बरकी खेडा	—	—	—	2	—	81–82	—	—	—	—	—	—	2	—
72. काछोली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	83–84	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73.	पुलबाई खेडा	–	–	–	3	–	81–82	–	–	–	1	–	–	4	–
74.	भारजा	–	–	–	–	–	–	2	–	82–83	6	2	83–84	8	2
75.	पंच देवल	–	–	–	8	–	81–82	–	–	–	–	–	–	8	–
76.	अचपुरा	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	1	–	6	1
77.	कोटडो	–	–	–	2	–	81–82	–	–	–	–	–	–	2	–
78.	नागपुरा	–	–	–	8	1	81–82	–	–	–	–	–	–	8	1
79.	कासीन्द्रा	–	–	–	3	1	81–82	–	–	–	1	–	83–84	4	1
80.	भीमाना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	83–84	4	–
81.	सागवाड़ा	–	–	–	–	–	–	2	–	82–83	–	–	–	2	–
82.	उडवारिया	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	83–84	3	–
83.	मूला	–	–	–	5	1	81–82	2	–	82–83	–	–	–	7	1
84.	रोहिड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	83–84	6	2
85.	वाटेरा	–	–	–	–	–	–	3	2	83–84	1	–	–	6	2
86.	नाण्डवाड़ा	–	–	–	2	–	81–83	–	–	–	1	–	–	3	–
87.	पीतारीपादर	–	–	–	3	–	81–82	–	–	–	–	–	–	3	–
88.	तानवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	83–84	3	–
89.	वोर उमरी	–	–	–	–	–	–	2	–	82–83	–	–	–	2	–
90.	नयावास वाला	–	–	–	2	1	81–82	–	–	–	–	–	–	2	1
91.	सदाफ्ली	2	–	80–81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
92.	खेमली	–	–	–	–	–	–	2	–	82–83	–	–	–	2	–

93. नगवास देव	—	—	—	—	—	—	1	—	82–83	—	—	—	1	—
94. केदार का मादर	—	—	—	2	—	81–82	—	—	—	—	—	—	2	—
95. तारतोली	—	—	—	—	—	—	4	—	82–83	—	—	—	4	—
96. देलदर	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	2	—	—	4	—
97. डेरना	—	—	80–81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
98. टूका	2	—	80–81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
99. ओड़	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	—	—	—	2	—
100. सांधवा	—	—	—	2	—	81–82	—	—	—	—	—	—	2	—
101. मोरथता	5	2	80–81	—	—	—	—	—	—	2	2	—	7	4
102. सूरपगता	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	2	—	—	4	—
103. डेरी	—	—	—	2	1	81–82	—	—	—	—	—	—	2	1
104. जम्बड़ी	—	—	—	1	—	81–82	—	—	—	1	1	83–84	2	1
105. तखेटी	—	—	—	—	—	—	5	1	82–83	1	1	—	6	2
106. किवरती	—	—	—	—	—	—	1	—	82–83	3	1	83–84	4	1
107. आमथता	—	—	—	—	—	—	1	—	82–83	—	—	—	1	—
108. क्यारा	—	—	—	—	—	—	3	1	82–83	—	—	—	3	1
109. मुदरता	—	—	—	—	—	—	5	—	82–83	—	—	—	5	—
110. मोरिया	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	—	—	—	2	—
111. जवाई	—	—	—	—	—	—	1	—	82–83	—	—	—	1	—
112. अचलगढ़	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	—	—	—	2	—
113. आरना	2	—	80–81	—	—	—	—	—	—	1	—	83–84	3	1
114. उतरज	—	—	—	—	—	—	1	—	82–83	—	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115.	उपतागढ़	—	—	—	2	—	81–82	—	—	—	—	—	—	2	—
116.	निवतीवोर	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	—	—	—	2	—
117.	जयादरा	—	—	—	—	—	—	3	—	82–83	—	—	—	3	—
118.	क्यारी	2	1	80–81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
119.	निचतागढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	83-84	3	—
120.	पाया	—	—	—	3	—	81–82	—	—	—	2	—	—	5	—
121.	वारीचूघ	—	—	—	4	1	81–82	—	—	—	—	—	—	4	1
122.	दोयतरा	—	—	—	4	—	81–82	—	—	—	—	—	—	4	—
123.	निचता खेजड़ा	3	1	80–81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
124.	उपला खेजड़ा	—		—	3	—	81–82	—	—	—	—	—	—	3	—
125.	रानोड़ा	—	—	—	—	—	—	2	—	82–83	—	—	—	2	—

नोट :—सभी हैण्डपम्पस का पानी पीने योग्य है ।

प्रश्न के भाग 2 की सूची

9 मई, 1983 से जून, 1983 तक सिरोही जिले में खोदे गये हैण्ड पम्प का स्थान व दिनांक की सूची

क्र. सं.	गांव/शहर का नाम	हैण्ड पम्प्स की संख्या	खोदने का दिनांक
1	2	3	4
1.	वीरवाडा	4	(1) 7.5 83 से 9.5.83 (2) 25.5.83. (3 26.5.83 (4) 4.6.83
2.	रामपुरा	1	4.6.83
3	भारदा	2	27.5.83. 29.5.83
4.	सनवाडा	2	(1) 0.5.83 से 9.5.83 (2) 2.6.83
5.	कोछोली	2	(1) 2.6.83 (2) 2.6.83
6.	भीमाना	1	11.5.83 से 13.5.83
7.	अचपुरा	2	2.6.83. 3.6.83 से 0.6.83
8.	लाखरवाडा	1	5.6.83 से 7.6.83
9.	दासा	1	2.6 83, 20.5.83, 31.5.83 11.5.83
10.	रोहिडा	4	2.6.83 से 2.6.83, 29.5.83, 31.5.83; 31.5.83
11.	कासीन्द्रा	1	13.5.83 से 14.5.83
12.	वसन्तगढ	1	15.5.83 से 16.5.83
13.	किवरली	2	17.5. 83 से 10.5.83 25.5.83 से 20.5.83
14.	निचलागढ़	1	20.5.83
15.	कोटडा	2	21.5.83 से 26.5.83 24.5.83से 27.5.83
16.	कान्टल	2	20.5.83 से 29.5.83 29.5.83 से 30.5.83
17.	खोखरीखोडा	1	30.5.83 से 11.5.83
18.	केर	1	14.5.83 से 15.5.83
19.	केर माण्डवाडा	1	3.6.83
20.	पावा	2	22.5.83 से 23.5.83
21.	झाडोली	4	24.5.83. 24.5.83, 25.5.83 2.6.83 से 3.6.83

(286)

1	2	3	4
22.	ग़ानपुर	1	28.5.83 से 30.5.83
23.	भावरी	5	30.5.83 से 27.5.83,6.5.83
24.	आरासना	1	11.5.83
25.	पेशुवा	4	26.5.83, 27.5.83
26.	फुलेरा	2	29.5.83
27.	भान्कर	2	30.5.83 31.6.83
28.	मोरथला	2	25.5.83
29.	जूना सानवाडा	1	1.6.83
30.	कोजरा	2	31.5.83 से 2.6.83
31.	तरुणी	2	30.5.83, 31.5.83
32.	मोरील	2	21.5.83, 20.5.83
33.	धनारी	3	20.5.83, 30.5.83, 6.6.83
34.	नादिया	3	2.6.84 से 3.6.83
35.	वाटेरा	1	4.6.83
36.	अजाडी	4	3.6.83. 3.6.83, 9.6.83
37.	कालुम्बरी	1	6.6.83
38.	जाम्बूडी	1	21.5.83
39.	केर मान्डवाडा	1	3.6.83
40.	सुरपगला	2	6.6.83
41.	शिवगढ	1	3.6.83
42.	फुलाबाई खेडा	1	4.6.83
43.	खेडी गोगरवा	1	4.6.83
44.	उडवारिया	1	3.6.83 से 5.5.83
45.	जनापुरा	3	1.6.83, 2.6.83 3.6.83
46.	नितोडा	4	4.6.83, 5.6.03
47.	उन्दरा	1	2.6.83
48.	आपरी खेडा	1	2.6.83
49.	तलेटी	1	6.6.83
50.	आबूरोड़	21	13.5.83 से 5.6.83
51.	आबू पर्वत	6	27.5.83. 29.5.83
52.	पिन्डवाडा	1	4.6.83
		123	

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूचना)

प्रश्न के भाग एक की तालिका

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	हैंण्डपम्प खोदने की अवधि (1-1-83 से 31-8-83)
1	2	3	4	5
1.	राजपुरा खेडा	56	सिरोही	माह 2/83
2.	गोल	7	सिरोही	3/83
3.	नादिया	28	पिण्डवाड़ा	6/83
4.	छीपा बेरी (आला)	9	आबूरोड़	4/83
5.	वासा	61	पिण्डवाड़ा	4/83, 5/83, 6/83
6.	दातानी	100	रेवदर	4/83, 5/83
7.	भारजा	79	पिण्डवाड़ा	5/83, 6/83
8.	सनपुर	78	सिरोही	2/83
9.	चंद्रावती	36	आबूरोड़	2/83
10.	वटेरा	82	पिण्डवाड़ा	6/83
11.	बरलूट	13	सिरोही	3/83
12.	मूंगथला	21	आबूरोड़	5/83
13.	वाहन	15	रेवदर	2/83
14.	भावरी	85	पिण्डवाड़ा	5/83, 6/83
15.	रामपुरा	59	पिण्डवाड़ा	5/83, 6/83
16.	लिलौरा	94	रेवदर	3/83
17.	किवरली	14	आबूरोड़	6/83
18.	वादरू खेड़ा	20	रेवदर	2/83
19.	काछोली	70	पिण्डवाड़ा	4/83, 6/83
20.	सुरवगला	68	आबूरोड़	6/83
21.	झाडोली	15	पिंडवाड़ा	4/83, 6/83
22.	आंवल	54	आबूरोड़	4/83
23.	वीरवाड़ा	13	पिण्डवाड़ा	3/83, 5/83, 6/83
24.	जाम्बूड़ी	76	आबूरोड़	6/83
25.	असावा	80	रेवदर	3/83
26.	सनवाड़ा	77	पिण्डवाड़ा	4/83, 5/83, 6/83
27.	कोटड़ा	8	पिण्डवाड़ा	5/83

1	2	3	4	5
28.	अजारी	46	पिण्डवाड़ा	6/83
29.	हनुमन्तिया	13	रेवदर	2/ 83
30.	सांतपुर	50	आबूरोड़	4/ 83
31.	रोहिड़ा	86	पिण्डवाड़ा	4,/ 83,5/83,6/83
32.	फालूम्बरी	25	पिण्डवाड़ा	6/ 83
33.	सिगरली खेड़ा	24	रेवदर	2/ 83
34.	शिवगढ़	42	पिण्डवाड़ा	6/ 83
35.	निचलागढ़	44	आबूरोड़	4/83,5/83
36.	फूनाबाई का खेड़ा	71	पिण्डवाड़ा	6/83
37.	पेशुआ	64	पिण्डवाड़ा	5/83,
38.	फुलेरा	41	पिण्डवाड़ा	5/83
39.	अखापुरा युनी	40	शिवगंज	2/83,6/83
40.	भाण्डवारा	88	पिण्डवाड़ा	6/ 83
41.	बेरा बिलपुर	64	शिवगंज	2/ 83,3/83
42.	खेड़ी जोगरवा	1	पिण्डवाड़ा	6/83
43.	दैलदर	36	आबूरोड़	6/83
44.	झांकर	69	पिण्डवाड़ा	5/ 83
45.	भीमाना	81	पिण्डवाडा	4/83,5/83,6/83
46.	मोरथला	33	आबूरोड़	5/83,6/83
47.	उडवारिया	83	पिण्डवाड़ा	6/83
48.	जूनासानवाड़ा	9	पिण्डवाड़ा	5/83
49.	नानगवाड़ा	68	पिण्डवाड़ा	4/83,6/ 83
50.	सुथारों का गुडा	34	शिवगंज	2/83
51.	अचपुरा	77	पिण्डवाड़ा	4/83,6/83
52.	कोचरा	44	पिण्डवाड़ा	5/83
53.	जनापर	26	पिण्डवाड़ा	6/83
54.	तरूंगी	80	पिण्डवाड़ा	5/83,6/83
55.	पंचदेवल	7	रेवदर	4/83
56.	नितोड़ा	67	पिण्डवाड़ा	6/83
57.	मोरोन	90	रेवदर	5/ 83
58.	पामेरा	14	रेवदर	4/83
59.	धनारी	66	पिण्डवाड़ा	5/83,6/ 83
60.	तलेटी	81	आबूरोड़	6/ 83
61.	उन्दरा	7	पिण्डवाड़ा	6/83

1	2	4		5
62.	कोदरला	65	पिण्डवाड़ा	3/83, 5/83
63.	केर माण्डवाडा	38	पिण्डवाड़ा	5/83
64.	पावा	48	आबूरोड़	5/83
65.	मण्डार	74	रेवदर	4/83
66.	कासीन्द्रा	70	पिण्डवाड़ा	5/83
67.	आपरीखेड़ा	39	पिण्डवाड़ा	5/83
68.	क्विरली	14	आबूरोड़	5/83
69.	वसंतगढ़	50	पिण्डवाड़ा	5/83
70.	डूंगरी	60	पिण्डवाड़ा	5/83
71.	मानपरा	31	आबूरोड़	5/83
72.	अराधना	12	पिण्डवाड़ा	5/83
73.	जमोतरा	5	सिरोही	3/83
74.	डोकरा	23	रेवदर	3/83
75.	जोलपर	33	रेवदर	3/83
76.	पिम्बज	4	रेवदर	4/83
77.	रामपरा पिलोसी	83	रेवदर	3/83
78.	कालुम्बरी	84	पिण्डवाड़ा	3/83
79.	नागानी	12	रेवदर	3/83, 4/83
80.	डेरली	111	रेवदर	3/83
81.	सवरली	45	पिण्डवाड़ा	4/83
82.	कान्टल	47	,,	5/83
83.	मकावल	105	रेवदर	4/83
84.	नवावास	46	शिवगंज	3/83
85.	कुमा खोड़ा	88	सिरोही	3/83
86.	खोखरी खोड़ा	37	पिण्डवाड़ा	5/83
87.	धोलपरा	93	रेवदर	4/83
88.	थान	9	,,	4/83
89.	अवाडा	70	,,	4/83
90.	वान्टी	69	,,	3/83
91.	नानखेड़ा	60	पिण्डवाड़ा	4/83
92.	थल	63	रेवदर	3/83
93.	मलावा	37	,,	3/83

प्रश्न के भाग तीन की तालिका

क्र.सं. मशीन नं.	प्रत्येक माह के दिन				
	फरवरी, 83	मार्च, 83	अप्रेल, 83	मई, 83	जून, 83
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1–ए. टी. 31	19	31	22	31	6
2–एच. वी. 2	9	9	–	–	–
3–ए. टी. 37	–	–	10	11	4
4–ए. टी. 40	–	–	16	20	6
5–एच. टी. 1	–	–	–	10	5
6–एच. टी. 7	–	–	–	8	5
7–ए. टी. 8	–	–	–	6	6
8–ए. टी. 18	–	–	–	9	5
9–ए. टी. 14	–	–	–	6	9
10–ए. टी. 17	–	–	–	8	7
11–ए. टी. 23	–	–	–	8	–
12–ए. टी. 29	–	–	–	5	–
13–ए. टी. 43	–	–	–	9	17
14–हेल्को मास्ट–11	–	–	–	2	5
15–ए. टी. 19	–	–	–	–	5
16–ए. टी. 34	–	–	–	–	6
17–ए. टी. 11	–	–	–	–	4
18–ए. टी. 16	–	–	–	–	5
19–ए. टी. 30	–	–	–	–	4
20–ए. टी. 32	–	–	–	–	5
21–जी. डब्लू. डी–टी	–	–	–	4	6
22–जी. डब्लू. डी. एल. टी. 500	–	–	–	4	6
23–जी. डब्लू. डी. एल. टी. 1500	–	22	30	31	28
24–हैल्को मास्ट–1	–	–	–	–	5

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूचना)

क.सं.	योजना का नाम व प्रकार	गांव का नाम	कोड नं.	स्वीकृत वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
		तहसील बामनवास.			
1.	पम्प एवं टैंक योजना सीतोड	सीतोड	75	1981–82	—
2.	पम्प एवं टैंक योजना अमरखां डूगरपट्टी	अमरखां डूगरपट्टी	1	1982–83	—
3.	पम्प एवं टैंक योजना सुकार	सुकार	9	1982–83	जिला परिषद् द्वारा अनुमोदित
4.	क्षेत्रीय जल योजना बानोर प्रथम	1. बानोर	24	1981–82	,,
		2. टोडा	25		,,
		3. वडीला	51		,,
		4. दातासूती	52		,,
		5. रानीला	54		,,
		6. झाडोली	56		,,
		7. बाढ़ झाडोली	57		,,
		8. सफीपुरा	63		,,
5.	,, बानोर फेज, द्वितीय	1. श्यामपुरा	33	1982–83	—
		2. कीरतीपुरा	49		—
		3. गन्डाल	59		—
		4. बंधावल	62		—
		3. राधेकी	64		—
		6. नागतली	65		—
6.	,, सीतापुर रामजानीपुरा	1. कांचरहेड़ा	45	1982–83	—
		2. सीतापुर	44		—
		3. नागरहेड़ा	79		—
		4. रामजानीपुरा	85		—
		5. मोड़ल गांव	87		—
		6. लाड़पुरा	98		—
		7. बाढ़छेहरी	99		—

(२५२)

1	2	3	4		5	6
7.	क्षे.जल यो. सुखानन्दपुर	1.	चन्कउदरे रागपुरा	109	1982–83	—
		2.	सुखानन्दपुर	100		—
		3.	तिगरिया	133		—
8.	,, वन्जारी जीवद	1.	वन्जारी	117	1982–83	—
		2.	जीवद	127	(हैण्ड पम्प योजना में कमीशण्ड)	—
		3.	बाढ़ साहनी	120		—
9.	हैण्ड पम्प योजना:–	1.	डोगरवाडा	26	1981–82	लाभान्वित
		2.	बाढ कायेला	60		कार्य प्रगति पर
		3.	देहरी	90		लाभान्वित
		4.	रामसिंहपुरा	114		कार्य प्रगति पर
		5.	जाखोलास कलां	126		लाभान्वित
		6.	गुजर कोलेता	23		कार्य प्रगति पर
		7.	सिकरोली	2	1982–83	कार्य प्रगति पर
		8.	दूजई	4		लाभान्वित
		9.	नानेताखेडा	20		कार्य प्रगति पर
		10.	टीकरिया	30		,,
		11.	कुण्डली	61		,,
		12.	भोतई	66		,,
		13.	रामसिंहपुरा	87		,,
		14.	सांरगपुरा	72		,,
		15.	श्यामसिंहपुरा	92		लाभान्वित
		16.	माधोपुरा	106		कार्य प्रगति पर
		17.	भंवरकी	103		,,
		18.	सरसाली	82		लाभान्वित
		19.	नरोली	83		कार्य प्रगति पर
		20.	जीवद	127		लाभान्वित
		21.	टुन्डीला पट्टी खालसा	20		,,

कुल नई योजनाओं में स्वीकृत गांव:–51

1	2	3	4	5	6
		तहसील बोंली			
1.	पम्प एवं टैंक कोडियाई	1. कोडियाई	47	1982-83	जिला परिषद् द्वारा अनुमोदित
2.	,, शेषा	2. शेषा	144	,,	,,
3.	क्षेत्रीय जल योजना रुगटी मोरेन	1. रुगटी	5	1981-82	,,
		2. जैनपुरा	9		,,
		3. मोरन	12		,,
4.	,, चैनपुरा शाहपुरा	1. चैनपुरा	50	1981-82	,,
		2. शाहपुरा	52		,,
5.	,, नीमोद राठौड़	1. नीमोद	111	1981-82	,,
		2. राठोड	112		,,
6.	,, चान्दनहोली	1. चान्दनहोली	124	1981-82	,,
		2. वडकोली	125		,,
7.	क्षेत्रीय योजना	1. पुरागुलाबसिंह	22	1982-83	,,
		2. पुरा पेनसिंह	23		,,
8.	पाईप्ड जल योजना बोंली का विस्तार	1. पुनेता	100	1982-83	,,
9.	क्षेत्रीय जल योजना मानोली श्रीपुरा	1. मानोली	89	1982-83	—
		2. श्रीपुरा	70		—
10.	क्षेत्रीय जल योजना हिन्दुपुरा	1. हिन्दुपुरा	184	1982-83	—
		2. पीपलुवाड़ा	107		—
		3. मांगरोल	109		—
		4. वासडानदी	116		—
11.	हैण्ड पम्प योजना	1. थनेरा	11	1981-82	लाभान्वित
		2. घाटानेनवाड़ी	16	,,	,,
		3. हनोतिया	25	,,	,,
		4. सुन्दरपुर	49	,,	,,
		5. अलूवा	80	,,	,,
		6. अनियाला	74	,,	,,
		7. रेयासा	82	,,	,,
		8. वन्धावर्ला	90	,,	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
हैंड पम्प योजना	9.	गोलपुर	91	,,	लाभान्वित
	10.	वडागांव सरवर	97	,,	,,
	11.	हरसोती	102	,,	,,
	12.	हरसोता	103	,,	,,
	13.	गुडलानदी	114	,,	कार्य प्रगति पर
	14.	महेशरा	119	,,	,,
	15.	भाडोती	130	,,	लाभान्वित
	16.	तहलोद	146	,,	,,
	17.	ऐवरा	164	,,	कार्य प्रगति पर
	18.	रघुवन्टी	160	,,	,,
	19.	वाड किलोली	172	,,	लाभान्वित
	20.	सागरवासा	151	,,	कार्य प्रगति पर
	21.	भारजा गछी	133	,,	,,
	22.	वहतेड	66	,,	लाभान्वित
	23.	फलसावटा	65	1981-82	,,
	24.	वाड़ वरियाला चक नम्बर 2	61	,,	,,
	25.	पनियाला	163	,,	,,
	26.	समरथपुरा	74	,,	,,
	27.	रामरो	72	,,	कार्य प्रगति पर
	28.	डीडवाडा	73	,,	लाभान्वित
	29.	भानपुर	15	,,	कार्य प्रगति पर
	30.	घोराला	20	,,	लाभान्वित
	31.	पीलूखड़ा	19	,,	,,
	32.	जसटाना	55	,,	,,
	33.	वसूली	26	,,	,,
	34.	कुम्रागांव	31	1982-83	कार्य प्रगति पर
	35.	खेड़ा	30	1982-83	कार्य प्रगति पर
	36.	खोहरी	40	,,	,,
	37.	गोल	41	,,	,,
	38.	खिरखिरी	43	,,	,,
	39.	घनेशारा	46	,,	,,
	40.	मिस्कीनपुर	54	,,	,,

1	2	3	4	5	6
	41.	मोहम्मदपुरा	71	1982-83	कार्य प्रगति पर
	42.	खोहरी	67	,,	,,
	43.	गालदखुर्द	77	,,	,,
	44.	गादोला	70	,,	,,
	45.	जयलालपुरा	84	,,	,,
	46.	रघुवन्टी	86	,,	,,
	47.	श्रीपुरा	87	,,	,,
	48.	देवता	101	,,	,,
	49.	किराडी	113	,,	,,
	50.	शहराववा	117	,,	,,
	51.	वडोदिया	120	,,	,,
	52.	रशुलपुरा	119	,,	,,
	53.	मौजारी	150	,,	,,
	54.	वाट वरियाला	50	,,	,,
	55.	पीपलवाड़ा नदी	156	,,	,,
	56.	वाढ बिच्छी-दोना	160	,,	,,
	57.	बिसोली नदी	169	,,	,,
	58.	कोथाली	178	,,	,,

कुल नई योजनाओं में स्वीकृत गांवों की संख्या: —78

२९६

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची)

सामान्य अनुदान की सूची

क्र०सं०	नाम नगरपालिका परिषद्	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	1490430	1496430	1490430	1490430	1877965
2.	ब्यावर	330570	330570	330570	330570	449990
3.	किशनगढ़	203530	203530	203530	203530	310160
4.	केकड़ी	74985	74985	74985	74985	101965
5.	पुष्कर	36705	36705	36705	36705	49840
6.	सरवाड़	38640	38640	38640	38640	46075
7.	विजयनगर	42510	42510	42510	42510	75955
8.	अलवर	510890	510890	510890	510890	728975
9.	रारली	23990	23990	23990	23990	40230
10.	राजगढ़	55095	55095	55095	55095	70995
11.	खेरथल	53435	53435	53485	53435	79810
12.	तिजारा	40215	40215	40215	40215	60995
13.	बहरोड़	—	—	—	—	3434
14.	बाड़मेर	193150	193150	193150	193150	277770
15.	बालोतरा	87975	87975	87975	87975	140350
16.	सिवाना	53050	53050	53050	53050	73025
17.	बांसवाड़ा	136815	136815	136815	136815	233745
18.	कुशलगढ़	29205	29205	29205	29205	35585
19.	बीकानेर	1044470	1044470	1044470	1044470	1424145
20.	देशनोक	41155	41155	41155	41155	54975
21.	नोखा	56110	56110	56110	56110	120595
22.	भीलवाड़ा	410775	410775	410775	410775	613125
23.	शाहपुरा	76670	76670	76670	76670	96645
24.	गंगापुर	47520	47520	47520	47520	57170
25.	जहाजपुर	46565	46565	46565	46565	61640
26.	माण्डल	52415	52415	52415	52415	66930
27.	आसीन्द	33890	33890	33890	33890	47305

1	2	3	4	5	6	7
28.	गुलाबपुरा	—	—	—	—	—
29.	माण्डलगढ़	—	—	—	—	59665
30.	भरतपुर	369305	369305	369303	369305	526370
31.	बयाना	77225	77225	77225	77225	103365
32.	डीग	111335	111335	111335	111335	140425
33.	कामां	78770	78770	78770	78770	97255
34.	नदबई	43945	43945	43940	43945	58050
35.	वैर	44240	44240	44240	44240	60890
36.	कुम्हेर	48915	48915	48915	48915	63920
37.	भुसावर	43125	43125	43125	43125	55300
38.	नगर	41815	41815	41815	41815	57250
39.	धौलपुर	159325	159325	159325	159325	221875
40.	बाड़ी	96245	96245	96245	96245	196095
41.	राजाखेड़ा	64880	64880	64880	64880	86805
42.	बूंदी	172460	172460	172460	172460	238680
43.	लाखेरी	89090	89090	89090	89090	100300
44.	केशवरायपाटन	36430	36430	36430	36430	57240
45.	नैनवा	39310	39310	39310	39310	49990
46.	कापरेन	—	—	31265	31265	51480
47.	चित्तौड़गढ़	129585	129585	129585	129585	211660
48.	प्रतापगढ़	87010	87010	87010	87010	114515
49.	निम्बाहेड़ा	82710	82710	82710	82710	138815
50.	छोटी सादड़ी	48100	48100	48100	48100	60730
51.	बड़ी सादड़ी	45690	45690	45690	45690	58605
52.	कपासन	54535	54535	54535	54535	69290
53.	चूरू	262510	262510	262510	262510	309055
54.	रतनगढ़	157530	157530	157530	157530	216830
55.	सुजानगढ़	195365	195365	195365	195365	277730
56.	सरदारशहर	188515	188515	188515	188515	277365
57.	डूंगरगढ़	107060	107060	107060	107060	145380
58.	राजगढ़	115895	115895	115895	115895	151895
59.	छापर	48405	48405	48405	48405	58555
60.	बीदासर	82900	82900	82900	82900	89070
61.	रतननगर	26950	26950	26950	26950	38190

(208)

1	2	3	4	5	6	7
62.	तारानगर	63580	63580	63580	63580	77175
63.	राजलदेसर	64360	64360	64360	64360	76180
64.	डूंगरपुर	98865	98865	98866	98865	137780
65.	सागवाड़ा	57420	57420	57420	57420	82850
66.	गंगानगर	450210	450210	450210	450210	618460
67.	हनुमानगढ़	181690	181690	181690	181690	300355
68.	रायसिंहनगर	54885	54885	54885	54885	85345
69.	गजसिंहपुर	22375	22375	22375	22375	22865
70.	नोहर	83520	83520	83520	83520	113400
71.	सांगरिया	65000	65000	65000	65000	75010
72.	श्रीकरणपुर	57690	57690	57690	57690	76260
73.	अनूपगढ़	22855	22855	22855	22855	64985
74.	भादरा	85045	85045	85045	85045	112840
75.	सादुलशहर	38240	38240	38240	38240	63340
76.	सूरतगढ़	72455	72455	72455	72455	149075
77.	पदमपुर	31795	31795	31795	31795	53670
78.	केसरीसिंहपुर	47755	47755	47755	47755	48690
79.	श्रीविजयनगर	41120	41120	41120	41120	58370
80.	पीलीबंगा	60685	60685	60685	60685	89260
81.	रावतसर	69215	69215	69215	69215	129570
82.	जयपुर	3076290	3076290	3076290	3076290	4885825
83.	चौमूं	100900	100900	100900	100900	100900
84.	सांभर	79055	79055	79055	79055	88165
85.	दौसा	94625	94625	94625	94625	136060
86.	आमेर	49465	49465	49465	49465	80270
87.	बांदीकुई	39150	39150	39150	39150	52550
88.	चाकसू	52055	52055	52055	52055	71065
89.	कोटपूतली	61715	61715	61715	61715	100500
90.	फुलेरा	44565	44565	44565	44565	56120
91.	जोबनेर	28125	28125	28125	28125	38415
92.	सांगानेर	58085	58085	58085	58085	109705
93.	नरायणा	37525	37525	37525	37525	52240
94.	लालसोट	56155	56155	56155	56155	76485
95.	शाहपुरा	45160	45160	45160	45160	63345

1	2	3	4	5	6	7
96.	मनोहरपुर	53170	53170	53170	53170	—
97.	विराटनगर	37890	37890	37890	37890	49890
98.	बसवा	49100	49100	49100	49100	60650
99.	बस्सी	—	40450	40450	40450	55655
100.	बगरू	—	—	—	—	55385
101.	किशनगढ़रेनवाल	—	—	—	—	68895
102.	जैसलमेर	82890	82890	82890	82890	110205
103.	पोकरण	38485	38485	38485	38485	54130
104.	जालोर	77390	77390	77390	77390	120500
105.	भीनमाल	70250	70250	70250	70250	121695
106.	सांचोर	40240	40240	40240	40240	68700
107.	आहोर	38615	38615	38615	38615	—
108.	झालावाड़	100175	100175	100175	100175	146285
109.	भवानीमंडी	55180	55180	55180	55180	84640
110.	झालरापाटन	62340	62340	62340	62340	84023
111.	सुनेल	39945	39945	39945	39945	48795
112.	पिड़ावा	36385	36385	36385	363815	41316
113.	अकलेरा	31910	31910	31910	31910	52520
114.	झुंझुनू	160120	160120	160120	160120	235885
115.	नवलगढ	132825	132825	132825	132825	193635
116.	चिड़ावा	76205	76205	76205	76205	104205
117.	बिसाऊ	52085	52085	52085	32085	68470
118.	बग्गड़	34170	34170	34170	34170	58460
119.	खेतड़ी	43345	43345	43345	43345	62970
120.	मण्डावा	49255	49255	49253	49255	64430
121.	मुकन्दगढ़	55520	55520	55520	55520	59586
122.	पिलानी	65505	65505	65505	65505	85135
123.	सूरजगढ़	48909	48909	48909	48909	61765
124.	उदयपुरवाटी	62210	62210	62210	62210	84095
125.	विद्याविहार	34790	34790	34790	34790	45125
126.	मण्डेला	38650	38650	30650	38650	—
127.	जोधपुर	1588060	1588060	1588060	1588060	2531725
128.	फलोदी	86895	86395	86895	86895	412695
129.	पिपाड़	78610	78610	78610	78610	104775

(300)

1	2	3	4	5	6	7
130.	बिलाड़ा	87625	87625	87625	87625	120030
131.	कोटा	1064955	1064955	1064955	1064955	1791205
132.	बारा	149045	149045	149045	149045	210000
133.	रामगंज मंडी	55925	55925	55925	55925	77650
134.	छबड़ा	48535	48535	48535	48535	61305
135.	इन्दरगढ़	13125	13125	13125	13125	20785
136.	मांगरोल	53565	53565	53565	53565	64290
137.	सांगोद	48480	48480	48480	48480	60165
138.	छीपा बड़ोद	42500	42500	42500	42500	52340
139.	अन्ता	37150	37150	37150	37150	54640
140.	कैथून	46515	46515	46515	46515	59780
141.	नागौर	182705	182705	182705	182705	240025
142.	लाडनूं	141130	141130	141130	141130	179860
143.	मेडता सिटी	84905	84905	84905	84905	110600
144.	कुचामनसिटी	100100	100100	100100	100100	134865
145.	डीडवाना	91210	91210	91210	91210	119685
146.	मकराना	116215	116215	116215	116215	203315
147.	परबतसर	28870	28870	28870	28870	36880
148.	नांवा	39120	39120	39120	39120	48875
149.	कुचेरा	40890	40890	40890	40890	56760
150.	मूंडवा	43185	43185	43185	43185	54520
151.	पाली	249170	249170	249170	249170	457840
152.	सोजत	83140	83140	83140	83140	121460
153.	सादड़ी	73300	73300	73300	73300	92340
154.	बाली	59105	59105	59105	59105	70810
155.	तख्तगढ़	52290	52290	52290	52290	55530
156.	सुमेरपुर	52190	52190	52190	52190	76230
157.	निमाज	45280	45280	45280	45280	60010
158.	जैतारण	39460	39460	39460	39460	56370
159.	रायपुर	—	39015	39015	39015	52780
160.	सवाई माधोपुर	183135	183135	183135	183135	295415
161.	हिन्डोन	139475	139475	139475	139475	213530
162.	करोली	138965	138965	138965	138965	189770
163.	गंगापुर सिटी	137165	137165	137165	137165	202035

1	2	3	4	5	6	7
164.	टोडाभीम	52270	52270	52270	52270	66365
165.	सीकर	534935	534935	534935	534935	514850
166.	फतेहपुर	174645	174645	174645	174645	255420
167.	लछमनगढ़	110790	110790	110790	110790	146075
168.	रामगढ़	75340	75340	75340	75340	97850
169.	श्रीमाधोपुर	76485	76485	76485	76485	92305
170.	नीम का थाना	58060	58060	58060	58060	76330
171.	खण्डेला	62500	62500	62500	62500	78815
172.	रींगस	46700	46700	46700	46700	61875
173.	लोसल	55645	55645	55645	55645	71160
174.	सिरोही	93870	93870	93870	93870	119515
175.	माऊन्ट आबू	49200	49200	49200	49200	63565
176.	आबू रोड	126655	126655	126655	126655	156400
177.	शिवगंज	60145	60145	60145	60145	83835
178.	पिन्डवाड़ा	48715	48715	48715	48715	61690
179.	टौंक	279330	279330	279330	279330	388265
180.	निवाई	50990	50990	50990	50990	79805
181.	मालपुरा	69855	69855	69855	69855	89970
182.	देवली	61495	61495	61495	61495	55795
183.	टोडा रायसिंह	54165	54165	54165	54165	69395
184.	उनियारा	30135	30135	30135	30135	35990
185.	उदयपुर	806390	806390	806390	806390	1162940
186.	नाथद्वारा	94465	94465	94465	94465	124280
187.	राजसमन्द	99330	99330	99330	99330	137460
188.	आमेट	39410	39410	39410	39410	53490
189.	फतेहनगर	48210	48210	48210	48210	66050
190.	भीन्डर	49300	49300	49300	49300	40830
191.	देवगढ़	49095	49095	49095	49095	64155
192.	कानोड	47330	47330	47330	47330	48255
193.	सलूम्बर	44440	44440	44440	44440	58135

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

Jaipur, March 3, 1964

F.23 (7) LSG/55.- The Governor has been pleased to issue the following Rules for the payment of grant-in-aid to local bodies through the agency of the Local Self Government Department.

By Order of the Governor,
Dy. Secretary to the Government.

Rules for the Payment of Grant-in-Aid to Local Bodies out of the Funds Provided under Head 71-Misc-G-Grants-in-Aid, Contribution etc. (1) Municipalities through the Agency of the Local Self Government Department:

1. *Title*.-These Rules may be called the General Purpose Grant-in-aid to Local Bodies Rules, 1964.

2 *Purpose*.-Grant-in-aid under these rules may be sanctioned as a general financial help to Local Bodies:

3. *Extent of Grant*.-It may be sanctioned at the rate of (Re. 1/-) per capita for the general purpose and Rs. 4/- per capita for meeting the additional expenditure on account of payment of salaries and allowances granted to the Municipal employees with effect from 1.9.1976 in the Revised New Pay Scale, 1976 to be kept in a separate Bank account which shall be solely utilised for the aforesaid purpose.

4 *Application*.-An application for the payment of grant-in-aid will be addressed by the Municipal Board to the Secretary Local self Government Department. The application should *inter alia* show arrears of Government Loan payable by the Municipal Board.

303

5. *Budget provision.*–The grant will be sanctioned subject to the extent of Budget provision in a financial year.

6. *Deductions*1.–. Out of the grant so sanctioned recoveries shall be made and credited to the appropriate receipt head towards loan arrears and Local Fund AuditFee, if any, upto 50% of the grant-in-aid payable.

Note: *i* Adjustment of recoveries will be intimated in the sanction itself. In case no recovery is to be made, a certificate to the effect will be incorporated in the sanction.

ii In other cases, where Municipal Boards which have neither levied and recovered House Tax, nor paid light/water charges and other Government dues in full and as such are in default of Government dues, recovery against such outstanding dues can be made upto 100% of the grant-in-aid payable.

Note:– Such Municipal Boards which have not been able to collect house tax on account of court's stay will be treated at par with such Municipalities which are recovering House Tax.

iii. Notwithstanding anything contained in these Rules, the recoveries deductions shall be made to the maximum extent of 50% of the amount calculated @Re.1/–per capita.

'7. *General purpose grant-in-aid to a newly constituted Municipal Board.*–The per capita grant shall be payable in full and not on average basis of the period to a newly constituted Municipal Board.

304

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूची)

(प्रपत्र क)

अकाल राहत कार्यों की सूची

क्रमांक	स्वीकृत कार्य का नाम	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3
1.	बर-पाली सिरोही सड़क कि.मी. 165 से 235	पूर्ण
2.	रोहत से जालोर सड़क 45 से 91	पूर्ण
3.	देवान्दी से गैलावास 0 से 6	पूर्ण
4.	रामसिया से नाडोल 0 से 52	पूर्ण
5.	नाना से भीमाना	अपूर्ण
6.	बिजापुर से गोरिया	अपूर्ण
7.	सम्पर्क सड़क लम्बिया	,,
8.	गुडा से कुरना	,,
9.	कुरना से गुड़ा प्रतापसिंह	पूर्ण
10.	भागेश्वर से निम्बली सड़क	,,
11.	गिरवालिया से भांवरी वाया सेदरिया	अपूर्ण
12.	रोहट से धोलेरिया सड़क	पूर्ण
13.	सरदार समन्द से झीतड़ा सड़क	,,
14.	ढाबर से सरदार समन्द वाया कानावास	अपूर्ण
15.	बांडाई से सरदार समन्द	पूर्ण
16.	सुमेरपुर से जवाई बांध वाया कोलीवाड़ा	अपूर्ण
17.	कानपुर से कोरटा वाया सालोदरिया	,,
18.	तखतगढ़ से पादरली जिला सीमा तक	,,
19.	सम्पर्क सड़क सिन्दरू गांव	,,
20.	बलवाना से बोया	,,
21.	सिन्दरली से मुण्डारा	पूर्ण
22.	देसूरी से आना-गिराली	,,
23.	जीवन खुर्द से खारड़ा	अपूर्ण
24.	बांगोल से जोजावर	पूर्ण
25.	धनला से बांगोल वाया खिवाड़ा	अपूर्ण
26.	खिवाड़ा से गदाना वाया पांचेरिया	,,
27.	सम्पर्क सड़क चाचोडी	पूर्ण
28.	सम्पर्क सड़क इठन्तरा मेडतियान	,,
29.	सम्पर्क सड़क डायलाना	,,
30.	कोयल बाद से कुरन सड़क	अपूर्ण

1	2	3
31.	मालतु से चामुण्डी सम्पर्क सड़क	पूर्ण
32.	वेड़ा से जवाई बांध वाया दूदंनी	अपूर्ण
33.	सम्पर्क सड़क गुडालाश	"
34.	गोरिया से पतराड़ा	"
35.	सम्पर्क सड़क भण्डर	पूर्ण
36.	लुणावा से काण्टेश्वर महादेव	अपूर्ण
37.	सम्पर्क सड़क सेणा	पूर्ण
38.	बरजोड से सोमेती	अपूर्ण
39.	मादुन बचाव कार्य	पूर्ण
40.	सम्पर्क सड़क सावलतला	"
41.	प्रोटेक्शन वर्क नावी	अपूर्ण
42.	रोहट से कलाली वाया सावलदा	पूर्ण
43.	चेण्डा (टांका नं. 1) से गेलावास	अपूर्ण
44.	मुकलपुरा से अरटिया	पूर्ण
45.	अरटिया से भाखरीवाला	"
46.	एम. आर. पाली से भावरी	"
47.	पाचोटिया से सोमेसर वाया इन्द्रवाड़ा	अपूर्ण
48.	खिवाड़ा से सोमेसर वाया पिलावली	"
49.	निपल से घेबड़ी	"
50.	कानपुरा से कोरटा जवाई नदी के किनारे	"
51.	सम्पर्क सड़क पालड़ी	"
52.	बिरानी से कोसेलाव वाया बीमाड़ा	"
53.	पराखिया से बलाना वाया बेतरा	"
54.	बिरामी से रानी सड़क	"
55.	सम्पर्क सड़क खिन्दारा गांव	"
56.	ए/आर मेरडू	"
57.	ए/आर आकदड़ा	"
58.	पिचावा से हिंगोला वाया बसंत	"
59.	गुन्दोज से कुरना वाया कानेलाव	"
60.	गुडा प्रतापसिंह से मनिहारी	—
61.	गोदावास से कुलथाना	अपूर्ण
62.	ए/आर रामासिया पेट्रोल पम्प से हेमावास	पूर्ण
63.	बाली से घनीरोड़	अपूर्ण
64.	सेवाडी से पिपला	—

1	2	3
65.	बाली से केशापुरा	–
66.	फालना से बेडल सड़क	अपूर्ण
67.	बेडल से पेरवा	–
68.	लुडारा से गौतमजी	अपूर्ण
69.	वरखाना से दादाई	,,
70.	घानेराव से मुहल्ला महादेव	पूर्ण
71.	रामासिया से भावरी	,,
72.	बालराई से अनापपुरा वाया बिछुड़ा	अपूर्ण
73.	सम्पर्क सड़क चानोद	,,
74.	रामासिया से पावा वाया बेडा वाला कुरना	,,
75.	रानी नदी पर रपट निर्माण	–
76.	खारडा की ढाणी से बिठु	,,
77.	चोटिला से बाडाई	पूर्ण
78.	खाड़ो से डुगरपुर	अपूर्ण
79.	झोला से मँडल	अपूर्ण
80.	सेरवा से कामली घाट सड़क 47 कि मी.	पूर्ण
81.	सोजत सरदार समन्द वाया सगोंला सड़क	पूर्ण
82.	सोजत रोड़ से बनान सड़क 21 कि. मी.	,,
83.	बरपाली सिरोही सड़क 85 कि. मी.	,,
84.	जेतारण से पारवा वाया देवरिया 13 कि. मी.	,,
85.	सजाड़ा प्याऊ कालू वाया खारचिया सड़क	,,
86.	बुलन्दा बाकसास, टिगरा वाया खराड़ी फालका	,,
87.	सामोकी प्याऊ से आसरलाई वाया खिनावड़ी फूलमाल सड़क	अपूर्ण
88.	जेतारण से चकावल पर रपट व मेटल सड़क	पूर्ण
89.	जेतारण से निम्बोल सड़क	,,
90.	मांडा से राणावास सड़क	अपूर्ण
91.	मांडा से बागोल सड़क	पूर्ण
92.	लाउन से मारवाड़ जंक्शन सड़क	अपूर्ण
93.	घनला से बागोल सड़क	पूर्ण
94.	सारण से झामुका सड़क	,,
95.	इसाली से राणावास सड़क	,,
96.	मारवाड़ जंक्शन से वोपाटी वाया चिखरिया सड़क	अपूर्ण
97.	पादू नाडी से माडावास सड़क	,,
98.	सोजत नेहरा सियाट सड़क	पूर्ण

1	2	3
99.	सम्पर्क सड़क रामासनीवाला	पूर्ण
100.	झटपड़ा से खाटियानीव सड़क	,,
101.	सोजत धिनावास अजीतपुरा सड़क	,,
102.	सोजत बिलाड़ा वाया भरासनी सड़क	,,
103.	सम्पर्क सड़क पान्चुडाकेला	,,
104.	गजनई से घोलीमगरी वाया खोडिया	,,
105.	कुशालपुरा से गुडिया स्टेशन सड़क	अपूर्ण
106.	केमा को बेटी से वेलपना सड़क	,,
107.	रामपुरा से निमाज वाया कुशालपुरा सड़क	,,
108.	हरिपुर से चकावल वाया भूढा करमावास रामपुरा मोहरा सड़क	पूर्ण
109.	करमास निमेडा चावडिया सिंगला सड़क	,,
110.	वर धुलकोट हाजीवास सड़क	,,
111.	सेन्दडा से कन्या बावड़ी सड़क	,,
112.	सेन्दडा से कावा अजमेर जिला सीमा तक	अपूर्ण
113.	मेरू का नाका से घोली घाटी सड़क	,,
114.	झाला की चौकी से कानुजा सड़क	पूर्ण
115.	सेन्दडा से अमरपुरा सड़क	,,
116.	वर-बिराटिया खुर्द सड़क	,,
117.	साडिया से बगडी सड़क	अपूर्ण
118.	दोरनाडी करमावास चकावाल स्टेशन सड़क	,,
119.	बागावास धाकडी सुरायता शिवपुरा सड़क	पूर्ण
120.	सोजत रोड से बडागुडा सड़क	,,
121.	बडागुडा से सरूपा सड़क	,,
122.	सोजत नेसाना जिसरवाड़ा सड़क	,,
123.	खेड़ा देवगढ़ निमाज आगेवा मरा सांगावास	अपूर्ण
124.	आगेवा से देवरीया जागनवास जिला सीमा तक	,,
125.	खारिया बेड़ रनीवास जैतारन मय रामवास	,,
126.	बुलन्दा मीरवरलाई विरोल जैतारण	,,
127.	पारबा लाटौती वाया झझनवास बेड सड़क	,,
128.	जैतारण वालदिया वाया जिपलिया बडाला बुलपुरा	,,
129.	पाटन भवाईया प्रतापगढ़ सड़क	,,
130.	बांजाकुडी से बडाला असरडाई टुकड़ा सड़क	,,
131.	खोखरा देवली वाया बस्सी	,,
132.	देवरिया से सिनला सड़क	पूर्ण

1	2	3
133.	बडाला से ब्यावर सड़क	अपूर्ण
134.	बर-बिराटिया केलाबाश छोली धड़ सड़क	पूर्ण
135.	लिलम्बा से निमाज सड़क	,,
136.	सबलपुरा से बिचड़ी वाया भुठा सड़क	अपूर्ण
137.	मारवाड़ जंक्शन से बिटुढा वाया भगवानपुरा	पूर्ण
138.	खारची रेलवे फाटक से अहुआ सड़क	,,
139.	राणावास ईसाली सड़क को कामुका पक्की सड़क तक मिलाना	,,
140.	महुआ कराडी बोता सड़क	,,
141.	गुडा अगुवा से बासली सड़क होकर भोभावर	,,
142.	मारवाड़ जंक्शन से हेमलिया वास सड़क	,,
143.	मारवाड़ जंक्शन से बागावास सड़क	,,
144.	वोपाटी मेलम केटालिया सड़क	,,
145.	निलावास गीतावास धाकड़ी	अपूर्ण
146.	गोलाई से सेरवा बास सड़क	,,
147.	सेवनाडा से वोरनाडी सड़क	पूर्ण
148.	सेवराड से मेसाना सड़क	,,
149.	देवली हुला पिपलाज ग्राखड़ी बगड़ी सोबाज सड़क	,,
150.	सराधना माहुरा वाया प्रतापगढ़ सड़क	,,
151.	सामविया से हुड़की सड़क	,,
152.	बांसियां से भेरु खगडा सड़क	,,
153.	बाडीपोल से सुमेल वाया बावरा सड़क	,,
154.	गिरी से बावरा सड़क	,,
155.	बाटका से धामली सड़क	ग्रपूर्ण
156.	धामली से मिमालिया सड़क	,,
157.	प्रांचेरिया से आहूश्रा सड़क	,,
158.	कुशालपुरा से जैतारण सड़क	,,
159.	वालून्दा फालका फालकी सड़क	पूर्ण
160.	देवरिया पाटवा, राजादेसु गरनिया साटोती सड़क	अपूर्ण
161.	कावेचा प्याऊ से कावेचा लितारिया सड़क	,,
162.	बाता गांव से बाता स्टेशन सड़क	,,
163.	बोटी मादा से सारण झाभूगा सड़क	,,
164.	मेलावास गुडा ग्रांगरी सड़क	,,
165.	रायपुर बस स्टेशन से हरिपुर सड़क	,,
166.	देवलीकेला से हरसा देवल सड़क	,,

3o9

प्रपत्र 'ख'

स्वीकृत कार्य तथा उससे सम्बन्धित खानों व साइट पर बची हुई सामग्री का विवरण

खान पर बचे हुए मैटेरियल का विवरण								साईट पर बचे हुए मैटेरियल का विवरण							
मैटल				खण्डा		ग्रेवल		ग्रिटमेटल				खण्डा		ग्रेवल	
क्यू.मी.	कीमत रुपयों में	क्यू.मी.	कीमत रुपयों में	क्यू.मी.	कीमत रुपयों में	क्यू.मी.	कीमत रुपयों में	क्यू.मी.	कीमत रुपयों में	क्यू.मी.	कीमत रुपयों में	क्यू.मी.	कीमत रुपयों में	क्यू.मी.	कीमत रुपयों में
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2020	39390	552	24840	—	—	—	—	9226	3,06285	60	3784	—	—	—	—
—	—	407	20350	—	—	—	—	10400	4 26400	609	42,630	—	—	1592	28656
—	—	—	—	—	—	850	6800	120	3924	—	—	80	2816	—	—
—	—	1073	48,285	951	145265	543	4343	1616	48,512	—	—	—	—	150	2,700
—	—	1280	57600	—	—	—	—	471	14,759	18	1,010	123	3256	—	—
—	—	—	—	—	—	1077	8616	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1077	8616	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1700	13600	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1803	14424	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2803	22424	1818	23,000	—	—	—	—	—	—
1233	24043	37	1665	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	9,000
या —	—	—	—	—	—	252	2016	3272	80,000	—	—	—	—	—	—
तक 800	15680	69	3105	—	—	—	—	550	6600	—	—	—	—	—	—
3668	71,526	—	—	—	—	—	—	31	1,250	—	—	—	—	—	—
732	14274	—	—	—	—	1265	10120	3310	1,06,260	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	2958
—	—	—	—	—	—	857	7176	3,562	63,215	—	—	—	—	2919	34179
—	—	—	—	—	—	—	—	3562	63215	—	—	—	2909	2919	34179
500	9750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	908	15284
—	—	—	—	—	—	229	1835	—	—	—	—	—	—	1296	24156
249	4855	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	780	6240	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1776	52608	—	—	—	—	—	—
1546	30147	22	990	—	—	—	—	124	4490	—	—	—	—	140	3227
—	—	—	—	—	—	—	—	326	7817	—	—	—	—	382	7303
—	—	30	1350	385	5775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2492	48594	—	—	—	—	—	—	927	25723	—	—	—	—	—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,620	505	7575	—	—	1276	37882	—	—	—	—	263	5104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44.	सोडिया से बगड़ी सड़क	—	—	—	—	—	—	365	2190	—	—	—	—	190	1080
45.	बागावास धोकड़ी सुरायता शिवपुरा सड़क	—	—	—	—	80	1440	—	—	—	—	—	—	—	—
46.	खौरवरा देवली वाया बासनी सड़क	—	—	—	—	63	1134	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	सवराड से भेखाना सड़क	—	—	—	—	600	3600	—	—	—	—	—	—	—	—
48.	देवली कुला पिपलाज आखडी बगड़ सड़क	—	—	—	—	—	—	105	630	—	—	—	—	—	—
49.	बरपाली सिरोही सड़क 79 से 165	100	18,000	—	—	—	—	—	—	7000	280	112	9296	—	—
50.	सोजत रोड से बबान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285	18810	—	—
51.	खेरवा से कामली घाट	—	—	—	—	—	—	—	—	3210	1,12,350	—	—	—	—
52.	माड़ा से रानावास	—	—	—	—	—	—	3777	18885	—	—	—	—	—	—
53.	जाड़न से मारवाड़ जंकशन	—	—	—	—	—	—	—	—	690	28980	70	5800	—	—
54.	मारवाड़ जंकशन मगदासपुरा वाया बिठुडा कला	—	—	—	—	—	—	500	2500	—	—	—	—	—	—
55.	रानावास से ईसाली जानुदा पक्की सड़क तक	—	—	—	—	—	—	180	700	—	—	—	—	—	—
56.	अहुवा कराडी बाता सड़क	—	—	—	—	—	—	350	1750	—	—	—	—	—	—
57.	बोपारी मेलाप कण्टालिया सड़क	—	—	—	—	—	—	19	114	—	—	—	—	—	—
58.	गोलाई से शेखावास सड़क	—	—	—	—	—	—	24	144	—	—	—	—	—	—
59.	बाता गांव से बाता रेल्वे स्टेशन तक	—	—	—	—	—	—	300	1800	—	—	—	—	—	—
60	बोरी मादा से सारण झमुदा सड़क तक	—	—	—	—	—	—	363	2178	—	—	—	—	—	—
61.	मेलो वास से गुडा भागरी सड़क	—	—	—	—	—	—	650	3900	—	—	—	—	—	—
62.	जैतारण से पाटवा सड़क	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63.	बलून्दा फालना कराड़ी सड़क	—	—	—	—	—	—	—	—	1700	62400	—	—	—	—
64.	समोकी प्याऊ से आसरलाई वाया	—	—	—	—	—	—	700	4200	—	—	—	—	—	—
65.	जैतारण से चण्डावल सड़क	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66.	बलून्दा से भिरवरलाई बिरोल जैतारण सड़क	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	770
67.	पाटवा लटौती वाया भांभनवास सड़क	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68.	जैतारण तालकिया बलाड़ा बलूपुरा सड़क	242	5724	90	4500	—	—	232	1392	2775	86050	—	—	—	—
69.	बाजाकुड़ी से बलाडा आसरलाई टुकड़ा सड़क	—	—	—	—	—	—	380	5280	1200	56400	—	—	—	—
70.	लाम्बिया से कुड़की सड़क	705	15518	178	8900	37	518	480	2880	—	—	—	—	162	5360
71.	कुशालपुरा से गुडिया स्टेशन सड़क	472	10384	—	—	—	—	—	—	596	19072	—	—	—	—
72.	बेरा की बेरी से बेलपना सडक	8800	1,93,600	—	—	—	—	—	—	2800	89600	—	—	—	—
73.	रामपुरा से निमाज वाया कुशालपुरा सड़क	151	3,322	—	—	—	—	—	—	2864	—	—	—	—	—
74.	वर धूलकोट हाजीवास सड़क	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75.	सेन्दड़ा से कान्या बावड़ी सड़क	5250	1,15,500	—	—	364	6552	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची)

जिन कर्मचारियों के परिवर्तन दो वर्ष में कम से कम तीन बार हुए उनकी सूची:—

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3
1.	अरुण कुमार	वैद्य
2.	आनन्द विहारी	,,
3.	भंवरगोविंदसिंह	,,
4.	बजरंगलाल	,,
5.	चिरंजीलाल	,,
6.	दीनानाथ	,,
7.	ओमप्रकाश	,,
8.	नन्दकिशोर	,,
9.	नवल किशोर	,,
10.	नाथूलाल शर्मा	,,
11.	नरेन्द्र कुमार	,,
12.	पदमचन्द जैन	,,
13.	प्रेमरतन	,,
14.	पूर्णमल	,,
15.	गोविंद सहाय	,,
16.	इन्द्रकुमार	,,
17.	यशपाल सिंह	,,
18.	रविन्द्र दत्त	,,
19.	रंजना विश्नोई	,,
20.	रामदत्त	,,
21.	रमणलाल	,,
22.	राजेन्द्र प्रसाद	,,
23.	राजेन्द्र कुमार	,,
24.	रतनलाल मिश्रा	,,
25.	रामावतार शर्मा	,,
26.	हरिश्चन्द्र	,,
27.	मोहनलाल चौहान	वैद्य
28.	मेघामीलाल	,,
29.	मृदुलेश शर्मा	,,
30.	माधोलाल	,,
31.	मालीराम	,,
32.	मानाराम	,,
33.	महावीर प्रसाद	,,
34.	महावीर प्रसाद	,,
35.	विजय नारायण	,,
36.	वेद प्रकाश	,,
37.	विष्णुदत्त	,,
38.	विश्वेश्वर दयाल	,,
39.	उमाशंकर	,,
40.	शिवभगवान	,,
41.	सुरेन्द्र मोहन	,,
42.	शंकरदत्त	,,
43.	उमाशंकर	,,
44.	सतीशचन्द्र	,,
45.	सामेश्वर	,,
46.	सतीशचन्द्र जैन	,,
47.	शंकरलाल	,,
48.	घनश्याम	,,
49.	गजानन्द	,,
50.	कृष्ण कुमार	कम्पाउण्डर
51.	त्रिलोक सिंह	,,
52.	धर्मीचन्द	,,
53.	पन्नालाल जैन	,,
54.	जगदीश प्रसाद	,,

3R

1	2	3	1	2	3
55.	शकुन्तला सुहालका	नर्स	70.	नथमल शर्मा	कम्पाउण्डर
56.	श्रवण कुमार	कम्पाउण्डर	71.	श्याम सुन्दर शर्मा	,,
57.	शान्तिदेवी	नर्स	72.	मोमनराम	,,
58.	श्रीनिवास	कम्पाउण्डर	73.	नाथूराम	,,
59.	गिर्राज प्रसाद	,,	74.	कुलभूषण	,,
60.	शांतिदेवी	नर्स	75.	हरिप्रसाद	,,
61.	श्रवणलाल	कम्पाउण्डर	76.	देवकीनन्दन	,,
62.	मिश्रीलाल	,,	77.	चुरामणसिंह	,,
63.	रामस्वरूप गुप्ता	,,	78.	रुस्तमखां	,,
64.	एस. मधुरम्मा	नर्स	79.	मोहम्मद हुसैन	,,
65.	गिराज प्रसाद	कम्पाउण्डर	80.	लक्ष्मणसिंह	,,
66.	शिशुपाल स्वामी	,,	81.	बाबूलाल शर्मा	उ. लिपिक
67.	प्रेमचन्द	,,	82.	छीतरमल मयुरिया	,,
68.	यादवेन्द्र तिवाड़ी	,,	83.	हरिश्चन्द्र लोकवानी	,,
69.	नेक मोहम्मद	,,			

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची)

पाली जिले में 1980 से 1983 तक विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति

क.सं.	नाम ग्राम	नाम पंचायत समिति	कार्य प्रारम्भ वर्ष	स्वीकृत राशि वर्ष			
				80-81	81-82	82-83	83-84
1	2	3	4	5	6	7	8
डी.डी.पी. कार्य							
1.	जोजावर	मारवाड़ जं०	80-81	30,600	12,500	9,700	6000
2.	रानी खुर्द	रानी	80-81	22,950	9.500	7,300	4500
3.	सिवाड़ा	रानी	80-81	30,800	16,500	13,000	8000
4.	खोड़	रानी	80-81	61,200	24,500	19,500	12000
5.	पनोता	देसूरी	81-82	—	25,500	10,000	10700
6.	भगढाबावड़ी	मारवाड़ जं०	81-82	—	25,500	9.000	10700
7.	रानी कलां	रानी	81-82	—	25.500	10 000	10700
8.	अखावास	मारवाड़ जं०	81-82	—	25,500	10,000	10700
9.	नाडोल	देसूरी	81-82	—	25,500	9,000	9700
10.	भिणल	रानी	81-82	—	25,500	9,000	9700
11.	जीवन्दकलां	रानी	81-82	—	25 500	9,000	9700
12.	गुडा रूपसिंह	रानी	81-82	—	25,500	9,000	9700
13.	देवली II	मारवाड़ जं०	81-82	—	25,500	9,000	9700
14.	जोजावर II	मारवाड़ जं०	81.82	—	25 500	14,000	14450
15.	रानी वरकाना	रानी	82-83	—	—	15.000	45000
16.	देसूरी सादड़ी	देसूरी	82-83	—	—	36,000	108000
17.	जवाली	रानी	82-83	—	—	14 600	14600
18.	बिन्छवा	रानी	82-83	—	—	14,600	14600
19.	गजनीपुरा	रानी	82-83	—	—	14,600	14600
20.	लापी	देसूरी	82-83	—	—	29,200	29200
21.	बडोद	देसूरी	82-83	—	—	14.600	14600
22.	बरासोल किरान	देसूरी	82-83	—	—	14,600	14600
23.	जोजावर II	मारवाड़ जं०	82-83	—	—	36,500	36500
24.	काना भासर	देसूरी	82-83	—	—	50,000	50000
25.	खोवा का गुडा	देसूरी	82-83	—	—	50,000	50000

(314)

1	2	3	4	5	6	7	8
एन० आर० डी० स्कीम :-							
26.	गुढा मांगलिया	देसूरी	82-83	—	43,800	22,200	—
27.	करणवा	देसूरी	82-83	—	46,720	23,680	—
फेमिन कार्य :-							
28.	भीजालिया	मारवाड जं०	81-82	—	17,450	1,000	—
29.	साखा	मारवाड जं०	81-82	—	60 000	1,000	—
30.	विरवारी	मारवाड जं०	81-82	—	1,020	1,000	—
31.	भबोडा	मारवाड जं०	81-82	—	40,800	1 000	—
32.	जोजावर (ए)	मारवाड जं०	81-82	—	33,830	1,000	—
33.	जोजावर (बी	मारवाड जं०	81-82	—	42,310	1,000	—
34.	जोजावर (सी)	मारवाड जं०	81-82	—	28,440	1,000	—
35.	बमाण	मारवाड जं०	81-82	—	41 150	1,000	—
36.	खारड़ी	मारवाड जं०	81-82	—	62,780	1,000	—
37.	रानी खुर्द	रानी	81-82	—	19,230	1,000	—
38.	जोजावर (एफ)	मारवाड जं०	82-83	—	—	50,000	50000
39.	भगोडा (ए)	मारवाड जं०	82-83	—	—	50,000	50000
40.	साभरा (ए)	मारवाड जं०	82-83	—	—	50,000	50000
41.	डंडालिया	मारवाड जं०	82-83	—	—	50,000	50000
42.	सिरवारी	मारवाड जं०	82-83	—	—	50,000	50000
43.	जोड़गुडा उमासेहू	मारवाड जं०	82-85	—	—	50,000	500 00
44.	देसुरी स्टेशन	देसुरी	82-83	—	—	50,000	50000
45.	देसुरी नर्सरी	देसुरी	82-83	—	—	50 000	50000
46.	भोराबाडी	मारवाड जं०	82-83	—	—	40,000	35000
47.	मीबी जोडपुर	देसुरी	82-83	—	—	42,400	42400
48.	देसुरी	देसुरी	82-83	—	—	42,400	42400
49.	डुढोड	मारवाड जं०	82-83	—	—	40,000	40000
50.	सिन्दरली	देसुरी	82-83	—	—	40,000	40000

315

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूची)

मंत्रिमंडल के वर्तमान सदस्यों पर 31 जनवरी, 1983 से 4 सितम्बर, 1983 तक यात्रा भत्ता एवं टेलिफोन पर हुए व्यय का विवरण

(यह विवरण कार्मिक (ग-1) विभाग में प्राप्त बिलों के आधार पर संकलित किया गया है।)

क्रमांक	नाम व पद	यात्रा भत्ता			टेलीफोन व्यय	कुल योग	विशेष विवरण
		दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री शिवचरण माथुर, मुख्यमंत्री	2741.25	9522.24	12263.49	96281.15	108544.64	
2.	श्री परसराम मदेरणा, सिचाई मन्त्री	–	–	–	52722.55	52722.55	
3.	श्री चन्दनमल वैद, राज. नहर मन्त्री	3467.00	9032.74	12399.74	20311.50	32811.24	
4.	श्री बृज सुन्दर शर्मा, वित्त मन्त्री	–	4160.00	4160.00	57190.80	61350.80	
5.	श्री हीरालाल देवपुरा, राजस्व मन्त्री	3684.75	8574.12	12258.87	13714.80	25973.67	
6	श्री खेतसिंह राठौड़, चिकित्सा मन्त्री	–	–	–	38431.30	38431.30	
7.	श्रीमती कमला, शिक्षा मन्त्री	4615.50	–	4615.50	67719.00	72334.50	
8.	श्री दुलाराम, समाज कल्याण मन्त्री	1098.00	950.32	2048.32	68301.30	70349.62	
9.	श्री अहमद बक्स सिंधी, विधि एवं न्याय मंत्री	2524.50	7849.94	10374.44	22996.20	33370.64	
10.	श्री जयकृष्ण शर्मा, राज्य मंत्री, यातायात	3238.50	1980.00	5218.50	48772.80	53991.30	
11.	श्री प्रद्युम्नसिंह, राज्य मंत्री, स्वायत शासन	2524.50	1422.99	3947.49	27496.85	31444.34	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	श्री श्रीराम गोटेवाला, राज्य मंत्री पशुपालन	3476.50	2612.84	6089.34	37502.60	43591.94	
13.	श्री दिनेशराय डांगी, राज्य मंत्री आयुर्वेद	3519.00	—	3519.00	59974.20	63493.20	
14.	श्री घासीराम यादव, राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति	2653.00	1096.80	3749.80	45316.75	49066.55	
15.	श्री चेतराम मीणा, राज्य मंत्री, सा.नि.वि.	1989.00	12.15	2001.15	16498.75	18499.90	
16.	श्री गोविन्दसिंह गूर्जर, राज्य मंत्री, वन	3901.50	890.40	4791.90	60106.90	64898.80	
17.	श्री शीशराम ओला, राज्य मंत्री, विकास एवं पंचायत	3800.50	2555.60	6356.10	49266.75	55622.84	
18.	श्री रामकिशन वर्मा, राज्य मंत्री भेड़ ऊन व जेल	—	—	—	35915.00	35915.00	
19.	देवेन्द्रसिंह, राज्य मंत्री, कृषि	4820.50	2735.80	7556.30	45426.75	52983.05	
20.	श्री बी.डी. कल्ला, राज्य मंत्री, पर्यटन	3009.00	10877.15	13886.15	39507.85	53394.00	
21.	श्रीमती कमला भील, उप-मंत्री स्वास्थ्य	3168.00	4489.10	7657.10	86630.90	94288.00	
22.	श्री जगतारसिंह, उप-मंत्री सिंचाई	4284.00	155.12	4439.12	28828.05	33267.17	
23.	श्री छोगालाल बाकोलिया, उप-मंत्री विद्युत	3111.00	—	3111.00	25518.35	28629.35	
	योग :	61626.00	68917.31	130543.31	1044431.10	1174974.41	

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

भारत सरकार के देश व्यापी शराब बन्दी से सम्बन्धित (टेम्प्रेन्स प्रोग्राम) जो वर्ष 1975 में अपनाया गया।

विज्ञापन 1. शराब के विज्ञापन तथा ऐसे हर प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाय जिससे शराब पीने के प्रति आकर्षण पैदा होता है। यदि अभी तक इस संबंध में कानून नहीं बनाये गये है तो राज्य सरकारें आवश्यक नियम बनायेंगी।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब 2. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबन्ध होगा। इस उद्देश्य से होटल, होस्टल, रेस्टोरेन्ट, क्लब्स आदि में शराब का उपयोग नहीं किया जायगा। इसी प्रकार "ताड़ी" और देशी शराब को भी दुकानों पर पीने की इजाजत नहीं दी जायगी, विदेशी डिप्लोमेट्स एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए नियमों में निम्नलिखित ढील दी जायेगी :—

(क) विदेशी एम्बेसियों में शराब के उपयोग पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी।

(ख) ऐसी एम्बेसीज, होटल एवं क्लब्स में भी शराब को काम में ले सकेगी यदि वे कुछ ही व्यक्तियों को इसके लिये आमंत्रित करें। उपरोक्त 'क" में बताई गई छूट उन व्यक्तियों को भी दी जायेगी जो कि विदेशी लोगों को आमंत्रित करते हैं, परन्तु ऐसी पार्टियों में संख्या 100 से अधिक नहीं होगी, और ऐसे व्यक्ति जो विदेशी लोगों को पार्टी दे रहे हैं, उन्हें उपायुक्त/जिलाधीश से इस संबंध में आवश्यक परमिट लेना पड़ेगा।

(ग) वार्स एवं विशिष्ठ कमरे जो कि विदेशी लोगों के लिए आरक्षित हैं उन्हें शराब के उपयोग की छूट होगी, परन्तु यह सब होटल्स एवं रेस्टोरेन्ट्स पर्यटन मंत्रालय द्वारा अधिकृत होने चाहिए। अधिकृत होटल्स में विदेशी एवं भारतीय लोगों को बीयर सप्लाई पर कोई रुकावट नहीं होगी किन्तु शराब को डाइनिंग कमरों में केवल विदेशियों को ही सप्लाई की जा सकेगी। क्लब्स अपने बार रूम्स में शराब सुविधा रख सकेंगे परन्तु बीयर को क्लब के किसी भी स्थान पर उपभोग करने की इजाजत होगी।

318

(घ) पार्टियां जो विदेशी मेहमानों के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनमें शराब परोसी जा सकेगी।

(ङ) डिफेन्स सर्विस इन्स्टालेशन्स में भी शराब सर्व करने की ऐसे स्थानों पर छूट होगी जैसे मैस, क्लब आदि।

शराब की दुकानों का स्थान

3.1 श्रमिकों को शराब से दूर रखने के लिए औद्योगिक सिंचाई एवं अन्य विकास परियोजनाओं के पास कोई शराब की दुकान नहीं लगाई जायेगी। ऐसी दुकानों का कम से कम फासला 2 किलो मीटर होगा घनी बस्तियों में यह दूरी कुछ कम की जा सकती है। ऐसी परियोजनाओं के पास यदि अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं तो भविष्य में नहीं दिये जायेंगे।

3.2 राजकीय मार्ग से शराब की दुकान की दूरी कम से कम 500 मीटर्स रखी जायेगी।

3.3 शिक्षा एवं धार्मिक संस्थाओं, श्रमिकों एवं हरिजन बस्तियों के पास शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी। इन दुकानों की ऐसी बस्तियों से कितनी दूरी होगी यह राज्य सरकारें तय करेंगी जहां तक संभव हो यह दूरी 500 मीटर्स से कम नहीं होगी। प्राईमरी स्कूल इसमें सम्मिलित नहीं है।

बच्चों द्वारा शराब का उपयोग

4. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शराब किसी भी हालत में नहीं बेची जायेगी।

एल्कोहल के कन्टेन्ट्स

5. बीयर में एल्कोहल की कन्टेन्ट्स किसी भी हालत में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। धीरे धीरे इसको कम कर 3 प्रतिशत तक लाया जायेगा।

उत्पादन एवं उपभोक्ता की कमी

6.1 'डिस्टीलेसन'' अथवा ''ब्रिवुईंग'' के उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई नया अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जायेगा। शत-प्रतिशत निर्यात करने वालों के लिए इसमें ढील दी जा सकेगी।

6.2 शराब की दुकान देश के किसी भी भाग में केवल आबकारी आय के लिये ही नहीं खोली जायेगी।

6.3 राज्य सरकारें किसी भी परिस्थिति में शराब की दुकानें नहीं खोलेंगी।

6.4 वेतन के दिन सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारें शराब की दुकान बंद रखवायेंगी ।

मोटर गाड़ियों के ड्राईवरों पर रोक 7.1 मोटर ड्राइवरों व हवाई जहाज के पायलटों पर वर्तमान में जो रुकावटें लगा रखी हैं उनका पालन सख्ती से किया जायेगा। यदि इन नियमों की कोई अवहेलना करेगा तो ऐसे व्यक्तियों के अनुज्ञा-पत्र काफी लम्बे समय के लिए रद्द कर दिये जायेंगे ।

7.2 मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों को शराब खरीदने पर एवं उन्हें बेचने पर पूरी तरह से रोक होगी ।

कानूनों में कसावट 8. आवकारी कानूनों को और कसा जायेगा ताकि आवकारी नियमों की अवहेलना करने पर सख्ती से निपटा जा सके। स्पेशल मोबाईल्स पुलिस स्कवेड्स जहां भी आवश्यक होंगे बनाये जायेंगे।

विज्ञापन एवं प्रचार 9.1 राजकीय एवं अन्य संस्थाएं शराब पीने की बुराइयों के संबंध में प्रचार करेंगी ।

9.2 लोक प्रिय नेता लोगों को प्रेरणा देने के लिए व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ।

राजस्थान में टैम्परेन्स प्रोग्राम की पालना के लिये किये जा रहे प्रयासों का विवरण

इस प्रोग्राम की अनुपालना हेतु आवकारी नियमों में प्रावधान हैं तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों में भी इनका समावेश है। जिला आवकारी अधिकारी इनकी पालना कराने के लिये समय समय पर उचित कार्यवाही करते हैं।

परिशिष्ट–19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची)

प्रपत्र "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, नोखा से वर्ष 1981–82, 1982–83 तथा 1983–84 (माह जुलाई 83 तक) विभिन्न साधनों से प्राप्त आय का विवरण

क्रम संख्या.	आय के साधन	1981–82	1982–83	1983–84 (जुलाई–83 तक)
1.	अनुज्ञापत्र की आय	3,950.00	4,994.00	787.00
2.	मण्डी शुल्क की आय	5,75,999.78	5,80,033.01	2,42,101.46
3.	जमा धन पर ब्याज	—	3,649.55	207.10
4.	फार्मपर्ची विक्रय	—	2,285.15	576.35
5.	विलम्ब शुल्क	—	436.66	90.52
6.	अन्य आय	—	1,841.97	965.00
	योग	5,79,949.78	5,93,540.34	2,44,727.43
7.	ऋण एवं अनुदान	12,500.00	19,30,000.00	4,95,753.00

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 39 की सूची)

क्र. सं.	पंचायत क्षेत्र	ग्राम	कार्य का नाम
1.	जलिन्द्री	भटखेड़ी	पनवटिया तालाब
2.	विकरण	नाथजी का खेडा	नाथजी का खेडा तालाब
3.	विकरण	विकरण	विकरण तालाब
4.	झाडोल	शताजी का खेडा	कावरडिया तालाब
5.	थल	थल	थल तालाब
6.	धामनिया	संग्रामपुरा	संग्रामपुरा तालाब
7.	सरथला	सरथला	सरथला टेस्ट कार्य तालाब
8.	खाचरोल	माकडिया	माकडिया तालाब
9.	धामनिया	धामनिया	धामनिया तालाब
10.	आमली	लटाला	लटाला तालाब
11.	सरथला	आमली	पित्या का एनिकट
12.	सिगोली	नरसिंह नगर	श्याम सागर तालाब
13.	सरथला	राजपुरा	राजपुरा तालाब
14.	झाडोल	लसाडिया	कंवल का देह तालाब
15.	विकरण	देराजी का खेडा	काला चबूतरा तालाब
16.	माल का खेडा	माल का खेडा	भटक का नाका तालाब
17.	मकरेडी	मोतीपुरा	मोतीपुरा तालाब
18.	श्रीनगर	श्रीनगर	श्री नगर तालाब
19.	मानपुरा	आलिया	अनवासा बांध, तालाब
20.	मकरेडी	राधाजी का गुडा	गुडा के नेताजी का तालाब
21.	भोतपुरा	बांका	धोबी गगटी एनीकट
22.	सलावटिया	सलावटिया	कुण्डिया साल नया सागर तालाब
23.	भोपतपुरा	भोतपुरा	मण्डोल बांध तालाब
24.	माल का खेडा	माल का खेडा	माल का खेडा एनीकट
25.	माल का खेडा	भटखेडी एनीकट	भटखेडी एनीकट
26.	माल का खेडा	नेगडिया	नेगडिया एनीकट
27.	भोतपुर	चैनपुरा	जूड का नाका एनीकट
28.	वरून्दनी	वरून्दनी	वरून्दनी तालाब
29.	श्यामपुरा	पटियाल	पटियाल प्रोजेक्ट तालाब
30.	जलीन्द्री	बान्दर मुथा	शिवसागर वान्दरमुथा तालाब
31.	धामनिया	बिलिया	बिलियाखाल तालाब
32.	श्रीनगर	घोलपुरा	घोलपुरा नाडि तालाब
33.	विकरण	नाहरगढ	घोलपुरा तालाब
34.	श्रीनगर	श्रीनगर	श्रीनगर तालाब
35.	मानपुरा	सारण का खेडा	सारण का खेडा तालाब
36.	मोहनपुरा	दोलजी का खेडा	देवरी नाला तालाब
37.	बरून्दनी	वरून्दनी	प्रोजेक्ट तालाब
38.	खाचरोल	माकडिया	माकडिया एनिकट
39.	बिगोद	विगोद	जामुलि दह तालाब
40.	सुरास	मेहताजी का खेडा	मेहताजी का खेडा तालाब

(322)

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में माण्डलगढ में अकाल राहत सड़कों एवं काजेल की सूची

क्र.सं.	नाम कार्य	कार्य जो करवाया गया
1.	माण्डलगढ़ देवली सड़क	डामर एवं मेटल सड़क
2.	बरून्दनी माण्डलगढ़	डामर एवं मेटल सड़क मेनाली पर काजवे
3.	मानपुरा श्यामपुरा जलिन्द्री	मेटल एवं ग्रेवल एवं मेज नदी पर काजवे
4.	बड़लियास खटवाड़ा	ग्रेवल सड़क
5.	त्रिवेणी सिंगोली	मेटल एवं डामर
6.	महुआ धामनिया	ग्रेवल
7.	माण्डलगढ़ बीकरण	डामर एवं ग्रेवल
8.	मांगथला माला का खेड़ा	फेयरवेदर
9.	सुवाईपुर माण्डलगढ़	डामर एवं मेटेरियल कलवशन सड़क चौड़ा करने के लिए।
10.	महुआ मांगथला	फेयर वेदर एवं ग्रेवल सड़क
11.	काछोला गेवरिया	ग्रेवल सड़क
12.	काछोला राजगढ़ सरथला	ग्रेवल सड़क
13.	बिंगोद नन्दराय	मेटल डामर सड़क
14.	बरून्दनी भिचोर सड़क	मेटल सड़क
15.	मेनोली मोहनपुरा	ग्रेवल सड़क
16.	बिगोद जालिया	ग्रेवल सड़क
17.	माण्डलगढ़ किला सड़क	डामर सड़क
18.	सरथला टिटोड़ा	फेयरवेदर
19.	जलिन्द्री श्यामपुरा पनवाड़ा	फेयरवेदर
20.	बेरीसाल से मण्डी	फेयरवेदर
21.	मोपी का बावड़ी तिलस्वा	फेयरवेदर
22.	त्रिवेणी मण्डी	ग्रेवल सड़क
23.	काछोला बाई पास	ग्रेवल सड़क
24.	हुरड़ा बाई पास	ग्रेवल सड़क एवं फेयरवेदर
25.	बिकरण टिटोड़ा	फ़ेयरवेदर
26.	बरून्दनी पारसोली	फेयरवेदर
27.	जोजवा बिठलपुरा	फेयरवेदर ग्रेवल
28.	बांका से मेधारावती झोपड़िया	फेयरवेदर ग्रेवल
29.	हुरड़ा पिथाजी का खेड़ा	फेयरवेदर

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 40 की सूचना)

वर्ष 1981–82 में किराए के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्धन हेतु रु. 5000/– से अधिक स्वीकार की गयी राशि के मामलों की सूची––

क्र.सं.	आवास संख्या एवं स्थिति	स्वीकृत राशि	स्वीकार करते समय रहने वाले का नाम	आधार
1	2	3	4	5
1.	"एफ" एवं "एच" टाईप आवास गांधीनगर, जयपुर	90,500/–	"एफ" एवं "एच" टाईप आवासों के सभी कर्मचारी	नालियां बनाने के लिए
2	4 एवं 5 टाईप आवास गांधीनगर, जयपुर	12,650/–	4 एवं 5 टाईप आवासों के सभी कर्मचारी	वायर फेंसिंग के लिए
3.	विधायक नगर एवं विधायकपुरी के आवास	1,23,000/–	विधायक नगर एवं विधायकपुरी के सम्बन्धित विधायकगण	विधायकनगर के आवासों में वाशबेशिन पानी का नल एवं टांड लगाने के लिए तथा एक स्वागत कक्ष और स्टील बोर्ड बनाने के लिए एवं विधायक पुरी के 18 आवासों में वायरगेज शटर्स लगाने के लिए
4.	49, सिविल लाइन्स, जयपुर	19,700/–	मा. श्री परसरामजी मदेरणा	रसोईघर का रिनोवेशन करने, वाटर हीटर लगाने एवं सेनेटरी के कार्य हेतु

1	2	3	4	5
5.	13 सिविल लाइन्स, जयपुर	5,376/–	श्रीमती कमला, मंत्री शिक्षा विभाग	कांटेदार तार लगाने के लिए
6.	48, सिविल लाइन्स, जयपुर	5.260/–	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, स.वि.स	कोटा स्टोन का आंगन आदि
7.	बी–385 सिविल लाइन्स, जयपुर	8,400/–	मा.श्री प्रद्युम्न सिंह राज्य मंत्री	सामान्य परिवर्तन/परिवर्द्धन
8.	2, अस्पताल मार्ग, जयपुर	10,000/–	मा.श्री जयकृष्ण जी राज्य मंत्री	सामान्य परिवर्तन/परिवर्द्धन
9.	स–10, एम. एल. एज. आवास, जयपुर	7,200/–	श्रीमती उज्जला अरोड़ा, स.वि.स.	कम्पाउन्ड वाल को ऊंचा करना टिन शेड में दीवार फर्श बनाना तथा रसोई आदि में किंवाड़ लगाना
10.	5, अस्पताल मार्ग जयपुर	6,225/–	डा. एस.आर. मेहता	सामान्य परिवर्तन/ परिवर्द्धन
11.	22, सवाईरामसिंह रोड, जयपुर	18,500/–	आई.जी.पी. राजस्थान	स्नानागार आदि के नवीनीकरण एवं पेल–मेट्स आदि लगाने के लिए
12.	बी–4, गांधीनगर, जयपुर	6,000/–	श्री के. के. भटनागर	एक तहारत का निर्माण
13.	बी–7, गांधीनगर, जयपुर	9.500/–	श्री राजेन्द्र जैन	सामान्य परिवर्तन/परिवर्द्धन
14.	8, अस्पताल मार्ग, जयपुर	10,000/–	श्री एन.के. वर्मा	,, ,,
15.	डी–724, गांधीनगर, जयपुर	9800/–	श्री लक्ष्मी चन्द गुप्ता	,, ,,

वर्ष 1982–83 में किराए के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु रु. 5000/– से अधिक स्वीकार की गयी राशि के मामलों की सूची

क्र.सं.	आवास संख्या एवं स्थिति	स्वीकृत राशि	स्वीकार करते समय रहने वाले का नाम	आधार
1	2	3	4	5
1.	राज भवन, जयपुर	3,03,000/–	मा. राज्यपाल महोदय	राजभवन एवं उसके अतिथि गृह में परिवर्तन/ परिवर्धन हेतु
2.	14, सिविल लाइन्स, जयपुर	25,400/–	मा. पूनमचन्द जी विश्नोई	काउशेड बनाने के लिए
3	18, सिविल लाइन्स, जयपुर	3,87,000/–	श्री हनुमान प्रभाकर, स. वि.स.	कम्पलीट नवीनीकरण के लिए
4.	49, सिविल लाइन्स, जयपुर	28,300/–	मा. श्री परसरामजी मदेरणा	काऊशेड बनाने के लिए
5.	18–डी, सिविल लाइन्स, जयपुर	6,400/–	श्री सी. एल. कंवरिया स. वि. स.	बाउन्ड्रीवाल के पास रफ कोटा स्टोन लगाना बिजली का अतिरिक्त प्रबन्ध एवं लान में फ्लोर ग्रीडिंग का कार्य
6.	382–ए, सिविल लाइन्स, जयपुर	7,600/–	मा. श्री बी. डी. कल्ला	स्टीलफ्रेम डोअर, रसोई एवं बाग के लिए होदी मय पाईप लगाने के लिए
7.	47, सिविल लाइन्स, जयपुर	6,300/–	श्री गोविन्द आमलिया, स. वि. स.	बिजली के कार्य में परिवर्तन/ परिवर्धन
8.	सी–10, एम.एल.ए.'ज. आवास	6,900/–	श्रीमती उजला अरोड़ा, स. वि. स.	एक अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए
9.	बी-11, एम.एल ए'.ज. आवास	9,600/–	श्री जीतमल जैन, स. वि. स.	सामान्य परिवर्तन/परिवर्द्धन

1	2	3	4	5
10.	2, धाभाईजी की हवेली जयपुर	17,200/-	श्री लच्छूराम स.वि.स.	एक टायलेट का निर्माण करने तथा एक वाश बेसिन लगाने के लिए
11.	385, सिविल लाइन्स, जयपुर	7,300/-	श्रीमती उषा खान	सामान्य परिवर्तन/परिवर्द्धन
12.	ए-2, गांधी नगर, जयपुर	20,700/-	हाईकोर्ट का गेस्ट हऊास	अतिरिक्त टॉयलेट का निर्माण
13.	32, सवाई रामसिंह रोड, जयपुर	9,500/-	मुख्य सचिव महोदय	सामान्य परिवर्तन/परिवर्द्धन
14.	47, सिविल लाइन्स, जयपुर	16,300/-	श्री जी के. भनोत	कम्पाउण्डवाल ऊंची करने एवं सेनेटरी का कार्य करने
15.	1/5, गांधीनगर, जयपुर	8,200/-	श्री एच. रमनी	प्रथम मंजिल में परिवर्तन/परिवर्धन
16.	बी-3, गांधीनगर, जयपुर	6,200/-	श्री माधोसिंह मीना	एक टॉयलेट के निर्माण हेतु
17.	सी-635, गांधीनगर, जयपुर	12,000/-	श्री एन.के. बैरवा	अतिरिक्त टॉयलेट का निर्माण जालीदार किवाड़ लगाने एवं सामान्य परिवर्तन/परि.
18.	ए-8, गांधीनगर, जयपुर	16,000/-	श्री वी.आई. राजगोपाल	एक गार्ड रूम एवं एक टॉयलेट बनाने के लिए
19.	2/9, गांधीनगर, जयपुर	7,000/-	श्री वी.एन. बहादुर	सामान्य परिवर्तन/परिवर्धन
20.	612, बनी पार्क, जयपुर	5,700/-	श्री नमोनारायण मीणा	स्टील सेक्सन विन्डो एवं आंगन ठीक कराने के लिए
21.	1/3, गांधीनगर, जयपुर	10,575/-	श्री एल.बी बक्षी	कोर्ट यार्ड में परिवर्तन/परिवर्द्धन

वर्ष 1983-84 में किराए के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु रु. 5000/- से अधिक स्वीकार की गयी राशि के मामलों की सूची--

क्र.सं.	आवास संख्या एवं स्थिति	स्वीकृत राशि	स्वीकार करते समय रहने वाले का नाम	आधार
1.	25 "एफ" एवं 25 "जी" टाईप आवास गांधीनगर, जयपुर	1,27,000/-	सम्बन्धित सभी कर्मचारी	जालीदार किवाड़ लगाने के लिए
2.	गांधीनगर-डिस्पेन्सरी, जयपुर	20,000/-	—	एक्सरे रूम का निर्माण
3.	8, सिविल लाइन्स जयपुर	20,000/-	मा. मुख्यमंत्री महोदय	स्ट्रीट लाइटिंग के लिए
4.	1, अस्पताल मार्ग, जयपुर	95,000/-	मा. श्री हीरालालजी देवपुरा	तीन कमरों के निर्माण हेतु
5.	11, अस्पताल मार्ग, जयपुर	52,600/-	मा. रामकिशनजी	अतिथि कक्ष के निर्माण हेतु एवं आंगन तथा टॉयलेट का रिनोवेशन
6.	283, सिविल लाइन्स, जयपुर	20,000/-	मा. श्री देवेन्द्र सिंह	रसोई एवं टॉयलेट का रिनोवेशन तथा सेनेटरी के कार्यों के लिए
7.	1-ए, खातीपुरा रोड, जयपुर	6,000/-	न्यायाधिपति श्री जी. के. शर्मा	लोहे की ताड़ियां लगाने के लिए
8.	5, अस्पताल मार्ग, जयपुर	6,250/-	डा. एस. आर. मेहता	फाल्स सीलिंग लगाने एवं संगमरमर का आंगन बनाने के लिए
9.	52, रामसिंह रोड, जयपुर	15,000/-	मुख्य सचिव राजस्थान	गेरेज का निर्माण ए.सी. शीट शेड एवं एपरोचरोड का निर्माण
10.	बी-2, गांधीनगर, जयपुर	20,000/-	श्री आर. एल. मिश्रा	टॉयलेट का रिनोवेशन, लकड़ी का कार्य एवं विद्युतिकरण के लिए
11.	बी-2, गांधीनगर, जयपुर	12,000/-	श्री वी. के. थानवी	गार्ड रूम मय टॉयलेट बनाने के लिए
12.	54, रामसिंह रोड, जयपुर	15,000/-	श्री राजेन्द्र मोहन	रसोई एवं स्नानागार का रिनोवेशन तथा पेलमेट्स लगाने के लिए
13.	1/6, गांधीनगर, जयपुर	13,000/-	श्री सुधीर वर्मा	पिछले बरामदे को बढ़ाकर लाज में परिवर्तन करने के लिए
14.	1/5, गांधीनगर, जयपुर	13,000/-	श्री एच. रमनी	" " "

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 41 की सूची)

पंचायत समिति शाहपुरा-वर्ष 81-82

क.सं.	महिला का नाम, जिसे सिलाई मशीन से लाभान्वित किया	कीमत	फर्म का नाम	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती मंजु/अमरचन्द शर्मा, धनोप	460/-	भावना इन्टर प्राइजेज, शाहपुरा	लक्ष्मी मशीन
2.	,, सीता/सोहनलाल दरोगा, ,,	,,	,,	,,
3.	,, नर्बदा/फतहलाल दरोगा, ,,	,,	,,	,,
4.	,, मूली/लादूराम दरोगा, ,,	,,	,,	,,
5.	,, उदव/अमरचन्द दरोगा, ,,	,,	,,	,,
6.	,, लक्ष्मी/ बछराज दरोगा, ,,	,,	,,	,,
7.	,, रतनदेवी/ प्रहलाद शर्मा, फूलिया कलां	,,	,,	,,
8.	,, शकुंतला देवी/ शक्तिसिंह, ,,	,,	,,	,,
9.	,, रामप्यारी/ प्रहलादराय ,,	,,	,,	,,
10.	,, सुमित्रादेवी/मदनलाल ,,	,,	,,	,,
11.	,, बालीदेवी/ भैरू कुम्हार, तस्वारिया खुर्द	,,	,,	,,
12.	,, मधु/मनोहरलाल सेन, आरनी	,,	,,	,,
13.	,, शान्तिदेवी/ भंवरलाल गहूली	,,	,,	,,
14.	,, सांवली/ बालू धाकड़, ढाणी भवसागर	,,	,,	,,
15.	,, द्रोपदी/ सेवाराम, फुलिया खुर्द	,,	,,	,,
16.	,, जन्नतबाई/ अजीज, अर घोड़ा	,,	,,	,,
17.	,, कानादेवी/लादूलाल, ढिकोला	,,	,,	,,
18.	,, गीतादेवी/दौलतराम ,,	,,	,,	,,
19.	,, पानीबाई/भूरालाल ,,	,,	,,	,,
20.	,, रुकमणी/ जानकीलाल ,,	,,	,,	,,
21.	,, पुष्पा/दुर्गालाल ,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
22.	श्रीमति अनुराधा/रामेश्वरप्रसाद, खामोर	460/-	भावना इन्टर प्राईजेज, शाहपुरा	लक्ष्मी मशीन
23.	,, चन्द्रकांता/ रामगोपाल ,,	,,	,,	,,
24.	,, भंवरी/लक्ष्मीनारायण ,,	,,	,,	,,
25.	,, रंगशोभा/ सोहनलाल ,,	,,	,,	,,
26.	,, सम्पतदेवी/ हरिशंकर ,,	,,	,,	,,
27.	,, लेहरीदेवी/सत्यनारायण ,,	,,	,,	,,
28	,, सीतादेवी/घनश्याम ,,	,,	,,	,,
29.	,, लालीदेवी/रामलाल ,,	,,	,,	,,
30.	,, गीता/शिव दरोगा, प्रतापपुरा	,,	,,	,,
31.	,, सीता/ सोहनलाल धनोप	,,	,,	,,
32.	,, मोहनी/गोपाल नाई ,,	,,	,,	,,
33.	,, नोरतीबाई/भूरालाल ,,	,,	,,	,,
34.	,, प्रेमकुमारी/प्यारेलाल ,,	,,	,,	,,
35.	,, पवनकुमारी/रतनलाल ,,	,,	,,	,,
36.	,, सन्तोष/कुन्दनमल ,,	,,	,,	,,
37.	,, हमीदा/	,,	,,	,,
38.	,, जगमी/सोहनलाल	,,	,,	,,
39.	,, चांदी/भंवरलाल	,,	,,	,,
40.	,, सीता/रामलाल	,,	,,	,,
41.	,, भंवरी/रामस्वरूप धनोप	,,	,,	,,
42.	,, कन्या/हरजी दरोगा ,,	,,	,,	,,
43.	,, लालीदेवी/सोहनलाल सांगरिया	,,	,,	,,
44.	,, गंगादेवी महावीर दरोगा ,,	,,	,,	,,
45.	,, विष्णुकंवर/मदनसिंह ,,	,,	,,	,,
46.	,, प्रेमदेवी/मदनलाल ,,	,,	,,	,,
47.	,, शांतीकुमारी/रामकुमार राज्यास	,,	,,	,,
48.	,, प्रेमशंकर/ बावरी ,,	,,	,,	,,
49.	,, बदाम/नंदराम बावरी ,,	,,	,,	,,
50.	,, रामकन्या/ भैरूलाल पनोतिया	,,	,,	,,
51.	,, गोगा/शंकरपुरी ,,	,,	,,	,,
52.	,, रामकन्या/ गुलाबचंद अरवड़ सुनार	,,	,,	,,
53.	,, मांगी/ सुरजकरण ,,	,,	,,	,,

330

1	2		3	4	5
श्रीमती	,, महरूम/कासमदीन	अरवड़	460/-	भावना इन्टर प्राईजेज, शाहपुरा	लक्ष्मी मशीन
55.	,, बरकती/ चांद पीनारा	,,	,,	,,	,,
56.	,, प्रेमकुमारी/छगनलाल दर्जी	,,	,,	,,	,,
57.	,, ताराकुमारी/मनोहरसिंह	,,	,,	,,	,,
58.	,, प्यारी/मिट्ठू विलायती	,,	,,	,,	,,
59.	,, विमला रतनलाल शर्मा	रणजीतपुरा	,,	,,	,,
60.	,, अयोध्या/रामदयाल ब्रा.	,,	,,	,,	,,
61.	,, कुमारीमी /कन्हैया लाल साधू	,,	,,	,,	,,
62.	,, शायरी/ छोटु विलायती	अरवड़	,,	,,	,,
63.	,, मेबुन/अहमद नूर	,,	,,	,,	,,
64.	,, चांददेवी/जगदीशसुनार	,,	,,	,,	,,
65.	,, प्रेम/ ईश्वर सुनार	रहड़	,,	,,	,,
66.	,, मज्जनदेवी/परमेश्वर शर्मा	देतराजपुरा	,,	,,	,,
67.	,, लालदेवी /भागुता तैली	,,	,,	,,	,,
68.	,, कांता/काना हरिजन	बछखेड़ा	,,	,,	,,
69.	,, सुमित्रादेवी/ शांतीलाल	,,	,,	,,	,,
70.	,, चंद्रकांता/लादूलाल गर्ग	धनोप	,,	,,	,,
71.	,, मांगीदेवी/ हीरालाल	,,	,,	,,	,,
72.	,, पार्वती/हीरालाल	,,	,,	,,	,,
73.	,, सीता/लक्ष्मणलाल	कनैछनकलां	,,	,,	,,
74.	,, गीता/गोपाल कुम्भार	,,	,,	,,	,,
75.	,, प्रेमदेवी/रामदयाल	बछखेड़ा	,,	,,	,,
76.	,, मंजूदेवी/कैलाश पारासर	,,	,,	,,	,,
77.	,, सरजू/घीसालाल	रघुराजपुरा	,,	,,	,,
78.	,, रेणू/फूलचंद	धनोप	,,	,,	,,
79.	,, प्रेम/चन्द्रप्रकाश	,,	,,	,,	,,
80.	,, मंजुकुमारी/मोहनलाल	,,	,,	,,	,,
81.	,, प्रीती/	,,	,,	,,	,,
82.	,, जनक/भरत	,,	,,	,,	,,
83.	,, फरीदा/अमीनखां,	अरनियाघोड़ा	,,	,,	,,
84.	,, भगबती/राधाकिशन	,,	,,	,,	,,
85.	,, मुन्नी/दुर्गालाल,	खामोर	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
86.	श्रीमती नानी/हर्रीलाल इटड़िया		460/-	भावना इन्टर-प्राइजेज,शाहपुरा	लक्ष्मी टेलर मोडल
87.	,, धर्मी/ आत्माराम साधू	इटड़िया	,,	,,	,,
88.	,, इन्द्रा/रामगोपाल,	इडड़िया	,,	,,	,,
पंचायत समिति–बनेड़ा वर्ष 1981-82—					
1.	श्रीमती गीता कंवर/ गीसूसिह	उपरेड़ा		,,	,,
2.	,, मदन कंवर/गोगराजसिंह	,,	,,	,,	,,
3.	,, कैलाशी/ सुवालाल	,,	,,	,,	,,
4.	,, मोहनी/हीरालाल	,,	,,	,,	,,
5.	,, मोड कंवर/मूलसिंह	,,	,,	,,	,,
6.	,, लादी/रामगोपाल,	बल्दरखां	,,	,,	,,
7.	,, मांगी/बालू लखारा	,,	,,	,,	,,
8.	,, गीता/लादूदास	,,	,,	,,	,,
9.	,, कैलाशकुमारी/ ब्रजमोहन	,,	,,	,,	,,
10.	,, शोभागकंवर/ नारायणसिंह	,,	,,	,,	,,
11.	,, नेपालकंवर/भैरुसिंह	,,	,,	,,	,,
12.	,, भगवतीकंवर/गंगासिंह	,,	,,	,,	,,
13.	,, उछब/कालूदास	,,	,,	,,	,,
14.	,, रामप्यारी/ रामपाल	,,	750/-	,,	(पायदान सहित)
15.	,, सीता/लादूलाल,	रायला	460/-	,,	,,
16.	,, अनोपी/ रघुनाथ जाट,	डाबला	,,	,,	,,
17.	,, विमला/ बंसीलाल,	उपरेड़ा	,,	,,	,,
18.	,, अनोप/नानूराम,	कोडलाई	750/-	,,	(पायदान सहित)
19.	,, नंदू/ ओंकार,	ववराना	,,	,,	,,
20.	,, नंदू/ हीरादास	,,	,,	,,	,,
21.	,, दाखी/ रामचन्द्र	,,	460/-	,,	लक्ष्मी मशीन
22.	,, भंवरकंवर/दीपसिंह	,,	,,	,,	,,
23.	,, आसा/मोती ढोली	,,	,,	,,	,,
24.	,, सोहनी/गोवर्धन दरोगा	,,	,,	,,	,,
25.	,, सायरी/उदा खारोल	,,	,,	,,	,,
26.	,, प्रेमबाई/भूरदास	,,	,,	,,	,,
27.	,, लीला/ बंसीलाल	डाबला	480/-	,,	(टेलर माडल)
28.	,, प्रेम/दुलीचन्द	,,	,,	,,	,,
29.	,, कमला/मूलचन्द	,,	,,	,,	,,
30.	,, गंगादेवी/मनोहरसिंह	बनेड़ा	,,	,,	,,

(332)

1	2	3	4	5	6
31.	श्रीमती चांद/ गनी मो.	,,	480/-	भावना इन्टर-प्राईजेज, शाहपुरा	लक्ष्मी टेलर मोडॅल
32.	,, पचसमा/गनी मो.	,,	,,	,,	,,
33.	,, आबीदा/रफीक मो.	,,	,,	,,	,,
34.	,, गुन्नी/ईकबाल अंसारी	,,	,,	,,	,,
35.	,, ऐमना/ भरद हुसैन	,,	,,	,,	,,
36.	,, सहीदा/ अब्दुल सतार	बनेड़ा	,,	,,	,,
37.	,, कलसुम/ मोहम्मद हनीफ अंसारी		,,	,,	,,
38.	,, हमीदा मोलाबक्ष	,,	,,	,,	,,
39.	,, मिठूकंवर मोहनलाल	डावला	,,	,,	,,
40.	,, मुन्नीदेवी/वाबूसिह	बनेड़ा	,,	,,	,,
41	,, मुन्नी/शरीफ मोह०	,,	,,	,,	,,
42.	,, जमीला/रजाक मोह०	,,	,,	,,	,,

पंचायत समिति जहाजपुर वर्ष 1981-82 :—

1.	श्रीमती गीतादेवी/श्रीचन्द छीपा	शक्करगढ़	1000/-
2.	,, गीतादेवी/देवीलाल खाती	तलौदा	,,
3.	,, तुलसी/नाथूराम बैरागी	,,	,,
4.	,, सन्तोषदेवी/विजय शंकर,	शक्करगढ़	,,
5.	,, नर्बदा/सुरजमल ब्राह्मण	वेई	1000/-

पं० सं० :—हुरड़ा जिला—भीलवाड़ा 81-82

क्रम०सं०	नाम महिला	ग्राम	कीमत	फर्म का नाम	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	3	6
1.	श्रीमती मुन्नी/अलाबक्ष	हुरड़ा	325/-	राजा सिविंग मशीन अजमेर	राजा सि. कम्पनी
2.	,, मायादेवी/मथुरालाल मोची	,,	520/-		
3.	,, कमला/ हरीराम पुरोहित	,,	325/-	,,	,,
4.	,, जुवेदा खातून /इमामुदीन	,,	,,	,,	,,
5.	,, संतोषदेवी/ टीकम बैरवा	गुलाबपुरा	520/-	,,	,,
6.	,, मंजु/दुर्गालाल राव.	हुरड़ा	325/-	,,	,,
7.	,, निर्मला/ रामस्वरूप	,,	,,	,,	,,
8.	,, रतनदेवी/ उगरसिंह	,,	561.60	,,	,,

स्काईट--योजना

वर्ष 1981–82 वर्ष 1981–82

क्र.सं.		महिला का नाम जिसे सिलाई मशीन से लाभान्वित किया	कीमत	फर्म का नाम	कम्पनी का नाम
1		2	3	4	5
1	श्रीमती	सुन्दर देवी	540–00	बंशीलाल एण्ड संस	रीटा सिलाई
2	,,	सीता देवी	,,	भीलवाड़ा	मशीन
3	,,	प्रेमदेवी	,,	,,	,,
4	,,	भगवती देवी	,,	,,	,,
5	,,	विमला देवी	,,	,,	,,
6	,,	सन्तोष देवी	,,	,,	,,
7	,,	कमला देवी	,,	,,	,,
8	,,	शीला देवी	,,	,,	,,
9	,,	लक्ष्मी देवी	,,	,,	,,
10	,,	शीला देवी	,,	,,	,,
11	,,	पार्वती देवी	,,	,,	,,
12	,,	प्रेम देवी	540–00	कैलाश होजरी	लक्ष्मी सिलाई
13	,,	सीता देवी	,,	उद्योग, भीलवाड़ा	मशीन
14	,,	कंचन देवी	,,	,,	,,
15	,,	कल्पना देवी	,,	,,	,,
16	,,	शान्ता बाई	550–80	मै. रामचन्द्र बंशी	रीटा सिलाई
17	,,	मन्जु बाई	,,	लाल एण्ड संस	मशीन
18	,,	प्यारी बाई	,,	भीलवाड़ा	,,
19	,,	द्रोपदी बाई	,,	,,	,,
20	,,	भंवरी बाई	,,	,,	,,
21	,,	प्रेम बाई	,,	,,	,,
22	,,	लाली बाई	,,	,,	,,
23	,,	बादाम बाई	,,	,,	,,
24	,,	राम कन्या बाई	,,	,,	,,
25	,,	लाली बाई	,,	,,	,,
26	,,	पुष्पा देवी	,,	,,	,,
27	,,	तुलसी बाई	,,	,,	,,
28	,,	बादाम बाई	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
29	श्रीमती सुषमा	550-80 ,, ,,	मैसर्स रामचन्द्र वंशीलाल, एण्ड सम भीलवाड़ा	रीता सिलाई मशीन ,,
30	,, जमना बाई	,,	,,	,,
31	,, प्रेम बाई	,,	,,	,,
32	,, उषा देवी	,,	,,	,,
33	,, शान्ता बाई	,,	,,	,,
34	,, सन्तोष बाई	,,	,,	,,
35	,, धापु बाई	,,	,,	,,
36	,, सुन्दर बाई	,,	,,	,,
37	,, राधा बाई	,,	,,	,,
38	,, गीता देवी	,,	,,	,,
39	,, सुनीता	540-00	,,	,,
40	,, भंवरी बाई	,,	,,	,,
41	,, रतनी देवी	540-00	,,	,,
42	,, रतन कंवर	,,	,,	,,
43	,, मीना	,,	,,	,,
44	,, भंवरी देवी	,,	,,	,,
45	,, राजुदेवी	,,	,,	,,
46	,, भारत कुमारी	,,	,,	,,
47	,, शांति देवी/केशरीमल खटीक	665-00	राजस्थान काम. हाउस, भीलवाड़ा	उषा सिलाई मशीन
48	,, देऊ/धुमाण खटीक	,,	,,	,,
49	,, मोहन देवी/जगन्नाथ	,,	,,	,,
50	,, प्यारी देवी/चरणदास	,,	,,	,,
51	,, छगन देवी/प्रेम देवी	,,	,,	,,
52	,, विमला देवी/लादुलाल	,,	,,	,,
53	,, शान्ति देवी/ छगनलाल	,,	,,	,,
54	,, कुंकुंम देवी/ श्यामलाल	,,	,,	,,
55	,, नाथी देवी/प्रयार चंद	,,	,,	,,
56	,, प्रेम देवी/हजारी खटीक	,,	,,	,,
57	,, लक्ष्मी देवी/हीरालाल खटीक	,,	,,	,,
58	,, बदाम बाई/राधाकिशन	,,	,,	,,
59	,, सीता देवी/जगन्नाथ	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
60	श्रीमती सुन्दर देवी/ज्ञानमल खटीक	रा. काम हाऊस, भीलवाडा		ऊषा
61	,, प्रेम देवी/राधेश्याम खटीक	,,	,,	सिलाई मशीन
62	,, मिरा बाई/सीताराम	,,	,,	,,
63	,, मांगी बाई/भंवर	,,	,,	,,
64	,, संतोष बाई/मांगीलाल जीन	,,	,,	,,
65	,, सोहन बाई/मांगीलाल	,,	,,	,,
66	,, लाला बाई/ओमप्रकाश	,,	,,	,,
67	,, जेता बाई/लादूराम	,,	,,	,,
68	,, गट्टू बाई/सुखदेव नायक	,,	,,	,,
69	,, कमला बाई/रोड़लाल	,,	,,	,,
70	,, बरजी बाई/रामचन्द्र	,,	,,	,,
71	,, शायरी/घीसु चमार	,,	,,	,,
72	,, बिरजी/रामसिह	,,	,,	,,
	पंचायत समिति शाहपुरा वर्ष 1982-83.			
1	श्रीमती जमनी/ रामलाल हरिजन ढिकोला	505-00	जहाजपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति, जहाजपुर	उषा रूपा डिलक्स
2	,, साहरन/मांगू नायक ,,	,,		,,
3	,, प्रेम/गोपाल बावरी ,,	,,	,,	,,
4	,, कंचन/बालू बावरी ,,	,,	,,	,,
5	,, लादी/रेवा रेगर ,,	,,	,,	,,
6	,, सीहनी/ माधु रेगर ,,	,,	,,	,,
7	,, कमला/मदन रेगर सांगरिया	,,	,,	,,
8	सीता/रामस्वरूप रेगर ,,	,,	,,	,,
9	,, नानूड़ी/पूरण रेगर ,,	,,	,,	,,
10	,, कजोड़ी/नन्दा चमार रूपपुरा	,,	,,	,,
11	,, साहु/रामचन्द्र कुम्हार कनेछनकलां	,,	,,	,,
12	,, सीता/ रामेश्वर बावरी राज्यास	,,	,,	,,
13	,, मनफुली/काना गूजर डेलास	,,	,,	,,
14	,, मनभरी/ पांचू भील ,,	,,	,,	,,
15	,, सुगनादेवी/ शिवराज ,,	,,	,,	,,
16	,, पार्वती/कैलाशचन्द्र सांगरिया	,,	,,	,,
17	,, रामलीला/तेजसिंह सांखला ,,	,,	,,	,,
18	,, लीलादेवी/ ओमप्रकाश शर्मा ,,	,,	,,	,,
19	,, घीसी/गंगाराम कुम्हार रूपपुरा	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
20	श्रीमती प्रेमदेवी/ बद्रीलाल नाई रूपपुरा	505	जहाजपुर ग्राम सेवा	उषा रूपा
21	,, कान्ता/ जगदीश लुहार कनछेनकलां	,,	सहकारी समिति, जहाजपुर	डिलक्स
22	,, सायरी/ रामस्वरूप भील ,,	,,	,,	,,
23	,, गीतादेवी/ मांगीलाल खाती,,	,,	,,	,,
24	,, चितादेवी/ काना नाई ,,	,,	,,	,,
25	,, यशोदादेवी/ रघुनाथ गुजर ,,	,,	,,	,,
26	,, गीता/ सरदारसिंह राज्यास	,,	,,	,,
27	,, लादी/ कानां भील ,,	,,	,,	,,
पंचायत समिति—बनेड़ा वर्ष 1982-83				
1	श्रीमती उदी/ अजीज मोह. उपरेड़ा	625-00	राज. कार्माशयल	उषा मशीन
2	,, कैला ी/ रामपाल मुंशी	,,	हाउस, भीलवाड़ा	,,
3	,, जतनकुमारी/ रामपाल मुंशी	,,	,,	,,
4	,, सीतादेवी/ देवीशंकर बनेड़ा	460-00	भावना इन्टरप्राई-	लक्ष्मी मशीन
5	,, रूकमा/ उदा दरोगा उपरेड़ा	,,	जेज, शाहपुरा	,,
6	,, रतनी/ शंकर दरोगा ,,	,,	,,	,,
7	,, वसूल/ सुभान मोह. ,,	,,	,,	,,
8	,, सुन्दरदेवी/ सीतादेवी सं. नगर	,,	,,	,,
9	रामा/ जगदीश दरोगा उपरेड़ा	,,	,,	,,
10	शईदा/ इस्माइल शाह कु. कलां	,,	,,	,,
11	,, रामु/ रामबक्ष स. नगर	,,	,,	,,
12	,, सुशीला/ गौरीशंकर उपरेड़ा	,,	,,	,,
13	,, सरजू/ लाला ,,	,,	,,	,,
14	,, चांदी/ उदयलाल ,,	,,	,,	,,
15	,, रूकमणी/ प्यारचन्द ,,	,,	,,	,,
16	श्रीमती मिठ्ठदेवी/ रामनिवास बनेड़ा	800-00	भावना इटर प्राइ- जेज शाहपुरा	लक्ष्मी मशीन पायदान सहित
17	,, शारदादेवी/ मुशीलाल, फुलियांकलां ,,		,,	,,
18	,, फुलकंवर/ रामगोपाल, डाबला	465-00	आर्य उद्योग कुटीर, भीलवाड़ा	मोडल डान
19	,, शान्ति/ रामचन्द्र सुथार ,,	,,	,,	,,
20	,, रामू/ उगमा ,,	,,	,,	,,
21	,, भंवरीदेवी/ हरिप्रसाद, उपरेड़ा	,,	,,	,,
22	,, घीसी/ भंवरलाल तेली, भटेड़ा	,,	,,	,,

(337)

1	2	3	4	5
23	श्रीमती धन्नी/मदनलाल, भटेड़ा	465-00	ग्राम उद्योग कुटीर भीलवाड़ा	मोडल डान
24	,, भूसी/अमीर मोह० बनेड़ा	,,	,,	,,
25	,, रमेशी/भंवर वैष्णव, चमनपुरा	491-00	राज.कार्मशियल हाउस, भीलवाड़ा	ऊषा मशीन
26	,, केसर/ रामा गूजर, सोपुरिया	,,	,,	,,
27	,, लाली/ भूरा, चमनपुरा	536-00	,,	,,
28	,, सावित्रीदेवी/ प्रकाशचन्द्र, रायला	625-00	,,	,, (पायदान)
29	,, कमला/जेठू तेली, रायला	,,	,,	,,
30	,, अमीना/फखरूदीन, बनेड़ा	460-00	भावना इंटर प्राईजेज, शाहपुरा	लक्ष्मी मशीन
31	,, अफजल/अयूब शाह, ,,	,,	,,	,,
32	,, कमला/ शंकरलाल ,,	491-00	राज०कार्मशियल हाउस, भीलवाड़ा	उषा मशीन
33	,, लाली/चन्दराम जीनगर ,,	550-00	,,	,,
34	,, शान्ति/नानालाल जीनगर ,,	,,	,,	,,
35	,, पुष्पा/ रोशनलाल मोची ,,	,,	,,	,,
36	,, ताली/रोशनलाल मोची ,,	,,	,,	,,
37	,, नन्दू/खेमा रेगर	,,	,,	,,
38	,, रुपी/श्रीनारायण	,,	,,	,,
39	,, रामेश्वरी/मिश्रीलाल जीनगर ,,	,,	,,	,,
40	,, रतनबाई/रामनिवास ,,	,,	,,	,,
41	,, नैना/जमनालाल ,,	,,	,,	,,
42	,, मुंजु कुमारी/दुर्गालाल, डाबला	500-00	छापरवाल	रीटा मशीन
43	,, प्रेमदेवी सुखदेव ,,	,,	,,	,,
44	,, प्रेम/नारायण दरोगा ,,	,,	,,	,,

पंचायत समिति सहाड़ा 1982-83 जिला भीलवाड़ा

1	श्रीमती मोहनी देवी/शम्भुलाल ढोली आमली	666-60	ग्राम सेवा सह. समिति, सहाड़ा	उषा सिलाई मशीन कं.
2	,, ग्रणछी/ डालू सरगरा ,,	,,	,,	,,
3	,, लीलादेवी/ भेरूलाल पाथक ,,	,,	,,	,,

338

1		2	3	4	5
4	श्रीमती	शकुन्तला/ रामसुख महा ,,	660–60	ग्राम सेवा सह.	उषा सिलाई
5	,,	रामकन्या/ जगदीश महा. ,,		समिति, सहाड़ा	मशीन कं.
6	,,	मंजु/बालचन्द महा. ,,	,,	,,	,,
7	,,	सोहनी/बंशीलाल ढोली ,,	,,	,,	,,
8	,,	ठेऊ/शंकरलाल ढोली ,,	,,	,,	,,
9	,,	सागरबाई/ मीठुलाल महा. ,	,,	,,	,,
10	,,	गंगादेवी/ जवाहरलाल वैष्णव गंगापुर	750–00	जयबजरंग मशीनरी गंगापुर	पप्स मॉडल कम्पनी
11	,,	रोशनी/ ऊदा सरगरा ,,	611-00	सोडानी मेडिकल स्टोर भीलवाड़ा	उषा सिलाई मशीन कं.
12	,,	सीताबाई/बालु नाई ,,	640-00	कनक इलेक्ट्रिक	रीटा सिलाई
13	,,	सोखरबाई/ मोहनदास वैष्णव ,,	,,	गंगापुर ,,	मशीन कं. ,,
14	,,	सन्तोषदेवी/मादुलाल वैष्णव ,,	,,	,,	,,
15	,,	विमलाबाई/गणपतलाल महा. आमली	666–60	ग्राम सेवा सह. स. लि. सहाड़ा	उषा सिलाई मशीन कं.
16	,,	कंचनकुमारी/छीतरलाल महा,,	,,	,,	,,
17	,,	कंकु/हरिराम तेली ,,	,,	,,	,,
18	,,	गीताबाई/गोरधन नाई ,,	,,	,,	,,
19	,,	बेणीबाई/मोहन नाई ,,	,,	,,	,,
20	,,	बालीबाई/ भैरूलाल दर्जी ,,	,,	,,	,,
21	,,	लादीबाई/ रामलाल नाई ,,	,,	,,	,,
22	,,	मगनीबाई/मदनलाल दर्जी ,,	,,	,,	,,
23	,,	उर्मिला/ नन्दुदास महा. ,,	,,	,,	,,
24	,,	लाडकुमारी/केशरीमल महा,,	,,	,,	,,
25	,,	रोड़ीकुमारी/छीतरमल महा,,	,,	,,	,,
26	,,	लालीबाई/डालचन्द शर्मा ,,	,,	,,	,,
27	,,	प्रेमबाई/ मदुरीलाल नाई ,,	,,	,,	,,
28	,,	रूकमण/ बालचन्द शर्मा ,,	,,	,,	,,
29	,,	दुर्गाबाई/जमनालाल शर्मा ,,	,,	,,	,,
30	,,	सज्जनबाई/रोशनलाल महा..	,,	,,	,,

1		2	3	4	5
		पं. स. रायपुर, जिला-भीलवाड़ा			
1	श्रीमती	जमीला/मेहरबानखां नाथड़ियास	460-00	भावना एन्टर प्रा. बस स्टेण्ड शाहपुरा	लक्ष्मी मिलाई मशीन कं.
2	,,	छोटी/लालखां ,,	,,		
3	,,	गीता/शंकरलाल ,,	750-00	,,	,,
4	,,	गोदावरी/रामलाल शर्मा बागोलिया	460-00	,,	,,
5	,,	शृंगारी/मांगीलाल ,,	,,	,,	,,
6	,,	सुखी/खूमा भाम्भी ,,	,,	,,	,,
7	,,	टमु/मूला खटीक खूंटियां	,,	,,	,,
8	,,	रूक्मणी/सोहन माली ,,	,,	,,	,,
9	,,	राजी/मदनलाल ,,	,,	,,	,,
10	,,	उल्फत/दराजखां नाथड़ियास	,,	,,	,,
11	,,	झमकू/हरकू हरिजन बागोलिया	,,	,,	,,
12	,,	मेरून/हकीमखां रायपुर	,,	,,	,,
13	,,	जमकू/प्यारा खूंटिया	,,	,,	,,
14	,,	सुखी/रतन तेली ,,	,,	,,	,,
15	,,	जमीला/आजादखां नाथड़ियास	,,	,,	,,
16	,,	सरीपन/रजाक मोहम्मद रायपुर	,,	,,	,,
17	,,	सोसरदेनी/जगदीशचन्द्र नाथड़ियास	,,	,,	,,
18	,,	हरी/भैरू खटीक ,,	,,	,,	,,
19	,,	पानी/नन्दा आसपुर	,,	,,	,,
20	,,	मांगी/भैरू बलाई नाथड़ियास	,,	,,	,,
21	,,	चांदी/लखमा बलाई रायपुर	,,	,,	,,
22	,,	जमालखां/हसनखां ,,	,,	,,	,,
23	,,	गीता/ऊदयलाल नाथड़ियास	,,	,,	,,
24	,,	खेरून/नसीरखां रायपुर	,,	,,	,,
25	,,	जेतुन/जमालखां ,,	,,	,,	,,
26	,,	चांदखां/लालखां नाथड़ियास	,,	,,	,,
27	,,	जमना/गणेश नांदशा	,,	,,	,,
28	,,	केशर/गोकललाल रायपुर	,,	,,	,,
29	,,	कैलाशी/शंकरलाल नांदसा	,,	,,	,,
30	,,	गंगा/जयराम बलाई ,,	,,	,,	,,
31	,,	भंवरी/ओंकार बागोलिया	,,	,,	,,
32	,,	देवी/भूंगड़मल रायपुर	,,	,,	,,

1		2	3		4	5
33	श्रीमती	जुबेदा/बाबूखां	रायपुर	460-00	मावना एन्टरप्राईजेज बस स्टेण्ड-शाहपुरा	लक्ष्मी सि.म. कम्पनी.
34	,,	बाली/काशीराम	लखाहोली	,,	,,	,,
35	,,	कमला/काशीराम	,,	,,	,,	,,
36	,,	नोपी/पन्ना रेगर	बागोलिया	,,	,,	,,
37	,,	गोदावरी/गणेश	कोट	,,	,,	,,
38	,,	बाली/रामचन्द्र	रायपुर	,,	,,	,,
39	,,	कमला/भंवरलाल	,,	,,	,,	,,
40	,,	कमला/सम्पत दाधीच	,,	,,	,,	,,
41	,,	उगमी/भैरू सारोल	रायपुर	460-00	,,	,,
42	,,	मांगी/ धनराज सुनार	देवरिया	480-00	,,	,,
43	,,	कमला/बाबु तंवर	नाथडियास	750-00	,,	,,
44	,,	चांदी/आशु गुजर	बाड़ी	460-00	,,	,,
45	,,	विद्या/ रामेश्वर गर्ग	भीटा	,,	,,	,,
46	,,	सुशीला/भंवरलाल	देवरिया	,,	,,	,,
47	,,	कलसुम/अहमद बानू	रायपुर	750-00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी रायपुर	रीटा सि.म., कपनी
48	,,	सोसर/सुआलाल ब्रा.	पनोतिया	470-00	,,	,,
49	,,	चांदी/रेवत बलाई	बाड़ी	570-00	,,	,,
50	,,	मांगो/मेघा बलाई	,,	750-00	,,	,,
51	,,	इंद्री बाई/प्यारचन्द सोनी	बोराणा	500-00	,,	,,
52	,,	पीरी/प्यारचन्द	बोराणा	540-00	,,	,,
53	,,	जगदीश/कस्तूर जी नाई	,,	570-00	,,	,,
54	,,	घीसी/प्रताप चमार	खुंटिया	641-00	स्वस्तिक स्टोर रायपुर	उषा सि म. कंपनी
55	,,	टमुदेवी/हीरालाल सोडानी	रायपुर	750-00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी रायपुर	रीटा सि.म. कंपनी
56	,,	लादी/हीरालाल	रायपुर	750-00	,,	,,
57	,,	बिसमिल्ला/नने खां	,,	570 00	,,	,,
58	,,	जुबेदा/नसीरखां	,,	570-00	,,	,,
59	,,	लक्ष्मीदेवी/ नारायणलाल	खेमाणा	487-00	,,	,,
60	,,	मेताबी/खेमा भील	आसपुर	750-00	,,	,,
61	,,	शान्तिबाई/ बालूराम	,,	560-00	,,	,,
62	,,	सरीफन/अब्दुलसलाम	रायपुर	470-00	,,	,,
63	,,	बबली/ कमरूद्दीन	,,	470-00	,,	,,

1	2	3	4	5	6
64	श्रीमती फाती/नूरमोहम्मद	सगरेव	470-00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कं. रायपुर	उषा सि. म.कं.
65	,, घीसी /सफी मोहम्मद	,,	470-00		
66	,, सलमा/ इल्यास	रायपुर	750-00	,,	,,
67	,, अनु/इल्यास	,,	750-00	,,	,,
68	,, आमना/कालू	सगरेव	500-00	,,	,,
69	,, मीरां/लुम्बा माम्मी	नाथड़ियास	750-00	,,	,,
70	,, शांति/ बालू ढोली	मीटा	720-00	,,	,,
71	,, नोज्ञी/शम्भू ढोली	,,	750-00	,,	,,
72	,, कमला/मांगीलाल	नाथड़ियास	470-00	,,	,,
73	,, राजी/ बद्रीलाल	पनोतिया	570-00	,,	,,
74	,, संतोषी/टमू नाईक	आसपुर	470-00	,,	,,
75	,, उगमी /मोहन गाडरी	,,	470-00	,,	,,
76	,, मोहनी/रामा कुम्हार	नाथड़ियास	470-00	,,	,,
77	,, अणदी/ भंवरलाल कुम्हार	,,	470-00	,,	,,
78	,, प्रेम/भज्जा कुम्हार	,,	470-00	,,	,,
79	,, जानी/खाजू छीपा	,,	500-00	,,	,,
80	,, लच्छू बाई/मुन्ना लाल	,,	470-00	,,	,,
81	,, मोहनी/ प्यारचन्द नाई	,,	750-00	,,	,,
82	,, गुलाबो/किशनजी	आसपुर	750-00	,,	,,
83	,, सोहनी/मांगु भील	पनोतिया	750-00	,,	,,
84	,, चांदी/-भैरू बा०	नाथड़ियास	470-00	,,	,,
85	,, कस्तूरी/भैरा दरोगा	जोधड़ास	500-00	,,	,,
86	,, प्रेमकंवर/शिवसिंह	नाथड़ियास	660-00	,,	,,
87	,, इस्माईल/पीरबक्ष नीलगर	रायपुर	660-00	,,	,,
88	,, लतीफखां/ हसनखां मुस०	,,	750-00	मुकेश इलेक्ट्रीकल्स, रायपुर	लक्ष्मी सि.म.कं.
89	,, प्रेमपुरी/ सोहनपुरी गुंसाई	,,	500-00	,,	,,
90	,, कैलाशदेवी/ बंशीलाल	नांदशा	750-00	लक्ष्मी ट्रेडिंग कं., रायपुर	रीटा सि. म. कं.
91	,, रुक्मण/ प्यारचन्द सुनार	बोराणा	750-00	,,	,,
92	,, कमलादेवी/मदनलाल शर्मा	बोराणा	750-00	,,	,,
93	,, श्यामकंवर/प्रेमसिंह राज०	नादशा	500-00	,,	,,
94	,, सरजू /लालु कुम्हार	सुरास	750-00	,,	,,
95	,, गोपीदेवी/सुवालाल दमामि	नांदशा	750-00	,,	,,
96	,, घीसी/ आजादखां	रायपुर	750-00	,,	,,

क्र सं.		नाम महिला	ग्राम	कीमत	फर्म का नाम	कम्पनी का नाम
1		2	3	4	5	6
		पं. स. :- माण्डल जिला—भीलवाड़ा		82—83		
1	श्रीमती	लेनां/जग्गु दरोगा	चिताम्बा	500—00	खेमराज/बाबूलाल तम्बोलिया लुहारीकलां	रीटा सि. म. कं.
2	,,	भंवरकंवर/भवानीसिंह	,,	,,	,,	,,
3	,,	रुक्मरण/रामदयाल दरोगा	,,	,,	,,	,,
4	,,	धनकंवर/लक्ष्मणसिंह	भमारण	460—00	भावनाएन्टर प्राईजेज बसस्टेण्ड-शाहपुरा	लक्ष्मी सि. म क.
5	,,	सुश्री गावरी/कानसिंह	,,	460—00	,,	,,
6	,,	चान्दीबाई/नंदाकंवर	उमरी	500—00	,,	,,
7	,,	अनार/मुर्नार	ठीकलियाखेड़ा	,,	,,	,,
8	,,	शमीम/फकीर मोहम्मद	,,	,,	,,	,,
9	,,	भंवरकंवर/गरणपतसिंह	दहीमथा	,,	खेमराज/बाबूलाल तम्बोलिया लुहारीकलां	रीटा सि. म. कं.
10	,,	सोहनदेवी/माधुदास	उमरी	,	भावना एन्टर प्राईजेज बसस्टेण्ड, शाहपुरा	,,
11	,,	तुलछी/हीरानाई	दहीमथा	,,	,,	,,
12	,,	लादुलाल/काशीदास वैष्णव	लुहारिया	,,	,,	,,
13	,,	रतनदेवी/शंकरलाल भटेवरा	वेमाली	,,	,,	,,
14	,,	सोसर/गोमा कुमावत	,,	,,	,,	,,
15	,,	सजनकंवर/जगदीशचन्द	ज्ञानगढ़	,,	,,	,,
16	,,	कमलाबाई/मूलचन्द	;	,,	खेमराज/बाबूलाल तम्बो. लुहारीकलां	रीटा सि. म. कं.
17	,,	सायरबाई/रामेश्वरसिंह	,,	,,	भावना एन्टर-प्राईजेज बस स्टेण्ड शाहपुरा	लक्ष्मी सि. म. कम्पनी
18	,,	पार्वतीदेवी/घनश्याम शर्मा	,,	,,	,,	,,
19	,,	सीतादेवी/हरिबक्ष दरोगा	,,	,,	,,	,,

343

1	2	3	4	5	6
20	श्रीमती सायराबानू | इस्माईलखां	ज्ञानगढ़	500-00	भावना एन्टर-	क्षक्मी सि.
21	,, रतनदेवी | शकरलाल भटवेरा	बेमाली	460-00	प्राईजेज बस स्टेड शाहपुर	म. कं
22	,, ज्ञानी/मांगीलाल	शिवपुर	,,	,,	,,
23	,, छगु | केशरसिह	,,	,,	,,	,,
24	, लादी | जेठमल सुनार	,,	,,	,,	,,
25	,, पिस्ता/भवरसिह	चान्दरास	,,	,,	,,
26	,, कमला/घीसुलाल	देवपुरा ,,	,,	,,	,,
27	,, घीसो/ नानूलाल सुनार	,,	,,	,,	,,
28	,, प्रेमबाई रामसिह	बेमाली	500-00	खेमराज/वाबूलाल तम्वोलिया लुहारियाकलां	रीटा सि. म.कं.
29	,, कमलावाई/जैनासिह	,,	,,	,,	,,
30	,, शहीदा | गफुर खां	गोरस्या	,,	,,	,,
31	,, मंजु/ गौरीशंकर शर्मा	घोड़ा	,,	,,	,,
32	,, ऐजन/वालूराम शर्मा		,,	,,	,,
33	,, दीपकंवर/ मूलसिह		,,	,,	,,
34	,, सुशीला/केशरसिह		,,	,,	,,
35	,, पारसकंवर/केशरसिह	,,	,,	,,	,,
36	,, मांगीदेवी/भंवरलाल	लुहारिया कलां	,,	,,	,,
37	,, शान्तिदेवी/ रूपचन्द दर्जी	,,	,,	,,	,,
38	श्रीमती कमला | राम प्रसाद शर्मा	छोड़ास	685-00	खेमराज | वाबूलाल तम्वोली लुहारिणं	रीटा सि.म.
39	,, चंदादेवी | शंभुलाल शर्मा	लुहारियां	500-00	,,	,,
40	,, कलावती | लक्ष्मणसिह	बेमाली	,,	,,	,,
41	,, रतनदेवी शंकरलाल भटेरवा	,,	,,	,,	,,
42	,, सोसर/गोगा कुमावत	,,	,,	,,	,,
43	,, सज्जन कंवर जगदीशचन्द्र,	ज्ञानगढ़	,,	,,	,,
44	, कमलाबाई | मूलचन्द	,,	,,	,,	,,
45	,, सायरवाई | रामेश्वरसिह	,,	,,	,,	,,
46	,, पार्वतीदेवी/घनश्याम शर्मा	,,	,,	,,	,,
47	,, सीतादेवी हरिबक्ष दरोगा	,,	,,	,,	,
48	,, सायराबानु इस्माईल खां	,,	,,	,,	,,

पंचायत समिति : आसीन्द वर्ष 82-83 जिला—भीलवाड़ा

1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कंचन/मालू ढोली	कालिवास	500-00	डायर जनरल स्टोर आसीन्द	रीटासि.म.
2	,, कंकू/ मोहन रगरा	आसड़ादा	500-00	,,	,,
3	,, सुशीला/श्याम लाल शर्मा	निम्बाहेड़ा	825-00	,,	,,
4	,, कंचन/मदन शर्मा	,,	500-00	,,	,,
5	,, धापुदेवी/देवी भील	आकड़सादा	495-00	,,	,,
6	,, केसी/मेवा गुजर	,,	495-00	,,	,,
7	,, कंचन/शंकर लाल नाई	कालिवास	495-00	,,	,,
8	,, कोयली/मांगीलाल बलाई	,,	495-00	,,	,,
9	,, बरदी ऊंकार मोची	,,	495-00	,,	,,
10	,, गुलाब बाई/देवलाल नाई	,,	495-00	,,	,,
11	,, राधादेवी/बालूदास	निम्बाहेड़ा	500-00	,,	,,
12	,, लाडकुमारी/मदनमोहन राव	निम्बाहेड़ा	500-00	,,	,,

पं.सं.-सुवाणा जिला-भीलवाड़ा 82-83

1	श्रीमती कान्तादेवी/नन्दलालजी	मंगरोप	561-00	शारदा सि.म. भीलवाड़ा	रीटा सि.म. कम्पनी
2	,, लादीदेवी/कन्हैयालाल गर्ग	,,	561-00	,,	,,
3	,, कस्तुरीदेवी/रामनाथ गर्ग	,,	561-00	,,	,,
4	,, मांगीबाई/पृथ्वीराज गर्ग	,,	561-00	,,	,,
5	,, प्रेमदेवी/रतनलाल भांभी	,,	561-00	,,	,,
6	,, फातमा/जमालुदीन	,,	561-00	,,	,,
7	,, गीतादेवी/दामोदर दरोगा	,,	561-00	राज.कामर्शियल हाउस भीलवाड़ा	उषा सि.म. कम्पनी
8	,, शोभादेवी/ जगदीश भांभी	,,	626-00	,,	,,
9	,, गोपालकंवर/गोपालसिंह	कारोई	535-00	सुराना ब्रदर्स भीलवाड़ा	रीको मशीन कम्पनी
10	,, सरोजदेवी/ जानकीवल्लभ त्रिपाठी	कारोई	,,	,,	,,
11	,, रुक्मणीदेवी/नाथू बा.	,,	,,	,,	,,

345

1	2	3	4	5	6
12	श्रीमती गौरी/लखमा बलाई	,,	,,	सुराना ब्रादर्स भीलवाड़ा	रीको म.कम्पनी
13	,, नन्दु/सोहन बलाई	,,	,,	,,	,,
14	,, कंचन/गंगाराम टेलर	,,	,,	,,	,,
15	,, लाड/छोगा बलाई	,,	,,	,,	,,
16	,, छीटी/काना लाल	मालोला	,,	,,	,,
17	,, दशरथकंवर/देवीसिंह	,,	,,	,,	,,
18	,, लच्छमणी/शंकरलाल दरोगा	,,	,,	,,	,,
19	,, भंवरी/मांगीलाल दरोगा	,,	,,	,,	,,
20	,, बतुल/गफूर	भोपालगढ़	625-00	राज.कार्मशियल हाऊस भीलवाड़ा	उषा सि.म. कम्पनी
21	,, अंगूरीदेवी/सत्यनारायण	,,	,,	,,	,,
22	,, शान्तिदेवी/प्यारचन्द भांभी भैगरोप		,,	,,	,,
23	,, भागुली/मांगीलाल राव	करोई	535-00	सुराना बदर्स भीलवाड़ा	रीको सि.म. कम्पनी
24	,, वालो/तिलोक कुमावत	,,	,,	,,	,,
25	,, गीतादेवी/देवीलाल सकलीगर	,,	,,	,,	,,
26	,, चान्दी/किशनदास	,,	,,	,,	,,
27	,, सरजू/जानकीदास वैष्णव	,,	,,	,,	,,
28	,, लक्ष्मी/शंकर बलाई	,,	,,	,,	,,
29	,, चांदी/रामलाल सकलीगर	,,	,,	,,	,,
1	,, सन्तोकबाई/लादूलाल सुथार काछोला		725-00	पवन मैकेनिक वर्क्स भीलवाड़ा	पीटर मशीन
2	,, लाडदेवी/रामेश्वर लाल अग्रवाल काछोला		725-00	,,	,,
3	,, कमलादेवी/मदनलाल गगरानी काछोला		773-00	,,	,,
4	,, कौशल्यादेवी/भंवरलाल यादव काछोला		725-00	,,	,,
5	,, रामकन्या/रामस्वरूप जागेटिया काछोला		760-00	,,	,,
6	,, प्रेमदेवी/भंवरलाल सोनी काछोला		768-00	,,	,,
7	,, दुर्गादेवी/दुर्गालाल स्वर्णकार काछोला		800-00	,,	,,

(346)

1	2	3	4	5
8	श्रीमती सायरबाई/लादू दमामी, खाचरोल	1000-00	पवन मैकेनिक वर्क्स भीलवाड़ा	पीटर मशीन
9	,, शारदादेवी/कैलाशचन्द्र, काछोला	768-00	,,	,
पंचायत समिति-कोटड़ी वर्ष 1982-83:-				
1	श्रीमती शान्तिदेवी/बद्रीलाल सुथार गहूंली	500-00	लादूलाल सोमानी बरून्दनी	एच-एम.टी.
2	,, धापूदेवी/समर्थलाल शर्मा, गहूंली	500-00	,,	,,
3	,, प्यारी/हीरा गुजर ,,	500-00	,,	,,
4	,, शान्तादेवी/ओमप्रकाश नाई, कोटड़ी	7 4-00	पवन मैकेनिक वर्क्स भीलवाड़ा	पीटर
5	,, बदामदेवी/लक्ष्मीलाल सैन ,,	637-00	,	,,
6	,, सुगरा/रमजू पीनारा ,,	637-00	,,	,,
7	,, सावर/नन्दकिशोर ,,	637-00	,,	,,
8	,, शान्तादेवी/शंकरलाल गहूंली	500-00	लादूराम सोमानी बरून्दनी	एच.एम.टी.
9	,, ग्लादी/घीसू बिसायती, कोटड़ी	1000-00	,,	,,
10	,, शान्तिदेवी/ घीसूलाल शर्मा, ,,	500-00	,,	,,
11	,, सजनीदेवी/लादूलाल तेली, गहूंली	500-00	,,	,,
12	, मोहनीदेवी/भैरूलाल कुम्हार ,,	500-00	,,	,,
13	,, प्रेमदेवी/ रतनलाल जैन बड़लियास	460-00	भावना इन्टर प्राइजेज शाहपुरा	लक्ष्मी मशीन
14	, प्रेमदेवी/जमनालाल ,,	460-00	,,	,,
15	,. शांतिदेवी/भंवरलाल लढ़ा ,	460-00	,,	,,
16	,, प्यारी कन्हैयालाल गर्ग, रेड़वास	460-00	,,	,,
17	,, एजन/शंभूलाल शर्मा ,,	460-00	,,	,,

ट्राइसम योजना वर्ष 1982-83

क्र०सं०	नाम जिसे सिलाई मशीन से लाभान्वित किया	ग्राम	कीमत	फर्म का नाम	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1	राज कंवर/ चांद सिंह	बबराणा	492-00	शारदा सिलाई मशीन कम्पनी भीलवाड़ा	रीटा सिलाई मशीन
2	श्रीमती शंकर कंवर/निर्भयसिंह	,,	492-00	,,	,,

1	2	3	4	5	6
3	श्रीमती सोहबाई/ छीतर सिंह	बबराना	492/-	शारदा सिलाई मशीन कम्पनी भीलवाड़ा	रीटा सिलाई मशीन
4	,, सीताबाई/ रूपा जी	गोपालपुरा	492/-	,,	,,
5	, सीता कुमारी/मांगीलाल	जीवलियां	492/-	,,	,,
6	,, उगमी कुमारी/छोगा	,,	492/-	,,	,,
7	,, सुखाकुमारी/कसना बाई	,,	492/-	,,	,,
8	,, निम्बु बलाई/रोड़ा बलाई	,,	492/-	,,	,,
9	,, गीतादेवी /बालुराम	आमा	492/-	,,	,,
10	,, गीता देवी/रामेश्वर	,,	561/-	,,	,,
11	,, कान्तादेवी/सत्यनारायण	,,	561/-	,,	,,
12	,, बाला/ कैलाशचन्द्र	,,	561/-	,,	,,
13	,, शांता/प्रेमलाल रेगर	जोधड़ास	492/-	,,	,,
14	,, काली/सोहन लाल रेगर	,,	492/-	,,	,,
15	,, लीला/ ओमप्रकाश रेगर	,,	492/-	,,	,,
16	,, कला/ मोहनलाल रेगर	,,	492/-	,,	,,
17	,, मन्जु/ बजरंग लाल	बनेड़ा	492/	,,	,,
18	,, गंगा देवी/ छगन सिंह	,,	492/-	,,	,,
19	,, लालीदेवी/ देवीसिंह	,,	492/-	,,	,,
20	,, सुगमदेवी/ अल्लादीन	,,	492/-	,,	,,
21	,, लालीदेवी/देवकरण	गुरला	492/-	,,	,,
22	,, गीता देवी/कन्हैया लाल	,,	492/-	,,	,,
23	,, मुलीदेवी/ भैरूलाल	,,	492/-	,,	,,
24	,, नारायणी देवी/नगजीराम	,,	492/-	,,	,,
25	,, मांगी देवी/हीरालाल	बावलास	459/-	,,	,,
26	,, नन्दू देवी/सुवानाथ	,,	459/-	,,	,,
27	,, घनश्याम कुमारी/नन्दराम	,,	459/-	,,	,,
28	,, नर्बदा देवी/ कन्हैयालाल	,,	459/-	,,	,,
29	,, रोशन/ जगदीश	आमली	459/-	,,	,,
30	, मोहनी/ लादुलाल	,,	459/-	,,	,,
31	,, संतोष/ गणेश	,,	459/-	,,	,,
32	,, रोशन/ लादुलाल	,,	459/-	,,	,,
33	,, शारदा/ नारायणदास	,,	459/-	,,	,,
34	,, प्रेम/ रामा	,,	459/-	,,	,,

1		2	3	4	5	6
35	श्रीमती	गीता/जगन्नाथ धोबी	ग्रामली	459/-	शारदा सिलाई मशीन कम्पनी भीलवाड़ा	रीटा सिलाई मशीन
36	,,	लाड बाई/ कालू जी	,,	459/-	,,	,,
37	,,	कमला/ हिम्मत सिंह	बनेड़ा	500/-	,,	,,
38	,,	विमला/ जमना लाल	,,	500/-	,,	,,
39	,,	कंचन देवी/गोविन्द लाल	,,	500/-	,,	,,
40	,,	उमरी/ शरीफ मोहम्मद	बनेड़ा	500/00	,,	,,
41	,,	जमीला/ अली मोहम्मद	,,	,,	,,	,,
42	,,	जेतुदीत/ सावुदीन	,,	,,	,,	,,
43	,,	चांद मोहम्मद/ ब्रजमोहन	,,	,,	,,	,,
44	,,	नर्बदा/नारायणलाल	बबराणा	492-00	,,	,,
45	,,	नाना/कन्हैयालाल खटीक	,,	,,	,,	,,
46	,,	सुरजकंवर/सावतसिंह	,,	,,	,,	,,
47	,,	कोयल/काना बलाई	,,	,,	,,	,,
48	,,	नारायण/प्यारचन्द	बरुन्दनी	,,	,,	,,
49	,,	लादुलाल/जानकीलाल	,,	,,	,,	,,
50	,,	नंदलाल/बंशीलाल	,,	,,	,,	,,
51	,,	श्यामलाल/कजोड़ बारैठ	,,	,,	,,	,,
52	,,	सुगनादेवी/लादुलाल मंगरोप	,,	,,	,,	,,
53	,,	कंचनदेवो/देवीलाल मोची	,,	,,	,,	,,
54	,,	सीतादेवी/देवकरण मोची	,,	,,	,,	,,
55	,,	कंचनदेवी/ देवीलाल	,,	,,	,,	,,
56	,,	सीतादेवी/देवकरण मोची	,,	,,	,,	,,
57	,,	गोदावरी/भवाना भाम्बी	,,	,,	,,	,,
58	,,	मंजुदेवी/राजू रेगर	जोधड़ास	459.00	,,	,,
59	,,	सावित्रीदेवी/मदनलाल	,,	,,	,,	,,
60	,,	शशिकला/ रामलाल रेगर	,,	,,	,,	,,
61	,,	टम्पूदेवी/ मोहनलाल मोची	हुरड़ा	,,	,,	,,
62	,,	लाडदेवी/बलदेव मोची	,,	561.00	,,	,,
63	,,	सुड़ीदेवी/बाजुलाल जोशी	आमा	,,	,,	,,
64	,,	राजेश/ बालुलाल शर्मा	,,	,,	,,	,,
65	,,	चांदकंवर/ भंवरसिंह	मुरलिया	,,	,,	,,
66	,,	मरियम/ कासमजी	हुरड़ा	,,	,,	,,

1	2	3		4	5
67	श्रीमती सीतादेवी/ हीरालाल	कोटड़ी	561	शारदा सिलाई मशीन कंपनी	रीटा सिलाई मशीन
68	,, सोदरा/सोहनदास	,,	,,		
69	,, फूला/प्रेमचंदे	हुरड़ा	,,	,,	,,
70	श्रीमती मंजुदेवी/घनश्याम	माया	,,	,,	,,
71	,, मंजुदेवी/ मदनलाल	हुरड़ा	,,	,,	,,
72	,, डालीदेवी/ शंकरलाल	,,	,,	,,	,,
73	,, गोदावरीदेवी/किशनलाल	,,	504.00	मांगीलाल/भंवर-लाल बोरदिया	उषा सिलाई मशीन
74	,, सुफीया/ गोविन्दलाल लाम्बा	गुलाबपुरा	,,	,,	,,
75	,, भंवरीदेवी/सीताराम	,,	,,	,,	,,
76	,, लालादेवी/मोहनलाल	प्रतापपुरा	,,	,,	,,
77	,, मनभरीदेवी/हीरालाल	गुलाबपुरा	,,	,,	,,
78	,, शांतिदेवी/मदनलाल	प्रतापपुरा	,,	,,	,,
79	,, मोहनीदेवी/ प्रेमचंद	गुलाबपुरा	,,	,,	,,
80	,, नोरतीदेवी/ गुलाबचंद	,,	,,	,,	,,

स्काईट योजना वर्ष 1982-83

स्काईट योजना :

क्रम सं.	महिला का नाम जिसे सिलाई मशीन से लाभान्वित किया	कीमत	फर्म का नाम	कम्पनी काम नाम
1	5	3	4	5
1	श्रीमती कुसुमदेवी/रमाशंकर	600/-	सुन्दर फैन्सी स्टोर भीलवाड़ा	पेरी सिलाई मशीन
2	,, बिरिन्द्रादेवी/ बद्रीलाल	600/-		
3	,, गीतादेवी/गणेशलाल	600/-	,,	,,
4	,, गीतादेवी/बनाराम	600/-	,,	,,
5	,, शकुन्तला/भवानीप्रसाद	600/-	,,	,,
6	,, प्रेमदेवी/ देवीलाल	600/-	,,	,,
7	,, पार्वतीदेवी/रामलाल	600/-	,,	,,
8	,, कौशल्या/रामेश्वरलाल	600/-	,,	,,
9	,, विमलादेवी/मंगलचन्द	600/-	,,	,,
10	,, सुन्दरदेवी/ अर्जुनलाल	600/-	,,	,,
11	,, कान्तादेवी/लक्ष्मीलाल	600/-	,,	,,

1	2	3	4	5
12	श्रीमती राधादेवी/रामगोपाल	600/-	सुन्दर फेन्सी स्टोर भीलवाड़ा	पेरी सिलाई मशीन
13	,, डालीदेवी/बाबूराम	600/-		
14	,, गीतादेवी/रामकरण	600/-	,,	,,
15	,, लाडदेवी/निर्भयदेव	600/-	,,	,,
16	,, मुन्नीबाई, हजारीलाल	600/-	,,	,,
17	,, पुष्पा/नन्दलाल	600/-	,,	,,
18	,, सुदेशी/ उदयलाल	600/-	,,	,,
19	,, कमला/ गणपतलाल	600/-	,,	,,
20	,, भगवती/मोहनलाल	600/-	,,	,,
21	श्रीमती पानी/ जालमल	600/-	,,	,,
22	,, लादुकुमारी/जमनालाल	600/-	,,	,,
23	,, बन्दू/ भैरूलाल	600/-	,,	,,
24	,, कंचन/मिश्रीलाल	600/-	,,	,,
25	,, शान्ति /रामप्रसाद	600/ –	,,	,,
26	,, विमला/त्रिलोकचन्द	600/ –	,,	,,
27	,, मदनी/नारायणलाल	600/ –	,,	,,
28	,, सुशीला/ रामजस	600/-	,,	,,
29	,, कंचनदेवी/प्रेमचन्द	600/-	,,	,,
30	,, विद्यादेवी/लक्ष्मण	600/ –	,,	,,
31	,, आशा/भागर्जी	600/-	,,	,,
32	,, लाजी/बन्शीलाल	600/-	,,	,,
33	,, शान्तादेवी/रामस्वरूप	600/-	,,	,,
34	,, आरतीदेवी/बन्शीलाल	600/-	,,	,,
35	,, कमला/सम्पतलाल	600/-	,,	,,
36	,, लालीदेवी/फेरूलाल	600/ –	,,	,,
37	,, शीलादेवी/पन्नालाल	600/ –	,,	,,
38	,, मनुदेवी, विजयकुमार	600/-	,,	,,
39	,, उषादेवी/ सोहनलाल	600/-	,,	,,
40	,, पार्वतीदेवी/रामचन्द्र	600/-	,,	,,
41	,, मोहनदेवा/ रामपाल	600/-	,,	,,
42	,, सुलभा/भोजराज	,,	,,	,,
	,, गीता देवी	,,	,,	,,
	,, शकुन्तला/रामचन्द्र	,,	,,	,,
	, प्रेमलता/ओमप्रकाश	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
46	श्रीमती कमला देवी	,,	सुन्दर फैन्सी स्टोर भीलवाड़ा	पेरी सिलाई मशीन
47	,, सोहनी देवी	,,		
48	,, प्रेम देवी	,,	,,	,,
49	,, जमना देवी	,,	,,	,,
50	,, रतन देवी	,,	,,	,,
51	,, विमला देवी	,,	,,	,,
52	,, सीता देवी	,,	,,	,,
53	,, मोनी बाई	,,	,,	,,
54	,, रुकमणी देवी	600	,,	,,
55	,, सन्तोष देवी	,,	,,	,,
56	,, शान्ता देवी	,,	,,	,,
57	,, शोभा देवी	,,	,,	,,
58	,, सीता देवी	,,	,,	,,
59	,, विद्या देवी	,,	,,	,,
60	,, बदाम देवी	,,	,,	,,
61	,, प्रेमलता	,,	,,	,,
62	,, गीता बाई	,,	,,	,,
63	,, पुष्पा देवी	,,	,,	,,
64	,, रोशन देवी	,,	,,	,,
65	,, कान्ता देवी	,,	,,	,,
66	,, आशा देवी	,,	,,	,,
67	,, नानी बाई	,,	,,	,,
68	,, सन्तोष बाई	,,	,,	,,
69	,, कृष्णा देवी	,,	,,	,,
70	,, भगवती देवी	,,	,,	,,
71	,, प्रेम देवी	,,	,,	,,
72	,, मंजु देवी	,,	,,	,,
73	,, जशोदा देवी	,,	,,	,,
74	,, जस्सु देवी	,,	,,	,,
75	,, सीता देवी	,,	,,	,,
76	,, मन्जू/श्रीनिवास	,,	शक्ति एजेन्सी भीलवाड़ा	उषा सिलाई मशीन
77	,, मीरा देवी/रमेश	,,	,,	,,
78	,, जयन्तीलाल/सुरेन्द्रलाल	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
79	श्रीमती धनराज देवी/सीयाराम	,,	शक्ति ऐजेन्सी भीलवाड़ा	उषा सिलाई मशीन
80	,, मुन्नी देवी/मुन्शीसिंह	,,	,,	,,
81	,, कंचन देवी/धर्मेन्द्र दास	600/–	,,	,,
82	,, भंवर देवी/सीताराम	,,	,,	,,
83	,, कमलेश देवी/सांवरमल	,,	,,	,,
84	,, देवेन्ती देवी/सिंगासन	,,	,,	,,
85	,, ततेरा देवी/ ईश्वर दास	,,	,,	,,
86	,, कुषमा देवी/प्रदीप कुमार	600/–	,,	,,
87	,, गायत्री देवी /जगदीश चन्द्र	,,	भीलवाड़ा	मशीन
88	,, सुशीला/लादुलाल	,,	,,	,,
89	,, रामु/भेरूलाल	,,	,,	,,
90	,, गुलाबी/लादु लाल	,,	,,	,,
91	,, पारवती /लालचन्द मोची		राजस्थान काम-शियल हाउस	उषा सिलाई मशीन
92	,, धापु/भंवर लाल मोची	,,	,,	,,
93	,, प्रेम/भूरा नायक	,,	,,	,,
94	,, गीता/लादु लाल नायक	,,	,,	,,
95	,, लादी/भेरलाल धोबी	,,	,,	,,
96	,, गंगा/कल्याण धोबी	,,	,,	,,
97	,, प्रेम/हीरालाल धोबी	,,	,,	,,
98	,, प्रेम/कजोड़ मल धोबी	,,	,,	,,
99	,, पुष्पा नायक/ कैलाश	,,	,,	,,
100	,, बबली/पूरणमल हरिजन	624/–	शालीमार इले. बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	उषा सिलाई मशीन
101	,, शांति/मिठ्ठलाल हरिजन	,,	,,	,,
102	,, कमला/ भागु मल	,,	,,	,,
103	,, सुशीला/शिवचरण	,,	,,	,,
104	,, देऊ/राम बक्ष	,,	,,	,,
105	,, रामदेवी/रामनाथ	,,	,,	,,
106	,, गीता/कालुराम	,,	,,	,,
107	,, सीता/सीताराम	,,	,,	,,
108	,, लीला/पूरणमल	,,	,,	,,
109	,, मन्जू/रामपाल	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
110	श्रीमती जमना/रामसुख		624/–	शालीमार इलेक्ट्रिकल बाजार नं. 2	उषा सिलाई मशीन
111	,, गीता/कैलाश		,,	,,	,,
112	,, आशा/तुलसी राम		,,	,,	,,
113	,, कमला/ श्याम लाल		,,	,,	,,
114	,, सुशीला/राम लाल हरिजन		,,	,,	,,
115	,, उमा/बलदेव		,,	,,	,,
116	,, तारा/श्याम लाल नायक		,,	,,	,,
117	,, राम देवी/मुसाफिर नायक		,,	,,	,,
118	,, गिरीजा/शंकर लाल चमार		,,	,,	,,
119	,, कमला/ महादेव चमार.		,,	,,	,,
120	,, नंद किशोर/विश्वनाथ		,,	,,	,,
121	,, कमला/कजोड़ धोबी		,,	,,	,,
122	,, कंचन/उदयलाल धोबी		,,	,,	,,
123	,, सोनिया /रामशंकर चमार		624/–	,,	,,
124	,, सुशीला/ऊंकार नायक		,,	,,	,,
125	,, प्रेम/कन्हैयालाल नायक		,,	,,	,,
126	,, सायरी/घीसूलाल धोबी		,,	,,	,,
127	,, विमला देवी/देवीलाल		,,	,,	,,
128	,, भूरी/ हीरालाल खटीक		,,	,,	,,
129	,, इन्द्रा/रामस्वरूप धोबी		,,	,,	,,
130	,, कमला/दुर्गालाल धोबी		,,	,,	,,
131	,, रतनदेवी/जगदीशचन्द्र		,,	,,	,,
132	,, आशा /भेरूलाल हरिजन		,,	,,	,,
133	,, मीना/ भंवरलाल हरिजन		,,	,,	,,
134	,, सन्तोष/ सम्पत धोबी		,,	,,	,,
135	,, सायरी/ भंवरलाल रेगर		,,	,,	,,
136	,, मीरा /ग्यारसीलाल		,,	,,	,,
137	,, कमला/देवनारायण भाम्बी		,,	,,	,,
138	,, गीता/ बद्रीलाल रेगर		,,	,,	,,
139	,, बसन्ती/रमेश रेगर		,,	,,	,,
140	,, ग्यारसी/नारु भाम्बी		,,	,,	,,
141	,, सम्पति/राजू रेगर		,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
142	श्रीमती छोटी/रामकरण, रेगर		624	शालीमर इलेक्ट्रिकल बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	उषा सिलाई मशीन
143	,, शान्ति/मिश्रीलाल रेगर		,,	,,	,,
144	,, केशर/ हमीर रेगर		,,	,,	,,
145	,, सरोज/हीरालाल भाम्बी		,,	,,	,,
146	,, चम्पा/जगदीश रेगर		,,	,,	,,
147	,, मुन्नी देवी/भंवरलाल रेगर		,,	,,	,,
148	,, बबली/ शंकरलाल रेगर		,,	,,	,,
149	,, रामरती/पूरणमल रेगर		,,	,,	,,
150	,, हेमा देवी/ मांगीलाल		550-80	विजय सप्लायर्स भीलवाड़ा	रीटा सिलाई मशीन
151	,, पुष्पा देवी/नाथुलाल		,,	,,	,,
152	,, अणछी देवी/रामपाल		,,	,,	,,
153	,, गीता/ मिठू लाल भाम्बी		,,	,,	,,
154	,, सुगना/मोहन लाल		,,	,,	,,
155	,, विद्या/सोहन लाल		,,	,,	,,
156	,, लक्ष्मी देवी /सोहन लाल		,,	,,	,,
157	,, लीला देवी/ पूरणमल		,,	,,	,,
158	,, जमनी देवी /गजानन्द		,,	,,	,,
159	,, प्रेमलता/नन्दकिशोर		,,	,,	,,
160	,, यशोदा/कृष्णलाल भाम्बी		,,	,,	,,
161	,, शान्ति/ तेजमल		,,	,,	,,
162	,, कान्ति/ अशोककुमार		,,	,,	,,
163	,, प्रेमलता/सत्यनारायण		550-80	विजय सप्लायर्स भीलवाड़ा	रीटा सिलाई मशीन
164	,, प्रेम देवी/गोपाल लाल		,,	,,	,,
165	,, धनराजी/ सीया राम		,,	,,	,,
166	,, देवन्ती/चन्द्रमा नायक		,,	,,	,,
167	,, सुशीला/मदन लाल रेगर		,,	,,	,,
168	,, लक्ष्मी/ जमना लाल बलाई		,,	,,	,,
169	,, बद्री/ प्रेम बलाई		,,	,,	,,
170	,, रेखा देवी/ बाबू लाल		,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
171	,,	पुष्पा/ जीएा राम	550–80	विजय सप्लायर्स भीलवाड़ा	रीटा सिलाई भीलवाड़ा
172	श्रीमती	अमी/नेनु राम बलाई	,,	,,	,,
173	,,	मगनी/ हेम राम	,,	,,	,,
174	,,	संतोष बाई/मोहन लाल	,,	,,	,,
175	,,	कोशल्या/रामदेव बलाई	,,	,,	,,
176	,,	भूरी माई/प्रेम चंद	,,	,,	,,
177	,,	उदा देवी/धीरज लाल	,,	,,	,,
178	,,	बदाम/रामचन्द भाम्बी	,,	,,	,,
179	,,	उषा/ रतन लाल भाम्बी	,,	,,	,,
180	,,	मंजु/रमेश चन्द हरिजन	,,	,,	,,
181	,,	विद्या देवी/ उदय लाल	,,	,,	,,
182	,,	बदाम/मूल चंद खटीक	,,	,,	,,
183	,,	सीता/मदन लाल खटीक	,,	,,	,,
184	,,	शान्ता/राधेश्याम	,,	,,	,,
185	,,	पार्वती/ कन्हैया लाल	,,	,,	,,
186	,,	मदनी/प्रभु लाल	,,	,,	,,
187	,,	मुन्नी/बंशी लाल	,,	,,	,,
188	,,	मुनी/रंदा	,,	,,	,,
189	,,	सुगना/शिवराम खटीक	,,	,,	,,
190	,,	रतनी/बंशी लाल खटीक	,,	,,	,,
191	,,	लक्ष्मी/ नानु राम खटीक	,,	,,	,,
192	,,	कौशल्या/रामपाल	,,	,,	,,
193	,,	कन्या/ राधे याम खटीक	,,	,,	,,
194	,,	काली देवी/रतन लाल	,,	,,	,,
195	,,	भगवती देवी/दुर्गा	,,	,,	,,
196	,,	डाली /राम प्रसाद	,,	,,	,,
197	,,	गीता/ राम चन्द्र	,,	,,	,,

356

1	2	3	4	5	6
198	,, गीता/राधेश्याम		550-80	विजय सप्लायर्स भीलवाड़ा	रीटा सिलाई भीलवाड़ा
199	,, प्रेम/नेन चन्द खटीक		,,	,,	,,
200	, कमला/बद्रीलाल		,,	,,	,
201	,, कंचन/भंवर लाल		,,	,	,,
202	,, सीता/ मदन लाल खटीक		,,	,,	,,
203	,, दुर्गा/राम लाल खटीक		,,	,,	,
204	श्रीमती प्रेम कुमारी/ सोहनलाल		,,	,,	,,
205	,, पार्वती/ घीसुलाल खटीक		,,	,,	,,
206	,, भगवती/ज्ञानमल	,,	,,	,,	,,
207	,, पुष्पा/कन्हैयालाल	,,	,,	,,	,,
208	श्रीमती संतोष/राजेन्द्रकुमार खटीक		,,	,,	,,
209	,, नानुबाई/काशीराम	,,	,,	,,	,,
210	,, नानीदेवी/भैरुलाल	,,	625-00	राजस्थान कामर्शियल हाऊस	उषा सिलाई मशीन
211	,, कमलादेवी/नानुलाल	,,	,,	,,	,,
212	,, सुन्दरदेवी/सुवालाल	,,	,,	,,	,,
213	,, बालादेवी/ घीसुलाल	,,	,,	,,	,,
214	,, मोहनीदेवी/सोहनलाल	,,	,,	,,	,,
215	, शान्तिदेवी/ नाथूलाल	,,	,,	,,	,,
216	,, नानीदेवी/घीसुलाल	,,	,,	,,	,,
217	,, प्यारीदेवी/ नाथूलाल	,,	,,	,,	,,
218	,, प्यारीदेवी/ नानुलाल	,,	,	,,	,,
219	,, लादी/ जगदीश	,,	,,	,,	,,
220	, गुलाबी हरिजन	,,	,,	,,	,,

परिशिष्ट--23

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 की सूचना

अप्रेल 81 से जुलाई 1983 तक हुई बैंक डकैतियों की सूची

क्र.सं.	माह व सन्	घटना स्थल, दि. व समय	अभियोग सं., थाना व जिला	माल लूटा गया	माल बरामद हुआ	नाम मुलजिमान गिरफ्तार हुये	मुलजिमान जो गिरफ्तार करने हैं	नतीजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मार्च 1982	बैंक ऑफ बड़ौदा घन्टेल 2/3 दि. 3–3–82 की रात	मु.नं. 13/82 धारा 395/396/ भादसं थाना घन्टेल जिला बांसवाड़ा	–	–	1 श्री बीथला भील 2 ,, लालू भील 3 ,, कालिया भील	1 श्री राजींग 2 ,, बावूड़ा 3 ,, गौतम 4 ,, भीलू 5 ,, नानीया	3 अभियुक्तों के खिलाफ चालान अदालत पैशे किया गया जो दि. 8-4-83 को अदालत से बरी हुये। शेष की गिरफ्तारी के प्रयत्न जारी हैं।
2.	जून 1983	न्यू बैंक ऑफ इंडिया, नई मंडी भरतपुर दि. 16-6-83 दिन	मु.नं. 332/83 धारा 395/397/ भादस कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर	1,57 154.00	–	–	–	अनुसंधान जारी है। माल मुलजिमान के पतारसी के प्रयत्न जारी हैं।
3.	जुलाई 1983	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर चिडावली राठान 20-7-83 दिन	मु नं. 131/83 धारा 307/394/452/34 भादसं एवं 25 आर्म्स एक्ट थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला गंगानगर	58,823.00	–	–	नामालूम 3 मुलजिमान	अनुसंधान प्रगति पर है। माल मुलजिमान की पतारसी व गिरफ्तारी की कोशिश जारी है।

परिशिष्ट-24

1.5 अतारांकित प्रश्न संख्या 401 की सूची

(सूची आयुर्वेद विभाग के उन कर्मचारियों की जिनके द्वारा स्थानान्तरण पर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	स्थगन आदेश प्राप्ति दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री ललित किशोर	वैद्य	6-7-1983
2.	,, शिवचरणलाल	कम्पाउण्डर	21-7-1983
3.	,, भगवत सहाय	,,	27-7-1983
4.	,, राधामोहन	वैद्य	21-7-1983
5.	,, गणपतलाल	,,	16-4-1983
6.	,, ओंकारलाल	,,	27-6-1983
7.	,, जगदीशराम	,,	14-6-1983
8.	,, सुमनप्रकाश	,,	10-4-1983
9.	,, बजरंगलाल	,,	21-7-1983
10.	,, सुरेशचन्द्र	,,	22-7-1983
11.	,, नरेन्द्रकुमार	,,	26-9-1982
12.	,, जयदेव	,,	18-7-1983
13.	,, वासुदेव	,,	25-3-1983
14.	,, रमेशचन्द्र	,,	25-11-1982
15.	,, मानाराम	,,	23-7-1983
16.	,, ओमप्रकाश बड़ाया	,,	16-8-1983

परिशिष्ट–25

अतरांकित प्रश्न संख्या 49 की सूचना

गंगानगर मालखाने से चोरी गये हथियारों की सूची :--

क्र.	हथियार चोरी गये	अभियोग सं.	हथियार जो बरामद हुये	हथियार जो बरामद करने हैं	मुलजिमान गिरफ्तार किये गये	नतीजा
1	2	3	4	5	6	7
1	303 बोर राईफल–(1)	171/63	1. 455 बोर राईफल–(1)	1 303 बोर राईफल-1	–	अभियोग अन्वेषणा-
2	455 बोर राईफल–(1)	12.6.83	2. 12 बोर एसबीबीएलगन-1	2 12 बोर डीबीबीएल	–	धीन है मुलजिमान
3	12 बोर एसबीबीएलगन–(1)	धारा 454/467	3. 12 बोर डीबीबीएलगन-3	गन–1	–	की पतारसी व
4	12 बोर डीबीबीएलगन–(4)	380/भादराथाना	4. 38 बोर रिवाल्वर–2	3 माऊजरगन–1	–	बरामदी हथियार
5	माउजरगन-(1)	कोतवाली	5. 32 बोर रिवाल्वर/-6	4 32 बोर रिवाल्वर/	–	के भरसक प्रयत्न
6	38 बोर रिवाल्वर- 2	गंगानगर।	पिस्टल	–7 पिस्टल	–	जारी है।
7	32 बोर रिवाल्वर/-13 पिस्टल				–	
	योग 23		13	10		

परिशिष्ट-26

अतारांकित प्रश्न संख्या 52, की सूची

सूची जिनको मुआवजा दिया जा चुका है :-

क्र.सं.	नाम/ पिता का नाम	कुल मुआवजा	वापस दिया सामान का मूल्य	दिया गया मुआवजा
1	2 3	4		5
1	श्री हनुमान पुत्र श्री गोपीराम	1,456–80	–	1,457–00
2	श्री हरचन्द्र पुत्र श्री मूलचन्द	4,128–00	567–00	3,561–00
3	श्री कैलाश गूजर पुत्र श्री गोपाल	2,617–25	83–00	2,534–00
4	श्री लादू पुत्र श्री गोपी	529–00	–	529–00
5	श्री रघुनाथ पुत्र श्री गंगाराम	9,267–00	1,917–37	7,349–63
6	श्री डोकलराम पुत्र श्री जगन्नाथ	3,721–30	338–25	3,383–00
7	श्री हीरालाल पुत्र पांचू	9,352–00	657–22	8,694–78
8	श्री गोविन्द नारायण पुत्र गोपीनारायण	21,680–00	–	21,680–00
9	श्री नारायणदास पुत्र तोलाराम	1,128–60	–	1,128–60
10	श्री अमरचन्द गुप्ता पुत्र कल्याण सहाय	313–38	–	313–38
11	श्री चौथराम पुत्र गल्गूमल	3,069–96	146–69	2,923–27
12	श्रीमति गीता पत्नि श्री गोपाल सिंह	4,652–25	–	4,652–25
13	श्री सावलराम यादव पुत्र सूरजभान	4,399–80	583–57	3,816–23
14	श्री रामानन्द स्वामी	4,914–00	–	4,914–00

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	125	1	श्री त्रिलीक सिंह	श्री त्रिलोक सिंह
2.	129	1	श्री अब्यक्ष	श्री अध्यक्ष
3.	141	1	श्री भैरोसिंह शेखावत	श्री भैंरोसिंह शेखावत
4.	164–165	फोलियो	पुरः स्यापित विधेयक	विधायी कार्य
5.	171	1	श्री भरोसिंह शेखावत	श्री भैंरोसिंह शेखावत
6.	209–288	फोलियो	6 सितम्बर	5 सितम्बर
7.	255	1	श्री होरलाल आर्य	श्री हीरालाल आर्य
8.	256	21	श्री भैंरोसिह शेखावत	श्री भैंरोसिंह शेखावत
9.	275	1	श्री गोपाल षचेरवाल	श्री गोपाल पचेरवाल
10	189	26	आयुक्त के 28 वें प्रतिवेदन	आयुक्त के 26वें प्रतिवेदन
11.	143	27	(संख्या–2)	(संख्या–3)
12.	189–272	फोलियो	प्रतिवेदन पर–विचार	अनु. जाति एवं जनजाति के 26वें प्रति. पर विचार
13.	2	3	राज्यमंत्री गृह श्री गोविन्दसिंह	राज्यमंत्री गृह (श्री गोविन्दसिंह)
14.	37	10	श्री दिनेश डांगी	(श्री दिनेश डांगी)
15.	86	26	श्री दाऊदयाश जोशी	श्री दाऊदयाल जोशी
16.	100	33	नुआवजे	मुआवजे
17.	127	1	अध्यक्ष	(अध्यक्ष)
18.	159	5	—	विधायी कार्य